CONTENTS

Sixteenth Series, Vol.XVI, Seventh Session, 2016/1937 (Saka) No.16, Wednesday, March 16, 2016/Phalguna 26, 1937 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>
OBITUARY REFERENCE	10
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.261 to 266	11-60
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.267 to 280	61-100
Unstarred Ouestion Nos.2991 to 3220	101-590

_

 $^{^{*}}$ The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	592-619 804
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES	
27 th to 30 th Reports	620
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE	
6 th Report	620
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (i)26 th Report (ii)Statements	620 621
STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT	021
274 ^h and 275 th Reports	622
STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE	
82 nd and 83 rd Reports	623
MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015- EXTENSION OF TIME	624
MOTION RE: 28 th REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	625
SUBMISSION BY MEMBERS	
Re: Level of Mathematics question paper in recent Class XII, CBSE Board Examination and also reported leak of question paper	627-632

MATTERS UNDER RULE 377		652-681
(i)	Need to construct a new railway line from Chhapra (Saran district) to Chakia (East Champaran district) in Bihar	
	Shri Janardan Singh Sigriwal	653
(ii)	Need to set up food processing industries in Farrukhabad parliamentary constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Mukesh Rajput	654
(iii)	Need to sanction adequate number of Indira Awas units in Madhya Pradesh and also release balance funds due to the State under the Scheme	
	Shri Ganesh Singh	655
(iv)	Need to include nutritious foods specially dates in the diet of paramilitary forces in the country	
	Shri Devendra Singh Bhole	656
(v)	Need to set up Kisan Counselling Centres	
	Shri Ramesh Bidhuri	657-658
(vi)	Need to send a central team to assess the damage caused to crops due to unseasonal rains and hailstorms in Wardha parliamentary constituency and provide adequate compensation to the affected farmers	
	Shri Ramdas C.Tadas	659
(vii)	Need to run Sahajahnpur- Delhi Passanger train No.54075/76 from Sitapur, Uttar Pradesh	
	Shrimati Rekha Verma	660

(viii)	Need to take suitable remedial measures to check increasing pollution level in Singrauli district, Madhya Pradesh	
	Shrimati Riti Pathak	661-662
(ix)	Need to take suitable action against the persons/agencies responsible for cutting of trees in illegal manner during the construction of railway line from Goilkera to Manoharpur in Jharkhand	
	Shri Laxman Giluwa	663
(x)	Need to provide funds for development of banks of river Tawi in Jammu, Jammu and Kashmir	
	Shri Jugal Kishore	664
(xi)	Need to set up AIIMS at Deoghar in Jharkhand	
	Shri Nishikant Dubey	665
(xii)	Need to draw an action plan to bring down casualties on the Mumbai Suburban Railway Zone	
	Dr. Kirit Somaiya	666
(xiii)	Need to ensure construction of road from Chas to Ramgarh in Bokaro district as per specified norms and standards	
	Shri Ravindra Kumar Pandey	667
(xiv)	Need to set up Coast Guard Station in Hazira, Gujarat	
	Shrimati Darshana Vikram Jardosh	668
(xv)	Need to protect the interests of public sector oil companies	
	Shri Raieev Satav	669

(xvi)	Need to exempt gold and diamond jewellery from excise duty	
	Shri Tamradhwaj Sahu	670
(xvii)	Need for inclusion of Narikuravar community in the list of Scheduled Tribes	
	Shri S.R. Vijaya Kumar	671
(xviii)	Need to check illegal importing of Chinese Fireworks	
	Shri T. Radhakrishnan	672-673
(xix)	Need to construct a flyover at Bandel Junction railway station	
	Dr. Ratna De (Nag)	674
(xx)	Need to set up a unit of CRPF at Bhawanipatna, the district Headquarters of Kalahandi	
	Shri Arka Keshari Deo	675
(xxi)	Need to declare river cleaning projects as National Projects	
	Shri Shrikant Eknath Shinde	676-677
(xxii)	Regarding six-laning of National Highway No. 16 between Vishakhapatnam and Ichapuram in Andhra Pradesh	
	Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	678
(xxiii)	Need to establish an Agriculture Research University in Murshidabad, West Bengal	
	Shri Md. Badaruddoza Khan	679

(xxiv)	Need to construct bridges over Kumhari and Jirain rivers on National Highway No. 82 in Nalanda parliamentary constituency, Bihar	
	Shri Kaushalendra Kumar	680
(xxv)	Need to release fund for centrally funded environmental initiatives in Kerala	
	Shri N.K. Premachandran	681
DISC	USSION UNDER RULE 193	
	tion arising out of recent terror attacks at ankot Airbase	682-803
	Shri Kalikesh N. Singh Deo	682-692
	Shri Nishikant Dubey	694-704
	Shri Jyortiraditya M. Scindia	705-715
	Shri S. Rajendran	717-720
	Prof. Saugata Roy	721-724
	Shri Chandrakant Khaire	725-727
	Shri Thota Narasimham	728-731
	Shri Mohammad Salim	732-735
	Shrimati Kavitha Kalavakuntla	736-739
	Dr. Varaprasad Rao Velagapalli	740-743
	Shri Dharmendra Yadav	744-747
	Shri Ashwini Kumar	748-750
	Shri Jai Prakash Narayan Yadav	751-752
	Shri N. K. Premachandran	753-756
	Shri Dushyant Chautala	757-759
	Shri Kaushalendra Kumar	761-762
	Shri Asaduddin Owaisi	763-767

Shri Rajesh Ranjan	768-770
Shri Harish Meena	771-772
Shri George Baker	773-774
Shri Manohar Parrikar	775-789
Shri Rajnath Singh	790-803
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	
AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA	716, 848-886
COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2016	760
MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION)AMENDMENT BILL, 2016	805-847
Motion to Consider	805
Shri Narendra Singh Tomar	805-806, 851-855
Shri Vincent H. Pala	807-811
Shri Hukum Singh	812-816
Shri Bhartruhari Mahtab	817-822
Shri Thota Narasimham	823-825
Dr. A. Sampath	826-833
Shri A.P. Jithender Reddy	834
Dr. Varaprasad Rao Velagapalli	835-838
Shri Ganesh Singh	839-842
Shri Hariom Singh Rathore	843-845
Shri P.P. Chaudhary	846-847
Clauses 2 to 4 and 1	855
Motion to Pass	855

AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) BILL, 2016

(Amendments made by Rajya Sabha)	856-885
Motion to Consider	856
Prof. Sugata Bose	860-862
Shri Tathagata Satpathy	863-864
Shri Mohammad Salim	865-869
Shri Konda Vishweshwar Reddy	870-871
Shri Arun Jaitley	873-881, 885
Amendments rejected	885
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	887
Member-wise Index to Unstarred Questions	888-892
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	893
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	894-895

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, March 16, 2016/Phalguna 26, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री रामस्वरूप प्रसाद जिन्होंने 9वीं और 14वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में बिहार के नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

वे 14वीं लोक सभा के दौरान रसायन और उर्वरक संबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री प्रसाद बिहार विधान सभा में चार कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे।

व्यवसाय से एक किसान और सक्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए प्रयास किए।

श्री रामस्वरूप प्रसाद का निधन 8 मार्च, 2016 को 81 वर्ष की आयु में हुआ।

हम श्री रामस्वरूप प्रसाद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन खड़ी होगी।

11.0 ½ hours

(The Members then stood in silence for short while.)

11.02 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 261 - श्री प्रताप सिम्हा - उपस्थित नहीं। श्री भगवंत खुबा।

(Q.261)

श्री भगवंत खुबा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रेल मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसे ग्रीष्म काल, शीत काल और त्यौहार के दिनों में स्पैशल ट्रेन चलाते हैं, क्या वैसे ही इलैक्शन स्पैशल ट्रेन चलाने का आपका कोई प्रस्ताव है?

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, यह डिमांड ड्रिवन ट्रेन चलाई जाती है। जब-जब आवश्यकता महसूस की जाती है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब स्पैशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। अगर भविष्य में ऐसा महसूस किया जाएगा तो माननीय सदस्य के सुझाव पर ध्यान रखा जाएगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न में नाम नहीं है, इसलिए एक ही प्रश्न पूछना है।

...(व्यवधान)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity to ask a question.

After bifurcation of Andhra Pradesh, we have four divisions in our State. We are generating the highest revenue for the Indian Railways. Waltair railway division of the East Coast Railway Zone is generating the highest revenue for the Indian Railways. The other three railway divisions are also generating the highest revenue for the South-Central Zone of the Indian Railways which is located at Hyderabad.

We are demanding for a Railway Zone for the last three decades. Since the hon. Prime Minister is here, I would like to request the hon. Railway Minister to consider our demand for a Railway Zone. The Congress Party did a lot of injustice in the bifurcation of Andhra Pradesh. There is no Capital. There is no revenue as well. Railway zone is the sentiment of the Andhra Pradesh people. It is a long pending issue

माननीय अध्यक्ष: आप केवल प्रश्न पूछिए हालांकि यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न का इससे कोई संदर्भ नहीं है। रेल बजट के उत्तर में रेल मंत्री जी ने अपनी राय रखी थी, इसलिए यहाँ टिप्पणी उचित नहीं होगी।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): Congress Party is asking for a special category status for it. A lot of injustice has been done to us.

HON. SPEAKER: Do not behave like this.

SHRI M.K. RAGHAVAN: Thank you for giving me this opportunity. Madam, Speaker, Kerala is one State where long distance passengers are always on the increase. There is a demand for more trains on certain sections like Calicut-Bengaluru, Mangalore-Trivandrum, Trivandrum-Delhi, Mangalore-Chennai ,Trivandrum-Mumbai, Trivandrum-Patna and Trivandrum-Varanasi. Reserved tickets are very rare to get due to heavy rush. This rush is the worst especially during Onam, Sabarimala, Christmas, summer and winter vacations.

Through you, Madam, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will identify these seasons and introduce special trains to overcome the rush on a regular basis instead of making special demands to the Minister, as is the practice.

श्री मनोज सिन्हा: महोदया, सामान्य स्थिति में भी अधिकाधिक ट्रेनें भारतीय रेल चलाती है। उन्होंनें त्योहारों, गर्मियों की छुटि्टयों और सबमरीमाला त्योहार की बात की है ऐसे अवसरों पर सामान्य गाड़ियां भी हम अधिक संख्या में चलाते हैं। प्रिमियम और सुविधा ट्रेनें भी चलाते हैं। रेलवे जोन से डिमांड आने पर निर्णय लिया जाता है। विशेष रूप से केरल के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उसका निश्चित रूप से संज्ञान लिया गया है और आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रेलवे जो स्पेशल ट्रेन चलाता है वह डिमांड ड्राइवेन है। फेस्टिवल और आवश्यकता के अनुसार इन गाड़ियों का संचालन होता है। ऐसी तमाम रेलवे के जोन्स हैं जिस लाइन पर ऑलरेडी 100% से ज्यादा यूटिलाइजेशन है जहां 100 गाड़ियां चलनी चाहिए वहां उससे ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। यह स्वाभाविक है कि वहां डिमांड ड्रिवेन के लिए ऑलरेडी सेक्शन इस्टिबिलेशड हो चुका है। नार्थ ईस्ट रेलवे है, नार्दन रेलवे है इनकी कैंपिसिटी 100 % यूटिलाइजेशन से ऊपर है। पिछले दिनों जिन गाड़ियों का उल्लेख किया गया था जैसे तेजस, हमसफर,

अंत्योदय और उदय चार नई श्रेणी की गाड़ियां हैं, क्या सरकार उन पर विचार कर रही हैं जिन पर ऑलरेडी

डिमांड ड्रिवेन है और वहां से डिमांड आ चुका है, इन पर कब तक गाड़ियों को चलाने का निर्णय लेगी?

श्री मनोज सिन्हा: महोदया, माननीय सदस्य ने कन्जेशन की बात उठाई है इसका यात्रियों की संख्या से

कोई सीधा संबंध नहीं है। बजट में तेजस, अंत्योदय और हमसफर की जो घोषणा हुई है उसके लिए निर्देश

जारी कर दिए गए हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस साधारण किराये पर चलने वाली गाड़ी होगी। तेजस और हमसफर

डायनिमिक प्राइसिंग पर चलाएंगे।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: महोदया, बिहार का जो बांका का इलाका है, बांका से पटना के लिए एक

नई इंटरसिटी गाड़ी चलाने, एससी-टू-टीयर लगाने, जसीडीह और भागलपुर से राजधानी ट्रेन चलाने का

ख्याल रखती है जिससे यात्रियों को सुविधा हो? पुरानी रेल परियोजनाएं को पूरा करने का विचार रखती है?

आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं?

श्री मनोज सिन्हा: महोदया, मूल प्रश्न से इसका संबंध कम है लेकिन उनकी विरासत पुरानी योजनाओं

को पूरा न करने की है, उसे हम ठीक कर रहे हैं। पटना में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी दीघा गए थे जो

पुल लंबे समय से लंबित था वह पुरा हो गया, उसके ठीक बगल मुंगेर में जो उनका जनपद है वहां से

मालगाड़ी चलाया, तीसरा मोकामा में नया सेतु का निर्माण शुरू किया है। अब 35 साल में नहीं बल्कि 4

साल में पूरा करके बिहार की जनता को समर्पित करेंगे। आपने बांका से पटना इंटरसिटी के लिए गाड़ी

चलाने की बात की है, भागलपुर और जसीडीह से नई राजधानी ट्रेन की मांग की है। माननीय सदस्य के

सुझाव पर हम गंभीरता से विचार करेंगे।

HON. SPEAKER: Q. 262, Shri Rahul Shewale – not present.

Shri Nagendra Kumar Pradhan

(Q. 262)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: Thank you, Madam. I must congratulate the Department, the Government of India for their reply. I have been getting the answers given by the Government since the last five years but this is the first time the Government has accepted that the adulteration is due to excess water, due to excess glucose, due to excess skimmed milk power, due to urea, detergent, refined oil, caustic soda and white paint. So I must congratulate the Minister; at least he has revealed the truth.

Secondly, I must congratulate the Press and the electronic media because the hon. Minister has also stated that they have got the report from electronic media and Press. Therefore, in this context, as per the answer given by the hon. Minister, there is no specific institution which has been surveyed except two. One has come in 2012 and another has come up in 2015. So, my point is this. If you go for REIL, it has a manufactured system costing around Rs. 70,000 to Rs. 100,000. In case of the second industry, the cost for testing a milk sample costs around Rs. 0.05 to Rs. 0.10.

However, I would like to know from the hon. Minister, through you, whether any specific institution will be established to investigate it. It is because, due to adulteration, lakes of people are dying. Therefore, a specific suggestion has to be given as to what the Government is thinking about this.

DR. HARSH VARDHAN: Respected Madam, I think, I have given a comprehensive reply. The amount of adulteration that is happening in the country, is as per the latest report of the Food Safety and Standards Authority of India, and it has been given. The last survey was done in the year 2011 in which they had taken samples from 33 States. About 1700 samples were taken and it was found that 68.4 per cent of the samples of milk that were picked up from different places, were adulterated. There were many adulterants; some of them were named by you. So, in fact, the earlier process for testing adulteration in this country was actually either a routine lactometer which was able to only test the density or there was a

mechanism of strips or a chemical technique in which for everything that is added, you have a different test and then you have to use chemicals and all.

So, this was the time when we were in fact working on an electronic tongue and we thought to replace the man testers. We thought in our laboratory that this is a very serious problem for the country as in about two lakh villages in the country, there are about four lakh places where milk is collected. Then, through the cold chain, it is sent to the dairies. So, we have now developed the Ksheer-Scanner which is, I think, going to revolutionise the whole process of getting an instant test at the point of first collection, the first point where the milk is given to the collection centre. The cost of this test is five to ten paise. You get the result within 40 seconds. Once that scanner machine is installed at different places, we can ensure quality of milk. Earlier what was happening was that if somebody was delivering milk at a place, they took sample to the main collection centre and later on testing of that sample was done with chemical methods, etc. but the damage was already done. Now, this is a mechanism in which within 40 seconds you get the result 'yes' or 'no' and you can also know the name of adulterant. So, this is a revolutionary idea.

Our CSIR laboratory has already got in touch with two leading companies, one in Gujarat and the other in Rajasthan. The Rajasthan company has already installed 50 scanners at different places in four States. They had initially done testing on 2,000 samples and they crosschecked their results with chemical methods. The accuracy of this test was one hundred per cent. We have demonstrated it before whole group of our media people who cover the scientific community. After this revolutionary discovery by our scientists, we are now in the process of further developing it for individual people at homes. That is a Ksheer Tester that we are developing, which will be costing only Rs.10,000. Our ultimate aim is to develop this machine further in a way that the whole chain of milk collection is connected through GPS system and wherever there is

adulteration in milk, immediately a message can be sent to the dairy that this is a particular sample and at one particular place adulteration is likely to happen.

To make this happen and also to convert into really people-friendly and people-saving movement in the country, I have written to all the Health Ministers of the country. We have requested them to involve their PFA Department and also their Animal Husbandry Department. I would also simultaneously appeal to all the Members of Parliament to take care of their own constituency and maybe through their MPLAD fund or by just mobilizing local resources, they can ensure that this scanner is installed at all the collection centres and also at all the dairies. Then, it can be used in other places also. In the societies also this machine can be installed at the gate and when somebody comes and delivers milk, one can get it tested. That is the basic idea.

This is a very serious problem which is actually adversely affecting the health of millions of people in this country. Not only one particular organ of the body is affected but also from heart to liver, from liver to kidney, from kidney to gastrointestinal tracts and also cancer, etc. Many ailments are actually happening due to adulteration in milk. It deserves the serious attention of all of you and particularly you can make your own areas free of adulteration in milk, which is happening now. You can actually do it with a very simple technique.

माननीय अध्यक्ष : इतना विस्तृत उत्तर दिया है, क्या सैकिंड सप्लीमेंटरी पूछना है?

...(व्यवधान)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: Madam, there are two types of adulteration. The first one is excess water. The hon. Minister has answered about that. I would like to know from the hon. Minister about the specific steps taken by the Government in regard to adulteration of milk by adding urea, detergent, refined coil, caustic soda and white paint.

DR. HARSH VARDHAN: I am sorry to say that either the hon. Member has not carefully read the answer or maybe he has not been able to understand what I have said. I have said that this Ksheer scanner is able to detect any contamination, any

adulteration, whether it is from urea or from caustic or from hydrogen peroxide or from any other thing. Everything is being taken care of. It can demonstrate what is the level of adulteration. That is the advantage it has over the routine chemical tests where for one adulterant you have to do one chemical test. If you have to test for eight adulterants, you have to do eight chemical tests. But here, with one machine, you can detect whether the milk is pure or not; and you can even get the name of the adulterant also.

श्री राहुल शेवाले: माननीय अध्यक्ष जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का रिसर्च के माध्यम से देश की विकास योजनाओं, जन सुविधाओं, आवश्यकताओं और जागरुकता के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वर्तमान में दूध में मिलावट के अलावा अन्य रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं में भी मिलावट से जनता परेशान है। देश भर में बेचे जाने वाले दूध में मिलावट को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। दूध में मिलावट करने वाले को दोषी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिए। देश में ऐसे अपराध करने वाले को कठोर कारावास की सजा देनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कानून बनाया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, दूध या अन्य चीजों में मिलावट करने वालों के लिए क्या केंद्र सरकार कोई ऐसा सख्त कानून बनाने वाली है? चीन ने पिछले साल दूध में मिलावट करने वालों दो अपराधियों को फांसी की सजा दी है। क्या भारत सरकार इस बारे में विचार कर रही है क्योंकि दूध में मिलावट से बच्चों की जान जा सकती है?

DR. HARSH VARDHAN: I think, there is already a very stringent law in the country. The only issue is to implement it. For implementation, the major thing is that you need to diagnose who is the culprit. Our scientific institutions try to provide solutions to the diagnostic methods for this, by various scientific techniques. We have provided it. If it is carefully used by the related Departments all over the country and by the State Governments, I can assure you that there will be a significant change in the milk scenario in the country.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। मैं मंत्री जी को खास तौर से दूध में मिलावट रोकने और काबू पाने के लिए किए गए उपायों के लिए बधाई देता हूं। 2011 में जो सर्वे किया गया था, मैं उसकी थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। गोवा और पुदुचेरी में सभी नमूनों को ठीक पाया गया था। मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। बिहार, छत्तीसगढ़, दमन-दीव,

झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में सभी नमूने फेल हुए। उत्तर प्रदेश में भी 88 प्रतिशत नमूने फेल हुए यानी ये क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हैं। अब त्यौहार का सीजन आने वाला है जिससे दूध की मांग बढ़ जाती है, इस कारण मिलावट का संकट भी बढ़ जाता है। हालांकि आपने उपाय किए हैं लेकिन में सुझाव देना चाहता हूं कि मंत्रालय और विभाग अधिक सिक्रिय होकर इसकी चिंता करे तािक मिलावट का संकट दूर हो सके।

मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इस प्रकार का अगला सर्वे कब किया जाने वाला है तािक पता चल सके कि प्रदेशों में दूध की मिलावट में कुछ रोकथाम हुई है या अभी भी वहीं दस्तूर जारी है। जाँ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, हम साइंस एंड टेक्नोलाजी मिनिस्ट्री के अंदर रिसर्च करके समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं और खोज करके भविष्य के बारे में जो vision है उसे बताते हैं। जैसा मैंने कहा कि देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के माध्यम से पीएफए डिपार्टमेंट, एनीमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट, सबको आगाह किया गया है। अभी तक 50 मशीनें देश में इंस्टाल हो चुकी है, इसमें 100 परसेंट सफलता का रेट है। अगर राज्य सरकार अपने प्रदेश के लोगों को इस त्रास्दी से बचाना चाहती है तो उन्हें प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलाजी डिपार्टमेंट इसे उस दृष्टि से कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन इसे आंदोलन बनाने के लिए सीएसआईआर के डीजी ने सभी संबंधित स्थानों पर लिखा है और मैंने भी लिखा है। हम इसे pursue भी कर रहे हैं। मेरी सभी मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंटसे अपील है कि आप सब भी इसे अपने क्षेत्र में आंदोलन बनाने के लिए सफलतापूर्वक अंजाम दीजिए तो निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे।

(Q.263)

श्री रोड़मल नागर: माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार ने कोई अध्ययन करवाया है या कोई समय सीमा निश्चित की है जिससे पता लग सके कि भारत आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाएगा। यदि हां तो कब तक?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का संतोष है कि आदरणीय सदस्य ने यह प्रश्न

पूछकर हमें यह बात सांझा करने का अवसर दिया है कि हम पहले से ही लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं और वर्तमान में जो स्थिति है, as far as the nuclear power generation is concerned, we are not only in "Make in India' mode but we are also living up to the Prime Minister's dictum of zero effect. Nuclear generation has increased eversince the present Government took office in May, 2014 and the House will be glad to know and I am proud to share that in the year ending 31st March, 2015, we had the highest amount of nuclear power generation amounting to 37,835 million watts which is approximately 3,700 crore units and, therefore, we have also set before us the target of making it three times by 2024 increasing from 4,780 to 13,480 million watts or 1300 crore units. Why I am saying zero effect is that nuclear generation is known to have the least environmental effect. It does not produce greenhouse gases like carbon dioxide. It is cost effective and in the years to come, it will be the major source of power to meet the growing energy needs of developing India. श्री रोड़मल नागर: माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार का मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी आणविक ऊर्जा संयंत्र लगाने की कोई योजना है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है? **डॉ. जितेन्द्र सिंह :** माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है परंतु इतना में हाउस की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने पिछले दो एक वर्षों में अनेक ऐसे प्रदेशों में खोज करके न्यूक्लिअर प्लांट्स लगाने की संभावना का अध्ययन करने का प्रयास किया है जहां पहले इस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में भरतपुर में हमारा इस प्रकार का एक प्लांट था जो एप्रूव हो चुका था लेकिन कुछ लैंड इश्यूज के कारण रुका था। तुरंत सरकार बनते ही वहां पर काम चालु हो गया। इसी प्रकार और अन्य राज्य हैं- पंजाब में पटियाला में, उत्तराखंड में देहरादुन जिले में और हरियाणा में ही एक और क्षेत्र भवंडी है। इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां पहले न्युक्लिअर एनर्जी की एसटेबिलिशमेंट्स नहीं थीं, वहां भी स्थापित की जाएं।

इसके अतिरिक्त एक और अनोखा इनीशिएटिव लेते हुए दिल्ली में हमने प्रगति मैदान में हॉल ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर लगभग दो मास पहले स्थापित किया है ताकि उत्तरी भारत क्षेत्र में जहां पर आम जनता में इसकी जागरुकता भी कम थी कि किस प्रकार का काम सफलता पूर्वक हो रहा है।

इसके साथ साथ एक बात और मैं आपके साथ सांझा करूंगा जो इन्होंने कहा कि किस प्रकार से इसके एक्सपेंशन के लिए काम हो रहा है। पहली बार जिस प्रकार से मैंने कहा कि 31 मार्च 2015 को सबसे अधिक जनरेशन हुई। पहली बार इस बजट में जो कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया गया। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधान मंत्री जी की गाइडलाइन्स में सबसे अधिक बजट इस बार निश्चित किया गया। 9000 करोड़ रुपये के इस बजट में 6000 करोड़ रुपये एटोमिक एनर्जी विभाग के लिए और अलग से 3000 करोड़ रुपये केवल न्युक्लिअर पॉवर जनरेशन के लिए रखा गया जो पहले नहीं था।

PROF. SAUGATA ROY: Madam, one of the principal problems in the setting up nuclear plants is the safety factor. Earlier also, there had been nuclear accidents in Chernobyl in Russia, Three Mile Island in the USA and the latest was the Fukushima accident in Japan. Now, there is also a question of civil nuclear liability in case such accident takes place on which we had discussion with other countries.

I want to ask the Minister in the context of the recent accident which has taken place in the Kakrapar Nuclear Power Plant in Gujarat. There is a leakage from the plant and it is said that it is a Grade-1 accident and that is not so serious. Will the hon. Minister be pleased to state this? What steps the Government is taking to ensure that the safety conditions are totally enforced and no nuclear accidents take place in its further expansion or in the consolidation of the present nuclear plants which are producing about 3.3 per cent only of India's power capacity?

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the hon. Member, Prof. Saugata Roy is well versed in this subject. Though it is not directly related, it is important to share this important and significant matter of concern with the Members of the House. He has asked the question in two parts. The earlier one was about the Civil Nuclear Liability Act to which I would come a few moments later.

As for the recent accident in Gujarat as he is putting, with the permission of the House and the Speaker, I would first say that that is not an accident. It is an incident. इसको दुर्घटना कहना उचित नहीं होगा। यह मात्र एक घटना है। इसमें कोई अनहोनी बात भी नहीं है। कारण यह है कि पहले भी इस प्रकार के इंसीडेंट्स होते रहे हैं, कैनेडियन रिएक्टर्स में भी, जो काफी श्रेष्ठ समझे जाते हैं। हुआ यह है कि कूलंट पाइप में थोड़ी सी लीकेज हुई है।

Prof. Saugata Roy has himself rightly pointed out that we have a scale called 'International Nuclear and Radiological Events Scale' laid down by the International Atomic Energy Agency, which is a scale from 1-7 and on that scale, this incident figures at number one, which is the lowest, and, therefore, there is no cause of hazard or worry.

I think what is appreciable and for what we should compliment our scientists is that unlike such incidents happening elsewhere in the rest of the world, we could detect it within a few moments because of the steam rising and because of the coolant level going down and we have such a spontaneous mechanism in place that the moment this coolant level started going down, alternative methods of cooling began, and, therefore, there is nothing to worry. After Fukushima, as he has pointed out, there have been safeguards in place in keeping with the international norms. Moreover, we are otherwise also safer compared to Fukushima because our important projects like Kudankulam are far away from the seismic zone. Not only that, we have also, of late, started awareness programme where we are involving even the civil society members, including the Sarpanchas.

As far as the leakage referred to by Prof. Saugata Roy in Gujarat is concerned, it is already in control and I think there is nothing to worry about it. श्री राजीव सातव: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा जो सिविल न्यूक्लिअर एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, जैसे यू.एस. के साथ, यू.के. के साथ और जापान के साथ हुए हैं, उसमें हमें जो लोकेशंस हैं, जहां पर हम ये न्यूक्लिअर पॉवर प्लॉट लगाने जा रहे हैं, तो उन लोकेशंस का डिक्लेरेशन देना जरूरी है। So, will this impact on the nuclear independence of our country? This is my question.

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, incidentally, this question is also related to the first part of the question put by Prof. Saugata Roy, which got missed out because of the lengthy answer to the second part. He has already referred to the Civil Liability Nuclear Damage Act which was concluded in 2010, and India became a signatory in 2011.

There have been reports and some apprehensions, mostly speculatively, that India would be at a disadvantage position, particularly it happened in the case of suppliers and the foreign investors or foreign participants, as is being pointed out by the hon. Member. I would like to assure the House that broadly our participation and our being party to this Act is based on four principles. a) The interest of the victim is paramount in case of an accident; b) The onus of the recourse to supplier still continues, which was an apprehension; and c) It is directed more to the domestic. Having said that, let me also add over here that in case of any accident happening, which fortunately has not happened in that fashion or in that scale in this country and we are quite safe from that point of view, we have an in-house amount of about Rs.2,600 crore. Out of which, Rs.1,500 crore is borne by the supplier or the operator. The remaining, if required, is borne by an insurance pool which is gathered by the levies collected. Beyond that, we are also a signatory to what is known as CSC - Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, which is an international understanding. Therefore, we can get compensated from there also.

As far as new installations are concerned, we are absolutely independent. On the other hand under the guidance of the hon. Prime Minister in the last one year two major steps have been taken – one, we have floated an insurance pool and second, we have entered into a joint venture approval through the Cabinet. Earlier we were facing some constraints because of our budget being not sufficient enough within the purview of the Atomic Energy Department. But, now there would be a provision for it for the PSUs from other departments entering into an understanding with us. We already have, for example, Indian Oil Corporation

coming forward. Therefore, we would be quite sufficient in expanding our nuclear programme on Make in India basis through our own resources.

श्री सी.आर.चौधरी: अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मौका दिया है। Nuclear energy is the 4th largest energy in India and our rank is 9th in the world in this regard. न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम सबसे महत्वपूर्ण है, जिस रॉ मैटीरियल के आधार पर एटोमिक एनर्जी उत्पन्न की जा रही है। हमारे देश में विश्व का सिर्फ एक प्रतिशत यूरेनियम है। कई बार यूरेनियम की सप्लाई न होने की वजह से हमारे एटोमिक एनर्जी में कमी आ रही है। वर्ष 2006 से 2008 तक 12.5 न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम न होने की वजह से कम हुई। हमारे देश में थोरियम काफी मात्रा में पाया जाता है और थोरियम के आधार पर हमें अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को बनाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 सितम्बर को अस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से वार्ता करके यूरेनियम की कमी को कम करने की कोशिश की है और समझौता भी हुआ है। यूरेनियम विदेशों से आ रहा है। हमारे देश में थोरियम बहुतायत और प्रचुर मात्रा में है, इसलिए इसका उपयोग न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया जाना आवश्यक है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि थोरियम आधारित हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं? इसके अलावा राजस्थान की साइट्स की एटोमिक एनर्जी में काफी भूमिका है। आरएपीपी जो रावतभाटा में है, जहां एटोमिक एनर्जी काफी पैदा की जा रही है। माही बांसवाडा में अभी तक ज्यादा काम नहीं हुआ है प्रधानमंत्री जी सदन में हैं, मंत्री जी भी हैं में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माही बांसवाड़ा में कब से एटोमिक एनर्जी पैदा होने लगेगी?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न दो-तीन भाग में पूछा गया है। आखिरी भाग का राजस्थान से संबंध है, इसलिए सबसे पहले में उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं आदरणीय सदस्य को बधाई दूंगा कि राजस्थान के रावतभाटा का उल्लेख किया है। रावतभाटा को द्वितीय श्रेणी में लाया गया है।

Rawatbhata has achieved the second rank in the world for its highest efficiency in terms of continuity of nuclear energy generation. Rawatbhata was successfully operated continuously for 18 times in one full year. इस प्रकार की जेनरेशन लगातार किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया में नहीं हो पाई है, सिवाय किसी एक और प्रोजेक्ट के। जहां तक यूरेनियम और थोरियम की बात कही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरेनियम के लिए पिछले दो वर्षों में जहां-जहां भी प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा हुई या विदेशों से नेता यहां पधारे, इस विषय को लेकर

कोई न कोई नया इनिशिएटिव हुआ। अगर आप आंकड़े चाहते हैं तो फ्रांस से एक समय में 300 मिट्रिक टन, लॉग टर्म सप्लाई 1800 मिट्रिक टन रिशया से, 2100 मिट्रिक टन कजािकस्तान से और 250 मिट्रिक टन कनाडा से इस वर्ष के अंदर सम्पन्न की गई है। जहां तक थोरियम का संबंध है निश्चय ही आने वाले समय में थोरियम एक महत्वपूर्ण सोर्स रहेगा। India is the storehouse of thorium for the rest of the world. ... (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: But, Thorium is not being utilized. ... (Interruptions)

DR. JITENDRA SINGH: It is converted into that. If I give detail of that, I will have to go on lecturing for one your. So, I want to cut it short. ... (*Interruptions*)

We are going to get the high water reactor soon which would be using Thorium. It is further converting it as the hon. Member is saying. I think this is not going to be an academic discourse. But what I am trying to suggest in brief is that the Thorium source will be operable and also available very soon. When it becomes available, it will inspire the rest of the world also.

(Q.264)

श्री लक्ष्मण गिलुवा: अध्यक्ष महोदया, सरकार का उत्तर मिला है। छः वर्ष पूर्व 21 जुलाई, 2010 को रेलवे खान-पान नीति घोषित की गयी थी, जिसमें वर्तमान आवश्यकता के अनुसार एवं बदले माहौल के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान आवश्यकता एवं बदले माहौल के अनुसार सरकार नई खान-पान नीति घोषित करने का विचार रखती है? अगर हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि वर्ष 2010 में खान-पान नीति भारतीय रेलवे ने बनाई थी, लेकिन प्राप्त होती शिकायतों के आधार पर एवं बाकी चीजों को देखते हुए श्रीधरन कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा था खान-पान सेवा फिर से आईआरसीटीसी को वापस दी जाए, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। जब रेल मंत्री जी ने इस वर्ष रेल बजट प्रस्तुत किया तो विस्तार से उसका जिक्र किया है कि फेजवाइज मैनर में खान-पान सेवा को आईआरसीटीसी को देने जा रहे हैं। 45 स्थानों पर ई-कैटरिंग की सुविधा स्टेशनों पर उपलब्ध थी। अब उसमें ए-1 एवं ए कैटेगरी के जितने स्टेशन्स हैं, उनको भी ई-कैटरिंग की सुविधा मिल जाए, ऐसी घोषणा की गयी है। कल ही रेलवे बोर्ड में कार्यक्रम हुआ, जिसमें ये सारी सुविधाएं ए-1 एवं ए कैटेगरी के स्टेशन्स को दे दी गयी हैं।

श्री लक्ष्मण गिलुवा: अध्यक्ष महोदया, रेल खान-पान नीति, 2010 के नियमों की अवहेलना किए जाने पर सरकार ने कितने मूल्य का जुर्माना अब तक वसूल किया है और कितने लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं? इसकी जानकारी मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं।

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, खान-पान नीति की अवहेलना का प्रश्न नहीं है। अगर शिकायतें आती हैं, पिछले वर्ष में लगभग 5,000 से थोड़ी कम शिकायतें आई हैं, जिनमें कुछ लोगों को वार्निंग दी गयी है और एक करोड़ 33 लाख रुपये पेनाल्टी भी की गयी है। एक लाइसेंस रद्द भी किया गया है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिस तरह से यात्रियों से शिकायत मिलती है, उसकी गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की जाती है।

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न दो चीजों से संबंधित है- खान-पान में सुधार और जो लोग गलत खाना दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई। इस बार के बजट में खान-पान सुधार पर रेलवे मंत्रालय ने काफी कुछ प्रावधान किया है, पहले भी किया है और यह भरोसा है कि जो आश्वासन मिला है, इसमें सभी का ख्याल रखा गया है। बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों एवं सभी लोगों के बारे में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

अध्यक्ष महोदया, रांची से एक ही राजधानी एक्सप्रेस आती है और मैं बार-बार इस बात को उठाता आ रहा हूं। यह ट्रेन दो-तीन दिन चलती है और इसमें कहीं से रिजेक्टेड बोगी लगा दी गयी है। हम लोग इसे सप्ताह भर चलाने की मांग करते आए हैं, वह भी नहीं मिला और खान-पान की भी वही व्यवस्था है। आगे जिस तरह से सुधार करेंगे तो सुधार होगा। एक ही राजधानी एक्सप्रेस है, बार-बार कहते रहे हैं कि हमें सप्ताह भर राजधानी एक्सप्रेस चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात यह है कि अभी मंत्री जी ने कहा कि लगभग 5000 मामलों में पूछताछ की गयी और जुर्माना लगाया गया है, चेतावनी दी गयी है और एक ही आदमी का लाइसेंस रद्द किया गया है। ऐसा उचित नहीं लगता है, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ है। 5000 लोगों ने गड़बड़ की और एक ही आदमी को आपने बर्खास्त किया। कितने दिन की चेतावनी आपने उन लोगों को दी है और कितने दिन बाद उन पर कार्रवाई करेंगे, इसकी भी जानकारी चाहिए। खान-पान में कब तक सुधार होगा?

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात पूरी हो गयी है। रांची वाले मामले में सुधार करेंगे।

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष महोदया, रांची से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस मुंबई जाती है, उसमें कुछ दिन पहले तक खान-पान की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और लगभग 2000 किलोमीटर तक यह ट्रेन जाती है। अभी इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है, इसकी जानकारी दी जाए?

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो-तीन चिंताएं प्रकट की हैं। एक चिंता तो उन्होंने यह व्यक्त की है कि रांची से चलने वाली राजधानी ट्रेन में बिढ़या खाना मिले। अभी मैंने जैसा बताया कि ए-वन और ए केटेगरी के जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं, वहां ई-केटरिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आप चाहें तो हल्दीराम का भी भोजन ले सकते हैं। राजधानी ट्रेन में जो भोजन कम्पलसरी टिकट के साथ मिलता था, उसमें भी हम यात्रियों को ऑप्शन देने जा रहे हैं कि वे चाहें तो खाना लें और चाहें तो न लें। हम इस बारे में कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात इन्होंने एक ही व्यक्ति का लाइसेंस कैंसिल होने के बारे में कही है। मैं बताना चाहता हूं कि लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया जटिल होती है। कई मामलों को लेकर लोग न्यायालयों में चले जाते हैं इस कारण भी चीजें रुक जाती हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन को भरोसा देना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत यात्री करता है तो कठोरतम् कार्रवाई जो कानून के अंतर्गत होगी, वह जरूर की जाएगी।

SHRI P.R. SUNDARAM: Thank you, Speaker, Madam. Provision of quality food is an important aspect of train travel and the quality of food provided in the trains

is also based on the quality of pantry maintained in the Indian Railways. Further, for provision of food in trains, the Indian Railways depend on the outsourcing agencies and for which there is no proper monitoring mechanism to make surprise checks.

Therefore, I would like to request the hon. Minister to inform this here. Will the Indian Railways come forward to stop outsourcing the catering service so as to engage its own team from IRCTC to ensure quality of food? In case of depending on the outsourcing agencies for catering services, what kind of mechanism is made by the Indian Railways to make surprise checks to know about the quality of food provided in the long running trains?

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने पहले बताया है कि 2016-2017 के रेल बजट में हमने इस बारे में घोषणा कही है। मैं उसे विस्तार से पढ़कर बताता हूं। IRCTC would begin to manage catering services in a phased manner. IRCTC would unbundle catering services by creating a distinction primarily between food preparation and food distribution; Extending e-catering services from existing 45 large stations to all 408 'A-1' and 'A' class stations; and third party audit थर्ड पार्टी ऑडिट का भी इंतजाम किया है और रेग्युलेर चेकिंग रेलवे के अधिकारी भी करते हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट वेस्टर्न रेलवे में जारी है। अब इसे पेन-इंडिया बेसिज़ पर इस वर्ष से लागू कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि खाने की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके साथ ही आई.आर.सी.टी.सी. को भी निर्देश दिया गया है कि वह आउटसोर्स न करके खुद खाना बनाए। इसके लिए उन्हें दस बेस किचन बनाने का प्रस्ताव देना है, जिसे वह आने वाले समय में करने वाले हैं। रेल मंत्रालय पूरी तरह सजग है कि खाने की क्वालिटी में कैसे सुधार लाया जाए। यात्रियों के लिए एक आई.वी.आर.एस. सिस्टम शुरू किया गया था। उसका अद्यतन आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि मोटे तौर पर प्रतिदिन एक लाख यात्रियों को फोन किया जाता है। उसमें ट्रेन पंक्वुएलिटी, कुलिंग, बैडरोल, फुड क्वालिटी के बारे में जानकारी मांगते हैं। मेरे पास 8 मार्च का विवरण है। इसमें फुड क्वालिटी में 13,121 यात्रियों को फोन किया गया, जिसमें से 5,688 मेच्योर हुए हैं और 690 लोगों ने खाने को अच्छा बताया है तथा 4,776 ने सेटिसफेक्टरी कहा है और 222 लोगों ने बेड कहा है। इस तरह हम निरंतर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मैं मानता हूं कि यह दुनिया का सबसे अच्छा फीडबैक है।

HON. SPEAKER: Very good!

(Q. 265)

SHRI GAURAV GOGOI: Madam Speaker, the rise in prices of *dal*; successive drought; and higher taxes and higher fares for rail and bus have a crippling affect on the poor. Skill development and self-employment is an important way for the urban poor to be self-reliant in these difficult circumstances. But often, when the Government implements its programmes, certain marginalized communities are excluded. These communities include the differently-abled, people living with HIV, and people who are transgender -- belonging to the Lesbian and Gay community.

My Question to the Minister is this. Do the guidelines issued by the Ministry in the National Urban Livelihood Mission, especially, focus on the marginalized communities and ensure that the target group is more inclusive? THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND **URBAN POVERTY** ALLEVIATION AND **MINISTER** PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, it is a well meaning suggestion that I shall consider positively. However, I would like to tell the hon. Member that the identification of beneficiaries is done by the State Governments and the Urban Local Bodies. They have to provide the list of beneficiaries and also the special category of people that the hon. Member has mentioned. I will see to it that what he has suggested is conveyed to the States. SHRI GAURAV GOGOI: Madam Speaker, while the identification is done by the State Urban Livelihoods Mission, in the answer it is said that the identification is done as per the guidelines issued by the Ministry. If the guidelines are evolved, I am sure the target group will be more inclusive and the State will implement them.

Nonetheless, coming to my second question, if you look at the answer, it relates to the number of Self-Help Groups, the number of people who have been imparted training, and the number of Self-Help Groups who have been trained, but we have not been able to actually capture the impact of the programme – how much have these Self-Help Groups benefited, whether their average annual

income increased, whether their household amenities increased, and whether their children have better access to education.

Can we evolve our evaluation criteria so that we can actually capture the effect of these programmes on the poor? I would like to remind the hon. Minister that external agencies have actually credited the previous UPA Government for having done the maximum effort in bringing people out of the poverty line and it is historic in the entire history of India.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, I have already answered the first question. I have agreed with the suggestion of the hon. Member. It will be communicated to the States through proper guidelines.

Secondly, with regard to evaluation of the performance of the Self-Help Groups and the outcome, it is also being done on a regular basis. I can assure the hon. Member that the Self-Help Groups movement is catching up in the country. It should pick up speed further. The repayment in the Self-Help Groups is almost 99 per cent or so, which is an encouraging trend. We are trying to focus more and more on that. The external funded agencies are also showing interest with regard to poverty alleviation programmes and we are taking advantage of the same. At the end of the day, the beneficiaries have to be identified by the State, and the programme is to be implemented and monitored regularly by the States. The suggestion given by the hon. Member, I assure the hon. Member that it will be communicated to the States in the form of guidelines.

श्री अजय निषाद: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि उन मंत्रालयों द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना का क्रियानव्यन किया जा रहा है ताकि शहरों में गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा कम हो सके और उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिल सके। उत्तर में यह भी बताया गया है कि इन योजनाओं का क्रियानव्यन राज संघ क्षेत्र की सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी की जाती है।

महोदया, ऐसा देखने में आता है कि कुछ राज्य सरकारें केन्द्र से धन तो ले लेती हैं, लेकिन केन्द्रीय योजनाओं के क्रियानव्यन में विशेष रूचि नहीं लेती हैं। जिससे इन योजनाओं का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जिससे राज्य सरकारें केन्द्र की इन योजनाओं का शत-प्रतिशत पूरा लक्ष्य पूरा करा दें।

श्री एम. वैंकेया नायडू: अध्यक्ष महोदया, सदस्य ने जैसा कहा है, कुछ ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं, मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि स्टेट और सैंटर मिलकर ही इन कार्यक्रमों को सफल बना सकते हैं। इस दिशा में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जैसा मैंने कहा हम लोग आपस में मंत्रिमंडल में चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ दिनों में फैसला करके इन स्कीम्स की मॉनीटिरंग में और इन स्कीम्स की आइडेंटीफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज़ वगैरह में एमपीज़ का रोल कितना हो सकता है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं तो लोग जागरुक होंगे और अधिकारी भी उसको ठीक प्रकार से अमल करने का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, मैं उससे सहानुभूति रखते हुए आगे जो भी कदम उठाने हैं, उनको उठाने का प्रयास करेंगे।

मैंने मंत्री होने के नाते इस संदर्भ में चार जोनल मीटिंग्स की हैं -नार्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वैस्टर्न और स्टेट्स को थोड़ा सैंसिटाइज करने के लिए, पहले यह स्वर्ण जयंती रोजगार योजना थी, अब दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलिहुड मिशन के रूप में हम लोग इस पर अमल करने का प्रयास कर रहे हैं और लेटेस्ट हमने दिसम्बर में इसका नेशनल लैवल पर ख्यि किया है। पहले रीजनल लैवल पर किया है। अभी तक हमारे मंत्रालय के सैक्रेटरी ने इसकी आठ ख्यि मीटिंग्स की हैं और 29 स्टेट्स लैवल वर्कशाप्स और 20 वीडियो कांफ्रेंस भी कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, तभी यह प्रोग्राम और भी तेजी पकड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो सुझाव दिया, उस सुझाव के संदर्भ मैं मैंने कह दिया, आने वाले दिनों में इसे और भी बेहतर तरीके से इम्पलीमैन्ट करने के लिए हम प्रयास करेंगे।

इसके अलावा मैं एक और विषय के बारे में बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस पर और जोर देने के लिए, बल देने के लिए मैंने स्वयं, हमारे स्किल डैवलपमैन्ट मिनिस्टर, डिफैंस मिनिस्टर, सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सोशल वैलफेयर मिनिस्टर आदि ऐसे सात मंत्रियों ने मिलकर स्किल डैवलपमैन्ट मंत्रालय के नेतृत्व में हमने पूरे प्राइवेट सैक्टर को इसमें इनवोल्व करने के लिए एक कानक्लेव

बुलाया। शहरी इलाके में स्किल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, इसके लिए प्राइवेट सैक्टर भी अपनी कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के नाते पैसा खर्च कर सकते हैं। इस कांफ्रेंस में जो रिस्पांस मिला, इसमें बड़े-बड़े उद्योगपित आदि सब लोग आए। हमने सबसे अनुरोध किया कि कम से कम आप एक, दो, तीन या चार जिलों में स्किल डैवलपमैन्ट सैन्टर खोलिये, आपको सैंट्रल गवर्नमैन्ट का भी समर्थन मिलेगा। उनका रिस्पांस अच्छा है, हम उस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

(Q. 266)

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: Madam, there is a Task Force Report from the Department of Electronics and Information Technology. It says that the demand for electronic products will increase by 400 billion dollars by the year 2020 and our electronics import bill will exceed the oil import bill by 2020. The projected production in 2020 will reach 104 billion dollars leading to a demand and production gap of 296 billion dollars. Under the Make in India, has he given certain specific incentives? Has he given anything for the electronic manufacturing?

There is one more question. The FAB needs to be set up to enable the ecosystem for electronic manufacturing. What is the Government doing on the FAB? Is there any particular policy?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I would say very briefly. Under the guidance of our Prime Minister, we are promoting electronic manufacturing in a very big way. We have given incentives like M-SIPs etc. and electronic clusters. When our Government has come, the total investment in electronic manufacturing was Rs.11,500 crore. Now it has reached Rs. 1,20,000 crore. That is the kind of investment we are getting. I want to inform the hon. Member through the hon. Speaker that now India is making about 11 crore mobile phones. That is a growth of 83 per cent in quantity terms this year. The growth of LED is 37 per cent. Others include LED light is 65 per cent; note books 17 per cent; and tablet is 27 per cent. I want to tell the hon. Member that there is a great demand for more electronic clusters in her State also. We are promoting it. I had called a meeting of all the IT Ministers of the State. We are working to a final deal to make India a big hub of electronic manufacturing in which the Centre and the States have to play a crucial part.

Regarding the FAB part, two companies have come. They are in discussion. It requires a large number of investments. We are in progress. Surely, our effort is also to make India an important centre of chip manufacturing. Therefore, we would like to say that by the year 2020, India must also promote export of

consumer goods. I want to assure this House and to you hon. Member that a large number of companies like Foxtone, Apple and others are keen to invest in India and we are creating an enabling atmosphere.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: Madam, as the Minister has mentioned that about Rs.1,00,000 crore of investment has come in, I would like to know whether he can circulate the list among the hon. Members because there is a huge buzz about zero response for Make in India. If he can provide the list of companies that have come in and in which State, that will be great.

12.00 hours

Another important thing is, you mentioned about the cell phones and you said the manufacturing has grown as well. But it is a reality that a cell phone made in India is not cheaper than what we get from abroad. What kind of import duty have you imposed on the cell phones which come from outside? Secondly, now there is a new advertisement about a Freedom phone and everybody says it is a ponzy scheme. So, have you done anything about it?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam Speaker, our Government has given a lot of duty differential to permit foreign investors and local manufacturers both. Therefore, I want to tell you, let us believe in India. Indian companies are making good phones and foreign companies are also getting a place in India. Regarding Freedom 251, they came with an advertisement. The Department of Revenue, the Department of Serious Fraud, the Income Tax Department and my own Department, all are keeping a serious watch on that. They have made a public announcement of delivery by April. If they do not do that, legal action as permissible shall follow.

HON. SPEAKER: Hon. Members, certain acts of alleged unethical conduct on the part of some Members of the House have been reported in the Press and the matter was also raised by some Members in the House yesterday. These allegations are very serious in nature and seek to impact upon the very credibility of Parliamentarians and the Parliament as an institution and, therefore, need to be examined.

Keeping in view the extreme gravity of the matter, I have in exercise of my powers under the provisions of Rule 233B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha decided to refer the matter to the Committee on Ethics for examination, investigation and report.

12.02 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: The House shall now take up papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Urban Development for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4411/16/16]

(2) Outcome Budget of the Ministry of Urban Development for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4412/16/16]

(3) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4413/16/16]

(4) Outcome Budget of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4414/16/16]

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Defence Services Estimates for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4415/16/16]

(2) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4416/16/16]

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Law and Justice for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4417/16/16]

(2) Outcome Budget of the Ministry of Law and Justice for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4418/16/16]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सांवर लाल जाट): महोदया, मैं सुश्री उमा भारती जी की ओर से वर्ष 2016-17 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय के परिणामी बजट की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4419/16/16]

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Minority Affairs for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4420/16/16]

(2) Outcome Budget of the Ministry of Minority Affairs for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4421/16/16]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- वर्ष 2016-17 के लिए सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 [Placed in Library, See No. LT 4422/16/16]
- वर्ष 2016-17 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।
 [Placed in Library, See No. LT 4423/16/16]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रिव शंकर प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

- (1) निम्निलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) वर्ष 2016-17 के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 4424/16/16]

(दो) वर्ष 2016-17 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

[Placed in Library, See No. LT 4425/16/16]

(तीन) वर्ष 2016-17 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 4426/16/16]

(चार) वर्ष 2016-17 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 4427/16/16]

(पांच) वर्ष 2016-17 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पिरणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 4428/16/16]

- (2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्निलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजीटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स)
 (संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 4) जो 25 मार्च, 2015 के भारत के
 राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 16-2/2012-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग एण्ड केबल सर्विसेज) अंतरसंपर्क (नौवां संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 6) जो 14 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 6-30/2015-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे। (तीन) दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग एण्ड केबल सर्विसेज) अंतरसंपर्क (डिजीटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 7) जो 14 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 6-29/2015-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग एण्ड केबल सर्विसेज) अंतरसंपर्क (डिजीटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) (छठा संशोधन) विनियम, 2016 (2016 का 1) जो 7 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 3-106/2015-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4429/16/16]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4430/16/16]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, for the year 2014-2015.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4431/16/16]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2014-2015.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 4432/16/16]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2014-2015.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 4433/16/16]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2014-2015.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 4434/16/16]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Raipur, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Raipur, for the year 2014-2015.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 4435/16/16]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2014-2015.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 4436/16/16]

(15) A copy of the Drugs and Cosmetics (8th Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 918(E) in Gazette of India dated 30th November, 2015 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library, See No. LT 4437/16/16] भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल

- 1. वर्ष 2016-17 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदान की विस्तृत मांगें। [Placed in Library, See No. LT 4438/16/16]
- 2. वर्ष 2016-17 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।

पर रखता हँ :-

[Placed in Library, See No. LT 4439/16/16]

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4440/16/16]

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Earth Sciences for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4441/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the National Cadet Corps for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4442/16/16]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) -
 - (एक) वर्ष 2016-17 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदान की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 4443/16/16]

(दो) वर्ष 2016-17 के लिए वस्त्र मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 4444/16/16]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धरा (6) के अंतर्गत जूट और जूट टैक्सटाइल्स नियंत्रण आदेश, 2016 जो 5 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 382 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 4445/16/16]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2016 जो 29 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साठकाठिन0130(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4446/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4447/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of Notification No. S.O.3552(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 30th December, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O.19(E) dated 6th January, 2011 issued under sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 4448/16/16]

(2) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4449/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O.654(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 2nd March, 2016, directing the powers of the Coal Controller under sub-rule (3), (4), (5) of rule 4, rules 5, 7, 10 and 12 of the Colliery Control Rules, 2004 shall be exercised by the respective State Governments or such officers as authorized by it through notification in respect of all coal mines except the mines or blocks of Central Government Public Sector Undertakings under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

[Placed in Library, See No. LT 4450/16/16]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2016-2017 के लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 4451/16/16]

(2) वर्ष 2016-2017 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 4452/16/16]

(3) वर्ष 2016-2017 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय का परिणामी बजट। [Placed in Library, See No. LT 4453/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4454/16/16]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत): महोदया, मैं श्री राम कृपाल यादव जी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (एक) सा0का0िन0 365 (अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है।
- (दो) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 7 मई 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साठकाठिनठ 366 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4455/16/16]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (क) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4456/16/16]

- (ख) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4457/16/16]

- (ग) (एक) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014- 2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4458/16/16]

- (घ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4459/16/16]

(ड.) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दों) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4460/16/16]

- (च) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4461/16/16]

- (छ) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड डिब्रूगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड डिब्रूगढ़ के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

 [Placed in Library, See No. LT 4462/16/16]

- (ज) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4463/16/16]

- (झ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) से (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4464/16/16]

(3) वर्ष 2016-2017 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 4465/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4466/16/16]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2014-2015.
 - (ii) Annual Report of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4467/16/16]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Wagon and

Engineering Company Limited, Patna, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Bharat Wagon and Engineering Company Limited, Patna, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4468/16/16]

- (c) (i) Review by the Government of the working of the Burn Standard Company Limited, Kolkata, for the year 2014-2015.
 - (ii) Annual Report of the Burn Standard Company Limited, Kolkata, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4469/16/16]

- (d) (i) Review by the Government of the working of the IRCON International Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.
 - (ii) Annual Report of the IRCON International Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (4) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4470/16/16]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) वर्ष 2016-2017 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 4471/16/16]

(2) वर्ष 2016-2017 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 4472/16/16]

(3) वर्ष 2016-2017 के लिए इस्पात मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 4473/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4474/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): I beg to lay on the Table:-

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions)
 of the Technology Development Board, New Delhi, for the year
 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4475/16/16]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Science and Technology for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4476/16/16]

(ii) Outcome Budget of the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4477/16/16]

(iii) Outcome Budget of the Department of Bio-technology, Ministry of Science and Technology, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4478/16/16]

(iv) Outcome Budget of the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4479/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4480/16/16]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 114 of the Insurance Act, 1938:-
 - (i) The Insurance (Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 178(E) in Gazette of India dated 17th February, 2016.
 - (ii) The Insurance (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 179(E) in Gazette of India dated 17th February, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4481/16/16]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

- (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R. 165(E) in Gazette of India dated 15th February, 2016.
- (ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R. 166(E) in Gazette of India dated 15th February, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4482/16/16]

(4) A copy of Notification No. G.S.R.186(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd February, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 51/2015-Customs (ADD) dated 21st October, 2015 under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

[Placed in Library, See No. LT 4483/16/16]

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-
 - (i) G.S.R.205(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to exempt CVD on imported media with recorded Information Technology Software on so much value as is equivalent to the value of the Information Technology Software recorded on the said media which is leviable to Service tax under Finance Act, 1994.
 - (ii) G.S.R.206(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
 - (iii) G.S.R.207(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016

- together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 171/93-Cus., dated 16th September, 1993.
- (iv) G.S.R.208(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/96-Cus., dated 23rd July, 1996.
- (v) G.S.R.209(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2011-Cus., dated 1st March, 2011.
- (vi) G.S.R.210(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (vii) G.S.R.211(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 25/1999-Cus., dated 28th February, 1999.
- (viii) G.S.R.212(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 25/2002-Cus., dated 1st March, 2002.
- (ix) G.S.R.213(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 24/2005-Cus., dated 1st March, 2005.
- (x) G.S.R.214(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 230/86-Cus., dated 3rd April, 1986.
- (xi) G.S.R.215(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 42/96-Cus., dated 23rd July, 1996.

(xii) G.S.R.216(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 81/2005-Cus., dated 8th September, 2005.

- (xiii) G.S.R.217(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 72/1994-Cus., dated 1st March, 1994.
- (xiv) The Baggage Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.218(E) in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum.
- (xv) The Customs Baggage Declaration (Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.219(E) in Gazette of
 India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum.
- (xvi) The Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.220(E) in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum.
- (xvi) G.S.R.221(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum superseding Notification No. 17/2011-Cus.,(N.T.) dated 1st March, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 4484/16/16]

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-
 - (i) G.S.R.222(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to amend notifications, mentioned therein, relating to area based exemptions, so as to carry out Budgetary changes.
 - (ii) G.S.R.223(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to amend notifications, mentioned therein, relating to area based exemptions,

- so as to carry out Budgetary changes.
- (iii) G.S.R.224(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 7/2012-C.E., dated 17th March, 2012.
- (iv) G.S.R.225(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 8/2003-C.E., dated 17th March, 2012.
- (v) G.S.R.226(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 1/2011-C.E., dated 1st March, 2011.
- (vi) G.S.R.227(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 2/2011-C.E., dated 1st March, 2011.
- (vii) G.S.R.228(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to exempt central excise duty on media with recorded Information Technology Software on so much value as is equivalent to the value of the Information Technology Software recorded on the said media which is leviable to Service tax under Finance Act, 1994.
- (viii) G.S.R.229(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E., dated 17th March, 2012.
- (ix) G.S.R.230(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 62/91-C.E., dated 25th July, 1991.
- (x) G.S.R.231(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 33/2005-C.E., dated 8th September, 2005.

(xi) G.S.R.232(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 30/2004-C.E., dated 9th July, 2004.

- (xii) G.S.R.233(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 16/2010-C.E., dated 27th February, 2010.
- (xiii) G.S.R.234(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 42/2008-C.E., dated 1st July, 2008.
- (xiv) G.S.R.235(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 6/2005-C.E., dated 1st July, 2008.
- (xv) G.S.R.236(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to provide a procedure for obtaining Centralized Registration for manufacturers of articles of jewellery.
- (xvi) G.S.R.237(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 35/2001-C.E.(N.T.), dated 26th June, 2001.
- (xvii) G.S.R.238(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 9/2012-C.E.(N.T.), dated 17th March, 2012.
- (xviii) The Central Excise (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.239(E) in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum.
- (xix) The Pan Masala Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.240(E) in Gazette of India dated 1st March,

- 2016 together with an explanatory memorandum.
- (xx) The Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.241(E) in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum.
- (xxi) G.S.R.242(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 20/2001-C.E.(N.T.), dated 30th April, 2001.
- (xxii) G.S.R.243(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 49/2008-C.E.(N.T.), dated 24th December, 2008.
- (xxiii)The CENVAT Credit (Third Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.244(E) in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum.
- (xxiv) G.S.R.245(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2012-C.E.(N.T.), dated 18th June, 2012.
- (xxv) G.S.R.246(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum superseding Notification No. 5/2011-CE(NT) dated 1st March, 2011.
- (xxvi)G.S.R.247(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 42/2001-C.E.(N.T.), dated 26th June, 2001.
- (xxvii)G.S.R.248(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 31/2007-C.E.(N.T.), dated 2nd August, 2007.
- (xxviii)G.S.R.249(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain

- amendments in the Notification No. 19/2004-C.E.(N.T.), dated 6th September, 2004.
- (xxix) G.S.R.250(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-C.E.(N.T.), dated 26th June, 2001.
- (xxx) The Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable and other Goods) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.251(E) in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum.
- (xxxi) G.S.R.252(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2004-C.E.(N.T.), dated 6th September, 2004.

[Placed in Library, See No. LT 4485/16/16]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of section 83 of the Finance Act, 2010:-
 - (i) G.S.R.253(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 1/2015-Clean Energy Cess dated 1st March, 2015.
 - (ii) G.S.R.254(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 05/2010-Clean Energy Cess dated 22nd June, 2010.

[Placed in Library, See No. LT 4486/16/16]

(8) A copy of Notification No. G.S.R.255(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 1st March, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to provide effective rates of Infrastructure Cess on specified goods under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944 read with sub-clause (3) of clause 159 of the Finance Bill, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4487/16/16]

- (9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 94 of the Finance Act, 1994:-
 - (i) G.S.R.256(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 26/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
 - (ii) G.S.R.257(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
 - (iii) The Point of Taxation (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 258(E) in Gazette of India dated 1st March, 2016, together with an explanatory memorandum.
 - (iv) G.S.R.259(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to exempt services in relation to Information Technology Software recorded on a media bearing RSP, provided Central Excise Duty has been paid.
 - (v) G.S.R.260(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 32/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
 - (vi) G.S.R.261(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to prescribe interest rate under section 75 of the Finance Act, 1994.

(vii) G.S.R.262(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 8/2006-Service Tax dated 19th April, 2006.

- (viii) G.S.R.263(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to bring into effect provisions of by-clause (h) of section 107 of the Finance Act, 2015.
- (ix) G.S.R.264(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to bring into effect certain provisions of notification No. 07/2015-Service Tax dated 1st March, 2015.
- (x) G.S.R.265(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to bring into effect certain provisions of notification No. 05/2015-Service Tax dated 1st March, 2015.
- (xi) G.S.R.266(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 30/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
- (xii) The Service Tax (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.267(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2016, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 4488/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI BABUL SUPRIYO): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.
 - (ii) Annual Report of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4489/16/16]

(2) A copy of the Annual Statement (Hindi and English versions) of the discretionary allotments made under 5% discretionary quota during the calendar year 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4490/16/16]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदया, मैं वर्ष 2016-2017 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4491/16/16]

12.05 hours

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 27th to 30th Reports

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 27वां प्रतिवेदन।
- (2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतम शिक्षा विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 28वां प्रतिवेदन।
- (3) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 29वां प्रतिवेदन।
- (4) विदेश मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

12.06 hours

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 6th Report

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to lay on the Table the Sixth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2015-2016).

12.07 hours

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (i)26th Report

श्री रमेश बैस (रायपुर): महोदया, मैं 'राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(ii)Statements

श्री रमेश बैस: महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 'प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन' विषय पर समिति (15वीं लोक सभा) के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

12.09 hours

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 274th and 275th Reports

SHRIMATI SANTOSH AHLAWAT (JHUNJHUNU): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Human Resource Development:-

- (1) 274th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two hundred sixty-fifth Report on Demands for Grants 2015-16 (Demand No 60) of the Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development).
- (2) 275th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two hundred sixty-eighth Report on Demands for Grants 2015-16 (Demand No 108) of Ministry of Women and Child Development.

12.10 hours

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE 82nd and 83rd Reports

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam, I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice:-

- (1) Eighty-second Report on The Action Taken Replies of the Government on the Recommendations/ Observations contained in the 75th Report on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Law and Justice.
- (2) Eighty-third Report on The Action Taken Replies of the Government on the Recommendations/ Observations contained in the 76th Report on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

12.11 hours

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015 – EXTENSION OF TIME

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय संसद के मानसून सत्र 2016 के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढाती है।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015 upto the last day of the first week of the Monsoon Session, 2016."

The motion was adopted.

12.12 hours

MOTION RE: 28TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, में प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 15 मार्च, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Twenty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 15th March, 2016."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Hon. Members I have received notices of Adjournment Motion from Shri N.K. Premachandran, Shri Jai Prakash Narayan Yadav and Shri K.C. Venugopal on different issues. The matters though important do not warrant interruption of the Business of the day.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The matters can be raised through other opportunities. I have therefore disallowed all the notices.

... (Interruptions)

12.13 hours

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Level of Mathematics question paper in recent Class XII, CBSE Board Examination and also reported leak of question paper

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, a news item has appeared in *The Times of India.* ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Premachandran.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ आप समय मत गँवाइए। एन.के.प्रेमचन्द्रन जी. आप बोलिये।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will give opportunity to you. Please wait. ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam Speaker.

I rise to raise a very serious matter of much importance. It is adversely affecting tens of thousands of CBSE students who are appearing for the examinations. ... (*Interruptions*)

It may kindly be seen that on the 14th of this month there was a CBSE Class XII mathematics examination. I will be very brief. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you also. Please be seated.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: We are receiving hundreds of complaints from parents and school teachers that 80 per cent of the students were not able answer because it was very tough and there were one-mark and two-mark

questions which required elaborate answers. Therefore, it was very tough as far as the students were concerned. ... (*Interruptions*)

You may also kindly see that in the southern part of the country, it was very difficult and the students after the examination came with weeping eyes that the parents were not able to console them. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, हाउस में कोई पेपर्स वगैरह लाकर नहीं पढते हैं।

...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: At the same time, today in the newspapers it has been reported that in the same mathematics paper, there is a question paper leak in north India. There is an apprehension. In various parts of the country, the students are facing it very difficult to appear for that examination. On the one side, it is very tough, there are questions out of the syllabus and all; but on the other side, the question paper is being leaked. ... (*Interruptions*)

My submission is, I urge upon the HRD Ministry that a direction must be given to the experts that they must concentrate on what is taught and what has been understood. Now, the focus seems to be on what is not known to the students rather than what they know (*Interruptions*) So, I urge upon the HRD Minister to immediately cancel this exam and a fresh Mathematics Paper may be conducted so that the students can appear for the same.

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: आप सब सहयोग कर दीजिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, R. Dhruvanarayana, Rajesh Ranjan, Rabindra Kumar Jena, Bhagat Singh Koshyari, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher and Dr. A Sampath are permitted to associate with the issue raised by Shri N.K. Premachandran.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, Speaker, Considering the importance of the matter, I have given an Adjournment Motion on this issue. As per the *Times of India* report: "Parents of the students under the Central Board of Secondary Education, Patna region have alleged that the Mathematics Paper of Class XII Board on Monday was available on WhatsApp on Sunday night. Arguing the Board to cancel the Test they also claimed that touts were selling 51 questions-answers near exam centres on Sunday." I have raised this issue yesterday also. In Southern part of Kerala the question paper was very tough and also very lengthy. Most of the students, very brilliant students also, were not able to answer the question paper. On the one side the paper becomes very tough and on the other side the question paper is leaking. What does it mean? There is a conspiracy behind it. It should be thoroughly examined, verified and the guilty should be punished. The HRD Ministry should intervene and cancel the examination. This is my humble submission.

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): क्वैश्चन यह नहीं है कि क्वैश्चन हार्ड था, टफ था या ईजी था। क्वैश्चन पेपर सेट करने वाले लोग कौन थे? क्वैश्चन पेपर सेट करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि बच्चा 3 घंटे में क्वैश्चन को कंप्लीट कर लेगा या नहीं। बच्चे 25-25 अंक के क्वैश्चन छोड़ कर आए हैं। क्वैश्चन पेपर लेंग्दी था। वेणु जी अभी बोल रहे थे। यह कर्म किनके किए हुए हैं? कुछ लोग इस भारत के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को दबाने के लिए इस प्रकार के पेपर सेट करते हैं। यूपीए के शासन काल में नौंवी तक बच्चा फेल न हो, एचआरडी मिनिस्टर ने अमेरिका के दबाव में निर्णय लिया था ...(व्यवधान) कि हिंदुस्तान के प्रतिभाशाली बच्चे पढ़-लिखकर बड़े न बन जाएं। ...(व्यवधान) उसी प्रकार के माइंड सेट के लोग इस देश में आज भी बैठे हैं। ...(व्यवधान) उस टाइम के एचआरडी मिनिस्टर ने अमेरिका के दबाव में हमारी एजुकेशन को कोलैप्स करने के लिए ...(व्यवधान) इस प्रकार से जिन लोगों ने पेपर को सेट किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान) एचआरडी मिनिस्टर इसको चेक करें। ...(व्यवधान) एक लाख बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए। ...(व्यवधान) एक लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो इनके टाइम के एचआरडी मिनिस्टर द्वारा एप्वाइंट किए हुए लोग थे। ...(व्यवधान) इन्होंने एजुकेशन का बेड़ा गर्क किया है।...(व्यवधान) अमेरिका के दबाव में करोड़ों रूपए खाकर इन लोगों ने ऐसा काम किया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री महेश गिरी, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री देवजी एम. पटेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी और श्री जगदम्बिका पाल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, BJP has been in power for the last one year and nine months. The Question Paper was leaked yesterday and you are blaming the UPA Government for that. We are just listening.... (*Interruptions*) You do not want to take the responsibility. This should be expunged.... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Do not politicize the students' issue.... (*Interruptions*) माननीय अध्यक्ष : हो गया, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसके बारे में नहीं बोला है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वेणुगोपाल जी, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): वेणुगोपाल जी, इससे कुछ होने वाला है। ...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL: This is the first time that this particular exam has been leaked.... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: This is the fate of the students. Why should you politicize it? ... (*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: आप बैठिए प्लीज। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Venugopal Ji, the Minister is replying.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: इसमें पॉलिटिक्स मत करो कोई भी।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You do not want any reply. You just want to create some sensation and then leave it there. It is a matter concerning the students and their future. When such a debate takes place there will be some sort of anxiety among the parents and students also. This has nothing to do with this side or that side. If there are any issues, that has to be discussed separately.

Now, the exam is over. Certain reports have appeared in one of the leading newspapers and it has been raised in the House also. There are two issues. One is that certain questions were very tough and even the bright students could not answer them effectively. Second issue is that the media has reported that the Question Paper was leaked and some are also alleging that they were also sold. I will convey this to the Minister of Human Resource Development. It is a matter which deserves an inquiry. So an inquiry will be done and action will be taken.

माननीय अध्यक्ष : केवल गणेश सिंह जी का वक्तव्य रिकॉर्ड में जायेगा, बाकी अन्य बातें रिकॉर्ड में नहीं जायेगी। आप सब चिल्लाते रहो।

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कोल मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान रिफायनरी से निकलने वाले पेटकोक का उपयोग सीमेंट बनाने वाले उद्योगों में किया जाता है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें आठ प्रतिशत से अधिक सल्फर निकलता है। उसके सीमेंट में मिलने से जंग लगने के चांस अधिक हो जाते हैं। पेटकोक से जो गैस एवं धुआं निकलता है, वह अत्यंत नुकसानदायक तथा जहरीली गैस है। भारतीय कोल में एक प्रतिशत से कम सल्फर होता है, पेटकोक महाराष्ट्र एवं गुजरात की रिफायनरी में निकलता है, किन्तु इन दोनों राज्यों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है। मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में दो लाख टन हर माह पेटकोक का उपयोग सीमेन्ट कम्पनियों में हो रहा है, इसके जलाने के बाद तीन प्रतिशत फ्लाइऐश भी निकलता है, जिसे सीमेंट में ही मिला दिया जाता है। जहरीली गैस का असर बढ़ता जा रहा है।

आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरी मांग है कि इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगायें, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उन्हें बचाया जा सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री जगदिम्बिका पाल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर और श्री सुधीर गुप्ता को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, मुझे आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बुद्ध की स्थली बोधगया और राजगीर में विश्व के कोने-कोने से भगवान बुद्ध के दर्शन करने आते हैं। वे दोनों तीर्थस्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल हैं। ज्ञान की नगरी नालंदा में लगभग 800 वर्ष पुराना, प्राचीन विश्वविद्यालय है। आज ज्ञान की भूमि, नालंदा ने हमारे नेता नितिश कुमार जी के अथक प्रयास से विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान स्थापित किया है। नालंदा में ही पावापुरी और कुंडलपुर भगवान महावीर जी की जन्म स्थली है। इन दोनों धर्म स्थलों पर हजारों जैनधर्म के अनुयायी और अन्य तीर्थ यात्री दर्शन करने आते हैं। राजगीर के वेनुवन विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कई चतुर्मास किये थे। यह स्थान बुद्ध धर्मावलंबियों के लिए धर्म की शक्तिपीठ की भांति है। ...(व्यवधान) बौध ग्रंथ 'विनय पीटक' के अनुसार वेनुवन स्थान बौद्ध संघ के लिए परम पवित्र स्थल

है, जो भगवान बुद्ध के बताये मार्गों की झलक प्रस्तुत करती है। यह स्थल बौद्ध अनुयायियों के लिए तप एवं साधना का केन्द्र बन चुका है।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविधालय है, वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय का निर्माण कराया जाये, एवं नालंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण कराया जाये। यही कह कह मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राजीव सातव को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरीश मीना (दौसा): अध्यक्ष महोदया, मुझे आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके समक्ष देश के युवा बेरोजगारों की समस्या को उठाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार की नौकरी हो, एससीज और एसटीज के छात्रों को जाति प्रमाण-पत्र देना पड़ता है एवं ओबीसीज के छात्रों को आय प्रमाण-पत्र देना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए क्रिमिलेयर की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने उनके फॉर्मेट्स अलग बना रखे हैं। चूंकि ये सर्टिफिकैट्स राज्य में बनाये जाते हैं। वह यूपीएससी हो या रेलवेज हो, केन्द्र सरकार उनको मान्य नहीं करती है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि द्विभाषीय जाति प्रमाण-पत्र हों और वे ऐसे हों कि वे राज्य में भी मान्य हो और केन्द्र में भी मान्य हो, तािक हमारे युवओं को इसका लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री पी. पी. चौधरी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.आर.चौधरी, श्री अर्जुन लाल मीणा, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री सुधीर गुप्ता और श्री रोड़मल नागर को श्री हरीश मीना उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Respected Madam Speaker, the parents of the employees working in all the transport corporations across the country are entitled to free travel as these corporations issue free passes for them. I think such facilities are provided by other public sector undertakings too. But the Railways are not providing such facility to its employees. It has been one of the demands of the railway employees for a long time. If free travel is allowed for the aged parents of the employees of the Railways, this will help them a lot. The employees of the railways have to bear the travel expenses of their parents in case of transfer too.

Therefore, in the interest of the parents and employees of Railways, free travel passes for the parents of the Railway employees should be provided. This need not be unlimited free travel, but limited free travel also will help them a lot. I do not think that the Railways will have to bear a huge financial burden on this account. Therefore, I would like to urge upon the hon. Railway Minister to consider this proposal and implement the same at the earliest. This will bring cheers to both the employees of the Railways and also their parents. Thank you. श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान देश के लोकप्रिय भृतपूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन हेत् अपनी ड्रीम प्रोजैक्ट योजना स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) सन 1999 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में योजना का कार्य विकास विभाग के कर्मचारियों तथा एनजीओ द्वारा करवाया गया। अपेक्षित सफलता न मिलने पर योजना को गति प्रदान करने हेतु सन् 2004 में न्याय पंचायत स्तर पर सुविधादाता की नियुक्ति की गई थी। उनके उत्साह एवं लगनपूर्वक कार्य करने से योजना फलीभृत होने लगी। योजना से गरीबों को सीधे लाभ (अनुदान तथा ऋण) देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाता था। गरीबों में एनडीए सरकार के प्रति अच्छी छवि बन रही थी। इसलिए यूपीए सरकार ने योजना को असफल करने के उद्देश्य से 2012-13 में योजना को फ्लैगशिप योजना में शामिल कर उसका नाम बदलकर ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कर दिया तथा योजना में समूहों को मिलने वाला अनुदान भी समाप्त कर दिया। यूपी की सपा सरकार ने एक कदम और आगे बढते हुए मौखिक आदेश देकर सुविधादाताओं को कार्य करने से रोक दिया जिस कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गईं --

दोनों योजनाएं एसजीएसवाई तथा एनआरएलएम समान हैं परन्तु एनआरएलएम कार्य करने हेतु सुविधादाताओं को अयोग्य करार दिया गया जिससे लगातार नौ वर्षों तक अच्छा कार्य करने के बावजूद पांच हजार सुविधादाता बेरोजगार हो गए। सुविधादाताओं के कार्य से हटने के बाद समूहों से जुड़े लगभग तीन करोड़ गरीब लोगों की सहायता करने वाला कोई नहीं रह गया। इससे लेन-देन में विवाद होने लगा तथा बैंकर्स ने अनुदान पर ब्याज भी वसूलना शुरू कर दिया और अधिकांश बैंक समूह डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए।

इसी तरह एसजीएसवाई योजना सभी गरीबों, प्रदेशों सिहत पूरे उत्तर प्रदेश में लागू थी तथा सभी विकास खंडों में 800 से 1000 तक समूह बन चुके थे जबिक रूपांतरित योजना एनआरएलएम प्रदेश के 22

जनपद के 78 इंसेटिव विकास खंडों में लागू की गई। इस कारण बाकी लगभग 800 विकास खंडों में समूहों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।...(व्यवधान)

एनआरएलएम योजना का कार्य फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले सुविधादाताओं हेतु कोई स्पष्ट निर्देश यूपीए सरकार ने गाइडलाइन में नहीं दिया है। ...(व्यवधान) इस कारण राज्य सरकार अनुभवी सुविधादाताओं के स्थान पर आउट सोर्सिंग कर एनजीओ से कार्य करवाती है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन में आवश्यक संशोधन करवाकर अनुभवी सुविधादाताओं को कार्य पर लगाने की कृपा करें जिससे पांच हजार सुविधादाता तथा तीन करोड़ समूह वालों का भला हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोडमल नागर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरीट सोलंकी श्री शरद त्रिपाठी तथा कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं बुंदेलखंड में सांस्कृतिक विकास बोर्ड की स्थापना के संबंध में कहना चाहता हूं। बुंदेलखंड की अपनी वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत है। जहां चित्रकूट, ओरछा, कालिंजर में मंदिर, किले तथा खजुराहों के मंदिर की स्थापत्य कला स्थानीय राजाओं द्वारा निर्मित तालाब एवं बावड़ियां हैं, वहीं हिन्दु धर्म की आस्था के प्रतीक और घर-घर में पूजनीय श्री रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास जी और उनकी जन्म स्थली चित्रकूट तथा लोक गायन के रूप में आल्हा से सम्पूर्ण विश्व में पहचानी जाती है। परन्तु इस विरासत को और अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु नवीन शोध एवं इससे जुड़े ज्ञान को क्रमबद्ध किए जाने की आवश्यकता है।

स्थानीय चंदेल राजाओं की जल संरक्षण तकनीक का संवर्धित प्रयोग आज की आवश्यकता है। आल्हा लोक गायन जन सामान्य में ऊर्जा का संचार एवं निराशा को नष्ट करता है। आल्हा गायन दुनिया का संभवत: एकमात्र ऐसा खंड काव्य है जो लगभग आठ सौ वर्षों से मौखिक रूप से जीवित है। उसे लिपिबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड की भूमि में जन्म लेने वाले तुलसी दास जी का महत्वपूर्ण उल्लेख मुगलकालीन शासकीय दस्तावेजों एवं साहित्य में नहीं मिल पाया। इसलिए वहां संस्कृति एवं लोक भाषा में किए गए कार्यों में नवीन शोध संस्थान की आवश्यकता है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से पुन: सरकार से निवेदन है कि बुंदेलखंड संस्कृति विकास बोर्ड की अविलंब स्थापना की जाए जिसके अंतर्गत पारम्परिक स्थापत्य, परम्परागत मार्शल

आर्ट, जल संरक्षण, लोक गायन शैली विशेषकर आल्हा एवं तुल्सीदास जी पर शोध संस्थान की स्थापना की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

Shri Srinivasa Reddy, the issue of jewellers which you want to raise has been answered by the Finance Minister.

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Madam, this is the demand of my Party, YSR Congress Party, also.

I would like to draw the attention of the Government through this august House that the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley, has announced the levy of one per cent excise duty on jewellery produced and sold within the country in the Budget speech made on 29th February as part of the Government's efforts to boost revenues. By this order, jewelers will not be able to keep jewellery worth more than Rs. 2 lakhs as they will be forced to submit their stock inventory to the Department which would lead to black marketing of jewellery as many small scale jewelers would not be able to furnish their stock. This will also increase excise harassment and the re-introduction of Inspector Raj.

Every day, the gems and jewellery sector are witnessing over Rs. 7000 crore loss across the country and till now, the total revenue loss is over Rs. 98,000 crore to the exchequer due to the on-going indefinite strike that has entered the 14th day today.

A similar shut down in 2005 and 2012 had taken place when jewellers closed down for three weeks and was successful in getting the previous Government to drop plans for an excise duty.

I, therefore, urge upon the Government to withdraw the one per cent excise duty on jewellery immediately.

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Shri P. Srinivasa Reddy.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के कई स्थान ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल के रूप में विश्व के मानचित्र में दर्ज है, परन्तु इन क्षेत्रों का सम्यक विकास नहीं हो सका है। इस संबंध में सरकार को अवगत कराया गया है। इसी पिरप्रेक्ष्य में हम अपने संसदीय क्षेत्र के कुछ ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक स्थल लिलोटी थान (धनबाद), बनासों मंदिर जरंडी पर्यटक स्थल भण्डारीदह फाल पिकनिक स्थल तेनुघाट डैम बोकारों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। इसी प्रकार पारसनाथ (मधुबन) जैनियों के महान तीर्थस्थल के लिए विश्वविख्यात होने के बावजूद वहां रोप-वे की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जबिक देश के छोटे-छोटे धार्मिक व पर्यटक स्थलों में रोप-वे की व्यवस्था की गई है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपर्युक्त पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Pandey.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam Speaker, I would like to bring a very serious issue to the attention of the Government through you.

A lot of students have taken loan from State Bank of Travancore in Kerala which is a nationalized bank. The total sum of Rs. 188 crore is due in the bank. This issue has been brought to my notice and I made a suggestion to the bank to avoid penal interest and allow the students to remit the amount as instalments. But the bank gave the contract to a private agency. By the contract, they can collect the entire Rs. 185 crore and remit Rs. 63 crore in the bank. What is the result of this? The students have not got any advantage. The result is, the private agency sends goons to the residences of the parents and students.

Banks are not allowed to give any concession to the students and parents. They give a sum of more than Rs. 120 crore to the private agency. Now this has created a law and order problem in my constituency and State. Your intervention

is needed to allow the students for getting some concession and remit the capital amount in instalments and not to allow such a practice of giving the contract to the private agency to collect the amount.

We give a lot of privileges to corporates like Mallyas whereas the poor students get nothing. Madam, you may give a direction to the Government to immediately intervene in this issue.

HON. SPEAKER: Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, Dr. A. Sampath, Shri N.K. Premachandran and Shri C.N. Jayadevan are permitted to associate with the issue raised by Shri Anto Antony.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity.

I would like to draw the attention of the Finance Minister, through you, to a matter of urgent public importance. Telangana is the youngest State of India. It is power deficient. There is lack of infrastructure. Around 36,000 link canals, which are unique to the State of Telangana, are in a state of neglect; and the number of hospitals has remained stagnant – they were built during pre-Independence era. In this regard, the Telangana Government under the leadership of hon. Chief Minister, Shri K.C.R., is on a massive re-building exercise. The investment in power sector is Rs. 80,000 crore to generate 23,000 megawatts of power to make the State a power-surplus one. There is a unique programme called Mission Bhagiratha to supply piped water to every household of the one crore houses of the Telangana State at the cost of Rs. 33,000 crore. The investment in irrigation for the Rangareddy – Palamuru section is Rs. 32,000 crore; and for Kaleshwaram project the investment is Rs. 83,000 crore. The investment for Mission Kakatiya, which aims at rejuvenating 36,000 link tanks which was hailed by Sushri Uma Bharti ji, is Rs. 23,000 crore.

Apart from these projects, the State Government has also conceived a project for building double bed room houses for all the eligible people. We are constructing them at the cost of Rs. 5 lakh for each house. It will be done at free of

cost. The cost will be borne by the Government totally. There is a programme for constructing four major super speciality hospitals in Hyderabad. In addition, there is a need to invest money in social sectors up to Rs. 23,000 crore.

To implement these projects, we need money. Our late President said "Think Big". We are thinking big.

My request to the Finance Minister is to relax the conditions in the FRBM Act or amend the FRBM Act so that we can get investment. Only when the investment comes, we can invest money in these projects and we can progress.

Finally, I would like to appeal to the Finance Minister, तेलंगाना की मदद कीजिए और भारत को मजबूत बना दीजिए।

श्री राहुल करवां (चुरू): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल के तहत अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

पंजाब, हिरयाणा एवं राजस्थान के जल समझौते एवं भारत सरकार के निर्णय 1981 के अनुसार सिंधमुख नोहर सिंचाई प्रणाली हेतु 0.47 एम.ए.एफ. पानी देना निर्धारित किया गया था। इसमें से 0.30 एम.ए.एफ. पानी ही राजस्थान को साउथ घग्घर एवं झण्डेवाला वितरिका से उपलब्ध है एवं शेष 0.17 एम.ए.एफ. पानी एक्स नांगल राजस्थान को नांगल से भाखड़ा मेन लाइन के माध्यम से राजस्थान सरकार के संसाधनों से उपलब्ध करवाया जाना था। उक्त भारत सरकार के निर्णय के अनुबंध 1981 के अनुसार सभी सदस्य राज्यों के लिए बाध्य है। दिनांक 23.7.2007 को केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुनिश्चित किया गया कि पंजाब ने बी.एम.एल. की संपूर्ण क्षमता सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्य पूर्ण कर लिया है।

अध्यक्ष महोदया, पंजाब द्वारा समझौते के आधार पर राजस्थान को पानी आवंटित किया जाना चाहिए था। हरियाणा का इस पानी से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान सरकार के बार-बार आग्रह के बाद भी हरियाणा 0.17 एम.ए.एफ. पानी को नहीं दे रहा है। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि सिधमुख नोहर सिंचाई हेतु 0.47 एम.ए.एफ. पानी आवंटित किया गया है। इस पानी के हिसाब से नहर, वितरिका आदि का निर्माण कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदया, राजस्थान ने वर्ष 2009 में सिधमुख नोहर परियोजना पूर्ण कर ली थी। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस

प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करें एवं बी.बी.एम.बी. को राजस्थान के हिस्से का 0.17 एम.ए.एफ. पानी एक्स नांगल से देने के लिए निर्देशित करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.पी. जोशी और डॉ. मनोज राजोरिया को श्री राहुल कर्स्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है। श्री चिराग पासवान (जमुई): अध्यक्ष महोदया, पिछली बार मैंने भारतीय सेना में नियुक्त महाराष्ट्र के नांदेड जिले के रहने वाले हवलदार लक्ष्मण मनसोडे जी की मां की निर्मम हत्या का मामला उठाया था। उस मामले में न्याय का इंतजार आज भी है।

मैं आज इस सदन के साथ ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूं, जिसमें न्याय की गुहार भी है और जिसमें जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की वाजिब अपेक्षाएं पूरी करने में मेरी सीमाओं से मेरा परिचय कराया है।

मैडम, यह कहानी सौरभ की है, जो होनहार और ईमानदार था। उसने देश के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और हित को दांव पर लगाया और नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया। यह कहानी उसके मां-बाप की भी है और हमारी व्यवस्था की भी है, जिसने कमजोरों को न्याय दिलाना और भी ज्यादा दुर्लभ कर दिया।

मैडम, सौरभ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीआईटी, सिन्दरी में की थी। वह मेधावी, मेहनती और बहुत ही सहज प्रकृति का माना जाता था।पढ़ाई के बाद उन्होंने टाटा कन्सलटेंसी सर्विस ज्वाइन की और इसके बाद भारतीय रेल में ज्वाइन किया। वह अपनी मौत से पहले वह खड़गपुर में डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर थे। सौरभ अगर आज हमारे बीच में होते तो 31 साल के होते लेकिन पिछले साल 22 सितंबर, 2015 को उनकी मौत हो गई। उनके माता-पिता को इसकी जानकारी हादसे के तीसरे दिन मिली। सौरभ के शरीर पर चोट के स्पष्ट और गहरे निशान मौजूद थे जो कि वहां की स्थानीय पुलिस को नहीं दिखे थे। बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और कह दिया गया कि सांप के डसने की वजह से मौत हुई है। आनन-फानन में फाइल बंद कर दी गई और एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। लेकिन सौरभ के परिवार को पुलिस की यह थ्योरी मंजूर नहीं थी क्योंकि इस घटना पर कई ऐसे सवाल थे जिनके बारे में उनके परिवार, माता-पिता और दोस्त आज भी पूछ रहे हैं। इन्हीं सवालों का नतीजा यह हुआ कि दस दिन बाद कम से कम एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन छः महीने बीत जाने के बाद मामला जस का तय पड़ा हुआ है और जांच कहीं नहीं पहुंच पाई है।

पहला सवाल है कि सौरभ के शरीर पर जख्मों के गहरे निशान होने के बावजूद इसे क्यों नजर अंदाज किया गया? दूसरा सवाल है कि मौत के तीन दिन बाद सौरभ की डैड बॉडी उनके सरकारी आवास से उनके पड़ोसियों को तो मिलती है लेकिन उनके डिपार्टमेंट ने अपने सीनियर स्टाफ की सुध तीन दिन तक नहीं ली। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि इतने दिन बीत जाने के बाद कोलकाता की सीएफएसएल ने मृतक की रिपोर्ट अभी तक सब्मिट क्यों नहीं की?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं हत्या के बाद सौरभ के परिवार से मिला। बिहार के वैशाली जिला में रहने वाले सौरभ के पिता सुरेश जी ने बताया कि सौरभ को रेलवे के स्क्रैप मैटीरियल के टैंडर के आबंटन की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया था कि स्क्रैप मैटीरियल माफिया का दबाव उनके ऊपर बन रहा था। उन्होंने पिता से विवाद में हो रही धांधली को उजागर करने के संकल्प के बारे में भी बताया था। बहरहाल स्थानीय पुलिस अभी भी स्नेक बाइट की थ्योरी को गलत नहीं मान रही है। लिहाजा कातिलों तक पहुंचना तो दूर इन्वेस्टिगेशन में उन्हें बचाने की कोशिश भी की जा रही है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कई महीने से मैंने सीबीआई जांच को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा। आदरणीय गृह मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को इस संदर्भ में पत्र लिखा। यह विषय हर फोरम में उठाया लेकिन नतीजा कहीं नहीं पहुंचा है। इसलिए अंत में, आपके माध्यम से मैं सदन में इस मसले को उठाकर सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि सौरभ मामले को दबाने के हर संभव प्रयास को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच सीबीई से कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ मनोज राजोरिया, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री अजय मिश्रा को श्री चिराग पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, Odisha has submitted a proposal to the Union Government to provide financial assistance under the Museum Grant Scheme for setting up an International Museum cum Study Centre in the campus of Sri Jagannath Sanskrit Viswavidyalaya, Puri since 2014. But no action has been taken by the Union Government on such a proposal.

I urge upon the Union Government to take up this proposal of Odisha Government and amount should be provided as early as possible. It is a matter of

only Rs.9 crore. It is necessary that a place like Puri, that too, in the Sanskrit Viswavidyalaya should have this type of Museum along with the Study Centre.

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री भृर्तहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Madam, Speaker, Tamil Nadu under the visionary rule of hon. Chief Minister, *Puratchi Thalaive Amma* is the best served State in the country as far as providing medical facilities for the poor and in implementing various vaccination schemes to control MMR and IMR rates but it is not so in other States of the country.

The key reasons for maternal mortality rate include not getting proper treat and child birth-related complications. More than three quarters of pregnant women do not undergo full anti-natal check up. They are supposed to have one check-up every three months. One Tetanus injection and iron supplement for at least 100 days. In some States, over 90 per cent women don't get full ANC. A very large proportion of mothers don't get examined within 48 hours of delivery. Of late, though there has been some improvement on both these counts, at this rate, it will take years to bring it to acceptable levels. This results in children's vulnerability to diseases and children not getting fully immunized. This is despite huge immunization programme conducted by the Government. Full immunization includes TB, DBT, Polio and Measles. Iron supplementation is also a necessity because nearly half the newborns in our country suffer from Anemia as do their mothers.

As per the latest report of Registrar General of India's Sample Registration System, India is among the worst performing countries in maternal and child health. Even our neighbouring countries like Sri Lanka, Bangladesh and Nepal are better of.

Keeping these things in view, I humbly urge upon the Union Government, through you, to take necessary steps for reducing and reducing IMR and MMR and allocate adequate fund for this purpose.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती वी.सत्यबामा को श्री टी.जी.वेंकटेश बाबू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.आर.चोधरी (नागोर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे निरीह प्राणी की बात करना चाहता हूं जिसे किसान कहते हैं। वास्तव में, पैदावार तक सारा काम किसान करता रहता है, बारिश होने के बाद खेती की गुढ़ाई, निराई सारे काम किसान ही करता है लेकिन फसल लेना उसके हाथ में नहीं है। वह प्रकृति के हाथ में है और फसल का मूल्य निर्धारित करना भी उसके हाथ में नहीं है। कृषि उपज मूल्य मंडी में जो व्यापारी बैठे हुए हैं, वे उसका मूल्य निर्धारण करते हैं। ऐसे में मेरी आपसे अर्ज है कि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जब फसल कम होती है तो थोड़ा मूल्य बढ़ जाता है। सारे देश के कई लोग चिल्लाने लगते हैं कि कीमत बहुत बढ़ गई है लेकिन जब पैदावार अच्छी होती है, कीमत कम हो जाती है, उस समय कोई भी आदमी नहीं बोलता है, केवल एम.एस.पी. ही उसका सहारा होता है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि देश में कई फसलें- चावल, गेहूं हैं, सबके मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैं लेकिन राजस्थान की कॉमर्शियल कॉप्स बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं जो निर्यात करके राष्ट्र में विदेशी मुद्रा ला रही हैं। इन फसलों का एम.एस.पी. होना अति आवश्यक है। वे फसलें हैं- ग्वार, मोंठ, जीरा, धनिया, मेंहदी, सींफ, ईशवधोल, अरंडी इत्यादि सारी कॉमर्शियल कॉप्स हैं। हमारी मुख्य मंत्री महोदया जी ने कृषि मंत्री जी को कई बार चिट्ठी लिखी है कि इन फसलों को एम.एस.पी. की लिस्ट में डाला जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया करके इन फसलों को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिस्ट में डाल दिया जाए तािक राजस्थान के काश्तकारों को लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सत्यपाल सिंह, डॉ. मनोज राजोरिया और श्री रोड़मल नागर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, संतोष अहलावत और श्री पी.पी.चौधरी को श्री सी.आर.चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : माननीय अध्यक्ष जी, गाय, गंगा व गीता भारत जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र की पहचान है और उसकी अस्मिता की बात रखती है। फिर तो गंगा मां हमारी जीवनी शक्ति भी है और जीवन दात्री भी।

एक ओर गंगा मां का जल जहां हमारे जीवन के लिए जीवनी स्रोत है वहीं दूसरी ओर कृषि ऊर्जा उत्पादन की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसके फलस्वरूप गंगा की रक्षा व उसका निर्बाध प्रवाह राष्ट्र के हितों के लिए बहुत आवश्यक है। 'गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति।' यह एक सूक्ति नहीं है, मंत्र है जिसे गंगा के दर्शन के बाद स्मरण किया जाता है किंतु मां गंगा की आज की जो दशा है, वह विचारणीय है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से जो विषय रखने जा रही हूं, यूं तो हमारी सरकार ने गंगा के उत्थान के लिए अलग मंत्रालय बनाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है परंतु आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगी कि गंगा के किनारे बसे शहरों से निकलने वाले नालों पर लगे हुए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की समुचित व्यवस्था कराएं जिससे उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो गंगा के पानी को दूषित कर रहा है, वह दूषित न कर पाए। इसके साथ ही इनके आधुनिकीकरण की भी व्यवस्था कराई जाए और उनसे निकलने वाले गंदे पानी को रोका जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री पी.पी.चौधरी, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, with your permission, I want to change the subject of 'Zero Hour' and mention another matter. I have already written to you on this.

Madam, please listen to me. You announced formation of an Ethics Committee about the allegations made by one CPI (M) Member, one Congress Member and one BJP Member yesterday. I strongly protest against referring the matter to the Ethics Committee. This matter relates to something which is dated April, 2014 and the video regarding that.

HON. SPEAKER: Let the report come.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: You have taken your decision unilaterally without ever calling anybody. Now, if this becomes a practice in the House, anybody will do a sting operation. It will be raised in the House and you will refer it to the Ethics Committee.

माननीय अध्यक्ष: इससे पहले भी इसी तरीके से हो चुका है।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, this is simply not done. There was not even a formal motion before you.

HON. SPEAKER: It is there; I have; I will show you. I am sorry.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: There was no formal motion. You unilaterally, one-sided took a decision. Since this concerns some of us, I raise my strong protest. I have full respect for the Ethics Committee headed by Shri L.K. Advani. I know that he will be fair. But, to drag Members to an Ethics Committee unilaterally on the basis of an unverified..

HON. SPEAKER: I am sorry; Shri Mukesh Rajput ji.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No, nothing like that.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only Shri Mukesh Rajput's statement will go on record.

... (Interruptions)...*

श्री मुकेश राजपूत (फरूखाबाद): अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र फरूखाबाद में पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन फतेहगढ़ में काफी बड़े क्षेत्र में लोको एरिया था। जब मीटर गेज लाइन थी तो यह कार्य में था, लेकिन अब बंद पड़ा है। वहां बनी हुई कालोनियों और भूमि पर अराजक तत्व व स्थानीय निवासी अतिक्रमण कर रहे हैं। आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वहां जमीन पर रेलवे कर्मचारियों एवं केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा हेतु केंद्रीय विद्यालय या रेलवे से संबंधित कोई प्रतिष्ठान या क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित करें जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र का विकास भी हो सके तथा भूमि पर अवैध कब्जा भी रोका जा सके।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Mukesh Rajput.

श्री राजन विचारे (ठाणे): महोदया, पिछले कई वर्षों से बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदल कर मुम्बई उच्च न्यायालय करने की मांग की जाती रही है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार को कई पत्र भी लिखे गए हैं। वर्तमान में यह प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय में काफी लम्बे समय से विचाराधीन है। मुझे खेद है कि इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैं सदन के

-

^{*} Not recorded.

माध्यम से विधि एवं न्याय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बम्बई हाई कोर्ट का नाम बदलकर मुम्बई उच्च न्यायालय करने की दिशा में सार्थक पहल करें।

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Arvind Sawant, Shri Rahul Shewale, Shri Chandrakant Khaire, Dr. Shrikant Eknath Shinde and Shri Shrirang Appa Barne are permitted to associate with the issue raised by Shri Rajan Vichare.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानती हैं कि हरिद्वारा सारे विश्व में आध्यात्मिक राजधानी है और विश्व धरोहर गंगा गंगोत्री से निकलती है और पूरी दुनिया से लोग वहां स्नान करने के लिए आते हैं। अर्ध कुंभ चल रहा था। वर्ष 2013 को जो प्रलय आया था, इस वजह से वहां सारा मलबा पड़ा हुआ है। घाटों पर स्नान नहीं हो रहा है। साधु समाज अनशन पर बैठे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर घाटों से मलबे को हटाया जाए ताकि लोग गंगा स्नान कर सकें। HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh

Chandel and Shri P.P. Chaudhary are permitted to associate with the issue raised

by Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank.

12.54 hours

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within twenty minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

^{*} Treated as laid on the Table.

(i) Need to construct a new railway line from Chhapra (Saran district) to Chakia (East Champaran district) in Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज):बिहार राज्य के सारण और चम्पारण जिलों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के कई व्यक्तियों, मनीषियों एवं नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, जिनका नाम देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इन्हीं में से एक महापुरूष लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली जिला सारण (छपरा) में मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज का दो तिहाई क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश की सीमा से गोपालगंज एवं चम्पारण जिला की सीमा तक है। चम्पारण जिला तो देश के बापू महात्मा गांधी की कर्मस्थली रही है।

अतः उक्त दोनों स्थलों एवं दोनों महापुरूषों की ऐतिहासिकता एवं योगदान के मद्देनजर यहाँ की जनता के लिए सरकार से अनुरोध है कि लोकनायक की जन्मस्थली जिला सारण के छपरा से जलालपुर, बिनयापुर, भगवानपुर, बसंतपुर, मलमिलया, मोहम्मदपुर, डुमिरयाधाट, खजुरिया चौक होते हुए महात्मा जी की कर्मस्थली चम्पारण के चिकया तक एक नई रेलवे लाइन बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाये। इस नई रेल लाइन के बनने से न केवल बिहार के जिलों की जनता को ही रेल यातायात की सुविधा प्रदान की जा सकती है बिल्क इससे नेपाल जैसे पड़ोसी मित्र देश की जनता को भी रेल यातायात की सुगम सुविधा दी जा सकती है। इतना ही नहीं इस नई रेल लाईन के बनने से उत्तर प्रदेश के वारणसी से बिलया, छपरा होते हुए मोतिहारी, रक्सोल तक की रेल यात्रा में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी घट जायेगी। इस दूरी के घटने से संबंधित क्षेत्र के यात्रियों को समय की बचत और आर्थिक बचत भी होगी। वाणिज्यिक दृष्टि से भी रेलवे को लाभ मिलेगा क्योंकि इस नई रेल मार्ग से नेपाल के साथ व्यापारिक संबंधों के तहत माल की दुलाई भी अधिक से अधिक हो सकेगी तथा रेल यात्रियों की संख्या भी अधिकाधिक होगी क्योंकि इस मार्ग की दूरी कम होगी।

(ii) Need to set up food processing industries in Farrukhabad parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री मुकेश राजपूत (फरूखाबाद): हमारे संसदीय क्षेत्र फरूखाबाद का आलू एवं लहसुन के उत्पादन में भारतवर्ष में एक विशेष स्थान है। यातायात के सभी साधनों से युक्त है। फर्रूखाबाद गंगा, रामगंगा और काली नदी के पावन जल से चारों तरफ से धिरा हुआ है। यहां के अन्नदाता एक वर्ष में चार-चार महत्पूर्ण फर्सलें पैदा करते हैं, जैसे आलू, लहसुन, मक्का, मूंगफली, गेहूं और चावल का भरपूर उत्पादन करते हैं। बागवानी में भी पीछे नहीं हैं हमारे क्षेत्र में आम, अमरूद, करौंदा आदि का भी उत्पादन भरपूर होता है। मगर फिर भी हमारे यहां के अन्नदाता को अपनी फर्सलों का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। सदैव कर्ज के बोझ से दबा रहता है। फर्सलों के दामों में बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिससे कि लागत निकलना भी मुश्किल होता है। हमारे जनपद में यू.पी.एस.आईडी.सी. की काफी जमीन भी पड़ी हुई है। मैन पॉवर की भी कमी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन भी परिपूर्ण हैं और हर तरह से उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण भी है। मेरा सरकार से आग्रह है कि हमारे क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की कोई भी यूनिट लगवाने की कृपा करें, जैसे आलू पावडर, गार्लिक पावडर का कारखाना या फिर अन्य कोई जिससे कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों, किसानों, व्यापारियों के जीवन स्तर में बदलाव आ सके। यदि हो सके तो मेगा फूड पार्क की भी स्थापना हो सकती है। अतः हमारे क्षेत्र के चहुंमुखी विकास एवं मेक इन इंडिया को सार्थकता प्रदान करने के लिए मेरे इस कृषि प्रधान पिछड़े क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगवाने की कृपा करें।

(iii)Need to sanction adequate number of Indira Awas units in Madhya Pradesh and also release balance funds due to the State under the Scheme

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश में वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास के जो लक्ष्य दिये गये थे, उनकी ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश को 115186 आवास लक्ष्य दिया गया, लेकिन उसे घटाकर 97108 कर दिया गया था। जो लक्ष्य दिया गया था उसी के आधार पर जनपदों को आवंटित भी कर दिया गया था। कृपया शेष जो आवास कम कर दिये गये थे, वह स्वीकृत किये जायें। साथ ही वर्ष 2012-13 में 30 जिलों में 4224.29 लाख रू. की कटौती कर दी गई थी। इसी तरह वर्ष 2012-13 में एफआरए की दूसरी किस्त भी 269.92 लाख रूपए की राशि पांच जिलों की अभी तक नहीं दी गई। इसी तरह, तीसरी किस्त का 877.59 लाख रूपए 11 जिलों की राशि अभी तक नहीं दी गई। कृपया यह राशि तत्काल दी जाए ताकि गरीबों को राशि दी जा सके तथा चालू वर्ष 2016-17 में कम से कम पांच लाख आवास का लक्ष्य तथा मेरे सतना जिले को अतिरिक्त एक लाख आवास स्वीकृत किए जाने की मांग करता हूं।

(iv)Need to include nutritious foods specially dates in the diet of paramilitary forces in the country

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकवरपुर): मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत के केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आईएसएफ., एस.एस.बी., आई.टी.बी.पी. इत्यादि) देश की सुरक्षा में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके मनोबल एवं स्वास्थ्य के विषय में सोचना हमारा कर्तव्य है जिसके तहत उनके स्वास्थ्य की रक्षा हेतु यह आवश्यक है कि इन सेनाओं को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों में पौष्टिक आहार वाली सामग्री हो। मेरे संज्ञान में आया है कि भारत के सभी अर्द्ध सैनिक बलों को मैगी नूडल्स और चॉकलेट जेसे गैर-पौष्टिक आहार वाली खाद्य सामग्री, जिनकी सूची लम्बी हो सकती है, की आपूर्ति की जाती है जिसके कारण सैनिकों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है एवं सैनिकों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जरूरी है सैनिकों को इन सभी चीजों के साध-साथ खजूर जैसे पौष्टिक आहार वाली खाद्य सामग्री की भी पूर्ति की जानी चाहिए। सादर सूच्य हो कि खजूर की पौष्टिकता को देखते हुए भारतीय सेना (आर्मी) के सैनिकों में इसकी आपूर्ति की जाती है जो कि इसकी उपादेयता की पुष्टि भी करता है एवं दूसरी पुष्टि इससे भी की जा सकती है कि रमजान के पूरे महीने में हमारे मृस्लिम भाई भी खजूर से ही रोजा खोलते हैं। इसकी महत्ता से सभी वाकिफ हैं।

अतः सरकार से निवेदन है कि देश की सुरक्षा में लगे सभी अर्द्धसैनिक बलों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खजूर जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(v) Need to set up Kisan Counselling Centres

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान 'देश में किसानों की स्थिति' पर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश की 70 फीसदी आबादी गाँवों में रहती है और कृषि पर ही निर्भर हैं। ऐसे में किसानों की खुशहाली की बात करते हैं और उनके लिए योजनाएं भी बनाते हैं किन्तु उनकी मूलभूत समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और इसका कारण सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों के बीच की कड़ी का न होना है।

स्वतंत्र भारत से पूर्व और स्वतंत्र भारत के पश्चात एक लंबी अविध व्यतीत होने के बाद भी भारतीय किसानों की दशा में वांछित सुधार नहीं हुआ है। जिन अच्छे किसानों की बात की जाती है उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है और आज आजादी के 68 सालों बाद भी हमारे किसान भाइयों को लेनदारों का सहारा लेना पड़ता है।

केन्द्र सरकार ने इस बार के बजट 2016-17 में किसानों, मजदूरों एवं गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए कृषि और किसान कल्याण के लिए कुल आवंटन 35,984 करोड़ रूपये दिये हैं, जो कि सिंचाई के लिए नई अवसंरचना निर्मित करने, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, मृदा की उर्वरकता बनाए रखना, मूल्यवर्धन प्रदान करना एवं खेत से बाजार तक संपर्क बनाना इत्यादि है। हमारी सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरूआत की है जिसका एकमात्र ध्येय किसानों की मूलभूत समस्या को दूर करने का एक प्रयास है। समस्या यह है कि ज्यादा पढ़े-लिखे ना होने के कारण हमारे किसान भाई इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते , जिसके कारण उन्हे बाद में भारी हानि का सामना करना पड़ता है जो फसल की बर्बादी से लेकर लेनदारों द्वारा लिए गए कर्ज तक होती है। इन सबसे न सिर्फ एक किसान अपित् एक परिवार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 'किसान काउंसिलेंग सेन्टर' खोले, जहां किसान भाइयों को खेती से संबंधित सुविधा एवं जानकारी यथा-बैंक से कर्ज का लाभ उठाना, फसलों का समय पर बीमा करवाना जैसे जानकारी उन्हें समय रहते दी जा सके। जिससे जो समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकारें किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए ऋण माफी की अनेक योजनाएं घोषित करती है और जिसकी जानकारी के अभाव में वे इससे लाभान्वित नहीं हो पाते, उनका उन्हें लाभ मिल सके। केवल जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाइयों को आस-पास के लेनदारों से कर्ज लेने पड़ते हैं, जो बाद में उनके लिए बोझ बन जाता है। जितनी जरूरत किसानों को सरकार की योजनाओं की है उससे ज्यादा जरूरत उन्हें 'किसान काउंसिलेंग सेन्टर' की है ताकि समय रहते वो इन

योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हों और उन्हें हम भारत की प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ने में सफल हो सकें।

मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि किसानों के लिए 'काउंसलिंग सेन्टर्स'की व्यवस्था कराये।

(vi)Need to send a central team to assess the damage caused to crops due to unseasonal rains and hailstorms in Wardha parliamentary constituency and provide adequate compensation to the affected farmers

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा की ओर आकृष्ट करते हुए आग्रह करता हूं कि बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से अमरावती, नागपुर, यवतमाल के किसानों में दहशत व्याप्त है। सारी फसल चौपट हो गयी हैं, कपास, संतरा, गेहूं एवं चना की खेती को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है जिस कारण किसानों का हाल बेहाल है। विदर्भ के किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विदर्भ के किसान आत्महत्या करने को प्रवृत्त होते हैं।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में एक केन्द्रीय टीम भेजकर नुकसान का जायजा लिया जाए एवं किसानों के नुकसान की भरपाई हेतु विशेष सहायता शीघ्र दिलाने की कृपा करें। वैसे भी इस क्षेत्र में विगत कई वर्षों से किसानों की हालत बेहद नाजुक है एवं विगत दो वर्षों में सैकड़ों किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है।

(vii) Need to run Sahajahnpur- Delhi Passanger train No.54075/76 from Sitapur, Uttar Pradesh

श्रीमती रेखा वर्मा (धीरहरा):मेरे संसदीय क्षेत्र धीरहरा के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों में लोगों की भारी भीड़ होती है। इसी रूट पर गाड़ी संख्या 54075 और 54076 अप-डाउन दिल्ली पैसेंजर ट्रेन शाहजहांपुर से चल रही है जबिक यह इंटरनेट में सीतापुर में चलती हैं, ऐसी दिखाई दे रहा है। लोगों की भीड़ को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह ट्रेन सीतापुर से ही चलाई जाये।

(viii)Need to take suitable remedial measures to check increasing pollution level in Singrauli district, Madhya Pradesh

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): हम जानते हैं कि हवा और पानी प्राणी मात्र की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। किन्तु पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हवा और पानी ही यदि प्रदूषित हो जाएं तो जीवन जीना कितना कठिना होगा, यह सहज ही अकल्पनीय है।

पर्यावरण प्रदूषण एक अति गंभीर वैश्विक समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं इसी पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम हैं, जिसकी चिन्ता राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर की जा रही है।

मैं जिस सीधी संसदीय क्षेत्र से आती हूं उसका एक बड़ा हिस्सा सिंगरौली जिले के रूप में अवस्थित है, जिसे लोग ऊर्जा धानी के रूप में जानते हैं। सिंगरौली सन 1840 में पहली बार कोयले की पर्याप्त उपलब्धता के विषय में संज्ञान में आया। तब से लेकर आज तक अपने प्राकृतिक स्रोतों के कारण सिंगरौली देश के बड़े भू-भाग को ऊर्जा प्रदान करता है। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण कई बड़े और छोटे थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोल माइन प्रोजेक्ट यहां स्थित हैं, जिसमें उत्पन्न होने वाले सह-उत्पाद फ्लाई ऐश वायु और जल प्रदूषण का कारण बन गया है जिससे सिंगरौली वासियों का श्वास लेना दूभर हो गया है। पर्याप्त जानकारी के अनुसार लगभग 6 मिलियन टन फ्लाई ऐश प्रतिवर्ष सह-उत्पाद के रूप में निकलता है व शोधों एवं अभिलेखों के आधार पर लगभग 720 किग्रा. पारा व कई भारी पदार्थ प्रतिवर्ष निकलते हैं जो कि सामान्य से कई गुना अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट व औद्योगिक विष विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा जब सिंगरौली क्षेत्र के 1200 निवासियों की चिकित्सकीय जांच हुई तो उसके अनुसार सिंगरौली वासियों के रक्त में पारा का स्तर सामान्य से कई गुना अधिक पाया गया। जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में बच्चों के श्वास तंत्र की समस्या, डायरिया, निम्न प्रत्युत्पन्न मित, पेटदर्द जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा बचपन साथ ही महिलाओं में सिरदर्द और अनियमित मेन्सुरेशन और पुरूषों में स्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और किडनी जैसी गंभीर प्राणघातक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं।

इन दिनों हमारे यहां के सामाचार पत्र सिंगरौली क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण और इनसे पनप रही बीमारियों की चिन्ता निरन्तर प्रकट कर रहे हैं, जिससे जन-मानस डरा-सहमा महसूस कर रहा है। इस क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण से तीन लाख से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी पुष्टि तब हुई जब केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सिंगरौली प्रदूषण के स्तर पर 22वें स्थान पर है।

में माननीय मंत्री महोदया से आग्रह करती हूं कि शीघ्रता के साथ कृपापूर्वक सिंगरौली के स्वास्थ्य व जीवन रक्षा हेत् सार्थक कदम उठाने का कष्ट करें और सभी कारपोरेट को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों

का बोध करा कर आवश्यक पहल हेतु निर्देशित करें, वरना सिंगरौली का प्रदूषण हिरोशिमा-नागासाकी व भोपाल गैस-त्रासदी जैसे घातक परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अतः पुनश्च इस समस्या के निदान हेतु आग्रह करती हूं।

(ix) Need to take suitable action against the persons/agencies responsible for cutting of trees in illegal manner during the construction of railway line from Goilkera to Manoharpur in Jharkhand

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): मेरे सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोइलकेला से मनोहरपुर तक रेलवे की थर्ड लाईन बन रही है, यह चक्रधर डिवीजन में आती है। इस थर्ड लाईन के बनने के क्रम में इस लाईन पर लगी हजारों कीमती लकड़ियां जैसे साल, शीशम, वीजा एवं सागवान बिना अनुमित लिये काट दी गई। नियम के अनुसार पहले अनुमित लेनी चाहिए थी और उसके बाद लकड़ियों को जमा किया जाना, उसके बाद उसकी नीलामी की जानी चाहिए थी। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया। ये कीमती लकड़ियां बिना अनुमित के धड़ल्ले से काट दी गई और गायब कर दी गई। इसमें रेलवे के उच्च अधिकारियों की मिली भगत है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस ठेकेदार ने थर्ड लाईन बनाने का ठेका लिया है उसके खिलाफ राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने और बिना अनुमित लिये कीमती पेड़ों को काटने के आरोप में कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए।

(x) Need to provide funds for development of banks of river Tawi in Jammu, Jammu & Kashmir

श्री जुगल किशोर (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू शहर की ओर दिलाना चाहता हूं। जम्मू शहर के बीचों-बीच बहने वाली पवित्र नदी तवी को साफ सुथरा एवं उसके दोनों किनारों का विकास बहुत जरूरी है। तवी नदी के साथ-साथ लोगों की आस्था भी जुड़ी है। यहां पर एक साल में चार उत्सव इस नदी के किनारे होते हैं और पवित्र नदी के दोनों किनारों पर मंदिर एवं ऐतिहासिक धमस्थल है। इसका एक बड़ा लाभ जम्मू-कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को होगा एवं मां वैष्णों देवी के दर्शन करने वाले यात्रियों के बीच यह स्थान आकर्षण का केन्द्र भी बनेगा।

अतः संबंधित मंत्रालय से प्रार्थना है कि तवी नदी के किनारों के लिए जल्द से जल्द धनराशि मुहैया कराया जाए।

(xi) Need to set up AIIMS at Deoghar in Jharkhand

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): With regard to the proposal of setting up AIIMS in each state of the country, I wish to raise the concerns of the people of Santhal Pargana region in Jharkhand.

The state government of Jharkhand has worked towards the setting up of AIIMS by allotting land including making available 200 acres of land at Deoghar, which is a district in the state and home to the famous Dwadash Jyotirling and Shaktipith, where 5 crore pilgrims visit every year, as well as the site for an upcoming international airport.

My request for setting up the AIIMS at Deoghar is mainly on account of its central location and ease of commuting for the patients from Deoghar-Dumka and Godda region. Deoghar is on the Kolkata – Patna main rail route and also connected with three National Highways.

Deoghar is one of the centre points of the Santhal Pargana region and as you are aware the entire Santhal Pargana region is backward. This area does not have any medical facilities at all and needless to say that with the reduction on public health spending, growing inequalities in health and health care are taking their toll on the marginalized and socially disadvantaged population of Santhal Pargana. This area is prone to malnutrition, with an estimated 75 per cent of children and mothers being anemic.

Accordingly, I would like to once again request that given the availability of earmarked land, the central location, transportation infrastructure and the needs of the people of Jharkhand – it is desirable that the AIIMS be located at Deoghar, Jharkhand and a decision to this effect may be taken at the earliest.

(xii) Need to draw an action plan to bring down casualties on the Mumbai Suburban Railway Zone

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): An urgent action plan is required to bring down passenger casualties in Mumbai Suburban Central Railway Zone. Daily 10 minor injuries, 10 major injuries, 10 deaths occur. Central Railway must finalize action plan for creating/erecting fencing at all major accident spots. There are 35 major accident spots. Coordinated efforts must be made by Mumbai Municipal Corporation, GRP, RPF and Railways for erection of escalators on both sides of all the Railway stations and more FOBs need to be constructed. Attention is also drawn towards the observations, strictures passed by Mumbai High Court on this issue. I urge upon the Hon'ble Minister of Railways to pay attention to this issue and take immediate measures by drawing an action plan to bring down casualties on the Mumbai Suburban Railway.

(xiii) Need to ensure construction of road from Chas to Ramgarh in Bokaro district as per specified norms and standards

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): झारखंड प्रदेश में बोकारो जिला के चास से रामगढ़ तक 78 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य क्रमशः 56 किलोमीटर दो पथीय (टू लेन) और 22 किलोमीटर चार पथ 08.09.2015 को अवार्ड दिया गया है, परन्तु उक्त सड़क का निर्माण कार्य संवेदक द्वारा बी.ए. क्यू और निर्धारित मानक के अनुसार नहीं किया जा रहा है और सड़क का निर्माण तकनीकी ढंग से नहीं होने कारण सड़क के किनारे बाजारों और गांवों के लोगों को सड़क दुर्घटना की संभावनाएं अधिक हैं क्योंकि सड़कों के किनारे जो ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है, उसकी ऊंचाई अधिक है। परिणामतः सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क के बांये-दांये पार करने में काफी किठनाई होगी क्योंकि सड़क के किनारे ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है। सड़क के बाजारों/गांवों के समीप डिवाइडर का निर्माण नहीं होने से दुर्घटना होने की प्रबल स्थिति है। अलकतरा (बिटुमिन) का प्रयोग उचित मात्रा में नहीं होने के कारण सड़क की मजबूत प्रभावित हो रही है।

अतः उपर्युक्त मामले की जांच तकनीकी विशेषज्ञों से कराकर उक्त सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने की कृपा की जाये।

(xiv) Need to set up Coast Guard Station in Hazira, Gujarat

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): हजीरा हमारे देश का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जो कि देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। हमारे देश में आतंकवादी खतरा निरंतर बढ़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से हजीरा क्षेत्र काफी संवेदनशील है। पूर्व में हमने समुद्री मार्ग से पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मुम्बई में 26/11 जैसी बड़ी आतंकवादी घटना का सामना किया है जिसमें देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और काफी लोगों ने अपना कीमती जीवन खो दिया था।

हजीरा समुद्र के किनारे पर स्थित है और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से बहुत नजदीक है। हजीरा में मरीन पुलिस स्टेशन हाल में कार्यरत हैं, परन्तु मरीन पुलिस की एक मर्यादा है और इसको ध्यान में रखते हुए हजीरा में भारत सरकार को गुजरात सरकार के साथ मिलकर एक कोस्ट गार्ड स्टेशन का स्थापना करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

(xv) Need to protect the interests of public sector oil companies

श्री राजीव सातव (हिंगोली): सरकार द्वारा चालित तेल कंपनियां आधुनिक भारत की विरासत है और मुनाफे में है इसलिए इन्हें 'नवरत्न' के नाम से नवाजा जाता है। यह कंपनियां आज भी भारत के 95 प्रतिशत जरूरतों को पूरा करती हैं, यह इन कंपनियों के समर्पित कर्मचारियों के लगन की देन है।

आज ऐसे दिन आ गए हैं कि यह सरकार या तो निजी कंपनियों के पक्ष में नीतियां बना रही है या फिर भारत के नवरत्नों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की तैयारी में है। इससे आवश्यक वस्तुओं के दामों का नियंत्रण भारतवासियों के हाथ से निलकर निजी कंपनियों के हाथ में चला जायेगा। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

एक साल पहले केन्द्र सरकार ने सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप के विक्रेता के चयन के लिए विज्ञापन निकाला था। आज एक साल बाद भी सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप के विक्रताओं का चयन नहीं हो पाया है, परन्तु निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप का आबंटन जारी है। निजी कंपनियों की तरक्की भी होनी चाहिए। उन्हें भी पेट्रोल पंप लगाने चाहिए। पर क्या उनके मुनाफे के लिए सरकारी कंपनियों को घाटे में धकेल देना ठीक है? अगर हमारी सरकारों के पास ऊर्जा और ईधन की कमान ही नहीं रह जाएगी तो भारत का विकास कैसे सुनिश्चित होगा?

मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में कितने Letter of Intents (LOIs) IOC/BPC/HPC/ESSAR/Reliance Industries Ltd and SHELL द्वारा ईश्यू किए गये? सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप के विक्रेता चयन पर रोक क्यों लगी हुई है? एवं भारत सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि नवरत्न कंपनियां का मार्केट शेयर और मुनाफा न घटे।

(xvi) Need to exempt gold and diamond jewellery from excise duty

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग): केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक बजट 2016 में स्वर्ण/डायमंड जेवर पर एक्साईज ड्यूटी आरोपित किया गया है। केन्द्र सरकार का यह कदम स्वर्ण/डायमंड व्यापार के हित में नहीं है। पूरे देश में उसके विरोध में सर्राफा दुकान बंद हैं। सामान्यतः एक्साईज संगठित क्षेत्र में उत्पादन पर लगता है किन्तु सर्राफा में जेवर निर्माण स्वर्णकारों द्वारा किया जाता है जो संगठित नहीं है। भारत के सर्राफा व्यापारी कर देने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। उनका विरोध कर आरोपित करने पर नहीं है, अपितु एक्साईस तथा उसकी जटिलताओं की आड़ में इंस्पेक्टर-राज का विरोध है। सारे व्यापारी स्वयं जेवर निर्माण नहीं करते हैं या अपना कारखाना संचालित नहीं करते हैं, बल्कि जेवरों का निर्माण जॉब वर्क के मार्फत स्वर्णकार (कारीगरों) से करवाते हैं। एक जेवर तैयार होने में 8 से 10 लोगों का कार्य होता है जो कि किसी एक छत के नीचे नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक्साईज की जटिलता का अनुपालन कर्ताई संभव नहीं है। एक्साईज की ड्यूटी हेतु सीमा 6 करोड़ या 12 करोड़ यह महत्वपूर्ण नहीं है, कानून आरोपित होने पर पूरा सर्राफा व्यवसाय एक्साईज डिपार्टमेंट के नियम अंतर्गत आ जायेगा।

सन 2012 में वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी सर्राफा व्यवसाय पर गोल्ड कंट्रोल की आड़ में एक्साईज डिपार्टमेंट द्वारा व्यापारी व स्वर्णकारों की व्यथा का उल्लेख कई भाषणों में किया है। सरकार के इस निर्णय की पुनः समीक्षा कर यदि कराधान आवश्यक हो तो कस्टम ड्यूटी या किसी अन्य मद में ले लेवें। वर्तमान में लगभग पूरा सोना 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगकर ही आ रहा है। सर्राफा व्यापार को एक्साईज ड्यूटी से मुक्त करें व इस आदेश को वापस लें।

(xvii) Need for inclusion of Narikuravar community in the list of Scheduled Tribes

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Narikuravar who are from ancient tribal community in Tamil Nadu were predominantly hunters. They are nomadic and extremely poor. They constitute one of the most deprived and vulnerable communities in Tamil Nadu. Though there had been some changes in the lifestyle of Narikuravars over a period of time, their social and economic status is not sound. At present, just one woman from the community holds the post of Forest Range Officer in Chennai.

In 1965, the Lokur Committee appointed by the Central Government had recommended that the Narikuravar alias Kuruvikkarar community be given ST status. Further, the Tribal Research Centre in Ooty, after extensive research, established that the Narikuravars are tribes. Even the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu had written many a letter to the then Prime Minister on the issue. However the demand is yet to be fulfilled and Narikuravars are not extended the facility of ST status till date.

So, I urge upon the Union Government to extend the ST status to Narikuravars who deserve all the constitutional protection and their inclusion in the list of STs. They urgently need to be provided all the constitutional guarantees envisaged by Article 342 of the Constitution of India to enable them to lead a life of equality and dignity along with other citizen of the country.

(xviii) Need to check illegal importing of Chinese Fireworks

SHRI T. RADHAKRISHNAN (VIRUDHUNAGAR): Indian Fireworks industry ranks only second in the world in terms of volume of production, next to China. The Fireworks Industry in India is centered in and around Sivakasi in the Virudhunagar District of Tamil Nadu and it is fulfilling 90% of the domestic demand for fireworks since its inception in 1930s.

Fireworks in India have been placed in the Restricted List under the EXIM Policy of India and import of fireworks can be done only after obtaining appropriate import licences from the Government of India. Our Government has not so far issued any import licence for fireworks. But it is seen that there is huge inflow of fireworks from China, clandestinely brought into India, in as much as 600 to 1000 containers every year through prominent sea ports of India and by land through Nepal.

Chinese fireworks contain cheap but dangerous chemicals which are banned in India and several other countries. Because of the cheap chemicals used in Chinese fireworks, the domestic industry cannot have level playing field with China. These chemicals and compositions used in Chinese fireworks are dangerous.

There are many cases of Chinese fireworks being seized in India during the past five years, but the seized goods are never destroyed as required under the Explosive Rules, 2008. They again come into the domestic market to devastate the Swadeshi Fireworks Industry.

Considering the pathetic condition of domestic Fireworks Industry, the undersigned had raised the issue in the House to completely stop the entry of illegal Chinese Crackers in the market. Hon'ble Minister of State (Independent charge) for Industry and Commerce was kind enough to assure in the House that necessary action will be taken in the matter. Subsequently, the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry banned illegal

import, possession and sale of fireworks of foreign origin during the Deepavali Festival of 2014. However, this does not have desired impact as only 30 percent of the manufactured crackers in Sivakasi could be sold since Chinese crackers flooded the North Indian markets. Even during the recent Deepavali function of 2015, import of Chinese crackers illegally continued affecting domestic market adversely.

Considering the seriousness of the problem, I urge upon the Union Government to take stringent action against illegal importing of Chinese Fireworks.

(xix) Need to construct a fly-over at Bandel Junction railway station

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): There has been a long pending demand from the people of my parliamentary constituency for construction of a fly-over at Bandal Junction railway station from Bandel G.T. Road crossing up to Debananadpur, Kazidange crossing, Hooghly district in West Bengal. Many important trains connecting Howrah, Sealdah, Kolkata from North Eastern and North Western India pass through Bandel Junction railway station. I would like to state here that during rainy season Bandel station road gets submerged under water with the result a lot of people face insurmountable problems if they want to reach Bandel station. Added to this, underpass of Bandel station gets inundated resulting in more troubles for common people using the Bandel Junction railway station. Under such circumstances, I would strongly urge the Railway Minister that the genuine and long pending demand of construction of flyover at Bandel junction railway station from Bandel G.T. Road crossing up to Debanandpur Kazidange crossing may be considered.

(xx) Need to set up a unit of CRPF at Bhawanipatna, the district Headquarters of Kalahandi

SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): My parliamentary constituency Kalahandi has been affected by naxalites and Left Wing Extremism (LWE) for the last one decade. All border districts of Kalahandi are also affected by LWE and has common border with Chhattisgarh. It usually takes more time for movement of paramilitary force from Sambalpur regional centre in case of any LWE attack. To counter such type of attack in future one CRPF unit may kindly be set up at Bhawanipatna, the district Headquarters of Kalahandi. I request the Government to take urgent step to set up CRPF unit at Bhawanipatna during the current financial year 2016-17.

(xxi) Need to declare river cleaning projects as National Projects

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): First of all, I congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and Minister of Water Resources Uma Bharti ji for undertaking a herculean task of cleaning river Ganga. There have been many attempts in the past to clean the holy river, however the sheer scale of this challenge is so mammoth that in spite of our best efforts and even after spending thousands of crores of rupees, we are faced with new challenges every time. However, the commitment and intent with which the present government has undertaken this task gives confidence to crores of Indians who worship river Ganga.

Like Ganga, many rivers in India are in urgent need of cleaning and rejuvenation. Sadly we have criminally neglected our rivers and have turned many rivers in Nallahs and gutters by discharging untreated sewage into them.

Today, we are thinking of linking rivers to overcome the scarcity and flood issues. However, we need to urgently undertake the river cleaning projects across all states.

In my Kalyan constituency, Waldhuni and Ulhas are two main rivers. Entire Thane district draws water from Ulhas river though it is highly polluted. Waldhuni river has already been turned into Nallah. The state government had formed 'Waldhuni River Authority' on the lines of 'Mithi River Authority' in Mumbai. The said authority has prepared a detailed plan for cleaning Waldhuni. However, it requires a budget of Rs.650 crores, which neither the state government nor local bodies are in a position to spend.

National Green Tribunal, in July 2015, had imposed the collective fine of Rs. 100 crore on the local bodies which was to be used for the cleaning of Waldhuni and Ulhas. These bodies are unable to pay this fine and they approached the high court and got the stay.

However, this has not solved the problem. The financial position of these local bodies is precarious and they cannot undertake large projects without the help of either the state or the central government.

I am sure there would be many such rivers across the nation requiring thousands of crores of rupees and the financial position of all the local bodies across the nation is more or less the same. Therefore, I sincerely urge the honorable Prime Minister to take a policy decision to declare river cleaning projects as National Projects and set up a separate fund for it so that these projects can be taken up in time bound manner.

(xxii) Regarding six-laning of National Highway No. 16 between Vishakhapatnam and Ichapuram in Andhra Pradesh

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Ji's dream was to ensure that all parts of India get road connectivity and therefore he strived hard to ensure the same. The Golden quadrilateral project that he dreamt and gave shape to, has ensured that millions of people have this basic right of connectivity. The town Ichapuram in my constituency is one of the most backward and underdeveloped regions in the state and country. It is the northernmost part of Srikakulam and it shares its borders with Odisha. The National Highway 16 that passes from Visakhapatnam to Ichapuram is a lifeline for the people of this town. National Highway No. 16 has been upgraded to six lanes in most of its parts but some areas have still not been upgraded, one such area being the stretch between Visakhapatnam to Ichapuram. There is an urgent need to upgrade this stretch to six lanes as the traffic has increased by leaps and bounds on this stretch. As the Government is aware, there is a proposal to construct a new international airport at Bhogapuram and this upgradation will provide better connectivity to the people. Therefore, I request the Government to take up the six laning of this stretch on priority.

(xxiii)Need to establish an Agriculture Research University in Murshidabad, West Bengal

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Murshidabad district is situated in the middle of West Bengal and is famous for huge jute farming and horticulture. Jute is a cash crop and earns foreign exchange also. There is a vast scope of modernization of jute cultivation and jute industry. To modernize the jute cultivation and jute industry, there is a need to establish one Agriculture Research University on Jute & Horticulture in Murshidabad. To establish this University in Murshidabad, land is available with the Estate Manager and vast land is also available at Chandipur Government Agricultural Farm. Near Chandipur, there is a Krishi Vikas Kendra (K.V.K.) also. Though huge amount of Mangoes, Lichis, Bananas, Guava and various types of vegetables are also produced in Murshidabad, the cultivators and educated youth from farming community are not well-versed with the present scientific procedure of farming. If an Agriculture Research University is established in Murshidabad, the entire district will be benefitted.

So I urge upon the Government to take initiative to establish an Agriculture Research University in Murshidabad.

(xxiv) Need to construct bridges over Kumhari and Jirain rivers on National Highway No. 82 in Nalanda parliamentary constituency, Bihar

श्री कोशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा में बिहार शरीफ से बरबीघा के बीच एनएच-82 पर पुलों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन इस खंड पर कोई न कोई दुघटना होती ही रहती है। अस्थावाँ ब्लॉक में कुम्हरी नदी और जिराईन नदी पर दोनों पुल जर्जर हालत में हैं। कभी भी यह पुल टूट सकता है। इन दोनों पुलों से गाड़ियां धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं, जिसके कारण हमेशा जाम लगा रहता है। इसी प्रकार जाना नदी में कटाव के कारण पुल बह गया। वहां पर अस्थाई व्यवस्था कर डाईवर्जन करके यातायात चालू किया गया है। इसे तुरन्त बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अतः मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एन.एच. 82 पर कुम्हरी नदी एवं जिराईन नदी पर पुल का निर्माण कराए जाने के साथ ही जाना नदी पर भी नए पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें।

(xxv) Need to release fund for centrally funded environmental initiatives in Kerala

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The National Green Corps and the National Environment Awareness Campaign are two major grass root level environmental initiatives in Kerala. These programmes have made remarkable progress in recent years. The programmes are centrally funded. The Union Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEFCC) communicated to the State Science & Technology establishment that funds would not be available The decision of the Central Government is against a well for this year. implemented participatory programmes for creating environmental awareness. The climate change and unscientific intervention to the environment are two major issues, creating awareness among the people particularly in student community is highly essential for conservation of environment and sustainable development. These programmes are operated through a network of different agencies such as NGOs, educational institutions, youth organization, government departments and local bodies. These programmes are helpful for giving environmental messages on specific themes to targeted groups. The decision of Ministry of Environment, Forest and Climate Change to suspend the fund for the programmes is not fair and justifiable. It is highly necessary to release fund for the programmes.

Hence I urge upon the Government to issue immediate direction to release fund for the centrally funded environmental initiatives in Kerala.

12.54 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation arising out of recent terror attacks at Pathankot Airbase

HON. SPEAKER: Now we will take up discussion under Rule 193. Shri Kalikesh N. Singh deo *ji*.

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): महोदया, पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ था वह महज़ आतंकवादी हमला नहीं था। वह हमारे देश के सशस्त्र बलों की बुनियाद को कमजोर करने की साजिश थी। वह दिखाना चाहते थे कि हमारे देश की आर्म्ड फोर्सिस स्वयं की रक्षा करने में नाकाम हों तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। That is what the terrorists wanted to portray. That is why the incident of terrorists attack on Pathankot is so important. It is not just a mere terrorist attack. It has a larger ramification.

Madam Speaker, let me state the unequivocal support of my political party and myself, as an individual, to the Government for their fight against terror. It does not matter which Government holds the seat. We must, in this House, rise as one to combat the battle against terror, especially, that of externally sponsored terror. While we mourn the death of the people who died in the attack including the Lieutenant from the NSG, we must also question the reason why they have died. Nowhere in the world, in terrorist attacks, do we have so much collateral damages from security forces as we have seen in India. It is not new to the Pathankot incident. We saw the damages in 2008, when the Taj incident took place. We have seen it again in Pathankot.

Have we learnt our lessons from past incidents? That is what we have to ask ourselves. Did we have enough warning on these incidents? Did we act correctly? Did we act as per an established protocol to address counter-terrorism issues or do we act on the whims and fancies of the Government in power? Was the decision making centralised? Was it fairly democratic giving one command and control rather than what is being reported in the papers – confusion among the forces on who rides the operation? This is what we must tend to ask ourselves.

The one good decision the Government made and we must congratulate them for that is to ensure that all the critical assets – all the Mig-21, all the attack helicopters – were removed once the information was confirmed that a terrorist attack was going to take place. But, I do not know who to thank. I am not clear whether the decision to do that was taken by the Defence Minister as it should have been or whether the decision to remove those attack helicopters was taken by the Home Minister or the NSA. There is confusion in this entire incident as to who took the decision, who masterminded the operation and who does the credit or the blame finally restate.

There are conflicting reports in newspapers on this. The NSG was called in. That was the first and the most critical decision. The NSG, an urban assault or a Counter-terrorism Unit, is used for hostage crisis. The NSG was called in to battle against four to six terrorists. We did not know how many terrorists there were until yesterday when somehow after three months the Government has come to the conclusion that there were six terrorists. Was the NSG the correct choice? This is the first question that we need to ask the Government. When there are 50,000 armed forces stationed in Pathankot, who have experience of fighting with terrorism in Kashmir, was the NSG the correct choice? What were the reasons for calling the NSG? Does the Army Chief and the Air Force Chief not have the faith in their own cadres to have battle such an encounter? What happened by the NSG being called in? I call it a critical mistake with authority? What should have been a large force operation defending the perimeter of the Air Force base got converted into a small force operation... (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, there is another meeting going on. That shows the seriousness.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आपस में बातचीत नहीं करें। बहुत सारी आपस में बातचीत हो रही है, मेरे भी कानों तक पहुंच रही है। I do not understand as to what is going on here.

13.00hours

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, this issue reflects the gravest of security threats to our nation. I would urge the hon. Members of the entire House to be patient, to support this issue by listening to it, by speaking on it and supporting the Government in their fight against terrorism.

Madam, as I was saying, by the NSG being called in, a large force operation which should have guarded the perimeter of the Air Force base got converted into a small force operation. The NSG, because they are a few in number, a mere 150 or 200 had to wait for the terrorists to attack. It took them 48 hours to locate the terrorists and have the encounter. Whereas in Paris when the terrorists attack happened, it took two hours for them to find the terrorists, to kill them and finish the encounter. Here the encounter went on for more than a day. At a time when the Home Minister himself, on January 2nd, tweeted, "I congratulate our Armed Forces and the other Security Forces on successfully neutralizing all the five terrorists in 'Pathankot operation'." This tweet was later on retracted. The Defence Minister himself tweeted on January 2nd at 9 p.m. "I compliment the security forces for swift and effective response. I salute the brave martyrs for making the ultimate sacrifice while protecting our motherland."

Madam, the following night at 12.30 p.m. one, two or three more terrorists were detected. In a situation like this in 2001, the GoM had published a Report saying a Crisis Management Group could be formed. The Orders for addressing such a crisis was to come from the Crisis Management Group.

My first question to the hon. Home Minister is this. Was a meeting of the Crisis Management Group convened to address this issue? The Crisis Management Group itself not only coordinates between different security agencies and intelligence agencies but also monitors the message going out to the Press, the statements by the Ministers. If the meeting of that Group had been convened, then conflicting statements would not have gone out from the Government.

Madam, again this is not a political issue. It is a matter of establishing protocols; it is a matter of establishing procedure so we, in the future, can fight against terror.

Madam, did the Government have enough warning? On 31st of December at 8 o' clock, the taxi driver, Ikagar Singh was killed. At 3 o' clock in the morning, the Police Superintendent, Salwinder Singh was kidnapped. The night earlier, he called the Punjab Police and confirmed to them that four to five members dressed in Army fatigues having assault rifles have kidnapped me and I have got free. I understand from Punjab sources, from the Punjab Police and from newspaper reports that the Punjab Police was trying to get in touch with the Home Ministry, was trying to get in touch with NSG but it could not get through. The Offices were shut; the mobiles were shut. Do we not in the country like ours have a system where we can actually communicate with the security forces and intelligence agencies or do we have to wait for 9.30 a.m. or 10 a.m. in the morning for the Officers to come before we communicate to them?

Madam, this is not new. Even when the Indian Airlines plane was taken hostage in 1999 the Crisis Management Group had met. They tried calling Amritsar at that time to stop the plane; they tried calling various Airport authorities; their numbers had changed then and they could not get through.

Is this the level of preparedness that we have as a nation? I am not blaming one Party or the other. What I am trying to point out, Madam, is the need to address this issue.

Madam, we had more than 48 hours of Intelligence warning. At nine in the morning on January 1st, the IB had got confirmation about the kidnapping of the SP and the killing of the taxi driver. We did not think it necessary to try and warn the Defence establishments, the two major Government targets in Pathankot that such a threat was emanating in that Region. It was only at Lunch time when they found the recorded messages of the SP's phone, which was being used by the terrorist and when the terrorist himself said: "I am at the base. I am going in for a

suicide attack, and the mother of the terrorist asked: "तुमने खाना खाया बच्चे?" These are recorded conversations, Madam. It is only when the terrorist himself says: "I am at the base, I am going to attack", that the intelligence agencies wake up and say that the attack is imminent.

Madam, the capabilities of our intelligence agencies are not for collecting information from newspaper reports or from websites as has been proved in the past. Their capacity is judged by synthesising that information into collectible, actionable intelligence, which can be acted upon.

Madam, 3.30 pm on Ist January was when the NSA called the meeting with the Joint Chief. The decision to send the NSG was taken at 4.30. The NSG arrived at 8.30 in the evening. But was the NSA aware or was the Home Ministry aware that the NSG does not have long range night vision equipment? They are unable to effectively deal with encounters at night because they do not have the equipment. Crores of rupees have been given but not spent. Seventy-two items are still missing from the NSG's requirement, which were listed after 2008.

Madam, do we still keep waiting for the Governments to change in order to fulfil their requirement? Are we serious about our fight against terror? The IB has 20,000 personnel, 5,000 of which are in the field. That means, some are kept for analysis. A majority of them are drivers, clerks, peons etc. The RAW has 9,000 operators. In the US itself, there are 500,000 intelligence operators, which have the highest security clearance. Are we prepared to fight against terror? Are we serious about our fight against terror? That is a question, we must ask ourselves. Unless we equip our Forces, unless we equip our intelligence agencies in order to try and do their job properly, we will always fail. I say, fail, Madam for a certain reason. A terrorist attack is judged on three or four basic points. By them, achieving their objective or not. By us, being able to stop them in a timely manner. By ensuring that we have not collateral damage.

Madam, again, I ask, did we need to lose the seven people? The lieutenant from the NSG who died, died by the rigged bomb on the dead body of a terrorist.

He died and four other people were injured. The Army faces this routinely in Kashmir. If the Army had been deployed, if the combing had started, if the parameters had been guarded, the situation would have been different. The Army is used to these mechanisations of terrorists. They are used to the fact that these kinds of tricks are involved.

Madam, the NSG, even though it was being headed by an Army in operation, ultimately lies under the police. They are not for counter terrorism. They are for urban assault and hostage situation as has been reported in the papers in the form of a statement made by the NSG commander himself.

Madam, there is a confusion about the manner in which decisions were being taken. I would like a categorical answer from the Home Minister that in this particular encounter or for that matter, in encounters in the future, who is the person we must turn to, for accountability? Who is the person we must turn to for decision-making? Is there an established protocol under which these decisions are taken? Or, is it left again to the Government in power to decide? I know in the past also, the NSA had usurped the decision-making power; and it may be a well thought out decision of the Government to do so. But then, he must tell us that in the fight against terrorism, in counter-insurgency matters and in hostage situation, it is not the Home Ministry, it is not the Defence Ministry but it is the NSA, which is responsible. Even though, tomorrow, a General of the Army may be kidnapped.Can the Defence Ministry wash its hands off at that time?

Madam, this particular incident brings to light many deficiencies in our system. 50 kilograms of ammunition and 30 kilograms of grenade were taken in the SP's car for 30 kilometres from the point they took the car into the perimeter of the base. Nobody saw it. Nobody, the Punjab police and other security agencies, saw it. Madam, the Defence Service Corps used to guard the airbase for 24 hours. They also could not detect the terrorists moving around and they moved around from four points – from point one to point two to point three to point four. For 24 hours, no defence establishment saw it. What were they doing?

Madam, the NIA went to investigate it.

HON. SPEAKER: Try to conclude.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: I understand and I appreciate it. I am going to finish fairly quickly. Please give me a few minutes.

Madam, the NIA went to investigate it. As I was telling you earlier, we had no idea how many terrorists they were. It has just been informed to us in today's newspaper that six terrorists existed. What was the SP doing at 0230 hours in the morning? He was driving in a car with his cook and his friend. He was in his official car. We know that he is a diamond jeweler in Punjab. It was so reported. We know in Punjab the nexus of narcotics smuggling and arms smuggling. It is repeatedly being used by our neighbours. They go on infiltrating our borders. Why cannot we put a stop to that? The Army controls 20 kilometres of the border. The BSF controls 34 kilometres. They have been asking you for more troops. But troops have not been given.

As per the police investigation, he has been left after that. I do not know the facts. I cannot comment on it. But I would highly suspect that there is nexus somewhere. We have a mole. These attacks could not have been planned without support from our side. They knew the layout of our camp. In fact, the NSG did not know the layout of the camp. They had to be apprised and that left them shorthanded. The terrorists knew the layout of the camp.

I am all for friendly relationship with Pakistan. The Prime Minister went in and was there for the birthday celebration of the Pakistani premier. I support good relationship between India and Pakistan. But they must also be held accountable. Having a cup of tea with them or having a dinner with them is not the solution. At what cost do these gestures hold? I remember that in the last Parliament tenure, it was the Leader of the Rajya Sabha, who told me that not talking to Pakistan is also a strategic decision. If we do talk to Pakistan, we must hold them accountable. We know from the recording that Jaish-e-Mohammed was involved in coordinating this terrorist attack. Why is it that Masood Azhar is still roaming free in Pakistan? Are we putting enough pressure on Pakistan to arrest him and not just give slips and bits and make us happy?

Lastly, I would like to say through you, in this entire incident, our country has suffered. We keep laying political blame-game on each other. Even though we have tried with our limited resources to shore up our anti-counter terrorism systems, we continue to be one step behind the terrorists.

Madam, it is time this entire House wakes up to reality. It is time we, as a Government, put our resources and fight against terror. We shore up our intelligence agencies because we know there is a huge deficiency there. We ensure that a strict protocol is maintained, a procedure is defined and announced which is enacted in the US but it remains just a procedure here in India whereby we can actually ascertain and deal with such terrorist encounters.

Madam, with that, I would like to thank you for allowing me to raise this Discussion under Rule 193. Thank you very much.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.

13.15 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

14.18 hours

The Lok Sabha re-assembled at Eighteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Anandrao Adsul in the Chair)

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation arising out of recent terror attacks at Pathankot Airbase...Contd

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Chairman, Sir, the time allotted to the Short Duration Discussion is two hours. We have to adhere to the time schedule because there are other important issues and Bills also. I request the Chair to see that equitable justice is done to all on both sides of the House.

HON. CHAIRPERSON: I will do that. Thank you.

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): महोदय, धन्यवाद। आज मैं किलकेश नारायण सिंह देव जी द्वारा लाये गये प्रस्ताव पठानकोट के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने केवल कुछ प्वाइंट्स उठाए, लेकिन जो मुझे लगता था कि इसमें काफी हीट हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, एक अच्छी बात यह हुई कि यह पार्लियामेंट सेन्सिबल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है और जो ईश्यू हैं, क्योंकि पठानकोट कोई पहला ईश्यू नहीं है। 1946-47 के बाद से यदि घटनाओं को हम देखें तो चाहे चाइना का वार हो, पाकिस्तान का वार हो, पुरुलिया का डिप्लॉयमैंट हो, मुम्बई का अटैक हो या पार्लियामेंट का अटैक हो, यदि उन घटनाओं में हम जाना चाहेंगे तो किसकी कमीज़ ज्यादा साफ है और किसकी कमीज़ गंदी है, यदि यह राजनीति हो जाएगी तो आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जो पूरे देश को एक होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं परेशानी नज़र आती है और लोगों के सामने यह मैसेज जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर, नक्सलवाद के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, बेरोज़गारी के मुद्दे पर कहीं न कहीं पार्टियाँ बँटी हुई हैं। इसीलिए मैं कलिकेश सिंह देव साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया, वह राष्ट्र के हित का मुद्दा उठाया।

लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो अपने वक्तव्य में उठाईं या बात करते हुए उठाईं, उसमें सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में कोआर्डिनेशन क्या है। एक तो पठानकोट में आर्न्ड फोर्सेज़ की सबसे कम कैज़ुएिलटी हुई। आपको पता है कि एनएसजी का केवल एक ही कमांडो वहाँ मरा। समय ज्यादा लगा क्योंकि छः आतंकवादी थे। फौरेन्सिक की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन कांस्टीट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। इस देश में हम कोआपरेटिव फैडरिलज़्म की बात करते हैं। यहाँ एक चर्चा करने का सवाल है कि कांस्टीट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। क्यों इस तरह की पठानकोट जैसी घटनाएँ होती हैं, क्यों मुम्बई जैसी घटनाएँ होती हैं? आप इंटैलिजैन्स को फेल्योर कह देते हैं कि इंटैलिजैन्स फेल्योर हो गया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सचमुच इंटैलिजैन्स फेल्योर हो जाता है लेकिन उसकी मौरेलिटी को, उसके मौरल को कौन खत्म करता है? अभी इशरत जहां की बात करते हुए आपको पता है कि मैंने कहा कि यह लड़ाई इंटैलिजैन्स वर्सेज़ इनवैस्टिगेशन है। यदि वह कोई इनपुट दे देता है और उस पर कार्रवाई हो जाती है और आप इंटैलिजैन्स को यदि दोषी ठहराएँगे और उसी को आप प्रॉसीक्यूट करने की बात करेंगे, तो आपको लगता है कि आप अमेरिका की तरह 5000 की फोर्सेज़ खड़ी कर लो, अमेरिका की तरह 20000 की फोर्सेज़ खड़ी कर लो, वह 20000 प्यून और कर्मचारी नहीं होंगे, वे केवल और केवल इंटैलिजैन्स के लोग होंगे तो भी आपको कोई सही सिचुएशन क्या दे पाएगा?

दूसरा सवाल यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपने सबसे बेसिक सवाल उठाया कि लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है, लॉ एंड ऑर्डर हम स्टेट का विषय मानते हैं। कांस्टीट्यूशन के अंदर इसको स्ट्रैन्गथैन करने का तरीका क्या है कि आर्टिकल 352 और आर्टिकल 359 जो कांस्टीट्यूशन के हैं, आप उसको मज़बूत करिए जिससे सैन्टर स्टेट में प्रीवेल कर पाए कि हमें जब आवश्यकता होगी, हम ला एंड आर्डर संभाल लेंगे। यहाँ वह सिचुएशन नहीं है क्योंकि जो स्टेट की गवर्नमैंट है, वह इलैक्टेड गवर्नमैंट है। जो पठानकोट की घटना है, वहाँ सब कुछ के बावजूद भी एक इलैक्टेड गवर्नमैंट है - पंजाब की सरकार है। यह बुलाने का जो सवाल है, आप 352 और 359 को क्या स्ट्रैन्गथैन कर पाने की स्थिति में हैं या किसी सरकार में यह हिम्मत है कि वह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डायरैक्टली सैन्टर में ले लें जब तक आप राष्ट्रपति शासन इंपोज़ नहीं करते हैं?

एक सवाल यह है कि जो पावर ऑफ इश्यू डायरैक्टिव्स अंडर 256 और 257 जो हैं, वह एक तरफ प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को और आर्टिकल 352 को मज़बूत करता है और दूसरी तरफ आर्टिकल 355 का जब भी आप उपयोग करते हैं, तो राज्य कहते हैं कि आप हमारे यहाँ एनरोड कर रहे हैं। तो इस पार्लियामैंट को यह सोचना है। मैं पठानकोट से ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं पार्टिज़न एंगल पर किसका दोष था, किसका दोष नहीं था, एनएसजी ने क्या किया या क्या नहीं किया, वह नहीं कहना चाहता। मैं केवल

यह कहना चाहता हूँ कि इस पार्लियामैंट के लिए यह विचार का समय है क्योंकि समय-समय पर जिस तरह से श्री सिक्देव ने कमेटी बनाई और कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी सुब्रह्मणयम के नेतृत्व में और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका जिक्र आपने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाओ और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत बड़े-बड़े लोग थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने जो रिकमंडेशन किया, उस रिकमंडेशन को हमने किस तरह से माना?

इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि सैन्ट्रल फोर्सेज़ का जो डिप्लॉयमैंट है, वह सुओमोटो नहीं हो सकता है। आपने कहा कि सैन्द्रल फोर्सेज़ ने इस पर कैसे सुओमोटो विचार नहीं किया। जब तक राज्य उसको मांगेगा नहीं तो सुओमोटो सैन्ट्रल फोर्सेज़ का डिप्लायमैंट नहीं हो सकता है। आप इसके लिए क्या करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद जो पावर, ज्यूरिस्डिक्शन और डैफिनिशन है कि एंट्री 2ए में जो आपने यूनियन लिस्ट में दिया है कि सैन्ट्रल फोर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या हम उसको आज बदल पाने की स्थिति में हैं क्योंकि देश के हालात बहुत खराब हैं? हम प्रॉक्सी वार से जूझ रहे हैं और एक नहीं, रोज़ जुझते हैं। रोज़ हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज़, रोज़ हमारी आर्मी और सिविलियन्स की कैज़्एलिटी हो रही है चाहे जम्मू कश्मीर का सवाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का सवाल हो। क्या उसको हम बदल पाने की स्थिति में हैं? इसके बाद जो एडवाइज़रीज़ बार बार होम मिनिस्ट्री जारी करती है जैसे मैं बताऊँ कि इसके लिए भी आपको पहले से पता था और वह एडवाइज़रीज़ जारी की गईं, रोज़ जारी करते हैं। वे एडवाइज़रीज़ आर्टिकल 365/352 में, उन एडवाइज़रीज़ को जब स्टेट सीरियसली नहीं लेती है तो हम क्या कर पाने की स्थिति में हैं? मेरा इस पार्लियामैंट और इस देश से सवाल है कि यदि कहीं कोई अटैक हो जाता है, कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो आप सीधा सीधा केन्द्र सरकार को दोषी ठहराते हैं। लेकिन राज्य सरकार जो इन सारी चीजों का वॉयलेशन कर रही है, इसके ऊपर पार्लियामैंट को सोचना चाहिए। ...(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : फिर तो पंजाब सरकार का फेल्योर है, आप ऐसा बोलिये। ...(व्यवधान) श्री निशिकान्त द्वे : मैं सभी जगह की बात करता हूँ। क्या मुम्बई की सरकार फेल नहीं हुई? आपने अपने मुख्य मंत्री को क्या नहीं हटाया? वे रामगोपाल वर्मा की फिल्म नहीं बना रहे थे क्या? मैं कह रहा हूँ कि इस डिबेट को पार्टिज़न एंगल पर नहीं ले जाइए। ... (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूँ कि इसको पार्टी के एंगल से मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 1995 में जाकर एयरड्रॉप हो गया, पूरा का पूरा आर्म्स और एम्युनिशन गिर गया, वहाँ की स्टेट गवर्नमैंट दोषी नहीं थी क्या? 1995 में किसकी सरकार थी? क्या सीपीएम उसके लिए दोषी नहीं है? एनसीपी के समय 1993 में मुम्बई के अंदर बम ब्लास्ट हो गया तो आप उसको दोष देंगे? मैं यह कह रहा हूँ कि सारी पोलिटिकल पार्टियाँ पार्टिज़न एंगल से ऊपर उठकर चलें। मैं 1993 के

बम ब्लास्ट की बात नहीं करता, 1995 की पुरुलिया की बात नहीं करता। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं जिनके आधार पर आज इस पार्लियामैंट को इस पठानकोट के बाद सोचने की आवश्यकता है। मेरा यह कहना है कि जो डिप्लॉयमैंट है, अभी किलकेश सिंह साहब ने बताया डिप्लायमैंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज़। वे ज्यादा समझते हैं क्योंकि इनके ससुर साहब खुद नेपाल के आर्मी चीफ रह चुके हैं। आप यह बताइए कि डिप्लॉयमैंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज़ कैसे होता है? डिप्लॉयमैंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज़ का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसको एसओपी कहते हैं। "… The Standard Operating Procedures (SOPs) for doing this are laid down in the Instructions on Aid to the Civil Authorities by the Armed Forces, 1970/SOP of CPMFs…". उसमें क्या है कि जब तक आर्मी को आप बताएँगे नहीं, बुलाएँगे नहीं। कौन बुलाएगा, कौन बताएगा - स्टेट गवर्नमैंट। मैं आपको बताऊँ कि यदि कोई बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ हो जाता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में इतनी बाढ़ आ गई तो स्टेट गवर्नमैंट ने मांगा और वहाँ से कहा कि हमें आर्मी की आवश्यकता है। जिस एयर फोर्स स्टेशन की बात आप पठानकोट में कर रहे हैं, मुझे तो कभी जानकारी नहीं है। यहाँ डिफेन्स मिनिस्टर बैठे हैं, व ज्यादा सही ढंग से बताएँगे कि कोई एयरफोर्स का आदमी लड़ाई करता है। एयरफोर्स का आदमी प्लेन लेकर जाता है, दुश्मन के देश में बम गिराता है और उसके बाद वह वहाँ से वापस लौट जाता है। … (व्यवधान)

श्री कलिकेश एन. सिंह देव : एयर फोर्स की स्पेशल फोर्स 'गरुड़' पठानकोट में डिप्लॉय हुई थी।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : मैं आपको बताऊँ कि यदि आप आर्मी को सीधे भेजते हैं , आर्मी यदि सीधे सुओमोटो चली जाती है, मैं सिर्फ एक कांस्टीट्यूशनल प्रोविज़न की बात करता हूँ कि आर्मी को यदि आप सुओमोटो भेजते हैं तो "such responses conflict with the provisions contained in Section 130 Criminal Procedure Code (Cr.PC)". सीआरपीसी के आधार पर आप उसका वायलेशन करते हुए नज़र आएँगे। तो क्या सीआरपीसी का जो 130 कोड है, हम उसको बदल पाने की स्थिति में हैं? यह बड़ा सवाल है। हम कह रहे हैं कि जितने अटैक होते हैं, जैसे पार्लियामैंट पर ही अटैक हो गया, कारगिल पर अटैक हो गया, मुम्बई ब्लास्ट हो गया, पठानकोट की चर्चा हम कर रहे हैं। हम जब सारी चर्चा करते हैं तो बार बार यही चर्चा करते हैं और हम फिर उसमें वापस हो जाते हैं। आज पोलिटिकल स्कोर करने का समय नहीं है। आज सवाल यह है कि क्या क्या समस्याएँ हैं, इस फैडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या समस्याएँ हैं, केन्द्र सरकार के सामने क्या क्या समस्या है और अपने यहाँ जो मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट बैठे हैं, क्या इस कानून

को चेन्ज करने की स्थिति में हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यदि आप एक अंगुली किसी के ऊपर उठाएँगे तो चार अंगुलियाँ अपने ऊपर आएँगी। यहाँ बैठी हुई कोई पार्टी ऐसी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि ओडिशा में नक्सलवाद है। यहाँ जो मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हैं माननीय झीना हीकाका साहब, उस वक्त वे वहाँ एमएलए हुआ करते थे। यदि उनको छोड़ने की बात आई तो किसी को तो छोड़ा। नक्सलवाद और टैरिएज़्म को आप एक ही हिसाब से मानिये। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो समझौता नहीं कर रही है। समझौता किस परिस्थिति में कर रही है, वह दूसरा सवाल है। इसीलिए इसको स्ट्रेंग्थेन करने की बात है कि हम इसको कैसे करेंगे और रूल ऑफ लॉ कैसे लाएंगे? आपने कहा कि कन्फ्यूजन है। आपने कहा कि एनएसए का ... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगवा किया गया था वहां से, वह यहां फिर आकर मंत्री जी का प्राइवेट सेक्रेटरी भी बन गया, तो आप कहेंगे कि वहां कुछ समझौता हुआ था।

श्री निशिकान्त दुवे: निश्चित तौर पर और अभी वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरह से अफजल गुरू को और भारत को आजाद करने के नारे लगाने वाले लोगों के साथ खड़ा है, जिस तरह से फेस बुक पोस्ट किया, आप उसको क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं। यह देश जिस तरह से बनाना रिपब्लिक बन गया है, मैं तो आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दुबे जी, एड्रेस टू दि चेयर प्लीज।

श्री निशिकान्त दुवे: आज सोचने का सवाल है। सोचने का सवाल यह है कि डिफेंस मिनिस्टर के बीच में कन्फ्यूजन हो गया, होम मिनिस्टर के बीच में कन्फ्यूजन हो गया कि एनएसए कर रहा है। एनआईए बनाया गया। टेरर के लिए एक अच्छी संस्था भारत सरकार ने एनआईए बना दी। हम सब लोग एग्री करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एनआईए का आफिस सभी स्टेट्स में बनाने की बात आई तो क्या इसी पार्लियामेंट में हम सभी लोगों ने, खासकर जो रीजनल पार्टी के लोग थे, क्या उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? उन्होंने कहा कि हमारा लॉ एंड आर्डर का विषय है, मैं कह रहा हूं कि आज ये चीजें सोचने का सवाल है। एनआईए का विरोध आपने किया या नहीं और जब आप एनआईए का विरोध कर रहे हैं, एनआईए के आफिस का आपने विरोध कि यदि स्टेट में आ जाएगा तो लॉ एंड आर्डर जो हमारा विषय है, मुख्यमंत्री के नाते जो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं प्रहार हो रहा है। आज आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि एनआईए इस तरह का काम क्यों नहीं कर रही है, वह प्रोएक्टिव काम क्यों नहीं कर रहा है? जब आप उसको आफिस ही नहीं देंगे, जगह ही नहीं देंगे, व्यवस्था ही नहीं देंगे, तो क्या आपको लगता है कि यह सारा कुछ होने वाला है? जो बातें आपने कहीं कलिकेश साहब, वह आप खुद ही काटते

हैं। आप अपने मुख्यमंत्री को यदि तैयार कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरा का पूरा 356, 352, सीआरपीसी का 130, एनआईए की पोजीशन, यह सब करने की स्थिति में यदि हों, यदि मजबूत सेंटर बन जाए, यदि हम किसी के ऊपर क्वैश्चन उठाते हैं कि होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, तो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। ...(व्यवधान)

इसी सदन में 6 सितम्बर, 1965 को वाई वी चह्वाण साहब ने, जब पाकिस्तान का अटैक हो गया था, तो यह कहा था कि यह हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, यह एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, यह लड़ाई देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ है। इसीलिए हम लोगों को इन सभी चीजों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है और जब तक देश यूनाइट नहीं होगा, तब तक कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। इसी पार्लियामेंट ने उनको मैनडेट दिया था। वर्ष 1965 की लड़ाई के बाद क्या हुआ, किस तरह से पाकिस्तान हारा, वर्ष 1971 की लड़ाई में हमने किस तरह से उसको हराया, यह इतिहास गवाह है।

वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश की चीजों के बाद वर्ष 1980 के बाद से इस देश में एक प्रॉक्सी वार चल रहा है। प्रॉक्सी वार में हमारी स्थिति क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारे पास फंड क्या है? आज आप समझिए कि 14,880 किलोमीटर का हमारा पूरा का पूरा बार्डर है, 92 जिले को वह क्रॉस करता है, 17 स्टेट्स को क्रॉस करता है। जो हमारी कोस्ट लाइन है वह 5,422 किलोमीटर है। वह 12 राज्यों को क्रॉस करती है यूनियन टेरेटरी को, उसमें से 1197 हमारे पास आइलैंड है। यह देश को सोचने का सवाल है कि इतना बड़ा लैंड बार्डर है, इतना बड़ा कोस्ट बार्डर है और इतना बड़ा आइलैंड है। मैं इसलिए यह बात कहता हूं, जैसे चाइना है, कंबोडिया तक आपको पता है कि स्ट्रैटिजिक रेल ले जाने वाली है, चीजें ले जाने वाली है और यहां अंडमान निकोबार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वे रोज चिल्लाते रहते हैं कि अंडमान का कुछ करिए। ...(व्यवधान) मैं पठानकोट पर ही आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पठानकोट में क्या-क्या समस्या है, पठानकोट क्यों हुआ? ...(व्यवधान) पठानकोट में जो हुआ, मालदा भी उसका एक पार्ट है। ...(व्यवधान) पठानकोट में जो हुआ, मालदा की घटना भी उसका पार्ट है। ...(व्यवधान)

अभी पठानकोट की घटना क्यों हुयी, पठानकोट की घटना इसलिए हुयी कि जो बॉर्डर है, वह पूरा का पूरा खुला हुआ है। मैं पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सदस्य होने के नाते सिलिगुड़ी गया था। सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है, जहां नेपाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है।...(व्यवधान) वह क्यों होता है। मैंने कहा कि पुरुलिया में वह क्यों हो गया?..(व्यवधान) राजीव सातव साहब, आपके मुंबई में वह क्यों हो गया?...(व्यवधान) पठानकोट के अलावा टेररिज्म पर चर्चा करेंगे।...(व्यवधान) आप सरकार से एक वक्तव्य

चाहते हैं, आप एक पॉलिसी बनाने का प्रयास करेंगे या नहीं? पॉलिसी क्या है? अभी बांग्लादेश के साथ सरकार ने बड़ा अच्छा एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन आप बॉर्डर की फेंसिंग पीछे से कर रहे है। आप डेढ़-दो सौ मीटर पीछे से बॉर्डर की फेंसिंग करते हैं।...(व्यवधान) आप 500 मीटर छोड़ कर बॉर्डर की फेंसिंग करते हैं। 500 मीटर के बीच में जो गांव है, वह गांव हिन्दुस्तान का है। अगर वहां आतंकवादी आकर रहने लगे, वही हाल पठानकोट के समय का है। मिस्टर बिट्टु यहां बैठे हुए हैं, वह बतायेंगे कि पठानकोट की सिचुएशन क्या है? इस देश का जो बंटवारा हुआ है और उस बंटवारे में क्या बंटवारा हुआ है, उसके बारे में कहते हुए मैं ओवैसी साहब से सहमत होता हूं कि वोट बैंक की राजनीति के कारण इस देश का बंटवारा हो गया। मैं उनके इस बात से बहुत एग्री करता हूं।...(व्यवधान) लेकिन, मैं कह रहा हूं कि वह बंटवारा आर्टिफिशियल है।...(व्यवधान) वह भारत माता पर भी सहमत हैं।...(व्यवधान) वह बाहर कुछ बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: मैं सिर्फ निशिकांत दूबे जी को सूचित करना चाहता हूं कि थ्री मैन फिदायीन अटैकर दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुआ था, वह अटैक पठानकोट एयरबेस से पहले हुआ था, क्या उससे कुछ सबक नहीं सीखे? ...(व्यवधान) वह गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद तो आप सतर्क हो गये होंगे, उसके बाद क्या हुआ?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: जवाब तो मंत्री जी देंगे।

श्री निशिकान्त दुवे: सरकार सभी चीजों से सबक सीखती है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपना भाषण पूरा करें।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): आपने सबक लिया या नहीं लिया है, यह सदन को बताइए। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : सबक ले लिया। भाभी जी, आप हमारे क्षेत्र की हैं। आप भाभी जी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। श्रीमती रंजीत रंजन जी क्या आप चुप रहेंगी?...(व्यवधान) आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो हमको बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं कि जैसे अभी सियाचीन में मामला हुआ। सियाचीन में सैनिक की मृत्यु हो गयी। हमारा चाइना के साथ क्या बॉर्डर है, नेपाल के साथ क्या बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ क्या बॉर्डर है, बर्मा के साथ क्या बॉर्डर है, मूटान के साथ क्या बॉर्डर है, हमने उस बॉर्डर को आज तक तय ही नहीं किया है। सभापित महोदय, यह बॉर्डर तय ही नहीं हुआ है। जब बॉर्डर तय नहीं हुआ है तो सियाचीन से लेकर सरक्रीक, जो गुजरात का बॉर्डर है, इतना डिफिकल्ट बॉर्डर है, इतना डिफिकल्ट टेरेन है कि उसमें से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसमें से क्या कर पायेंगे और ये चीजें आपके हाथ में नहीं है।

चाइना आपके साथ समझौता करना चाहता है या समझौता नहीं करना चाहता है, पािकस्तान ने गिलगित और बािल्टिस्तान का इलाका ले लिया है, जो पाक ऑक्युपाइड काश्मीर है, उन्हें हम ले पायेंगे या नहीं ले पायेंगे, दुनिया हमारा साथ दे पायेगी या साथ नहीं दे पायेगी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक ये सारे फैसले नहीं हो जाते तब तक आपको अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। ये सारे इन्सिडेंट्स जो होते हैं, बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं, वे पंजाब में रह रहे हों, राजस्थान में रह रहे हों, बंगाल में रह रहे हों या नॉर्थ-ईस्ट में रह रहे हों, उन लोगों के ऊपर एक क्वैश्चन मार्क खड़ा करता है कि वे लोग भारत का साथ देते हैं या साथ नहीं देते हैं। आज वे बात करते हैं कि एयरफोर्स के लोग उनसे मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे। आपने अपने ही तकरीर में कहा कि उनके पास पूरा का पूरा सिस्टम था। क्या उसको वहां के लोकल लोगों ने दिया, वहां के पुलिस पर्सनल के लोग थे, उन्होंने दिया या वहां के डिफेंस पर्सनल के जो लोग थे उन्होंने दिया?

दूसरा सवाल है इल्लीगल इमिग्रेशन, हम जिस इलाके से आते हैं वहां की डैमोग्राफी चाहे असम की हो, बंगाल की हो, झारखंड की हो, पूरी बदल गई है। हम एक तरफ श्रीलंका से आने वाले लोगों से चिंतित हैं, तिब्बत से आने वाले लोगों से चिंतित हैं। पाक ऑकुपाइड कश्मीर में जो लोग लगातार आते हैं, उसकी सीमा तय नहीं है, उससे चिंतित हैं। दूसरा, जो नार्थ ईस्ट की इनसजैंसी है, उसके लिए चिंतित हैं।...(व्यवधान)

एक कारिगल रिव्यू कमेटी बनी। कारिगल रिव्यू कमेटी के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को उस वक्त आडवाणी जी हैंड कर रहे थे। यह रिपोर्ट 2001 की है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना। उसने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी। उसमें जो लोग थे, उन्होंने चार सब कमेटी बनाई - एक, जी.सी. सक्सैना साहब के नेतृत्व में जो उस वक्त तत्कालीन रॉ के हैंड थे, एक, एन.एन. वोहरा साहब जो होम सैक्रेटरी थे, अभी संयोग से जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। एक माधव गोडबोले साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी जो तत्कालीन होम सैक्रेटरी थे और चौथे व्यक्ति अरुण सिंह साहब थे, जो माननीय राजीव गांधी जी के बड़े अच्छे दोस्त थे और डिफैंस मिनिस्टर रहे। ये चार सब कमेटी बनी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में आडवाणी जी के नेतृत्व में कमेटी बनी। उससे पहले कारिगल रिव्यू कमेटी की एक कमेटी सुब्रह्मणियम साहब के नेतृत्व में बनी थी। मेरी सरकार से डिमांड है कि जो उन लोगों ने नेशनल सिक्युरिटी के लिए, क्योंकि आज भी हम जिस सिक्युरिटी पैटर्न को अपना रहे हैं, इन चीजों से सबक नहीं ले रहे हैं, वह माउंड बैटन के नेतृत्व में लॉर्ड इसमे ने बनाई थी। वही पूरा सिक्युरिटी सिस्टम चल रहा है। बार-बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, बार-बार यहां चर्चा होती हैं, लोग अपना पोलिटिकल प्वाइंट स्कोर करते हैं और चले जाते हैं। मेरा सरकार से पूछना है कि क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वे रिकमैंडेशन, जो माधव गोडबोले साहब, अरुण सिंह साहब,

सक्सेना साहब या एन.एन. वोहरा साहब के थे, उसे इम्प्लीमेंट करने में सरकार को क्या परेशानी है। क्या यह जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी? अगर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो फैडरल स्ट्रक्चर में यह जो समस्या है, स्टेट का अलग अधिकार और राज्य का अधिकार, मजबूत सैंटर, मजबूत इंटैलिजैंस, मजबूत कोआर्डिनेशन के लिए यह सरकार टाडा जैसे नए कानून लाएगी या उसी तरह राज्यों को मजबूर करेगी कि वह गुजकोका या मकोका जैसे कानून लगाकर टैरोरिस्ट एक्टीविटी, नक्सलाइट एक्टीविटी को बंद कर पाएगी। देश में परमानैंट कैबिनेट कमेटी आन सिक्युरिटी के नाम पर एक बड़े कोआर्डिनेशन की मांग चल रही है, लगातार उसकी मीटिंग होगी या नहीं?

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): सभापित महोदय, जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जहां पूरा देश एक तरफ नए साल का जश्न मना रहा था, वहां दूसरी तरफ पठानकोट के एयरबेस में एक अलग वास्तविकता उत्पन्न हो रही थी। जहां आतंकवादी घुसकर उस बेस का सर्वनाश करना चाहते थे। बार-बार कहा जाता है कि जिंदगी में हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं लेकिन रिश्तेदारों को नहीं। इसी तरह विदेश नीति में भी हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। इसलिए भारत और पाकिस्तान की चर्चा की जाती है जो आस-पास के दो शक्तिशाली परमाणु राष्ट्र हैं। दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहना देश की ही नहीं लेकिन दक्षिण एशिया की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम राष्ट्र प्रगति चाहते हैं, राष्ट्र हित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कोशिशों में आप विफल न हों, खासकर जहां देश की एकता और अखंडता की बात हो, देश की सुख्का की बात हो।

में मानता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक शोषण नहीं होना चाहिए, आतंकवाद के मुद्दे पर केवल इस सदन में नहीं, लेकिन 125 करोड़ जनता एक स्वर में उस आतंकवाद के विरुद्ध बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाए। लेकिन हमारा एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में दायित्व भी होता है कि जब कथनी और करनी में अंतर, जब चाल और चरित्र में अंतर, जब नीति और नीयत में अंतर हो। वह प्रश्न करने का दायित्व नहीं, यह विपक्ष का धर्म भी होता है। आज इतिहास गवाह है, जब भी भाजपा की सरकार आई और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की तो देश को क्या मिला? भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री वार्ता के लिए लाहौर गए थे तो कारिगल का युद्ध हो गया। वर्तमान प्रधानमंत्री किसी को बताए बिना एक शादी में शिरकत करने गए और हमको पठानकोट का सामना करना पड़ा। ...(व्यवधान) मेहताब जी द्वारा सीख लेने की बात की गई।..(व्यवधान) मैं आपकी बात सुन रहा था मेरी बात भी सुन लीजिए। आपको 20 मिनट बोलने का पूरा मौका मिला, अब थोड़ा मौका हमें भी मिलना चाहिए। अगर देश की जनता को विश्वास में लेंगे, यहां सदन में बैठे हुए हर पार्टी को आप विश्वास में लेंगे तो प्रधानमंत्री के जितने भी बाइलेटरल टॉक्स होंगे उसके अभूतपूर्व परिणाम आ सकते हैं। अगर लापरवाही बरती गई, अगर आपने सावधानी छोड़ी, आज उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। वास्तविकता यह है कि विदेश नीति भावानात्मक नहीं हो सकती, विदेशी नीति has to be strategic. It has to be consultative, it has to be process-oriented and it has to be result-oriented.

असलियत में पठानकोट में क्या हुआ? मेरे भाई कलिकेश ने कई मुद्दे उजागर किए, चेतावनी हमें 48 घंटे पहले मिली तब भी पर्याप्त तैयारी आपके द्वारा नहीं की गई और हमला टल नहीं पाया। पूर्व आरडब्ल्यूए के मुखिया की बातों को मैं क्वोट करना चाहता हूं। Generally, intelligence agencies

get the flack. But here is the case when you had pinpointed intelligence and still you could not make it. Why? Too much time was wasted? How did they infiltrate to where they infiltrated? Why were they allowed to roam around for 24 इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सदन में देना होगा। आतंकवादियों ने बिमयार क्षेत्र से प्रवेश किया था। मेरे सीनियर मेहताब जी ने कहा कि वही बिमयार क्षेत्र में गुरूदासपुर में जुलाई, 2015 में आतंकवादियों ने उसी क्षेत्र से प्रवेश किया था जिसकी सूचना सीमा सुरक्षा बल और पुलिस को थी। आपको इतना समय मिला लेकिन उस क्षेत्र को आपने मजबूत क्यों नहीं बनाया? आज उसी क्षेत्र से आतंकवादी आपसी समन्वय की भी कमी रही। टर्फ वॉर चल रहा था, असलियत में एनएसजी को भेजने का निर्णय लिया गया। एक सैन्य क्षेत्र में जहां 20,000 जवान 29वीं इन्फैन्ट्री डिवीजन के तैनात थे, क्या हमारे आर्मी के जवान आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते? विषय यह है अन्य सेना के जवान थे, थल सेना, एनएसजी, वायु सेना और सीमा सुरक्षा बल किसी को भी नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, कमांड और कंट्रोल की कोई योजना या निर्णय नहीं लिया गया। जब तक वहां आईजी बल्ली साहब और एनएसजी के बीच तकरार न हुई और उसके बाद एनएसजी को नियंत्रण दिया गया। क्या आपने समझा कि आई जी एनएसजी इतना विस्तृत एयरबेस क्षेत्र का नियंत्रण स्वयं कर पाएंगे? क्या उनके पास सक्षम स्टाफ थे? ऑपरेशन पठानकोट में हो रहा है और सारे निर्णय दिल्ली में लिए जा रहे हैं। गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर सारे के सारे साइलो में क्यों काम कर रहे हैं, साथ में बैठकर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? पूरा कमांड एनएसए के कमान में क्यों है? इसका उत्तर पूरे देश को इस सरकार को देना होगा। जिन्होंने खामियाजा किया उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? यह पहली बार नहीं हुआ है, मेहताब साहब ने कहा वास्तविकता यह है कि गुरुदासपुर के पुलिस चौकी में जब तीन आतंकवादियों ने हमला किया था पास की टिबरी चौक से सैंकड़ों आर्मी के जवान उस समय पहुंच गए थे लेकिन उनको घंटों इंतजार करना पड़ा जब तक पुलिस के महानिदेशक ने नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लिया।

जहां एक तरफ आतंकवाद के हमले की चर्चा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता का पूर्ण अभाव भी है। चाहे हमारे प्रधान मंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, असमंजस और अज्ञानता की स्थिति है। जवान आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं और प्रधान मंत्री जी कर्नाटक में बैठकर योगा सम्मेलन के बारे में टि्वट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी टि्वट करते हैं कि —

"I congratulate our Armed Forces and other security forces on successfully neutralising all the five terrorists in Pathankot."

और उसके चंद मिनटों बाद गृह सचिव का टि्वट आता है कि -

"Operation is still on. We do not know how many terrorists there are."

उसके बाद वह टि्वट हटाया जाता है। आज भी असमंजस की स्थिति है कि चार आतंकवादी थे, पांच आतंकवादी थे या छः आतंकवादी थे। आज भी वह सर्वविदित नहीं हो पाया है। हमारे रक्षा मंत्री परिंकर साहब गोवा में बैठकर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ले रहे थे। सीसीएस और क्राइसेज मैनेजमैंट ग्रुप की एक मीटिंग नहीं होती।

सभापित महोदय, मैं अभी अपने भाई निशिकांत दूबे जी को सुन रहा था। उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की और यह कहा कि "Law and order is a State subject." विदेशी ताकतें हमारे देश में आकर हमला करती हैं और यह कहते हैं कि "Law and order is a State subject." इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? बाड और आतंकवाद के बीच तुलनात्मक दृष्टि की बात की जाती है। क्या आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार फेल हुई है? अगर यह बात की जा रही है, तो इस सदन में आप वक्तव्य दीजिए। आज प्रश्न आपके ऊपर है। आपने पंजाब सरकार को इस हमले के बाद 6 करोड़ 35 लाख रुपये का बिल भेज दिया। क्या यह आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? ...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): सभापति महोदय, यह गलत न्यूज है। ...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: You can answer when you reply to the debate. ... (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: I am not disturbing but just giving a clarification. जो 6.5 करोड़ रुपये के बारे में न्यूज में आया है, उसे मैं क्लेरीफाई करना चाहता हूं। वह पैसा आपरेशन के लिए नहीं है। नार्मली सैंट्रल फोर्सेज जब किसी स्टेट में डिप्लॉय होती हैं, तो उसका बिल स्टेट भरती है not for the operation on Pathankot. मैं यह क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सभापित महोदय, यह बड़ा संयोग है कि आपरेशन के बाद ही वह बिल भेजा जाता है। ...(व्यवधान) अगर आप कहते हैं तो हम मानेंगे कि यह संयोग है। लेकिन यह बड़ा संयोग है कि आपरेशन खत्म हुआ और आपने बिल भेज दिया। आपके वक्ता कहते हैं कि "Law and order is a State subject." यह भी संयोग हो गया। उसके अलावा आपके वक्ता श्रीलंका, भूटान, लार्ड

माउंटबेटन, नेपाल, ओडिशा और बिहार की बात करते हैं। चाइना के ट्रेन की बात हो जाती है, द्वीपों की बात हो जाती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि

> 'तू इधर-उधर की बात मत कर, यह बता कि काफिला क्यों लूटा?'

सभापित महोदय, वास्तविकता यह है कि अगर हम पाकिस्तान की नीति की बात करें, तो दिखावा ज्यादा है और परिणाम कम हैं। यू टर्न के ऊपर यू टर्न हो रहा है और शुरुआत से इस सरकार की अज्ञानता और अदूरदर्शिता का प्रमाण पाकिस्तान की नीति है। लोक सभा चुनाव के पूर्व हमारे प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 'पाकिस्तान को लाल आंख दिखायेंगे।' उन्होंने जो कहा था, उसे मैं कोट करता हूं—

"जब हिन्दू आतंकवाद आयेगा, तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो-निशान मिट जायेगा।"

उन्होंने 26/11 मुम्बई की घटना के बाद टेलीविजन चैनल में जो कहा था, उसे मैं कोट कर रहा हूं कि --

"पाकिस्तान को हमें उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। यह लव लैटर लिखना बंद करना चाहिए। गुनाह वह करे और जवाब भारत सरकार देती फिर रही है। पड़ोसी सरकार मार कर चली जाये और आप अमेरिका जाते हैं। अरे पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान जिस भाषा में समझे, उसे उसी की भाषा में समझाओ।"

इसलिए जब आप गद्दी पर बैठ गये, तब आतंकवादियों को मारना दूर, आप तो पप्पी-झप्पी में लग गये। आपको कम से कम यह तो समझ में आया कि कठोर बात कहना बहुत आसान है, लेकिन कठोर बनना बहुत मुश्किल है। ...(व्यवधान) वर्ष 2013 में जब प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक चर्चा करने की कोशिश की, तब आप लोगों ने कठोर विरोध किया था।

मैं नेता प्रतिपक्ष को कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था ...(व्यवधान) एक और प्रिविलेज नोटिस भेज दीजिए। मेघवाल जी, एक तो भेज दिया, दूसरा भेज दीजिए।...(व्यवधान) सुषमा स्वराज जी ने बोला और मैं उसे कोट करना चाहता हूं -

"Mr. Prime Minister, no dialogue over dead bodies. Please cancel your meeting with Nawaz Sharif."

जब हमारे दो जवानों ने जान का बलिदान दिया था, जनवरी 2013 में कहा -

"The incident that has happened, we should take revenge. If we do not get Hemraj's head we should take ten of theirs."

सदन में बैठकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा कि जब तक पाकिस्तान अपने यहां के आतंकवादी ठिकाने खत्म नहीं कर देता, हम उनके साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन आज जब माननीय प्रधानमंत्री किसी एजेंडा के बिना पाकिस्तान जाते हैं, तब विदेश मंत्री कहती हैं- "That is like a Statesman. पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। अगर यह यू-टर्न नहीं है तो क्या है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यूपीए सरकार को पाकिस्तान पालिसी के बारे में बहुत कुछ कहा था कि पाकिस्तान पालिसी बहुत वीक नीड कांग्रेस सरकार की है। इन्होंने स्टेटमेंट दी थी -

"Pursuing spineless diplomacy at this juncture will present India as a soft State which could be pushed around by any big or small country."

अब वहीं सम्मानीय राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, पठानकोट के इंसीडेंट के बाद पाकिस्तान के बारे में कार्यवाही के संबंध में कहते हैं - पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है कि प्रभावी कार्यवाही करेंगे, मैं समझता हूं इसे देखना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।

14.57 hours (Shri K.H. Muniyappa in the Chair)

अरे भई, अगर हम बात करें तो न बाबा न, आप बात करें तो वाह बाबा वाह। वास्तविकता है कि पिछले दो साल में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या मुम्बई हमले के मास्टर माइंड को पकड़ा गया है? दिसंबर 2014 में लकवी को जमानत दी गई थी। क्या पाकिस्तान के नेताओं ने हुरियत के साथ बात करनी बंद की है? क्या आतंकवाद में कमी आई है? पिछले दो सालों में, 22 महीने में सीमावर्ती इलाकों में 930 सीज़ फायर वाएलेशन्स हुए हैं। आतंकवादी घटनाएं पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बढ़ी हैं, चाहे पम्पोर की बात हो, गुरदासपुर की बात हो, कठुआ की बात हो, पठानकोट की बात हो। इस सबके बावजूद 13 फरवरी, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवाज शरीफ जी के साथ संपर्क साधा। यही नहीं 3 मार्च 2015 को विदेश सचिव जय शंकर जी अपने समकक्ष के साथ बात करने के लिए इस्लामाबाद चले गए। क्या यू-टर्न, क्या परिवर्तन पाकिस्तान में आया? क्या हृदय परिवर्तन आया? क्या उन्होंने 26/11 के लोगों को जिम्मेदार ठहराया? शायद कोई रहस्यमय बात हुई हो, कृपा करके इस सदन को अवगत कराएं कि यह यू-टर्न आप लोगों ने क्यों लिया?

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 11 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री शरीफ से ऊफा, रूस में मिले थे। उसके बाद हमारे विदेश सचिवों ने पांच विषयों का उपाय

निकाला था जिसमें जम्मू-कश्मीर का संदर्भ नहीं था, उल्लेख नहीं था। 17 जुलाई, 2015 में गुरदासपुर की घटना के बाद अगस्त 2015 की एनएसए टॉक रह किया गया। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्वयं कहा - पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। क्या कारण है कि चार महीने बाद 6 दिसंबर, 2015 को भारत के एनएसए पाकिस्तान के एनएसए के साथ जनजुआ जी के साथ बैंकाक में मिलते हैं और कश्मीर पर बात होती है। यह कैसी स्थिति है कि पाकिस्तान तय करेगा कि हम कब बात करेंगे, पाकिस्तान तय करेगा कि हम किस विषय पर बात करेंगे। अगर हमने तय किया है कि कश्मीर पर बात नहीं होगी तो फिर आपने कश्मीर पर चर्चा क्यों की? यह फ्लिपफ्लाप किस आधार पर है। India must negotiate from a position of strength. हमारा दिल साफ है। हमारे इरादे साफ हैं, हमारी मंशा पवित्र है, हमारी आवाज बुलंद है तो यह सरकार इतनी कमजोर क्यों है? यह प्रश्न आज देश की जनता के सामने है। हमारे रक्षा मंत्री मनोहर परिंकर जी ने पठानकोट के हमले के बाद कहा -

"The nation has run out of its capacity to tolerate such acts of terror and as a Defence Minister I have run out of it too. So, we will do something about it. You will see. The pain my country and I have borne must be returned to the attackers."

15.00 hours

Mr. Defence Minister, I want to ask you very respectfully what is it that you intend to do. What do you mean by, 'You will see'?

अगर आज देश के रक्षा मंत्री ऐसे अपरिपक्व बयान देंगे तो क्या यह आपकी पाकिस्तान की नीति होगी? अगर यह आपकी पाकिस्तान की नीति होगी तो इस सदन को आप स्पष्ट कर दीजिए। वास्तविकता यह है कि विदेश नीति भावनात्मक नहीं हो सकती। Foreign policy has to be very clearly articulated. It has to be consultative. It has to be strategic and it has to be process-driven.

विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी शांति की बात हो तो वास्तविक पहल में आपका साथ देगी लेकिन देश हित, राष्ट्र हित, मान सम्मान और जवानों की कुर्बानियों और उनके त्याग के साथ समझौता करने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी भी तैयार नहीं होगी। विषय यह है कि आपसी संबंध के विकास के लिए आप कार्य जरूर करें क्योंकि आपकी विफलता के आधार पर एक दूसरा कारगिल न हो। आपकी विफलता के आधार पर हमारे जवानों के तिरंगे में लिपटे हुए कफन वापस न आएं।

वास्तविकता यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप अत्यंत आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन में दोहराना चाहता हूं कि विदेश नीति has to be strategic, process-driven and result oriented. आज इस सरकार की पाकिस्तान के प्रति आपकी नीति क्या है? मैं समझता हूं कि हम लोग जो इस सदन में बैठे हु हैं, विवश हैं। आपके उधर के लोग भी विवश हैं। क्या नीति है? मुंहतोड़ जवाब ...(व्यवधान) मुझसे खुलासा मत करवाओ। बैठ जाओ। ...(व्यवधान) नहीं तो मेरा मुंह खुलवाओंगे तो आप बैठे रह जाओंगे।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पाकिस्तान की नीति क्या है? क्या मुंह तोड़ जवाब आपकी नीति है या हैंड-शेक आपकी नीति है? यह स्पष्ट कीजिएगा कि आपकी नीति लाल आंख वाली है या पप्पी-झप्पी वाली नीति है?

यह आप स्पष्ट किरएगा कि आपकी नीति वार्ता और आतंकवाद साथ साथ चलेंगे या पहले 26-11 के जो लोग जिम्मेदार हैं, पहले उनको आप सजा दिलवाएंगे? क्या आपकी नीति में आप केवल दोनों एन.एस.ए. आतंकवाद पर ही बात करेंगे, कश्मीर पर नहीं या कभी कभी वह भी हो सकता है? क्या आपकी नीति हुर्रियत के साथ पाकिस्तान के नेता बात कर सकते हैं या न करें, या क्या आपकी नीति है कि प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच में शॉल और साड़ी का आदान-प्रदान और एक-दूसरे के शादी-सालग्रह और शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहना- क्या यह आपकी नीति है ? वास्तविकता यह है कि विदेश नीति व्यक्तित्व के आधार पर नहीं हो सकती। क्या हम नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान में एक कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी है। पाकिस्तान में आई.एस.आई. है। संगठनात्मक ढ़ांचे के आधार पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, व्यक्तित्व के आधार पर पर्सनैल्टी कल्ट नहीं चल पाएगी। यह हमें तय करना होगा। हमें अपने लोगों को, हमारे मंत्रियों को, संगठन को हमें विश्वास में लेना होगा। एक एक कदम पर हमें अपनी नीति बनानी होगी और तब वह नीति बनेगी, तब वह संभव हो पाएगा।

पठानकोट के बाद जिम्मेदारों को ठहराने के लिए क्या कदम लिया गया? पाकिस्तान ने एक एफ.आई.आर. लगा दी और आपने पीठ थपथपा दी। जैश-ए-मोहम्मद और मौलाना मसूद अज़हर के विरुद्ध एक भी टिप्पणी उस एफ.आई.आर. में नहीं है और आज देश में असमंजस की स्थिति है।

बात की जा रही है कि हमारा एन.एस.ए. पाकिस्तान की इंवेस्टीगेटिव टीम के सामने बयान देगा पर इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। आज सदन को आपको बताना होगा कि हमारा एन.एस.ए. उस पाकिस्तान की टीम को बयान देगा या नहीं देगा। हां या ना। आज असमंजस की स्थिति है। बात की जा रही है कि पाकिस्तान से टीम आएगी, पठानकोट के एयरबेस में जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं कि उस पर आज सरकार ने निर्णय नहीं लिया है कि उसमें उनको प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया

जाएगा। आप यह बात सदन में स्पष्ट करिए कि उस पाकिस्तान की टीम को पठानकोट के एयरबेस में प्रवेश दिया जाएगा या नहीं। हां या ना। इसका उत्तर सदन को आपको देना होगा।

महोदय, मुम्बई की घटना के बाद एक बरछा हमारे दिल में लगा था और दुख का वातावरण देश में फैला था। सरकार ने सोची-समझी नीति के आधार पर, हर देश के साथ मिलकर एक योजना बनवाई जिसके आधार पर पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया। जिसके कारण भारत को और पाकिस्तान को तुलनात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। जिसके आधार पर पाकिस्तान को तय किया गया कि यह आतंकवाद का डेन बन गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री न किसी को बता कर, न किसी तरह का एजेंडा बनाए पाकिस्तान चाय पर चर्चा करने के लिए चले गए तो वह छह साल की मेहनत पर पुरी तरह से पानी फेर दिया और केवल यही नहीं जो हमारे जवान थे करकरे साहब, ओबाले साहब जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उनकी आत्मा पर इस क़दम के साथ कलंक लग गया जिसका जवाब इस सदन में देना पड़ेगा। कपिल सिब्बल जी के इस वक्तव्य से सरकार की पाकिस्तान की नीति स्पष्ट होती है - It is like an unguided missile which creates a spectacle when fired but loses trajectory and inevitably crash lands. Stop embarrassing India. वास्तविकता यह है कि that a sound diplomacy has to be at the base of a strategic well defined vision with a clearly articulated line of sight. आज हमें उत्तर चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ हो, देश के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ हो। एक तरफ सीमावर्ती इलाके पर हमारे जवान अपने जीवन का बलिदान दे रहे हों और दूसरी तरफ देश में किसान आत्महत्या कर रहे हों और आप इनकी चिंता करने की बजाय यहां बैठकर राष्ट्रवाद पर प्रवचन दे रहे हैं। हमें आज देश को विश्वास में लेने की जरूरत है। यहां हर दल के व्यक्ति को विश्वास में लेना होगा। हम इधर बैठे हैं, आपके नहीं हैं लेकिन देश के तो हैं। हमें देश हित के बारे में सोचना होगा, हमें राष्ट्र हित के बारे में सोचना होगा और आज हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि जागिए, उठिए, सोचिए, चर्चा कीजिए, विचारों के आदान-प्रदान के आधार पर आम सहमति बनाइए और अगर आपने आम सहमति बनाई तो हर दल आपका साथ देगा, देश आपका साथ देगा लेकिन अगर" एकला चलो" की नीति अपनाई जैसे कि अभी आप कर रहे हैं तो आप अपने आपको उसी स्थिति में पाओगे जिसमें आज अपने आपको पा रहे हो।

15.07 hours

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND

BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Hon. Chairperson, Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 2016 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on 16th March, 2016."

2. Hon. Chairperson, Sir, I lay on the Table the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 2016 as passed by the Rajya Sabha on the 16th March, 2016."

_

^{*} Laid on the Table.

15.10 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation arising out of recent terror attacks at Pathankot Airbase...Contd.

*SHRI S. RAJENDRAN (VILLUPURAM): Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for giving me an opportunity to speak on the discussion under Rule 193 on situation arising out of the recent terrorist attack on Pathankot airbase. I thank Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Purathcithalaivi* Amma for allowing me to speak. Ours is a peace loving country. This is the land of Mahatma Gandhi and Mother Teresa who were ambassadors of peace and love. But our neighbouring country Pakistan is willingly inciting terrorists against India.

Terrorism in all its forms and manifestations should be opposed. This is the stand of AIADMK led by Hon. Puratchithalaivi Amma. At any cost there should not be any security lapse that could threaten the sovereignty of this country. Mumbai terrorist attack, Infiltrations along the border in Jammu and Kashmir are some the several incidents incited by Pakistan against us. Recently on 2 January 2016, Pakistan terrorists attacked the Pathankot air base, and it continued for two days. At the end, 8 lives including 7 security personnel and 1 civilian were lost. We also killed six terrorists. How could the Pakistani terrorists intrude into Pathankot air base.? How could they withstand the fight for more than 48 hours with our security forces? Are we weak making our defence bases as easy targets for terrorists? There are several questions that pamper my mind which needs answers from Hon. Minister. Whenever we take forward the peace talks, it has been the practice of Pakistan to stab at our back. When Hon Prime Minister Narendra Modi Ji made a surprise visit to Pakistan on 25 December 2015 to greet the Pakistani Prime Minister Shri Nawaz Sherif on his birthday. But what is the response from Pakistan? Not only the defence installations, but also the Indian embassies from Ankara to Bangkok are in the hit list of Pakistan backed terrorists.

^{*} English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

What is the result of our peace initiatives? Even after providing sufficient evidence, Pakistan has not acted upon to bring to book the perpetrators of Mumbai attacks. India through its diplomatic efforts is unable to stop America in extending financial support to Pakistan which continues to be a peaceful haven for terrorists. Our Officers should work efficiently in gathering intelligence inputs. A strong action and scheme is the need of the hour to safeguard our defence establishments and equipment. There should be a strong vigil along the borders including Jammu & Kashmir and Punjab. It is after a dramatic move, and after the assurance of Hon Union Minister of Home Affairs Shri Rajnath Singh Ji, Pakistan Cricket team has decided to come to India to take part in T20 World Cup Cricket tournament.

Those who support terrorism and who belong to a nation which is a peaceful haven for terrorists are claiming that they are not safe in India on security grounds. Is it not ironical? Now in Pokhara in Nepal, on 16 and 17 of March on the sidelines of 36th SAARC Foreign Ministers' Meet, Hon External Affairs Minister Smt. Sushma Swaraj and Pakistan Prime Minister's Advisor on External Affairs are likely to have meetings as quoted by Media. Let us hope to have constructive dialogue with Pakistan. This may pave way for a conducive atmosphere for the meeting between Hon. Prime Ministers of India and Pakistan to be held in Washington later this month. Whether the lapse in gathering intelligence input has led to Pathankot attack? Where was the lacunae? If we procured intelligence input on time, why we could not foil the attempt of terrorists? I want to know that what are the efforts taken by India to isolate Pakistan in world arena, which is openly supporting terrorist activities. I am indebted to pay my respects to the departed souls. Let their souls rest in peace.

As mentioned by Hon Amma, along with the security forces, our police forces should also be modernized and strengthened. Now we have only one police constable for 1000 persons, This number should increase. Police forces should have a facelift with modern weaponry, technology and vehicles. Police is a State subject. But as mentioned by Hon. *Puratchithalaivi* Amma, the common enemy

like terrorism and fundamentalism, can only be tackled with the concerted efforts of Union and State Governments. All the States including Tamil Nadu should be provided sufficient funds for strengthening police forces.

Like Pakistan, another neighbour Sri Lanka is disturbing us on other side. Indian fishermen who engage in traditional fishing in Pak Bay are time and again apprehended by Sri Lankan Navy along with their fishing boats in the pretext of crossing the International Maritime boundary. Two days ago, 28 Indian fishermen all from Tamil Nadu were arrested by Sri Lankan Navy. This torture is one form of terrorism. Hon Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchithalaivi* Amma has written several letters to Hon Prime Minister to intervene and stop these continuing atrocities against Tamil fishermen. Fishermen community in Tamil Nadu are very much agitated over these repeated incidents. Ceding of *Kachaththeevu*-an islet through agreements of 1974 and 1976 is the reason for this vexing issue.

Tamil Nadu Government has filed a petition in Hon Supreme Court challenging the constitutional validity of these agreements. Sri Lanka should immediately release 96 Indian fishermen along with their 82 fishing boats and the continuing atrocities against these innocent fishermen should be stopped at any cost. Thank you for this opportunity.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): It is good that we are discussing the attack on Pathankot airbase almost two and a half months after the incident happened. Though it is in the past, it is important to learn lessons from the attack on the Pathankot airbase and what it speaks of our defence preparedness and of our foreign policy objectives. What are the lessons we have learnt from Pathankot attack? What were the lapses that were discovered?

To state briefly, the Pathankot airbase was attacked on the early morning of 2nd January, 2016, seven days after our Prime Minister paid an impromptu visit to Shri Nawaz Sharif in Lahore. I do not know if we were lulled into conspiracy. But by 1st January, Intelligence inputs have reached Delhi after Shri Salwinder Singh, SSP, in that area was kidnapped and he informed the police who informed the top brass that *fidayeen* have entered the Indian side from across the porous border.

The National Security Advisor, Shri Ajit Doval, took a meeting on 1st January in Delhi and he called the National Security Guard commandos to proceed to the spot. On 2nd January, the operations ensued. While the operations were continuing, the Home Minister tweeted to say that the operation is over. The next day it was discovered that two more *fidayeen* were still alive and the Home Minister had to quickly retract his statement. We lost seven personnel, including one NSG Lt. Colonel, Shri Niranjan Kumar, five from defence security corps, and one Air Force Garud Commando.

Now, the question that I want to pose to both the hon. Defence Minister and the Home Minister who are present here is, as to how even after the Dinanagar, Gurdaspur attack on 27th July we did not take sufficient steps to protect the border. This is addressed to the Home Minister as the BSF under his charge. Then, the question remains as to how they were able to infiltrate into the Air Force base. Was there enough security around the base, around the perimeter? Were there enough lights? Why were you not able to detect the entry of the *fidayeen*?

Apparently the NSA took the decision to send in the National Security Guards, who sometimes serve as personal security of people, but are experts at hostage situations, recovering people in a captive area and not to secure a huge area like Pathankot airbase. There were, within 100 kms., RV Parachute Regiment Para 4, one Para SF in Nahan, and 300 kms. away, in Udhampur Army Parachute Regiment 4 and nine Para SF Units posted. Why were they not used? Why were the operations done under the NSG Director-General who is a police officer? Why were no combined operations headquarters set up? These are questions which the Ministers must answer if we have to see that there is no recurrence of some such *fidayeen* attacks in future.

We have seen terrorists' actions in India before. We know the famous case of the 1999 hijacking of the IC814 Indian Airlines plane which resulted in release of dreaded terrorist Masood Azhar, who is now the mastermind of this Pathankot attack. He is still leading Jaish-e-Mohammad, which was lying low for some time; put in the doghouse by the ISI, has again resurfaced with this attack. We are not able to tackle it. The Government ultimately failed to do the perception battle as it did not communicate the correct and essential information about the whole matter.

This brings us to the question which Mr. Scindia dealt at length. Before I go to that, I must mention this. Shri Nishikant Dubey spoke at length about the right of the States, etc. Here, in Bhim Nagar, when the *fidayeen* attacked civilian targets, well, it was the duty of the police to act. When an air force base is directly attacked, you need not even alert the State Government. The Defence forces should take control of the situation. Why did it not happen? The logic given by Shri Dubey is just totally fallacious.

The question that Shri Scindia raised very eloquently is this. What is our Pakistan policy? Does it consist of flip flops? We cancelled Secretary level talks when Pakistani people met the Hurriyat leaders of Kashmir. Then, our NSAs met in Bangkok. Then, our External Affairs Minister met. Then, our Prime Minister made an unscheduled visit, as a result, the Foreign Secretary level talks were

cancelled between Shri Jaishankar and his Pakistani counterpart. Now, I see that tomorrow, again, the External Affairs Minister is going to meet Mr. Sartaj Aziz on the sidelines of the SAARC Foreign Ministers' Conference and will be handed over a letter from the Pakistani Prime Minister inviting our PM to the SAARC Summit. This is one flip flop. On the one hand, it is weakening the Indian resolve. The lack of defence preparedness in which six *fidayeen* were able to penetrate an air force base and kill seven of our personnel shows the weak underbelly.

The main question remains. What was their target? Their targets were two. They wanted to kill 25 Afghan airmen who were under training at Pathankot. Secondly, they wanted to destroy our asset. That is, to attack helicopters and MiG 21 planes. Good luck that didn't happen. To whomsoever the credit may go, should go. But the fact is that they inflicted so much damage shows that we have much to answer for.

The Defence Minister, the Home Minister, the External Affairs Minister and the Prime Minister should take note and take lessons from the Pathankot attack. It has shown the chinks in our armoury, Mr. Parrikar. In the interests of the country the chinks must be repaired. It should not be taken as a partisan issue. It is an issue of the integrity and security of the nation. Thank you, Sir.

श्री चन्द्रकांत खेरे (औरंगाबाद) :सभापित महोदय, पठानकोट एयरबेस पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उस पर नियम 193 के तहत हो रही चर्चा में शिवसेना की ओर से मैं भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। पठानकोट एयरबेस के ठिकानों पर दो जनवरी, 2016 को पाकिस्तान से आए छः फिदायीन आतंकवादियों ने हमला किया। वे छः फिदायीन आतंकवादी बड़े मकसद के साथ भारत आए थे। एयरबेस के लड़ाकू विमानों और हैलिकाप्टरों को तबाह करना और भारतीय वायुसेना को सामरिक दृष्टि से बड़ी क्षिति पहुंचाना उनका उद्देश्य था। हालांकि मैं कहूंगा कि उन्हें बहुत अच्छा उत्तर हमारे सैनिकों और सुरक्षा बलों ने दिया। उसमें हमारे सात सैनिक शहीद हो गये और कई घायल भी हो गये। यह हमला कोई अचानक नहीं हुआ। पंजाब सरकार ने आतंकवादी हमले की आशंका के मद्देनजर केन्द्र सरकार को अवगत करा दिया था। सुरक्षा एजेन्सियों को भी एक दिन पहले पुलिस अफसर सलविन्दर सिंह ने बताया था। इसकी जानकारी उसे प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सलविन्दर सिंह कैसा आदमी था, वह आपको मालूम है और मैं भी आपको बताने वाला हूं। इस जानकारी के बाद सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वहां सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पंजाब के पास एक छोटा सा करबा बिसयाल है, इसके निकट लगी सीमा को पाकिस्तान से आने वाले ड्रग तस्कर और आतंकवादी घुसपैठ के लिए प्रयोग करते थे। मै माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि इस करबे से आज भी घुसपैठ होती है और 27 जुलाई, 2015 को भी वहां से लोग आए थे, वे गुरुदासपुर से दीनानगर पुलिस थाने पर हमला करने के लिए आए थे। लेकिन आपने अभी तक वहां की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई, इस पर भी एक सवाल उठता है। आखिर हमारी क्या मजबूरी है, जो हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। मैं कहूंगा कि जो सलविन्दर सिंह है, वह पठानकोट में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में पंजाब पुलिस का पुलिस अधीक्षक सलविन्दर सिंह ड्रग तस्करी में लिप्त था। 31 दिसम्बर, 2015 को रात को वह अपना पेमेन्ट लेने के लिए बिनहाल दरगाह गया था। वह लम्बे समय से ड्रग तस्करी कर रहा था। सलविन्दर सिंह ने तस्करी के लिए जो भी इंफार्मेशन आई थी, उस इंफोर्मेशन को नहीं माना, उसका यह बिजनेस था। इसके लिए उसके उपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यह मेरी मांग है। सलविन्दर सिंह की गाड़ी में एक मुड़ा-तुड़ा पन्ना मिला, जिसमें लिखा था - तंगधार, सांबा, कठुआ और दिल्ली। अगर अफजल गुरू के चहेते तुमसे मिलते रहेंगे, लगता है कि आतंकवादी मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मौहम्मद ने इस घटना को अंजाम दिया है।

सभापति जी, अभी हमारे मित्र सिंधिया जी ने कहा था कि पाकिस्तान में शांति के लिए उन्होंने भी कुछ प्रयत्न किया था, लेकिन शांति के लिए प्रयत्न करने के बाद में भी वे नाकाम रहे। पाकिस्तान ऐसा देश

है कि वह हिंदुस्तान को हमेशा काफिर की नजर से देखता है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि प्रधान मंत्री, माननीय मोदी जी की यह सोच थी कि हमारे यहां कुछ नहीं होना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने अचानक 25 दिसम्बर को वहां के प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात की।

माननीय सभापति : प्लीज कंक्लूड कीजिए।

श्री चन्द्रकांत खेरे: सभापति जी, आप मुझे और समय दीजिए। इस चीज का कनेक्शन मेरे क्षेत्र तक है, यह भी मुझे सदन को बताना है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ गलत नहीं किया। इसके पहले ताशकंद करार हुआ था। ताशकंद करार होने के समय श्री लाल बहादुर शास्त्री का देहान्त हुआ था। माननीय अटल जी ने भी जब ऐतिहासिक लाहौर यात्रा की थी, उसके कुछ दिन के बाद कारगिल हुआ। मैं कहूंगा डा.मनमोहन सिंह जी ने जो प्रयत्न किया, उसके बाद मुम्बई में 200 से ज्यादा लोग मारे गये। माननीय मोदी जी 25 दिसम्बर को पाकिस्तान गये और 2 जनवरी को यह हादसा हुआ। सर, पाकिस्तान के ऊपर हम कैसे विश्वास रखेंगे? माननीय अटल जी को 13वीं लोक सभा में मैंने कहा था और शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती मत कीजिए। वह दोस्ती के लायक नहीं है। वह पूरे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हमें उसी तरह से उत्तर देना चाहिए। सामना बार-बार आपको बताता है कि क्या होने वाला है और क्यों करना है। इसलिए मैं कहूँगा कि शिवसेना की भूमिका यही है कि पाकिस्तान के साथ में कभी भी दोस्ती न करें। ...(व्यवधान) शिवसेना यह नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो, इसलिए क्रिकेट का मैच भी हम लोग उनके साथ खेलने नहीं देंगे। क्योंकि इनके साथ में दोस्ती क्यों करें, क्या ये भरोसे के लायक हैं? माननीय मोदी जी प्रेम की खातिर उनसे मिलने गए और दो तारीख को ही यह हमला हो गया। ऐसा कई बार होता रहा है। डॉ. मनमोहन सिंह जी ने भी बहुत बार प्रयत्न किया, उसके बाद मुंबई में बहुत बड़ा हादसा हुआ। अगर ऐसा होने लगा तो मैं आपसे कहूंगा कि इनके साथ कभी दोस्ती न करें, इनके साथ उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए।

सभापित महोदय बहुत दुख के साथ मैं कहता हूँ कि पूरे माहाराष्ट्र में इस तरह के बहुत से लोग वहां फैले हैं। मुंबई में, भिवंडी में, ठाणे में, हमारे मराठवाड़ा के साथ आठ जिलों में, मेरे शंभाजीनगर क्षेत्र में इस तरह के लोग फैले हैं। वैजापुर में एक आतंकवादी लड़का पकड़ा गया, किसी को मालूम नहीं है, मैं आप सबको बताऊंगा कि वैजापुर के सारे मुस्लिम शिवसेना के साथ हैं। शिवसेना के पदाधिकारी भी मुस्लिम हैं। एक अच्छा माहौल होने के बाद भी वहां का एक लड़का इस तरह का निकला। अचानक पुलिस ने उनके ऊपर हमला किया और यह पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के जाले फैल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो यह

बहुत बुरी बात है। आज सिमी, इंडियन मुजाहिद्दीन, इमरान जो मेरे वैजापुर क्षेत्र का लड़का है, इन सबको नियंत्रित करना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह कहूँगा कि इस तरह के कितने-कितने लोग हैं, क्योंकि पीछे तो पता चला था कि हज़ारों लोग उसके सदस्य बन गए हैं। ये सारे सदस्य, जितने भी मुस्लिम समुदाय के बच्चों को बहका कर ले कर जाते हैं और वे हिंदुस्तान में हिंदु और मुस्लिम को भड़काते हैं, इसके लिए मैं कहूंगा कि इसका पूरा इंतजाम आपको करना पड़ेगा। माननीय गृहमंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए और किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ दोस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनके साथ में तो लड़ाई करनी चाहिए। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जो कहा था, वही मैं कहूँगा और यही शिवसेना की भूमिका है।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to participate in this important discussion.

Sir, January, 2016 witnessed infiltration of terrorists into our Pathankot Air Base. First of all, I salute all the soldiers who are fighting for the country. I also salute the parents of the soldiers who have sacrificed their lives. I do not want to explain the chronological events of happenings because everybody has the knowledge about them. In stead, I want to point out certain gaps which need to be plugged immediately.

Hon. Defence Minister also admitted that same gaps led to the terror attack on the Air Force Base. The Pathankot Air Force Station of Punjab is about 40 kilometres away from the Indo-Pak border. It is an important area where many defence establishments are based. An entire army division is headquartered there. As a part of the Western Air Command, PAFS has a 25 kilometres perimeter, 12-feet high wall around it topped by barbed wire.

The base houses 75 fighter jets, attack helicopters, Pechora surface-to-air missiles, drones, surveillance radars, ammunition and fuel dumps. About 1500 families live in the campus with a school, market and hospital.

Any damage to the radar hub or air defence centre at the base could destroy the entire defence network of the Western Sector. We are fortunate enough that Pakistan trained terrorists tried but just about failed to destroy the network.

The strategic PAFS had been targeting from the Indo-Pak wars of 1965 and 1971.

Intelligence Bureau and the Punjab State Intelligence had sent out a warning five days ahead of the terrorist attack that "there was a huge threat to installations on the border with Pakistan."

Despite the high alerts, the terrorists managed to engage the security establishment comprising the Air Force, Army and NSG for around 48 hours. We probably failed to deploy security arrangements at every possible area in the Pathankot airbase to avoid the attack.

Before the SP was stopped, the terrorists had already managed to sneak across the International Boundary and killed the driver of an Innova car. Jaish-e-Mohammad was supposedly behind the strike. The terrorists made a cardinal mistake of using the SP's phone to make calls to Pakistan.

There was a confusion aired over the number of terrorists involved in the attack. Lack of coordination reflected between our command and control.

There was no clarity over who was in-charge of the Operation. There was a lot of confusion on the spot about who the Commanding Officer was. The Army has the Special Forces trained and equipped to deal with counter insurgency situations near Pathankot, Punjab; at Nahan, Himachal Pradesh and Udhampur, Jammu and Kashmir. The Army's suggestions were ignored.

We are unable to learn lessons despite repeated attacks including the 2008 Mumbai strike. It is evident that the Pathankot attackers crossed the border from the same place as those who were responsible for the last year's attack in Gurdaspur.

The terrorists aimed to destroy the strategic assets at the 'technical area' and they came near doing it. They were foiled by the Indian Army and the NSG detachments. The fact that they had come this far was perhaps due to unpreparedness of the Indian Defence.

The terrorists should never have been allowed to climb over the perimeter wall. This failure led to all the subsequent security problems of the Indian Defence. It was found that three of the floodlights in the stretch of an 12-foot high wall that was breached, and they had been turned upward and directed away from the wall, which drowned the entire area in darkness. How could the extremists breach the high walls of the highly protected base when concrete intelligence was available hours in advance?

The terrorists managed to penetrate deep into the strategic airbase at Pathankot. Further advance could have led to a major disaster. Providentially,

they failed to reach the 'technical area' with strategic assets. How did these assets become vulnerable?

The first response in any emergency should lie with the local Defence Forces; a centralised Special Force deputed from outside cannot replace the effective local response.

The Standard Operating Procedure should have been made to take advantage of the two Army Divisions located ten minutes away from the Pathankot airbase.

Why was the NSG, a Home Ministry Police Force, selected as the lead agency for tackling the terrorist attack on the Pathankot airbase failed?

Punjab has been turning as a hub for drug and arms trafficking, money laundering, spying and terrorism, which are all described as 'multinational systemic crimes'. The evidence of possible involvement of Central and State Police personnel in these activities must be probed. Two constables of the Border Security Force have already been arrested.

In view of this, I strongly feel that the local villagers should be trained and used as effective natural soldiers.

Sir, we witnessed attack on Parliament, Mumbai attacks, Gurdaspur attack and also Pathankot attack. We have to learn lessons from each attack. We should not allow to repeat the same mistake again and again. We should not compromise with our national security. Fortunately, we have the best Defence Minister, Shri Manohar Parikarji. I would request him to take all necessary steps to plug in the loopholes with the help of information technology and develop the best defence mechanism to fight against terrorism and infiltration.

I would also suggest to set up a Joint Force under one umbrella and also to establish a proper command and control system immediately.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): माननीय सभापति जी, यह मामला बहुत गंभीर है, देश की सुरक्षा का सवाल है और जब भी ऐसा हमला आतंकवाद से होता है तो पूरे देश को हम अपील करते हैं और ऐसा होता भी है कि एक साथ उठकर खड़े होकर हम एक ज़ुबान में बात करते हैं। संसद ऐसी जगह है जहाँ पूरे देशवासी नहीं, पूरे विश्व को यह मालूम होना चाहिए कि आतंकवाद के बारे में और उससे मुकाबला करने के बारे में हम कितनी एकजुटता प्रकट करते हैं और कितना सीरियस हैं। यह पाँच मिनट या दस मिनट का मामला नहीं है। अगर हम कुछ फिदायीन आए थे अटैक करने के लिए, उनके लिए हमने चार दिन लगा दिए इतने कनफ्यूज़न के बाद भी साढ़े तीन दिन लगा दिए, उनको घेरा डालने में, खत्म करने में और आपरेशन को सक्सैसफुल करने में। मैं समझता हूँ कि इसके दो पहलू हैं। एक तो विदेश से जो क्रॉस बॉर्डर टैरिएज़्म है, पाकिस्तान की सीमा से, उसके बारे में हमें एक ज़ुबान में बात करनी पड़ेगी। हमारी पार्टी की तरफ से मैं बार-बार यह कहता हूँ। एक और दूसरा पहलू है कि हम आपस में जब बात करते हैं तो हमसे कहाँ चूक हुई, क्या गलती हुई या नहीं हुई, हम कैसे भविष्य में सफल होंगे और क्या करेंगे तािक फिर से वे हमारे देश की सीमा के अंदर आकर हमला करने की हिम्मत नहीं करें उसके बारे में भी हमें सोचना चािहए। हमें इस बात को स्पष्ट रखना चािहए कि हम जब यह चर्चा करते हैं तो जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही सदन में यह चर्चा करनी चािहए, ।

पहली बात यह है कि यह हमला अचानक नहीं हुआ और जो भी इंटैलिजैन्स इनपुट्स थे, जो ऑब्ज़र्वर्स हैं जो भारत-पाकिस्तान के संबंधों के बारे में चिन्तित हैं या आतंकवादी हमलों के बारे में पिछले दो दशकों से हमारा जो अनुभव है, आशंका यह थी, आसार थे कि ऐसा होने वाला है। अभी चार सप्ताह नहीं हुए थे जब हमारी विदेश मंत्री पाकिस्तान गईं और हम सबने यहाँ सदन में शीतकालीन सत्र में खड़े होकर सराहा, बधाई दी क्योंकि हम चाहते हैं। हम वह हॉकिश नहीं हैं जो स्टूडियो में बैठकर जंग छेड़ने वालों में हैं। हम समझते हैं कि दोनों देशों के बीच अच्छा संपर्क होना चाहिए लेकिन हमारे देश के स्वार्थ को सुरक्षित रखना पड़ेगा, सीमाओं को सुरक्षित रखना पड़ेगा और आतंकियों से हमें लड़ना पड़ेगा और उसकी पूरी तैयारी भी रहनी चाहिए। इन दोनों में अंतर नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि या तो दोस्ती या तो जंग, इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए।

अब आप देखिए कि इससे पहले यह सरकार या वह सरकार की बात नहीं है। जब भी ऐसी पहल हुई कि बातचीत हो, तभी कहीं विस्फोट, कहीं टैरर अटैक होते रहते हैं। जब विदेश मंत्री गए, फिर से रिज़म्पशन ऑफ कंप्रिहेन्सिव डायलॉग की बात की गई, उस समय भी इस सदन का रिकार्ड देखिए, हमने कहा कि इसको डीरेल करने के लिए कुछ लोग ऐसे सीमा के पार होंगे, उस पार हों या इस पार हों, चाहे

वे टैरर अटैक करके या जुबानी अटैक करके, लेकिन उसको डीरेल करने की कोशिश करेंगे। The Government should remain firm. अभी भी जब पठानकोट का हमला हुआ, हमारे सुरक्षा बल के लोग या सिविलियन्स उसके शिकार हुए तो हम सबने उनके साथ एकजुटता प्रकट की और दुख प्रकट किया, लेकिन साथ-साथ हमने कहा कि जो मकसद है टैरर अटैक की, उसमें आप हथियार मत डालो। कंप्रिहैन्सिव डायलॉग होना चाहिए और संपर्क सुधार करने के लिए आपने जो पहल की है, उसको जारी रखना पड़ेगा। नहीं तो यह आशंका इसलिए की जा रही थी कि जैसे-जैसे आप बात करेंगे, वैसे-वैसे वे हमले के लिए तैयारी करेंगे। तो यह डायलाग की बात नहीं है। डायलाग मतलब जो हुंकार है वह नहीं, यह डायलाग कंपीज़िट कल्चर या जो कंप्रिहैन्सिव डायलाग है, उसको आगे बढ़ाने का है। मैं समझता हूं कि हमारी प्रगति और विकास के लिए तथा आतंकवाद को खत्म करने के लिए, हमारे आपसी संबंधों को सुधारने के लिए वह डायलॉग प्रोसैस चलना चाहिए। चूंकि दो बार नई बार सरकार आने के बाद फ्लिप-फ्लाप हुए, डॉयलाग बंद हो जाएंगे। उसके बावजूद भी सरकार इस कोशिश को जारी रखे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच गए तो और भी संख्या बढ़ गई। फिर इस्लामाबाद में जाने की बात है, सार्क सम्मेलन करने की बात है, तो कहीं न कहीं रुकावट पैदा हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में हमें स्पष्ट वार्ता करनी चाहिए। मैं यह कोई पॉलिटिकल प्वाइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। बाकी बातचीत हो चुकी है।

माननीय सभापति : आप सुझाव दीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम: मेरे पास बहुत से कागजात हैं।

माननीय सभापति : टाइम नहीं है।

श्री मोहम्मद सलीम: मैं अगर सिर्फ सरकार की मंशा की बात कहूं तो सरकार भी यही चाह रही है और सब लोग यही चाह रहे हैं कि दोबारा ये हमले न हों। दोबारा हमले नहीं होने की पहली शर्त यह है कि जो पिछला हमला होता है, उससे हम क्या शिक्षा ले रहे हैं? यह शिक्षा जैसे टेक्नोक्रेट, जैसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स करेंगे, वैसे हमें कोई पॉलिटिकल इनपुट भी तो कुछ लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब कुछ सुधारना भी चाह रहे हैं और आतंक से निपटना भी चाह रहे हैं। दीनानगर में जो हमले 6 महीने पहले हुए, फिर तीन महीने बहुत चौकसी बरती गई, पहरा बढ़ा दिया गया। तीन महीने बाद उसको खत्म कर दिया गया, मतलब फिर ढील हो गई। यह ढील नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात, वही रूट बामियाल, यह रूट कैसे बार-बार इस्तेमाल करते हैं, जो नॉरकोटिक्स है, जो ड्रग कर्टेल है, जो ड्रग स्मग्लर्स हैं, पॉलिटिकल हों या स्टेट ऑपरेटर्स के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हों, उनसे

जब संपर्क बन जाता है तो वह चैनल बन जाता है। उस चैनल का इस्तेमाल टेरिस्ट्स करते हैं, चाहे वह सीमा के किसी भी क्षेत्र में हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती कर रहा हूं। मैं इधर-उधर की बात नहीं कर रहा हूं। यह सवाल बार-बार जब आता है तो डेमोग्रैफी की बात आती है, तो फिर असम में क्या हुआ, पूर्णिया में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे, हम पठानकोट की बात कर रहे हैं। पठानकोट में यह वाकिया जो हुआ, सिक्योरिटी वार्निंग के बावजूद हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं लैप्सेस हुए हैं और उनको रिव्यू करने के लिए सरकार ने खुद कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए, जल्द से जल्द आनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आई और उसके मुताबिक बंदोबस्त होना चाहिए।

हम पठानकोट में टेरिस्ट से लड़ने में कामयाब रहे या नहीं, यह लेकर भी सरकार के अंदर अलग-अलग ट्वीट, अलग-अलग बातें हुईं, जब यहां परेशानी चल रही थी, तो मैं गृह मंत्री से हाथ जोड़कर कहूंगा कि वह फेक ट्वीट एकाउंट और खासकर अगर पाकिस्तान से सोर्स होता है, चाहे वह हाफिज सईद के नाम में हो, नकल नाम से हो, चाहे वह जेएनयू के बारे में हो, चाहे पठानकोट के बारे में हो, उसके ऊपर आप भरोसा मत कीजिए। अपने जो आधार हैं, अपने जो आपके पास सोर्सेज हैं, उसके ऊपर निर्भर करिए।

राष्ट्रभक्तों से मैं यह कह रहा हूं, कोट, अनकोट, "पठानकोट में पठानी दिखानी थी, जेएनयू में नहीं, विद्यार्थियों के ऊपर नहीं।" आतंकियों से लड़ने के लिए आपको पूरी मजबूती से अपने बल से लड़ना चाहिए था। आप वहां नहीं करके जेएनयू आकर पठानी दिखा रहे हैं, यह गलत हो रहा है। देश को इकट्ठा रखिए, देश के नौजवानों को इकट्ठा रखिए। आप फिर लड़िए, जवानों के साथ नौजवान भी साथ रहेंगे। आप जवान और नौजवान को दो खेमे में बांटने की कोशिश मत कीजिए। ... (व्यवधान)

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you Sir for giving me an opportunity.

First of all, I would salute the Army, NSG and the Punjab police personnel who have been killed in these two terror attacks – both at Gurudaspur and at Pathankot. My prayers are with their families and I hope all the Members will join me in these prayers.

Both these attacks – the Gurudaspur attack and the Pathankot attack - have just happened within a gap of six months and both the times, the same mistakes were repeated. We have seen these mistakes not only in the Gurudaspur attack but also in the Mumbai attack. We have seen similar mistakes happening; we have seen similar responses coming from the Government; and that too a very confused kind of responses coming from the Government. We thought some procedures would change; some standard operating procedures would be applied; and some clarity would come. But the same thing has been repeated. Unfortunately, in both these cases, Dinanagar has been the weakest point but that has not been secured.

So, through you, I would like to ask this to the hon. Home Minister. We came to know that Punjab shares a border of 560 kilometres with Pakistan and there are only 12 battalions of BSF posted there, which is having about 750 personnel. Is this right? If it is right, is this enough? If it is right, has this number been improved after those attacks?

That is a greater concern. This is a matter of grave concern. Of course, regarding lack of coordination among the Ministries, Mohammad Salim Ji has mentioned about it. Everybody has mentioned about it. The hon. Home Minister says something and the hon. Defence Minister says something. I would like to ask this to the hon. Defence Minister. He has said during the attack that there are some gaps. You have said during the attack, "I agree, there are some gaps." So, I would like to know from you whether you have filled up those gaps after the attack. What are these gaps that you are mentioning and referring to? Was it just a sweeping remark? So, I would like to know this from you.

There is a Cabinet Committee on Security which has been put in place. I would like to know how many times it has met after the attack of Gurudaspur happened. Is there an institution which takes care of this kind of attack? Kindly let the House know, let the Members know and let the country know.

After the 2008 Mumbai attack, a Multi-Agency Centre was set up and that is supposed to have a representation from all the 25 security agencies of our country and it is supposed to meet regularly and keep updated with many of these things. Does that agency still exist? Is that Multi-Agency Centre still functional? If it is functional, what does it do? It is because when some attack like this happens, the kind of things that get floated in and around the internet and the kind of comments that keep coming up, they give rise to many, many questions. So, I would like you to kindly clarify on these issues.

Particularly, we also hear about shortages; and we face some critical deficiencies. We hear that in the IB at least we are short of 30 per cent of our sanctioned strength. Is that right? Are we short of people in the IB? I certainly know for a fact that we are short of equipment that is needed; we are short of bullet-proof jackets; we are short of night vision binoculars; and we are short of many other things. But are we even short of the personnel? This House certainly needs some clarification.

We understand that the Defence budget given in 2014-15 was not spent. Only 24 per cent of it was spent until December, 2015. Is that right? It is because you know the kind of budget that the Defence Ministry gets and if it is not spent, then it is certainly not sending a right message whereas the Home Ministry has spent the budget and this time the Home Ministry has also got a 10 per cent raise in the Budget. उसमें अलग से 3,770 करोड़ सिर्फ बार्डर को सिक्योर करने के लिए प्रावधान किया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आपने 3,770 करोड़ से पंजाब के बार्डर पर फोकस करने के लिए कुछ किया है?

I would also like to support another issue which Shri Mohammad Salim had reiterated that the dialogue with Pakistan should go on. It should continue. We should not derail from that. It should continue

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: I will conclude by raising one other issue.

But should we allow the SIT people to the Pathankot airbase? क्या हमें उनकी मदद की जरूरत है, यह मुझे समझ में नहीं आता? आप प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्योंकि अगर एसआईटी वाले आएंगे, दिल्ली में बिठाइए, चाय-पानी पिलाइए please tell them the situation. But why should they go to our Defence airbase and what will they investigate? I really do not understand that and we seriously oppose that.

It is really high time to set up a proper protocol to respond to this kind of attack.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, it is a mixed reaction in the sense that one way it is a good news because we totally spoiled their attempts and they could not achieve any purpose. But the bad news is, in the sense, that we have lost more than seven of our security men, and also more than 20 persons have been injured. We are happy that all the terrorists have been killed.

Sir, it is an eye opener for us because we are not learning much from the past experiences. Perhaps, whenever there is an incident like this, all of us very seriously discuss it and later we forget it only to see it again. It is very unfortunate. So, the Army, Air Force, Intelligence and the border States like Punjab, Gujarat and Jammu and Kashmir should have a regular dialogue on these issues. What we see is, the attempt by the terrorists is, perhaps, only to derail and thwart the peace process which our hon. Prime Minister is very seriously taking up. It is much deeper because simultaneously they have tried to attack the Indian Consulate in Afghanistan. That means, they have a bigger plan.

Sir, from one point of view, it was very lethal than the Mumbai Attack of 26/11 for the simple reason that this time they tried to attack the most important air bases and installations. Therefore, we need to seriously look at that.

Jaish-e-Mohammed, the terrorist outfit perhaps is more interested in Kashmir issue. Although it is banned in Pakistan, it has been repeatedly doing that. The life we have given to Masood by releasing him from jail, instead of gratefully acknowledging India he has tried to attack us, which is extremely unfortunate. The hon. Member before me has rightly said that earlier they targeted Gurdaspur, now Pathankot and we do not know what will happen in the future. Thank God that all our army tanks, fighter planes and helicopters are intact. The terrorists could not do any harm to them.

Sir, I do not know whether it is proper for me to say that we have to sympathise with Pakistan for the simple reason that they are also the victim of terrorism. The naval base at Karachi has been attacked more than twice. The Sunni majority attacks the Shias and the Christians; they demolish Churches. In fact,

Pervez Musharraf himself was at a point of assassination. Worst was the Army Public School in 2014 where thousands of army officers' children were killed. Two of the Prime Ministers – Benazir Bhutto and her father – were also assassinated because of the system. Therefore, what I plead to all our leaders here is not to give any provocative statement as far as Pakistan is concerned in general because the country itself is not a terrorist country. The people are like us and extremely peace loving. They love our country more than they love themselves – that is what recently Pakistan's cricket captain mentioned. So, we do not have any reason to doubt Pakistan as far as the peace process is concerned.

The Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif; the Army Chief; National Security Advisor, Naseer Khan Janjua; ISI; Director General of Military Operation – all of them have sympathized with us and they want to root out all the terrorist outfits. They genuinely wanted to have a joint investigating team with India in this regard. So, there is no reason for us to doubt Pakistan any more. We have a lot of interest in Pakistan in general. These two are very important countries in South Asia. China and USA have been repeatedly telling us that we should go for a regular peace-talk, which is extremely important. China is also joining us in the peace-talk. So, we should continue it.

The earlier speaker, Ms. Kavitha has rightly pointed out that there are quite a few lapses, in fact, the avoidable lapses. At least, we have a dynamic Defence Minister, with vast experience at his background. So, he should do something to improve the intelligence system. I do not know why there is a failure of intelligence system every time. It is extremely unfortunate that for 24 hours the terrorists were roaming around. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: Sir, we need to improve our intelligence system. Once it is done, we will not have these kinds of incidents. It is unfortunate that there were lapses on the part of the BSF. ... (*Interruptions*) Sir, at lease, in border areas, in Punjab and Jammu & Kashmir, the police should

coordinate with us. There is also a narcotic angle. If we do not take these things seriously, similar things will happen in future also. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

16.00 hours

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: For such important installations why are we going with DSC – Defence Security Corps when we are having the professional services? So, it is very unfortunate. So, all these angles must be looked into. There is one more point, which I would like to bring to the kind notice of the hon. Defence Minister, is that Wagah Border is extremely provocative.

HON. CHAIRPERSON: Shri Dharmendra Yadav.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): सभापित महोदय, हिन्दुस्तान और पािकस्तान की जनता चाहती है कि दोनों देशों में दोस्ती हो, हम सरकार के प्रयास को सहयोग और समर्थन करते हैं कि वार्ता होनी चािहए। जब-जब हिन्दुस्तान और पािकस्तान की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ तो हम फर्क के साथ कह सकते हैं हिन्दुस्तान के बहादुर सैनिकों ने पािकस्तान के सैनिकों को हमेशा हराने का काम किया। इस बात का बहुत अफसोस होता है कि जब भी नेतृत्व के बीच वार्ताएं हुईं, दोनों राष्ट्रध्यक्षों के बीच में वार्ता हुई, हिन्दुस्तान और पािकस्तान के बीच में वार्ता हुई, चाहे कोई भी कमजोरी रही हो, कोई भी पिरिस्थित रही हो, यह हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि

16.01 hours (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

हमारा देश हमेशा वार्ताओं में हारा है, कभी जीता नहीं है। यह भी सच है कि जब भी वार्ता की शुरूआत हुई चाहे अटल जी के समय वार्ता की शुरूआत हुई चाहे आज मोदी जी कर रहे हैं। उन तमाम वार्ताओं के बीच जब भी वार्ता करने की कोशिश की गई तब-तब पाकिस्तान की सेना के इशारे पर या आईएसआई के इशारे पर कई मौकों पर आतंकी हमले हुए। मैं इस मौके पर अपनी पार्टी की ओर से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। आप मजबूत वार्ता करें वहीं हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किसी तरह का समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय नेता जी बैठे हुए हैं। नेता जी ने लोहिया जी की विचाधारा को मानते हुए हमेशा हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश संघ की बात की लेकिन महासंघ की बात का मतलब यह कभी नहीं रहा, जब आदरणीय नेता जी को रक्षा मंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सियाचीन की सीमा पर काम किया। हमें दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा, वार्ताएं भी जारी रखनी पड़ेगी क्योंकि जब पड़ोसी के साथ दोस्ती होगी तभी तरक्की, खुशहाली और शांति होगी, लेकिन दोस्ती का मतलब यह नहीं कि हम अपनी सीमा पर लापरवाही कर दें। जब आपके पास पहले से इन्टिलिजेंस की रिपोर्ट थी उसके बावजूद पाकिस्तान के आतंकवादी हिन्दुस्तान में घुसे और कमांडेंट की गाड़ी चुराने के बाद 24 घंटे तक पंजाब में घूमते रहे और उसे मौका मिला कि एयरबेस पर जाकर हमला बोल दिया। आखिर पंजाब सरकार और हमारी सेनाएं क्या करती रहीं। 24 घंटे से सूचना होने के बावजूद हिन्दुस्तान के एयरबेस पर हमला करने का मौका मिले। हमारे 7 बहादुर सैनिक शहीद हो गए। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी है और अगर वह जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जो सैनिक शहीद हुए हैं, जिन सैनिकों की हत्याएं हुई हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है इस बात को भी तय करना पड़ेगा। जब वहां सैनिक मौजूद थे, एयरबेस में थल सेना और पंजाब सरकार की पुलिस मौजूद थी, दिल्ली से ब्लैक कैट कमांडों जब तक नहीं पहुंचे तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के आतंकवादी हमले के समय भी सरकार अनिर्णय की मुद्रा में होगी, सरकार

की संकल्प शक्ति कमजोर होगी, सरकार के तारतम्य में कमजोरी होगी तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याएं आएंगी।

मुझे मोदी जी का भाषण याद है जब वह चुनाव के समय दे रहे थे। मथुरा का नौजवान हेमराज शहीद हुआ। उस समय कहा गया था कि एक हेमराज के बदले 10-10 लोगों के सर लाएंगे। हम ही नहीं पूरे देश के लोगों ने उम्मीद लगा ली थी कि मोदी जी की इच्छा शक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मजबूत है। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जब चीन के राष्ट्रपति जी के साथ अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री जी झूला झूल रहे थे उस समय चीन की सेनाएं हमारी सीमा में घुस रही थी 56 इंच का सीना कहां चला गया, आपकी संकल्पशक्ति कहां चली गई। आप आरोप लगाने लगते हैं। मैं सलीम साहब की बात से सहमत हूं कि पूरी की पूरी सरकार द्वारा जेएनयू को लेकर डेढ़ महीने से बहस चलाने का प्रयास किया गया। मुझे खुशी होती यदि आप इतनी बड़ी शक्ति देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में लगाते तो कोई हिन्दुस्तान की तरफ चाहे वह कितना भी शक्तिशाली आतंकवादी क्यों न होता उनकी हिम्मत नहीं होती कि इस तरफ टेढी आंख करके देखता।

इसिलए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं कि आप राष्ट्रवाद का सवाल बार-बार मत उठाइये। इस देश का हर व्यक्ति, जो हिन्दुस्तान का नागरिक है, वह राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद पर आपके प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अहसास है और हम लोग उस विचारधारा से निकले हैं। भारत-पाकिस्तान के महासंघ से लेकर देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर आदरणीय नेता जी ने सियाचीन में जो उदाहरण पेश किया है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में वैसा किसी ने नहीं किया। जब नेता जी रक्षा मंत्री थे, उस समय उनके नेतृत्व काल में सुखोई, जो आज भारतीय वायुसेना का सबसे मजबूत विमान है, शामिल हुआ।

जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, तो मै कह सकता हूं कि पूरा हिन्दुस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरकार के साथ है। अब सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन जब देश का हित और राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है, तो सबसे पहले समाजवादी लोग और समाजवादी ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की तमाम विचारधाराओं को मानने वाले लोग भी एक होते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हम आपसे अपील करेंगे कि वार्ताएं हों, लेकिन वार्ताओं का मजबूत आधार होना चाहिए। वार्ताएं हों, लेकिन वार्ताओं को साथ आत्मशक्ति और आत्मविश्वास भी होना चाहिए और उन वार्ताओं के बाद देश के सैनिकों का मान-सम्मान और उनकी कुर्बानी पर कोई आंच न आये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वार्ता कर ली, लेकिन अगले दिन ही हमले हो जायें। हम लोगों की सूचना के बाद, इंटेलीजैंस की रिपोर्ट के बाद भी अगर

हमले होते हैं और उनमें सैनिक शहीद होते हैं, तो उनकी शहादत के लिए सरकार में बैठे हुए बड़े लोग जिम्मेदार हैं। इस बात को कहने में हमें कोई संकोच नहीं है।

इसलिए हम रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप ऐसी योजनाएं बनाइये ऐसे कार्यक्रम और नीतियां बनाइये, जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े। हमारे सैनिकों का मनोबल न गिरे, यह हमारी आपसे प्रार्थना भी है और निवेदन भी है।

इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जो घटनाएँ हुई हैं, उन घटनाओं से सबक लेकर हिन्दुस्तान की सरकार एक ऐसी नीति बनायेगी, जिस पर चलकर आने वाले भविष्य में कभी भी कोई भी देश हो, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, किसी की भी हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न हो। आप ऐसी नीति और कार्यक्रम बनाइये। हम समाजवादी लोग देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए मजबूती से आपका साथ देंगे। धन्यवाद।

श्री अश्विनी कुमार (करनाल): सभापित महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने आपको खुशिकरमत समझता हूं कि मुझे पािकरतान की दिरिंदगी पर बोलने का मौका मिला। मेरा गृह राज्य पंजाब है, लेकिन मैं पठानकोट के नजदीकी शहर जालंधर में पैदा हुआ हूं। मैं हिरयाणा से इस सदन का सदस्य हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आतंकवाद को जितना मैंने अपनी आंखों से देखा है, उतना शायद ही यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति ने देखा होगा। पािकरतान के आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसपैठ करके दहशतगर्दी फैलाना, पंजाब और कश्मीर को भारत से अलग करना और अन्य भारत विरोधी गतिविधियों में शािमल होना, यानी वर्ष 1947 से पठानकोट तक की एक लंबी दास्तान है, जिसे मैं सुनाने लगूं, तो आप घंटी बजाने शुरू कर देंगे। वर्ष 1980 के दशक में पािकरतान ने पंजाब में कुछ नौजवानों को गुमराह करके पैसे और हथियार से मदद करके पंजाब को अलग करने का घिनौना खेल खेला, जिसमें हजारों लोगों को चुन-चुनकर मारा गया। मैंने उन हालात को अपनी आंखों से देखा है। मैं पंजाब की जनता और वहां की पत्रकारिता को सलाम करता हूं, जिन्होंने बड़ी बहादुरी और निडरता से, अपने लेखों से भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखा।

सभापित महोदय, मैं पठानकोट एयरबेस की बात करना चाहता हूं। वहां जो हमला हुआ, वह भी एक लंबी कड़ी का हिस्सा है। आज जरूरत है कि पाक की नापाक हरकतों को कैसे रोका जाये। पठानकोट हमला रोका जा सकता था, अगर भारत-पाक सीमा ठीक ढंग से सील की गयी होती। मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायिरंग करता है और उसमें नौजवान फौजी और अफसर देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवारों पर क्या बीतिती है, यह आज तक किसी ने भी उन परिवारों के बेगुनाह लोगों से जाकर नहीं पूछा होगा।

मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान की सेना देश की असल में हुक्मरान है। वहां के हुक्मरान पाकिस्तान की सेना के इशारे पर चलते हैं। वहां की असली ताकत वहां की फौज है। सीमा पार से ड्रग्स, नशीले पदार्थ, जाली नोटों नैक्सस से जुड़े हुए हैं और हमारे देश के कुछ देशद्रोही लोग इसमें शामिल हैं। तस्करी से टेरिस्ट भी भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। पंजाब में नौजवान पीढ़ी बुरी तरह से नशे की शिकार हो चुकी है।

महोदय, रक्षा मंत्री का यह बयान कि हमें हमले की जानकारी थी, इसके बावजूद हमला हुआ। उग्रवादी 50 किलोग्राम गोला-बारूद, 30 किलोग्राम ग्रेनेड और असाल्ट राइफल लेकर भारतीय सीमा में आए। यह चिंता का विषय है। हमारी सुरक्षा में कमी है। हम यूनाइटेड नेशन्स में सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने ही घर में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। सीमा पर

हमारी सुरक्षा भिन्न-भिन्न अंगों के पास है। आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय देखता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी रक्षा मंत्री जी के अधीन है। डिप्लोमेसी विदेश मंत्रालय देखता है। मैं समझता हूं कि इन तीनों अंगों के समन्वय में कमी से ही सब कुछ होता है, पाकिस्तान से अटैक होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

महोदय, माननीय मोदी जी पहली शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान गए थे, आज इसे पूरा विश्व सराह रहा है। युद्ध समस्याओं का हल नहीं है। War does not decide who is right, it decides who is left. हमें पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के साथ शांति वार्ता का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ अपनी सीमाओं और घरेलू सुरक्षा को और सुदृढ़ करना चाहिए क्योंकि विश्व में इस्लामिक स्टेट का फैलना, अफगानिस्तान में तालिबान का फिर सिर उठाना और विरोधी संगठनों में अलकायदा का उभरना भारत के लिए और विशेषकर कश्मीर के लिए खतरे की घंटी है। क्यों नहीं कश्मीर में लागू 370 को समाप्त करने के लिए गंभीरता से विचार किया जाता? क्यों नहीं हम पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करते? क्यों नहीं हम कश्मीर में एक प्रधान, एक निशान, एक निशान को लागू करने का प्रयत्न करते? क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा सेना के हवाले कर देते जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते? हमारी सीमाओं पर सेना होनी चाहिए। इन सारे सवालों के बावजूद शांति वार्ता जारी रखनी चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: There is no time, so please conclude now.

SHRI ASHWINI KUMAR : Sir, this is my maiden speech, so please give me two more minutes. अब्राहिम लिंकन ने कहा था -

"The best way to destroy an enemy is to make him a friend." (e3/1615/asa/sr) आखिरी चार पंक्तियां हैं"-

"खून अपना हो या पराया हो, नस्ले-आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मग़रिक में, अमन-आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरें या सरहदों पर, रूहें-तामीर ज़ख्म खाती हैं, खेत अपने हों या गैरों के जीश्त फ़ाकों से तिलमिलाती हैं, टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख़ धरती की बांझ होती है, जंग- क्या मसलों का हल होगी, जंग तो खुद एक मसला है।"

इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सबके आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय सभापित जी, एक ऐसे मामले पर बहस हो रही है और राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत कर रही है और यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। जो इस राष्ट्र से आवाज निकल रही है, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी लोग सुन रहे हैं। इसिलए राष्ट्र की एकता, राष्ट्र में अमन और राष्ट्र की सुरक्षा की चौकीदारी, इसकी पहरेदारी और इसकी हिफाजत करने का कर्तव्य इस देश में पैदा होने वाले हरेक नागरिक और हम सभी राष्ट्रभक्तों और नागरिकों का है।

यह 125 करोड़ लोगों का देश है। देश की सुरक्षा के सवाल पर हमारा देश मिन्ट भर भी समझौता नहीं करने वाला है। हम सभी एक हैं चाहे सत्ता पक्ष में रहें या विरोध में रहें लेकिन राष्ट्र की धरती पर हमारा एक कतरा भी लहू गिरेगा तो हम अपनी जान की बाजी राष्ट्र को बचाने के लिए लगा देंगे। हम एक हैं और हम इस मसले पर एक रहेंगे और आज की तारीख में 125 करोड़ के देश में तिरंगे में लिपट कर जब हमारे भाई आते हैं तो देश की मां रोती है, देश की बहन रोती है, सुहागिनों की मांग के सिंदूर पुछते हैं, हाथ की चूड़ियां टूटती हैं, और हमको यह एहसास अगर नहीं होता है तो हमें यह एहसास करना है कि जो सीमापार से आतंकवादी 50 कि.मी. पठानकोट के एयर बेस में घुसा, इससे राष्ट्र को सबक लेना चाहिए। राष्ट्र को चौकस होना चाहिए। राष्ट्र मरता है और अगर घटनाएं होती हैं तो राष्ट्र की आंखों में आंसू आते हैं। इसीलिए खतरे की घंटी बज गई है। हम यह नहीं कहते कि गुनहगार कौन हैं लेकिन सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको यह कबूल करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है; हमारा रक्षा कवच कमज़ोर था। इसीलिए 50 कि.मी. एयर बेस में आतंकवादी दुश्मनों ने घुसकर हमारे सैनिकों को गोलियों से छलनी किया। इसीलिए आतंकवाद से लड़ना बहुत जरूरी है।

आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते। पड़ौसियों से हम रिश्ता चाहते हैं और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान पड़ोसी का रिश्ता भाईचारा पूर्ण एवं सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए। हम लड़ाई नहीं चाहते। हम खून बहाना नहीं चाहते लेकिन कभी भी अगर ऐसी बातें हों तो लड़ाई हिन्दुस्तान की धरती पर नहीं होनी चाहिए बल्कि दूसरे की धरती पर लड़ाई होनी चाहिए। इसलिए इन चीजों को देखना चाहिए कि कहां रड़ार में कमी हुई, कहां सुरक्षा प्रणाली में कमी हुई, कहां इंटेलीजेंस में कमी हुई, कहां सीमा-सुरक्षा में कमी हुई? इसलिए आज हम यह कहते हैं कि देश को एलर्ट रहना चाहिए। पठानकोट में घटना घटी तो कहा गया कि तैयार हो जाओ। हमला हो गया। एलर्ट हो जाओ। हम तब एलर्ट करते हैं जब हमारे यहां 50 कि.मी. अंदर दुश्मन घुस जाता है, इसलिए ऐसी चौकसी हमारे यहां होनी चाहिए कि घटना घटने के बाद हम एलर्ट नहीं करें, बल्कि हमले के पहले ही इतना एलर्ट रहें कि दुश्मन आतंकवादियों के छव छुड़ाकर उनको सीमा में घुसने ही नहीं दें।

माननीय गृह मंत्री जी सदन में बैठे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी भी हैं। हमारे देश की सीमाओं से आतंकवादी देश में घुसते हैं, इनकी संख्या का भी पता नहीं है। कभी कहा गया कि पांच आतंकवादी हैं, कभी कहा कि नहीं सात आतंकवादी हैं, कभी कहा कि सारे मारे गए। राष्ट्र का कामकाज ऐसे नहीं चलता है। जब राष्ट्र का सवाल आता है तो उस लोग एक हो जाते हैं। युद्ध के समय राष्ट्र एक हो जाता है और आपस में बिखराव खत्म हो जाता है। युद्ध में, बेटी की शादी में और शमशान घाट में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में हम सभी एक हैं लेकिन हमारी नज़र जेएनयू की घटना पर जाती है। कन्हैया राष्ट्र का छात्र है। आज की तारीख में मैं कहना चाहता हूं कि जो सैनिक मरे हैं, उन्हें में सैल्यूट करता हूं। यह कहा जाता था कि 56 इंच का सीना है, कहा जाता था कि कराची में हमारी मिसाइल गिरेगी, लाहौर में मिसाइल गिरेगी लेकिन सीमा पार से आतंकी आ रहे हैं। भारत को एक रहना है और आतंकवाद का सामना करना है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the issue of Pathankot terrorist attack. First of all, I take this opportunity to salute and also pay my tributes to the brave soldiers who have laid their lives for the safety and security of our country India.

Sir, the Pathankot terrorist attack, the real incident which took place, was well established by the opening speaker Mr. Kalikesh and I would like to support the argument advanced by him. And I would like to highlight the intelligence lapse as well as the communication lapse.

As everybody knows, Pathankot airbase is the biggest airbase in India that too in northern India and it is located near India-Pakistan border. In 1965 war as well as in the Kargil war, this Air Force Base had played a decisive role in protecting the security of our country. Such a very sensitive and strategically important centre being attacked by five or six or eight terrorists and our not being able to counter it within the time as we wish means that it is absolutely an intelligence lapse on the part of the Government.

We have so many intelligence agencies – Military Intelligence, IB, RAW and even the State Government Intelligence Bureau and many more. But unfortunately we were not able to anticipate the attack or get any information though previously so many incidents in the same District happened in the same manner. So, it is absolutely an intelligence lapse on the part of the machinery of the Government.

The second issue is the communication lapse. That there was big communication lapse was evident from the fact that even the Home Minister of the country, Shri Rajnath Singhji, was not able to get information as to what was happening in Pathankot. That means there is no coordination among different Departments of the Government. Even the Home Minister was making a statement that the terrorist attack was over and everything was brought back to normal state while it actually was not.

That means the entire Ministry is in darkness. The specific point which I would like to ask the Government is how many times the Cabinet Committee on Security met during this time? Has the Cabinet Committee on Security met and taken any decision? This Parliament would like to know it. There is no coordination between various Ministries and State Governments.

We would like to know from the Government that in monitoring the entire activities to meet the situation, who is having the specific responsibility? Unfortunately, the entire picture goes to show that there is no coordination among the Ministries and nothing is being done to meet a grave situation, whenever it arises.

With regard to our response, it took us more than 24 hours to counter six terrorists to mitigate the situation. It is an unheard of thing. How are these infiltrators from Jaish-e-Mohammad able to come to such a sensitive and strategically important scenario? I still feel it is with the connivance of some agencies who are working in India. That is my apprehension.

The third point which I would like to make is that the argument advanced by the Government is that vital assets have not been destroyed even after 24 hours of serious terrorist attack. It is shameful for the Government to say nothing has been destroyed. Six terrorists coming, attacking and challenging the State with arms and ammunition and the Government saying that nothing is destroyed is not a case of benefit as far as the country is concerned. It is not a good argument. Besides, what have we learnt from the 26/11 Mumbai terrorist attack? If we had learnt something from the 26/11 Mumbai terrorist attack, definitely this would not have happened. I do concede the fact that after 26/11 Mumbai terrorist attack at the time of Shri P. Chidambaram, the then hon. Home Minister, a lot of things have been done but they are not sufficient. But, I would like to know from the Government that in order to improve the security apparatus of our country, what are the things the Government has done during the two years?

My final point is regarding the Indo-Pak relationship. We would like to know what is the Pakistan policy of the NDA Government, which is now in power. We are still not aware of it. One fine evening, the hon. Prime Minister changes his itinerary and decides to divert the flight directly to Lahore and to have tea with Pakistan Prime Minister and it is termed an intelligent diplomatic move. The entire media appreciates it. Within 24 hours, Pathankot attack takes places just as the Kargil war took place. So, we would like to ask the Government very specifically, please spell out the Pakistan policy. You have said to us that terror and talk will never go together. That was the political position taken by the BJP. Now, we would like to know from the BJP and the Government whether this terror and talk would go together. What is the Pakistan policy which is being pursued by the Government? We would like to know it from the Government.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): सभापित महोदय, आज नियम 193 के तहत पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले पर चर्चा हो रही है। मैं कलिकेश जी को धन्यवाद दूंगा कि सदन के एक महीने समय के बाद आज इनिशिएट किया गया। पठानकोट हमारे देश का सबसे अहम एयरबेस है, बॉर्डर से लगा हुआ है, बॉर्डर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आज वहां पर और उस रीजन में निरंतर आतंकवादी हमले होते हमने देखे

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि पठानकोट के पास मिलिट्री की चार अलग-अलग बटालियन्स पोस्टेड थीं, मगर सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी की दिल्ली से एनएसजी के कमांडोज को वहां लाकर ऑपरेशन चलाना पड़ा? एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज हैं, मेरे प्रदेश हरियाणा का एक कमांडो वहां शहीद हुआ। क्या बात हुई कि हमें गरुड़ कमांडोज जैसे ट्रेन्ड कमांडोज को पीछे करके एनएसजी कमांडोज को वहां लाना पड़ा?

माननीय सभापित जी, क्या वहां पर कोई कॉर्डिनेशन प्रॉब्लम रही, क्या ऐसा कोई कार्य रहा, जहां एन.एस.ए. को हमारी डिफेंस फोर्सेज के ऊपर आकर उस ऑपरेशन को चलाना पड़ा? अखबारों में छपी रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं। तीन पहले एक अखबार ने लिखा था कि चार आतंकवादी थे। आज एक अखबार लिखता है कि छः थे। सरकार ने खुद स्पष्टीकरण दिया था कि छः थे। क्या हम इसे स्पष्ट कर पाए कि कितने आतंकवादी थे, जिन्होंने हमारे इतने अहम् बेस पर एक षड्यंत्र के तहत अटैक करने का काम किया?

जब हमारे पास इंटैलिजेंस की सूचना थी कि आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश कर चुके हैं और कोई बड़ी आतंकवादी घटना होने वाली है, तो क्या नहीं हमारी एक बटालियन को, चार में से एक, जो वहां पोस्टेड थी, उस बेस की सुरक्षा के लिए उसे भेजने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया? क्यों दुर्घटना होने के बाद वहां कवरअप ऑपरेशन के लिए हमारी फोर्सेज को भेजा गया? क्या पठानकोट में एयर फोर्स का रोल कहीं वीक था? क्या हमारी एन.एस.ए. ने सोचा कि हमारे एन.एस.जी. कमांडोज़ कुछ अच्छा कर पाएंगे इसलिए हमारी एयर फोर्स को पीछे लाकर उस ऑपरेशन के अंदर एन.एस.जी. कमांडोज़ को भेजा गया?

मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि जब वहां आर्मी की चार बटालियंस थीं, जिनमें इंफेंटलरी बटालियन भी मौजूद थी, तो क्यों उन्हें हटाकर, ऐसे ऑपरेशंस से निपटने के लिए जो ट्रेंड लोग हैं स्पेशल फोर्सेज के माध्यम से, एन.एस.जी. कमांडोज़ वहां भेजे गए?

इस अटैक को एक अर्सा हो चुका है, क्या आज भी उस बेस की सरकार द्वारा जो इंक्वायरी की जा रही है, वह पूरी तौर पर समाप्त हो गई है? अगर हो गई है तो सरकार इसका स्पष्टीकरण दे? अगर

नहीं हो पाई तो क्या हमें इतना समय क्यों लग रहा है कि हम इतने अहम् विषय को, जिसमें पाकिस्तान का रोल पूरी तरह से स्पष्ट है, जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों ने, जिन्होंने यह अटैक किया था, उनकी कॉल रिकार्डिंग्स हैं कि वे अपने दाताओं से पाकिस्तान से सम्पर्क करके इस गतिविधि को आगे ले जाने का काम कर रहे थे? क्या हमारी सरकार पाकिस्तान से चर्चा करती रहेगी या एक्शन लेने का भी काम करेगी?

मेरे एक साथी कह रहे थे कि धारा 370 हटा दी जाए। आपकी सरकार है, आपके पास सदन में बहुमत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे अहम् फैसले सरकार लेना चाहती है, तो हम आपका समर्थन करेंगे, आप इस धारा 370 को हटाने का काम कीजिए।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हमारा कर्त्तव्य है। अगर धरने पर बैठे लोगों को हटाने के लिए हमें आर्मी को भेजना पड़ता है तो क्यों नहीं जब हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो आर्म्ड फोर्सेज़ को प्रथम तौर पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भेजने का काम करें? वहां पर चार बटालियंस हैं, 13 किलोमीटर का रीवर का फासला है, सिर्फ हम उसे गार्ड नहीं कर सकते।

आज अगर एक नेता पर आरोप लग जाते हैं तो सुबह प्रधान मंत्री का त्याग पत्र हमारे कुछ साथी मांगते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के माध्यम से यह दूसरा अटैक एक ही रिजन में हुआ। वहां के आई.जी. जो इसके जिम्मेदार थे, क्या उनका त्याग पत्र किसी ने मांगने का काम किया? हमेशा अधिकारी मजबूती के साथ वहां बैठा रहता है, लेकिन अगर कोई नेता कहीं कमी कर देता है तो रातों-रात उसका इस्तीफा मांगने के लिए हमारे ही साथी, हमारे मीडिया के साथी हमारे पीछे पड़ने का काम करते हैं। मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कोई अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार माना गया, क्योंकि लैक ऑफ कॉर्डिनेशन और लैक ऑफ इंटैलिजेंस की वजह इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे देश में हुई।

16.34 hours

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2016*

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up the Supplementary List of Business. Bill to be introduced – Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 16.03.2016.

16.35 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation arising out of recent terror attacks at Pathankot Airbase...Contd.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापित महोदय, आपने पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, सबसे पहले हमारे जो सात जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको सेल्युट करता हूं। मैं सरकार से दो-तीन बिंदुओं पर जवाब चाहूंगा। अभी तक सरकार यह नहीं जान पायी कि कितने आतंकी देश में आए थे। कभी 4, कभी 6 बताए जा रहे हैं। हमारे देश में सूचना तंत्र इतना कमजोर क्यों है, इस बारे में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। हमारी सेना के जवान 16-18 घंटे लगातार आतंकियों से भिड़े रहे, लेकिन हम यह नहीं जान पाए कि कितने आतंकी बाहर से आए और फिर बाहर भाग गए। इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सही संख्या के बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रश्न उठता है कि सरकार का सूचना तंत्र विफल क्यों हुआ, इसके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। प्रान्नीय मोदी जी की जब सरकार बनी तो 120 करोड़ लोगों ने यह उम्मीद की थी कि हमारे देश की सुरक्षा निश्चित रूप से मोदी जी करेंगे और जहां भी गए थे, वहां यह बात रखी थी कि हमारा 56 इंच का सीना है। यह केवल सरकार के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चुनौती है कि बाहर से आतंकी आते हैं और हमारे जवानों को मार कर चले जाते हैं और हम मुंह देखते रह जाते हैं। हमारी सरकार लगातार, चाहे किसी की भी सरकार हो, अभी तक हम इन चुनौतियों को स्वीकार करते रहे हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देने में नाकाम रहे हैं। हम सभी देशवासी पहले भारतवासी हैं और हम सभी सरकार के साथ हैं। पूरे देश ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और मैं चाहता हूं कि इस चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में यदि सरकार सक्षम है तो हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं।

महोदय, कब तक हम आतंक के साये में हम लोग जीते रहेंगे? आए दिन आतंक की कोई न कोई घटना होती रहती है। सरकार इन सब से कोई सबक नहीं ले रही है। अब समय आ गया है कि इन लोगों को उचित जवाब दिया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बहुत लम्बा भाषण दिया और बहुत ही सटीक जवाब दिया है, निशिकांत दूबे जी ने जो सवाल-जवाब रखे, वह पार्लियामेंट के लोगों को भी गुमराह कर रहे थे। वह गड़बड़ कर रहे थे। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, यह सवाल आज देश के सामने है कि हम आखिर कब तक आतंकियों से लड़ते रहेंगे या इस समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त भी करेंगे, इस बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सर, यह हुकुमत को अगर इख्तिदार मिला तो चार मुद्दों पर मिला...(व्यवधान) पहला मुद्दा था और अहम था कौमी सलामती का। कौमी सलामती को सामने रखकर मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा...(व्यवधान)

जब से हुकुमत इख्तिदार पर यह पार्टी आयी है चार अटैक फिदायीन के अफगानिस्तान में हुए, जिसमें 14 फिदायीन मारे गए...(व्यवधान) 14 अटैक फिदायीन के हिन्दुस्तान में हुए, जिसमें 42 फिदायीन मारे गए। मैं साथ ही साथ आपको यह बताना चाहूंगा कि जनवरी 2, 2006 को मजारे-शरीफ में जब दहशतगर्द मारे गए तो उन्होंने खून से अंग्रेजी में अफ़ज़ल गुरू को नाम लिखा। यही हालात सम्बा और कठुआ में हुए। मैं हुकुमत से जानना चाहता हूं कि अगर आप यहां ओपोजिशन में होते तो मुल्क से मोहब्बत की गरमी कुछ और होती, आज ठंडक क्यों दिखाई दे रही है, यह मेरा हुकुमत से सवाल है।

दूसरी बात यह है कि क्या यह बात सही है डिफेंस मिनिस्टर साहब कि पठानकोट में 12 घंटे तक एनएसजी एक एम्प्टी बिल्डिंग पर फायरिंग कर रही थी और बाद में मालूम हुआ कि बिल्डिंग खाली थी। तीन साल पहले जम्मू में इस तरह का हमला हुआ था तो दहशतगर्दों को दीवार पर मारकर खत्म कर दिया गया। मैं आपके ज़रिए से यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या यह बात सही है कि पाकिस्तान से जो टीम लेटर ऑफ रोगेटरी लेकर आ रही है, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मैं उनको अंदर नहीं जाने दूंगा, होम मिनिस्टर कहते हैं कि उनको अंदर जायेंगे या बाहर जायेंगे, कौन करेगा। क्या हम उस टीम को कोरोबरेटिव एविडेंस देंगे, क्या हमारी एनआईए की टीम पाकिस्तान जायेगी?

सर, मैं पूछना चाहूंगा कि यह सलिवन्दर सिंह का मामला क्या है, क्या यह जेनुइन है, क्या यह फ्रॉड है? अगर फ्रॉड है तो तीन महीने से आप खामोश क्यों बैठे हुए हैं। आप हमें यह बताइये कि सीसीटीवीएनेस को आप दो साल से पैसे नहीं दे रहे हैं। गुरदासपुर को एनआईए क्यों नहीं इनवेस्टीगेट करती। साथ ही साथ मैं यह जानना चाह रहा हूं कि पठानकोट के हमले के बाद जंजू ने कहा कि हम हिंदुस्तान का तआवून करेंगे और पठानकोट के बाद पंपोर हो गया। अब जंजू आपसे तआवून कर रहा है या जंजू आपकी पीठ में खंजर मार रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत इक्तिदार कौन से शरीफ के पास है और क्या वह हमसे शराफत से पेश आ रहे हैं? वहां पर दो-दो शरीफ हैं, शराफत आपको नजर आ रही है, मुझे शराफत नजर नहीं आ रही है।

सर, मैं कहना चाहता हूं कि तीन टैरिस्ट्स गुजरात में मारे गये। होम मिनिस्टर साहब आपको बयान देना चाहिए था, यह पार्लियामैन्ट की तौहीन है कि टीवी पर अखबार में आता है कि दस में से तीन

आतंकवादी मारे गये, सात आजाद फिर रहे हैं। क्या यह पार्लियामैन्ट की तौहीन नहीं है कि होम मिनिस्टर को खड़े होकर बताना चाहिए कि वाकई में मरने वाले दहशतगर्द थे, बाकी वे सात कहां पर हैं।

सर, आपने इलैक्शन मेनिफेस्टो में वायदा किया था कि आप नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल का रिफोर्म करेंगे। कम्पलीट रीवैम्प ऑफ मॉडर्न इन्टेलिजेन्स, उस वायदे का क्या हुआ। इलैक्शन तकारीर के दौरान में वजीरे आजम बोलते थे कि हम ऐसा करेंगे, यह करेंगे, अब आपको मालूम हो गया कि इलैक्शन की तकारीर शोबेबाजी पर मुश्तमिल थी, हकीकत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं था।

सर, मैं खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने तारीखी मौका खो दिया कश्मीर के उन आवाम का दिल जीतने का, जो हिंदुस्तान के खिलाफ सेन्टीमैन्ट कंटेन करने का मौका था। आज अगर कोई दहशतगर्द कश्मीर में मारा जाता है तो 40-50 हजार लोग उसके नमाजे-जनाजा में जाते हैं। आप क्या गवर्नेन्स कर रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हमारे 29 सिपाही मारे गये और उनके जनाजों में हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, पीडीपी है। अगर आप हुकूमत बना लेते तो यह मिसगवर्नेन्स नहीं होता।

मैं आखिर में हुकूमत से जानना चाहूंगा कि एनएसएबी का टेन्योर जनवरी में खत्म हो गया, आप कब बनायेंगे और मैं यह पूछना चाहूंगा कि अगर दोबारा हमला होगा तो कौन सा रैम्बो इसका इंचार्ज होगा? आपकी तो रैम्बो की हुकूमत है, आप तो हर चीज करेंगे। यहां पर बैठकर कहा था कि एक सिर का जवाब दस सिर से लेंगे। आप हाफिज सईद को भूल गये, लखवी को भूल गए और मसूद अजहर की बात कर रहे हैं। बताइये हाफिज सईद और लखवी आपके रहार पर हैं या नहीं? इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिन्द।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी दोनों बैठे हैं। मैं सबसे पहले देश के सभी प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक जितने प्रधान मंत्री हुए हैं, उनमें चाहे नरेन्द्र मोदी जी हों, उन्हें बधाई देता हूं। घर में आदमी दुखी हो तो जी लेता है, यदि पड़ोसी अच्छे नहीं हों, दोस्त न हों तो वह खुशहाल नहीं रहता। इसलिए पड़ोसी से अच्छी दोस्ती निभाने का देश के सब प्रधान मंत्रियों और वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से प्रयास किया, उसी रास्ते से देश का और पूरी दुनिया का सामरिक संबंध अच्छा रह सकता है, एक-दूसरे के साथ राजनीति करने और गाली देने से नहीं हो सकता। हजरत साहब न्यामत अली वली साहब एक फकीर थे। आज से आठ सौ वर्ष पहले उन्होंने खुदाबख्श की ओरियंटल लाइब्रेरी में शुद्ध अरबी भाषा में तीसरे विश्व युद्ध के कारणों को उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि यूरोप, अमरीका आदि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं। सूरदास ने गाने में यह कहा था - 'रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आयेगा, हंस चुगेगा दाना-तुनका कौआ रोटी खायेगा।' यह हमारी बात नहीं है, यहां राजनीति हो गई। लेकिन नानक साहब ने कहा था - 'न रहियन मूसा, न बिचयन ईसा'। मौहम्मद साहब ने क्या कहा था, आपको याद होगा। महात्मा सूरदास ने सतयुग की कल्पना की और गुरुनानक जी की बात मैंने आपसे कह दी और मौहम्मद साहब ने यहां तक कहा कि 1400 हिजरी के बाद कयामत आयेगी, भले ही इस्लाम की विचारधारा बच जाए, लेकिन हो सकता है कि मुसलमान भी न बचें और दुनिया भी न बचे। इस बात का जिक्र उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है। इसके अलावा अरविन्द घोष की भविष्यवाणी थी। बंगाल के महान आध्यात्मिक संत रामकृष्ण परमहंस जी ने 1836 के 175 वर्ष बाद विश्व स्तर पर युग परिवर्तन की बात कही थी। वे चीजे सामनें दिख रही हैं। मैं गाली देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ।

लॉड लाइंस मॉनस्टन का कहना था कि If the third world war is fought with nuclear weapons, then the fourth world war would be fought with bows and arrows. अलबर्ट आइंटीन का कहना था कि I do not know how the Third World War would be fought, but I can tell you that people use rocks to fight the Fourth World War. मैं यहां पर आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अमरीका का रक्षा का खर्च 1563 करोड़ रूपये, चाइना का 145 करोड़ रूपये, सउदी अरब का 81.08 करोड़ रूपये, यूनाइटिड किंगडम का 56 बिलियन, रिशया का 91.06 और भारत 47 करोड़ रूपये है। जापान, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और ब्राजील मात्र भारत के बजट से कम हैं, तब भी वह ज्यादा सुरक्षित है। हिंदुस्तान की आंतरिक समस्या का सबसे बड़ा कारण नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। भारत में कुल 15 हज़ार किलोमीटर इंटरनैशनल बॉर्डर है, जिसमें से लगभग

5 हज़ार किलोमीटर ओपन है। जब हमारा बॉर्डर ओपन है और कोई रोकटोक नहीं है, कोई आ जा सकता है। यह बहस बहुत लंबी है।

आपको याद होगा कि चीन का बजट 600 अरब डॉलर है। चीन का लक्ष्य अगले दस सालों में अमरीका की बराबरी करना है। भारत उसके रक्षा बजट के अंदर अभी बढ़ भी नहीं सकता है। आप इस बात को जानते हैं। ठीक है आप आए, क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बात कही थी कि सैनिक से ज्यादा कठिन काम व्यवसायी करता है। यह बात प्रधान मंत्री जी के भाषण में है। मैं समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान में सैनिक से ज्यादा किसान और मज़दूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है। हिंदुस्तान में जितने किसान मरते हैं और मज़दूर मरते हैं, उतने शायद दुनिया में कहीं नहीं मरते होंगे। राजनीति के लिए एक दूसरे को गाली दे दें, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश की सुरक्षा और सामरिक विषय पर पूरा सदन आपके साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, आज पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपने आंतरिक कलह से परेशान है। वहां किसी एक व्यक्ति द्वारा पाकिस्तान को गाली देने से वहां के प्रधान मंत्री मरते हैं। हमें इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा। राजनीति करने के लिए किसी मुसलमान, हिंदु या किसी जाति को गाली दे कर के हम हिंदुस्तान की मजबूती की बात नहीं कर सकते हैं। हमें सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चल कर भारत के मजबूत नींव की कल्पना करनी होगी, तभी हम भारत के सर्वश्रेष्ठ को रख पाएंगे अन्यथा गाली दे कर और राजनीति कर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री हरीश मीना (दौसा): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, मैं देश की सुरक्षा व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने पठानकोट जैसे आतंकी हमले को विफल किया और हमारी पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, एयरफोर्स की चीजों को महसूस रखा। इसमें पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देशवासियों ने जिस तरह की एकता दिखाई, वैसी हमारे नेता यहां नहीं दिखा रहे हैं। वैसी एकता जो हमारे देशवासियों ने संकट की घड़ी में दिखाई, उसके लिए हमारी सेनाओं के साथ-साथ हमारे समस्त देशवासी बधाई के पात्र हैं। महोदय, भारत में यह पहला और आखिरी आतंकी हमला नहीं है, इससे पहले भी बहुत हमले होते आए हैं। हमारा वैसा ही रिस्पांस होना चाहिए। भारत में जो आतंकी हमले होते हैं, उसका स्त्रोत एक ही है, आतंकी संगठन भी एक हैं। जब ये चीज़ एक है तो हमारा उपाय भी एक ही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने नेबर्स को चूज़ नहीं कर सकते हैं, नेबर्स के साथ रहना पड़ता है। हम एक मात्र देश नहीं हैं, जिसके नेबरहुड में आतंकवादी रहते हैं या आतंकवाद होता है। इज़ाइल हमसे बड़ा पीड़ित है। इज़ाइल बहुत छोटा देश है। न उसकी आपके जितनी आबादी है और न ही अर्थव्यवस्था है। उसके जो पड़ोसी हैं, वे उससे धन में, शक्ति में आदि सब में बड़े हैं। परंतु वह भी तो आतंकवाद से निपट रहा है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है तब वहां सब पार्टियां एक ही बात पर केंद्रित रहती हैं कि देश की सुरक्षा का मामला है, देश के भविष्य का मामला है।

आपने देखा कि चर्चा पठानकोट के आतंकवाद पर हो रही थी और तरह-तरह के विचार व्यक्त किए गए, लेकिन किसी ने भी एक सुझाव यह नहीं दिया कि इसका मुकाबला कैसे करें? सभी एक-दूसरे में कमी ढूँढ़ रहे थे। इनके टाइम में हुआ, उनके टाइम में हुआ, ये जिम्मेदार, यह पार्टी जिम्मेदार, यह नहीं होना चाहिए। किसी के भी टाइम में हुआ हो, लेकिन भुगतता हमारा देश है, भुगतती हमारी जनता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विपक्ष को भी, हमारे सत्ता पक्ष को भी कि इस तरह से हमने संकट की घड़ी में एकता दिखाई।

महोदय, आप एक विषय देखिए कि आतंकवाद, आतंकवाद होता है, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, पर यह हमारा ही देश है, जिसमें आतंकवाद की भी हमने जाति बना दी। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सुना भगवा आतंकवाद, यह शब्द कहाँ से आया, हम आतंकवाद कह सकते थे, क्योंकि आप किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से, अच्छा कोई भी हो सकता है, बुरा कोई भी हो सकता है, कृपया करके आतंकवाद को किसी जाति या किसी धर्म का रूप न दें, क्योंकि आप शुरू कर देंगे, खत्म नहीं होगा, किसी के हाथ में नहीं रहेगा।

महोदय, आतंकवाद से लड़ने का काम हमारी सुरक्षा व्यवस्था का है और सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही मजबूत है, जितना हमारा देश मजबूत है और देश उतना ही मजबूत है, जितना देश संगठित है। हम इस सदन में पाँच सौ आदमी संगठित नहीं रह सकते तो पूरे देश से आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या सन्देश देंगे? मैं समस्त साथियों से अनुरोध करूँगा कि यह भारत के भविष्य का सवाल है, भारत की सुरक्षा का सवाल है, कृपया इसको गम्भीरता से लें और राजनैतिक मतभेद को छोड़कर देश की एकता के लिए ऊपर उठें और हम यहाँ से ऐसा निर्णय लें कि यह भारत में आखिरी आतंकी हमला हो। हम इससे कुछ सबक सीखें। मैं गृह विभाग से भी कहूँगा, मैंने आदरणीय राजनाथ सिंह जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, उसका जवाब तो मुझे अभी तक मिला नहीं है। मैं फिर से आग्रह करूँगा कि जहाँ भी कहीं घटना होती है तो एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेन्टर बनता है। उसमें उन लोगों को बनाया जाता है जो मौके पर निर्णय करते हैं, वे किसी से पूछते नहीं हैं। मीड़िया मैनेजमेंट उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। कृपया मीड़िया में ऐसे मैसेज न जाएं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको पता नहीं, उसको पता नहीं। जो हो रहा है देश पर हमला हो रहा है, उसका एक ही रिस्पांस होगा, एक ही जवाब होगा कि देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।

SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): Sir, I thank you for giving me, a new entrant into Parliament, a chance to say a few words. Thank you very much.

Throughout this short experience, being in this august House, I have found that people are always pointing fingers. When one finger is pointed at someone, three come back to you. It is true that our country has always wanted peace and we have proved it ever since Independence. We have proved it. Let us start from China. At that time, the late Pandit Jawaharlal Nehru had said हिंदी-चीनी भाई-भाई। We wanted friendship. We also have had the late Lal Bahadur Shastri who very kindly led us in Jai Jawan, Jai Kisan. I appreciate that. He brought a feeling of nationalism. What I cannot understand is, while all the fingers are pointed at our hon. Prime Minister, hon. Home Minister, hon. Defence Minister and so on, without having those three fingers coming for introspection, we also have the Simla Accord. Every time we have done something. Shri Atal Behari Vajpayee had tried to bring peace with Pakistan. We have always tried it. But what do we face? We face Osama Bin Ladins and Afzal Gurus.

Today, people in this august House have been supporting Afzal Guru and supporting those people who have raised *naras*. We are ashamed of Afzal Guru because the murderers are still alive even after going through a legal trial of eleven years and more.

The similarity between Osama Bin Laden and Afzal Guru is that they were terrorists. The difference is that one got eleven and a half years to try and prove his innocence and the other one was killed. But was any procession taken out in US, saying Osama we are ashamed because your killers are alive? Nothing was done. But here in this august House we have supported people taking out processions in support of Afzal Guru.

In the end, I would just like to ask this country one thing. Let all of us in this august House walk and get victory in peace. Let us stand on the podium of nationalism and wear the garland of democracy. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Defence Minister will intervene and the hon. Home Minister will reply to the debate.

Now, the hon. Defence Minister.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Hon. Chairman, Sir, and hon. Members, we have been discussing this issue for almost three and a half hours. I would like to bring certain facts before this august House because what I realize is Members spoke on the basis of media reports. When no media people were allowed to go in Pathankot, I wonder how did they know all these things. So, there has to be some *masala* in the reports or omission of certain crucial elements.

We have to understand Pathankot attack is an accumulation of asymmetric war. When they failed in conventional wars, as they failed in 1965 and 1971, the enemy resorted to thousand cuts, trying to bleed India. These are small attacks of weak forces on a stronger force when the weak forces know themselves that they are not going to succeed in defeating the stronger force. Of course, whenever *fidayeen* or terrorists come across, they know that they will be eliminated. In spite of that known fact, still they attacked or concentrated on small areas trying to create disturbances and to demoralize the stronger force.

Pathankot has to be taken as a part of asymmetric war. We should realize that this is an attempt wherein the opposition forces never expected to win but wants to create a sort of discord amongst our political leadership and amongst other leadership, including the military leadership so that moral strength of the military leadership gets weakened. This aspect is very important. I would like to point out that things do not happen overnight. The Intelligence build-up cannot be done overnight. One of the Members mentioned what I said, that is "If you inflict pain on India, we will inflict pain on those individuals and organizations who have inflicted pain on us." I think this has to be carried out. When armymen of 6 Dogra were killed in North-East, the Indian Government used its forces and ensured that those who inflicted pain were taken to task. Today, probably that is one of the reasons why North-East is — of course, the Accord that was signed also played its role — comparatively much more peaceful. I am not saying that it is entirely peaceful.

Intelligence which was developed, whether it is Deep Assets or the attempt of TSD formation by Gen. V.K. Singh, fell to the political aspirations, to the political policies and political scoring point. It is not only Ishrat Jahan.

17.00 hours

It was a political issue. I think, TSD also became a political issue. A Unit set up to eliminate terrorists was brought into open, leaking every information, demoralising the forces. I have seen many instances. I do not want to quote more instances. But I can quote many instances when military intelligence has been sacrificed at the altar of political goals. Once you do this to build up confidence, to build up intelligence and to build up deep assets, it takes time. It does not happen overnight. We are in the process definitely to ensure that our enemies cannot go scot-free. That is why I had mentioned those individuals and organisations. I had not indicated any country. I had indicated certain organisations which are making statements across the border about India, which we hear many times. They should be taught lessons. This compromise made earlier was probably one of the reasons as to why we are suffering today.

It was absolutely perfect when Prof. Saugata Roy stated about the failure of terrorists to reach their targets. Why have terrorists shifted towards Punjab? There is one reason. It is because the security forces have tightened their grip in Jammu & Kashmir. I would like to only quote two figures.

In 2014, 104 terrorists were neutralised, while we lost only 31 security forces. Thirty-one is a great figure for me. This I am comparing because earlier the ratio used to be almost 1:1. Now, ratio has shifted in favour of security forces to 3:1. In 2015, it was 97 and 33. I would like to indicate very clearly that the security forces tightening in Jammu & Kashmir has resulted in heat on terrorists and they are trying to shift downwards. Probably, Pathankot is one of the reasons why this has happened.

I would like to inform the House that when we acted pro-actively against the boat one year prior to this incident on a New Year Day, there was a lot of

criticism, though we had not shot at the boat. Why should the Coast Guard people go 200 kms. from the border and act pro-actively? I would not go into the details of who did it. But these are the backgrounds under which Pathankot happened.

I would like to indicate that some information which is wrongly... ... (*Interruptions*) I referred to a boat in Gujarat Coast on 1st January. I just brought out an incident. At that time, there were lot of criticisms saying as to why did you go 200 kms. away and intercepted it. You have to intercept your enemies away from the coast. Some people said that. I have not said that you said it.

In the case of Pathankot, I would like to inform the House that when NSA conducted the meeting, the Army Chief and Air Chief were present in the meeting. They were consulted; details were discussed. But it is not that we knew about the terrorists were near Pathankot at least at 3.30 on 1st of January. ... (*Interruptions*) SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Why did you not know about it? ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Defence Minister, please address the Chair?
... (Interruptions)

श्री मनोहर पर्रिकर: लोग जब सुनते नहीं है, तब ऐसा ही होता है। ...(व्यवधान) I said, it came to the notice. ... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): What is he telling? लोग सुनते नहीं है, तो ऐसा ही होता है। ...(व्यवधान)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: What I said is that it is not a fact that we knew about some terrorists' presence or the doubtful presence of terrorists only at 3.30. We had been informed.... (*Interruptions*) आप पूरी बात सुनिए। We came to know about suspected terrorist presence at 5.55 in the morning of Ist January. At 3.30 p.m., when NSA conducted a meeting, there was a specific information. When this meeting was conducted, the Army Chief and the Air Chief, both were consulted. They were present in the meeting. So, if someone thinks that the Army was not consulted, it is a wrong interpretation of the available

information. ...(व्यवधान) पहले आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। We knew about the incident at 5.55 in the morning of 1st January, when Brigadier R.R. Singh, station commander of Tibri Cantonment, Gurdaspur informed AOC, Pathankot at 5.55 that four suspects in Army fatigues hijacked a Mahindra jeep around five hours and may be heading towards Pathankot. That was the first information received. So, civil police were contacted for ensuring that outside perimeter patrolling is carried out. Villagers were contacted also at 6 o'clock by AOC. At 6.15, SSP Pathankot also informed this message what was earlier conveyed to them. So, tightening of security was going on till around 3.11 when there was specific information that terrorists are inside a military installation. Now, it should be noted that when you say military installations, there are ...(व्यवधान) वह नम्बर अलग है।...(व्यवधान) अभी नम्बर का इतना महत्व नहीं है। इंफॉर्मेशन मिला है, terrorists are there.

There is Pathankot Air Force Base but there is also 51 Infantry Brigade which is next door. There is 29 Infantry Division plus one Brigade and there is 21 Sub Area of the Army. It was not very clear where the terrorists had entered. So it is not only Pathankot Air Force Base but there are three more Army installations within seven-eight kilometres. ... (Interruptions) The information was military base; it need not be Air Force base at that time. At 3.30 p.m. this information and meeting of NSA took place. At 4.12, Mi-35 helicopters were also launched to find out. At 1700 hours, Army QRTs were requested; it is a wrong notion that Army was not requested; Army was requested to provide QRTs. The Army's response was, 'We will provide QRTs on requirement because we are also on alert.' The Army bases there were also on alert. They are all within about 7-8 kilometres distance. If anyone wants to see the map also, he can see, though I cannot lay it on the Table of the House.... (Interruptions) कोई उधर जायेगा तो उसे समझ में आयेगा। I will not lay it on the Table of the House but इंडिविज्वली अगर देखना है, नजदीक-नजदीक से देखना है, basically the issue was not very clear whether the terrorists had entered the Air Force Base or the Army installations. आर्मी ने क्यूआरटी टीम रेडी रखी थी with 10

minutes notice to be sent to any of these installations. Meanwhile, a decision was simultaneously taken to move the NSG mainly because Pathankot Airbase has Air Force asset and it has about 3000 families staying there. आप ने जो बोला, अर्बन वार फेयर, the NSG is trained in urban warfare. NSG was required because there are 3000 family members. Had these terrorists entered the family quarters, it was NSG which would have been required. Army was kept ready. When the Chief of Western Air Command flew there, he took with him additional Garud Commandos.

It was, first, when at about 2:20, the UAV which was launched, we spotted their movement. Terrorists were not moving freely. They were hiding in an MES area where discarded trucks and other material were lying. They were hiding probably for the full day. When their movement was noticed by a UAV, unmanned aerial vehicle, commandos from Garuda were launched and not NSG. One Garuda commando was shot in that exchange and when they realised that they will be eliminated – balance three terrorists were hiding there, totally four were in MES area – they ran away towards the DSC cooking area. There the NSG started cordoning them off. This happened at 3:30. At 4:30, Army Quick Reaction Team did enter the Pathankot Air Base. किसी को बराबर मालूम नहीं है कि आर्मी क्यों नहीं डिप्लॉय की। Army was fully deployed at 4:30. They reached there. I can read the exact portion of SOP of the Ministry. It says: 'whenever there is a multiagency operation, in which Army is called in, the command and control of operation shall remain with the Army.' This was immediately assumed by the Army and the Army was conducting the operation. They have got five or six BMPs. They have got other vehicles there. The terrorists were surrounded in a big ditch where they could not be seen. Using all these weapons and also the Air Force helicopters, finally, around 5:30, one terrorist was killed by DSC jawan and the remaining three were eliminated there. So, at that moment, at 3 o'clock, the same day, I had conducted a meeting and we had come to a conclusion that there were probably more terrorists. That is why, the operation was kept on. If you see

my tweet, it did not say 'the operation is over'. ... (*Interruptions*) There was, probably, a small error which was immediately corrected. ... (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, there was no coordination between you and the Home Minister. ... (*Interruptions*)

श्री मनोहर पर्रिकर: मेरा और होम मिनिस्टर का बहुत अच्छा कोआर्डिनेशन है। ...(व्यवधान) मैं वही बोलता हूं।...(व्यवधान) आपको वही जवाब देता हूं। ट्वीट्स का नहीं है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Please, do not communicate with each other.... (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : यह सूचना क्यों नहीं दी।...(व्यवधान) आपका संवाद चल रहा है। सूचना क्यों नहीं दी।...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर: मैं बताता हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : वे घुस कैसे गए, जब आपको पहले से सूचना थी।...(व्यवधान) आपने क्या एक्शन लिया?...(व्यवधान)

श्री मनोहर परिकर: आप पूरा सुनिए।...(व्यवधान) You are more interested in TV coverage.... (*Interruptions*) Listen to me.... (*Interruptions*) I did not disturb you. ... (*Interruptions*) Chairman, Sir, I did not disturb him. ... (*Interruptions*) HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, please go ahead.

... (*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Next day at 11 o'clock, the balance two terrorists were engaged when they started firing. रात को दस बजे के बाद फायरिंग का कोई भी इंसिडैंट नहीं हुआ।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सर, मेरा प्रश्न है कि पहले से आपको सूचना थी।...(व्यवधान)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: He does not seem to be interested in the discussion. ... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Chairman, Sir, please allow me to speak. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please allow the hon. Minister to speak.

... (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मंत्री जी ने बड़े विस्तृत तरीके से हमें बताया है और देश को भी बताया है कि पल-पल के ऑपरेशन में क्या...(व्यवधान)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I have not yielded.... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Scindia ji, hon. Minister is not yielding. You please sit down. Afterwards, you can ask your question.

... (Interruptions)

श्री मनोहर परिकर: इन्हें नोट करके बाद में पूछने दीजिए, अगर फाइनली पूछ सकते हैं।

HON. CHAIRPERSON: Exactly.

... (Interruptions)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Hon. Chairperson, Sir, this incident totally took only 43 hours, not three days or four days. The reason was very simple. The moment we had a meeting, we very clearly knew that we had trapped the terrorists in about 200 metres by 200 metres zone. My instructions to the Army Chief was very clear, and that was, "We should not lose any more person right from now till we eliminate them. Take your time." There may be newspaper, media continuous pressures for concluding the Operation in time. My instruction was very clear and there was no pressure of time because if you had trapped them properly, where would they run, and we would eliminate them without losing anyone or capture them. That was also another reason why we took time. ... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Nobody was captured. ... (*Interruptions*) SHRI MANOHAR PARRIKAR: Nobody could be captured because the two terrorists started firing at 11 o' clock on the next day, the 3rd. They probably did not have AK 47 but they had pistols with them. They had a lot of hand grenades and other explosives. So, they started throwing hand grenades and using other

explosives. There was a pistol firing, a revolver firing, and not AK 47 firing. But there was an attempt. We had also landed our Forces around that building. They were then taken out because we realised that we would not be able to capture them because they were hiding in the concrete cupboards. So, it was ultimately the decision of the local commander how to go about it. The instruction was general in nature that you do not lose your men. We had lost six people on the previous night and we do not want to lose anymore persons.

Col. Niranjan went there. It was wrongly painted that he did an error and all that. We have to honour our battle casualty. We should honour our *shaheed*. He was a highly trained person. He had 2,000 hours of bomb explosion and detonation in a bomb squad. He fell to bad luck or whatever it is. This was a new way the terrorists hid the bomb. Normally there is a mechanism by which they do it. But this was hidden in such a way that when it was taken out, it was a booby trap in a different way, not the normal SOP. Anyway, I will not go into that. We lost the seventh persons there. But we do not want to lose anymore.

Since we had encircled them, we were very sure that they were not in a position to escape. I think, these are the realities.

आपने पेरिस अटैक के साथ इसे कम्पेयर किया। The Paris attack was a suicide bombing attack, where there was indiscriminate firing killing 130 people, and that attack lasted about four hours. उसके बाद क्या हुआ, पूरे फ्रांस में इमर्जेंसी लग गया। We handled the situation in the normal circumstances. But in France, there was total emergency for three months. France sealed their borders; house-to-house search was conducted. ... (Interruptions) People compared the Paris attack to this incident. The Pathankot attack was a terrorist attack on an airbase where we managed to control them within 200 metres by 200 metres of area, which was away from the technical area, which was also away from the residential colonies. There were some foreign trainees. I cannot reveal as to which country they belong to. ... (Interruptions) I told you the fact. There were foreign trainees who had been evacuated successfully without any problem. I think, we totally foiled the

attempt of the terrorists in creating a big scenario. However, I feel that we are beating around the bush for issues which actually should have been considered in a different perspective.

This has to be treated as a war. Let us be very clear. Even small incidents of terrorism of this nature have to be treated as a war and they have to be given the same importance as well as secrecy they need. You cannot go on having a running commentary about such operations on television channels etc. This puts security forces in danger. On many occasions, I have seen it. It is also wrong to say that we did not move security forces. At 8 p.m. on the same night, from Samba one group came to Pathankot. At 12.30 in the night, another group was moved from Nahan to Gurdaspur. So, special forces were moved.

इसमें सबसे इम्पोर्टेट चीज है कि नाहन हिमाचल में है। From there, special forces were shifted to Gurdaspur.

SHRIMATI SONIA GANDHI (RAIBAREILLY): Do not give us all these details... (*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I am telling it because there was a question-mark, whether we moved enough security forces. It was said that when they were available, why did we not use them. In fact, we used them... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You have to safeguard the interests of the country... (*Interruptions*) Do not reveal all this information.

श्री मनोहर परिकर: मुझे मालूम है। मैं जो इन्फोर्मेशन दे रहा हूं, वह हम हाउस में भी देते हैं। इसलिए उतना ही इन्फोर्मेशन दे रहा हूं because there was an allegation that no special forces were shifted there. I am telling you that special forces were shifted... (Interruptions) नहीं, जरूरत है क्योंकि पूरा केलिब्रेशन, जो हमला हो रहा है, उसमें the Army did not act in an appropriate manner. There are many more things, which I would not like to reveal. The Army and the Forces acted with all the standard procedures they are trained for. They acted properly. We cannot give everything. What could be given to the House and in general public domain, has been informed by me to you.

I think, to make such an issue as a political issue, an issue of debate, is dangerous for the nation's security. We should start treating such terrorist attacks as more of a mini war conducted by our adversaries because they are weak. I can assure you that the gaps have been filled. When I said gaps, I am also aware. If someone comes to my house, may be I have caught him and trapped him in one room, but that indicates some weakness. We have already done the security audit of all the Defence Establishments. We are acting based on the recommendation. About the Defence Budget, 24 per cent was reported by a newspaper. I do not know where from they got this figure. But we have used the full Defence Budget which was given to us... (*Interruptions*) That figure is wrong. December figure was around 67 per cent.

I can assure you in this regard. Not only that, I have used a lot of money, which was lying with US Government under the Foreign Military Sales. We have an Agreement with them now, by which for next two years, we will not have to send them to dollars for procurement of the Foreign Military Sales. So, all these aspects are taken into consideration.

I would request everyone across the country that they should realize that there are many things, which we cannot reveal. हम क्या करने जा रहे हैं, कैसा सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया, इस बारे में अगर डिटेल बतायें तो I think, obviously, the enemy will take a chance and will use it against us.

So, I can assure you that the Defence installations are secured. 5 दिसम्बर, 2014 के बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में, इन डेढ़ सालों में there is not a single attack on Army installations. So, please appreciate the type of security audit we are doing. We have set up a Committee for security audit... (*Interruptions*) वहां टाइट हो गया, इसके लिए ...(व्यवधान) अभी सब जगह किया है।

So, Sir, I assure the House that our Defence Forces have taken and will continue to take all necessary steps to ensure that there is no breach in security of the Defence Establishments. Also, the command and control is perfectly well-

established and the SOP exists. No one needs to worry about this. We were informing each other quite frequently on these issues and we met very regularly on these issues. कई चीजें हैं, होने के बाद समझ जाएंगे।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :माननीय सभापित जी, पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बारे में यहां चर्चा हुई है और कई सम्मानित सदस्यों ने इसमें भाग लिया। सुरक्षा के जिन बहादुर जवानों ने एयरबेस को मुक्कमल सुरक्षित रखा और वहां के किसी भी इम्पार्टेंट इंस्टालेशन्स को डैमेज नहीं होने दिया, मुझे खुशी है कि अधिकांश सम्मानित सदस्यों ने उनको बधाई दी है। मैं भी सारे जवानों को बधाई देता हूं। जिन्होंने अपनी जानें गवाई हैं, मैं समझता हूं कि पूरे सदन ने उनको श्रद्धांजिल अर्पित की है और मैं भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजिल अर्पित करता हूं।

महोदय, जहां तक देश की सुरक्षा का प्रश्न है, आप जानते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे इससे पहले की सरकारें हों, किसी के ऊपर उंगली उठाकर नहीं कहा जा सकता है कि इस सरकार को इस देश को सुरिक्षत रखने के लिए तहे दिल से जो कुछ करना चाहिए था, पूरी ताकत लगाकर जो कुछ करना चाहिए था, नहीं किया। यह आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। मैं देश को सुरिक्षत रखने के मामले में किसी सरकार की नीयत पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता हूं। मैं जानता हूं सभी ने केशिश की है। देश को यदि सुरिक्षत रखना है तो हम केवल अकेले दावा नहीं कर सकते हैं कि हम अकेले देश को सुरिक्षत रखेंगे। इस देश को सुरिक्षत रखने में सभी राजनीतिक दलों का समर्थन चाहिए, पूरे देश की जनता का समर्थन चाहिए तभी जाकर यह देश सुरिक्षत रह सकता है। ... (व्यवधान) देश की सुरक्षा पर जब भी संकट आया है, चाहे जो भी सरकार रही हो, सारा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है।

महोदय, जहां तक पठानकोट का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सहयोगी मनोहर पर्रिकर जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दी कि कब इन्टेलीजेंस की सूचना प्राप्त हुई थी, किस तरह से फोर्सिस को मोबिलाइज किया गया था, फोर्सिस के बीच कोआर्डिनेशन किस प्रकार का था। इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सिस के जवानों के पराक्रम के कारण आज यह कामयाबी आतंकवाद के फ्रंट पर हासिल हुई है। मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस मोर्चे पर बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सिस के जवानों को हासिल हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सिक्योरिटी फोर्सिस में जवान शहीद होते थे, 17 प्रतिशत कम शहीद हुए हैं। जहां तक आम नागरिकों की मौत का सवाल है, 39 परसेंट की कमी आई है। वहीं इन दो महीनों में लगभग 35 परसेंट की कमी आई है। हमें इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, मैं इसका पूरा श्रेय देश के सेना के जवानों को देना चाहता हूं, सुरक्षा के जवानों को देना चाहता हूं।

यह हो सकता है कि यदि कोई एक सरकार है, एक सरकार का इस प्रकार के आतंकवाद के मुद्दों से निपटने के लिए उनका अपना एक एक्शन प्लान होता है, उनकी अपनी एक स्ट्रैटजी होती है। कोई भी

यह भी दावा नहीं कर सकता है कि हमारा जो एक्शन प्लान था, इस टैरेरिज्म से निपटने का जो प्लान था, अथवा हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, वह फुल प्रूफ थी। यह कोई दावा नहीं कर सकता। कमी हो सकती है लेकिन यहां जो भी चर्चा हुई है, मैंने इस चर्चा को सकारात्मक रूप में लिया है। मैंने यह नहीं माना है कि किसी ने इस सरकार के ऊपर कोई तीखा प्रहार कर दिया है और मैं आहत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे एक सुझाव के रूप में लिया है। लेकिन इतना मैं सदन को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, उस पर किसी भी सूरत में हमारी सरकार समझौता नहीं करेगी।

जहां तक पाक पॉलिसी का सवाल है कि भारत की पाक पॉलिसी क्या होगी? हमसे अगर कोई पूछे तो मैं तो एक वाक्य में यही कहना चाहूंगा कि हम तो हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं। लेकिन इस देश के मान-सम्मान, स्वाभिमान की कीमत पर हम नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि हम ही नहीं, आप भी यहीं चाहेंगे।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : पर जब हम चाहते थे तो कठिनाई थी।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: हमने कभी नहीं चाहा। देखिए, हमारी और आपकी बात नहीं होनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वहीं पर हमारे नेता आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1971 में जो विजय हासिल हुई थी तो उन्होंने उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहकर पुकारा था।...(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि ऐसे मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो यह मेरा, वह तेरा, ये सारी बातें उचित नहीं हैं। लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्न किये हैं जिनका उत्तर हमारे सहयोगी श्री मनोहर पर्रिकर जी दे चुके हैं। उसका उत्तर मेरे द्वारा दिये जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन एक-दो ऐसे सवाल हैं कि किसी ने यह पूछा कि एक क्लोज और इफैक्टिव जो कोआर्डिनेशन चाहिए, वह क्लोज और इफैक्टिव कोआर्डिनेशन नहीं था। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत ही क्लोज और इफैक्टिव कोआर्डिनेशन जैसा होना चाहिए, वह कोआर्डिनेशन था। इंटेलीजेंस एजेंसी के साथ और साथ ही साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ पूरा हमारा इस प्रकार का कोआर्डिनेशन बना हुआ था लेकिन यदि इस प्रकार के स्ट्रैटेजिक मामलों के एक्सपर्ट्स को लगता हो और यदि वे कोई सुझाव देंगे तो हम उनको स्वीकार करने को भी तैयार हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हमारी स्ट्रैटेजी अथवा हमारा एक्शन प्लान पूरी तरह से फुल प्रूफ है और जहां तक इंटेलीजेंस की शेयरिंग का सवाल है, इंटेलीजेंस इनपुट का जहां तक सवाल है, हमारा राज्य सरकार के साथ प्रतिदिन जो भी इंटेलीजेंस इनपुट को शेयर किया जाना चाहिए, हम राज्य सरकार के साथ उसको शेयर भी करते हैं और पंजाब के साथ भी हम लोगों ने उस समय शेयर किया था।

वैसे हम लोगों के यहां मल्टी एजेंसी सेन्टर है, वह लगातार 24 घंटे प्रतिदिन काम करता है। इसके माध्यम से भी हम लोग इंटेलीजेंस शेयरिंग का काम करते रहते हैं।

बॉर्डर की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा हुआ था क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं उसका भी उत्तर देना चाहूंगा। यह सच है कि इससे पहले भी दीनानगर में एक आतंकवादी हमला पांच महीने पहले हुआ था। 5 महीने के बाद ही यह पठानकोट का भी हमला हुआ जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, लगभग 558 कि.मी. का यह पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। लेकिन 12 कि.मी. निदयां हैं। यह बात सच है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों की तैनाती नहीं है। सिक्योरिटी की कुछ व्यवस्था वहां पर भी हुई है। लेकिन कभी कभी उधर से आतंकवादी भारत में प्रवेश करने के लिए रिवराइन का रास्ता अपनाते होंगे। मैं ऐसा दावा नहीं करना चाहता कि उन्होंने अपनाया है। लेकिन वे अपनाते होंगे लेकिन हम लोगों ने एक सावधानी इस बार जरूर बरती है कि टैक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं?

12 किलोमीटर का जो गैप है, जो रिवराइन है, जहां फेंसिंग नहीं हैं वहां हम टेक्नोलोजिकल सोल्यूशंस अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं तािक कोई भी आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश न कर सके। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जो प्रयत्न हुआ है, उसका ही परिणाम है कि वर्ष 2014 में, उस समय सात महीने हमारी सरकार रही और पांच महीने यूपीए की सरकार रही, सरकार का प्रश्न नहीं है लेकिन उस समय घुसपैठ के 222 प्रयास किए गए। जबिक 2015 में भारत में घुसपैठ के केवल 121 प्रयास हुए। यदि सीमाओं पर हमने चौकसी न बरती होती तो यह संख्या इतनी कम यानी 45 परसेंट कमी आई है। इस मामले में पूरी तरह से कैसे भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया जाए यह प्रयत्न तहे दिल से हमारी सरकार कर रही है। इस बार बार्डर को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं और कई प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए हैं। हमारी कोशिश है कि बार्डर को फुलप्रूफ सिक्योर किया जाए।

कार्डिनेशन की बात मैंने बता दी है। आर्मी यूनिट, एयरफोर्स और कमांडो एनएसजी तीनों को मोबलाइज किया गया था और तीनों में जो कार्डिनेशन होना चाहिए था, वह था। सलविंदर सिंह के बारे में आप लोगों ने जानना चाहा, तो हमें अब तक जो जानकारी है कि वह दरगाह पर जा रहा था। कोई पूछे कि क्यों जा रहा था, कैसे जा रहा था, इस बारे में एनआईए पूछताछ कर रही है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : जो व्यक्ति दरगाह पर है, उसने बताया कि सलविंदर वहां नहीं गया था।

श्री राजनाथ सिंह: इस संबंध में ज्यादा जानकारी इसिलए देना नहीं चाहता हूं क्योंकि पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। पंजाब में 45 स्थानों पर लेज़र सिस्टम की व्यवस्था की जा चुकी है। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि हम भारत का पूरा बार्डर सिक्योरिटी का आडिट करा रहे हैं कि कहां-कहां किस प्रकार की किमयां हैं ताकि उन्हें दूर किया जा सके और पूरी तरह से देश को सुरक्षित रख सकें। हम लोगों ने और भी क़दम उठाए हैं।

मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए जिन भी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो भी सुझाव आए हैं, उन्हें हमने सकारात्मक रूप में स्वीकार किया है और जिन सुझावों पर अमल करने की आवश्यकता होगी, हम जरूर अमल करेंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सभापति जी, मैं आपके द्वारा देश के रक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं।

रक्षा मंत्री जी ने कहा कि साढ़े तीन बजे सुबह सूचना मिली और पांच बजे सिस्टम एक्टीवेट हुआ। मंत्री जी ने बहुत सारा विवरण दिया है कि घटना घटने के बाद क्या क़दम उठाए गए। इस समय के दरमियान इंफेंटरी डिविजन 51, इंफेंटरी डिविजन 29 और एयरबेस को आर्मी के जवान ने क्यों इनसर्किल नहीं किया? अगर ये क़दम उठाया जाता तो आतंकवादी उस एयरबेस में घुस नहीं पाते। मैं पूछना चाहता हूं कि आर्मी द्वारा यह क़दम क्यों नहीं लिया गया कि तीनों बेसिस को इनसर्किल किया जाए क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें सूचना नहीं थी कि कौन-से बेस में आतंकवादी आएंगे। तीनों बेसिस को क्यों नहीं इनसर्किल किया और अगर ऐसा किया जाता तो 20 हजार लोग मौजूद हैं तो शायद यह घटना घट सकती थी।

सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न, जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा था, कि पाकिस्तान की इनवेस्टिगेशन टीम आना चाहती है और पठानकोट एयरबेस में जाना चाहती है। इसके बारे में सरकार की क्या सोच है? क्या आप पाकिस्तान की इनवेस्टिगेशन टीम को पठानकोट एयरबेस में प्रवेश देंगे? इन दोनों प्रश्नों का जवाब मैं रक्षामंत्री जी से चाहता हं।

सभापित जी, गृहमंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं। मैंने पहले गृहमंत्री जी से पूछा था कि बामियाल क्षेत्र से बहुत सारे आतंकवादी घुस रहे हैं, आपने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, उस क्षेत्र को रिइनफोर्स करने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? वह ज्यादा विस्तृत क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसे आप रिइनफोर्स कैसे करेंगे, तािक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैंने अपने भाषण यह पूछा था कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा एडवाइजर के बारे में कहा गया गया है कि वह पािकस्तान की

इनवेस्टिगेशन टीम को स्टेटमेंट देगा। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। क्या भारत का एनएसए पाकिस्तान की इनवेस्टिगेशन टीम को स्टेटमेंट देगा? इसका उत्तर चाहिए। धन्यवाद।

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): सभापित महोदय, मैंने अपनी स्पीच में एक मूल प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब आप लोगों ने इनिसन्यूएट किया है, लेकिन दिया नहीं है। The question was: in future situations of terrorist attack, whether on military bases or on other defence installations or even on the government installations, who has the final word on the procedure? Please do not get me wrong. I am not trying to point blame or talk about the Ministers being left out of decision making, as has been reported in the Press. The hon. Minister of Defence very clearly stated that he had good understanding. He also stated that the established procedures are set. I do not want the details of the established procedures.

My one question to you is this. In the meeting at 3.30 with the NSA, the Chiefs were there; you, as a Defence Minister, were not there and the Home Minister was not there. So, it is safe to assume that permission was not taken from you before the decision to send the NSG was taken. You were informed later and that is fine. You could have been in agreement with it. But as an established procedure, who has the final word on such terrorist attacks in the future? Is it the Home Minister? Is it the Defence Minister, if a defence installation is in place? Is it the NSA? Is that the procedure? Or, is it the Prime Minister? If it is the Prime Minister, was he involved in this decision? Thank you.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): क्या वहां 24 घण्टे पेट्रोलिंग होती थी? अगर पेट्रोलिंग होती तो आतंकवादी प्रवेश कर ही नहीं सकते थे। इसमें क्या कमी रही, वह बताइए? हम भी जानना चाहते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): सभापित महोदय, जिस तरीके से माननीय रक्षामंत्री जी ने कहा कि यह एक वार-लाइक सिचुएशन थी।...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जब वार-लाइक सिचुएशन बनेगी तो क्या हम एनएसजी को वहां बुलाएंगे या जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, आर्मी के ट्रेन्ड कमांडोज हैं, उन एजेंसीज को वहां इंटरवीन करेंगे? मैं माननीय गृहमंत्री से पूछना चाहूंगा कि जब लीकेज हुई, आतंकवादी हमारे देश में घुसे तो जिस तरह के आरोप हम पर लगते हैं, जिन अधिकारियों की नेग्लीजेंस की वजह से यह ट्रेसपासिंग हुई, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

17.45 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): सभापित जी, मेरे तीन प्रश्न थे। पहला तो यह था कि 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने सोचा कि आतंकवाद के विरोध में कड़ा और मजबूत कानून लाने की आवश्यकता है, तो 'पोटा' कानून लेकर हम आए। उस 'पोटा' कानून को राजनीतिक कारणों से तत्कालीन सरकार ने खत्म कर दिया। देश भर में आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। क्या सरकार पुनः आतंकवाद को रोकने के लिए 'पोटा' जैसा कानून लाने पर विचार करेगी? मेरा दूसरा सवाल यह है कि उस वक्त की तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार ने एन.आई.ए. बनाया। वह सभी राज्यों में एन.आई.ए. का सेंटर बनाना चाहती थी। जिस तरह की चीजें चारों तरफ से आ रही हैं कि राजस्थान में यह हो रहा है, पंजाब में यह हो रहा है, हम घुसपैठ से परेशान हैं, बिहार और झारखंड में यह हो रहा है। आप एन.आई.ए. को सारी इंवेस्टीगेशंस आतंकवाद की सौंप रहे है, तो क्या एन.आई.ए. का सेंटर सभी राज्यों में बनाने के लिए कोई सहमित बन पा रही है और सरकार बनाना चाहती है? मनोहर परिंकर साहब ने जवाब में कहा कि वी.के. सिंह साहब के समय मिलिटरी इंटेलिजेंस की चीजें बन रही थीं, राजनीतिक कारणों से खत्म हो गई या लीक हो गईं। क्या सरकार वी.के. सिंह साहब द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम कर रही है?

प्रो. सौगत राय: मेरे दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं। रक्षा मंत्री जी ने बताया कि शायद गृह मंत्री को गलती हो गई थी, 'small error'. उन्होंने पहले ट्वीट कर दिया था कि 'operation is over'. शायद यह गलती थी क्योंकि तब भी वहां दो आतंकवादी बचे हुए थे, उन्हें मौका मिल गया और भी गोलीबारी करने का।

SHRI MANOHAR PARRIKAR : I have not said that. I have said that operations will be continued because we suspected more. हम लोगों ने जो डिसीजन लिया, आर्मी चीफ के साथ लिया।

प्रो. सौगत राय: क्या गृह मंत्री यह मानते हैं कि उन्हें कोई गलती हो गया थी? मैं यह नहीं समझ पाया कि कमांड स्ट्रक्चर क्या है, कलिकेश जी ने भी यह सवाल पूछा था कि हिन्दुस्तान में कौन बड़ा है, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, चीफ आफ आर्मी स्टाफ या ... जो कि सुपर कॉप हैं। आप मेरा प्रश्न सुनिए, आप भी कंसर्न्ड होंगे, आप बहुत ज्यादा देशप्रेमी हैं।

माननीय सभापति : किसी का नाम नहीं जाएगा।

श्री सौगत राय: इंटेंलिजेंस आया सलविन्दर सिंह से कि फिदायीन घुस चुके हैं, तब ... * ने मीटिंग क्यों की?

माननीय सभापति : नाम नहीं जाएगा।

श्री सौगत राय: क्यों नहीं रक्षा मंत्री या गृह मंत्री ने मीटिंग ली? क्या वह सुपर कॉप हैं, गृह मंत्री के ऊपर और उन्होंने आर्डर किया कि एन.एस.जी वहां फ्लाई करे? यह सिस्टम कैसे चलता है, हम समझना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Chairman, Sir, those persons who participated in the debate have put the questions. ... (*Interruptions*) The questions that are very much prevalent before the public is agitating the public. We started this discussion at around 1245 hours and now it is around 1745 hours. This shows the seriousness in which this House has taken up this issue. I have three limited questions to ask, which is actually agitating me and also the general public.

Why the Air Base was so poorly guarded and the intelligence not acted upon? How does one explain the gaping holes in the security architecture of a military installation situated so close to the border? Thirdly, why was there no unified command and control once the attack commenced? We need to understand these three issues.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I think that the hon. Member did not listen to my reply because I have very clearly said that in the Standard Operating Procedure the Army takes the command. In a mixed force, the Army Officer takes the command. That was followed.

PROF. SAUGATA ROY: Was not the NSG DG in-charge of it?

_

^{*} Not recorded.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Not at all. कंसल्टेशन अलग है, कमांड अलग है...(व्यवधान) वह पढ़ा है और आप लोगों ने पढ़कर ही बताया है। दूसरा, मीटिंग्स कौन लेता है? In terms of actual execution, the Commander is the in-charge of operations. We do not interfere with any of their on-the-spot day-to-day decisions. There is no guidance given for onthe-spot decisions. He does the job. When I said 'warlike', what I am saying is when असीमैट्रिक वॉर होती है, at that time, terrorist incidents should be treated like a war. जैसे वॉर के समय हम सब लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे ही पॉलीटिकल लीडरशिप में डिवीज़न नहीं होना चाहिए। That is what I am trying to stress because a small terrorist group cannot defeat the Indian forces. Obviously, they will try to score technical points and publicity points. Therefore, we should be treating such types of attacks as a war only. That does not mean, we do other things of the war. They have to be kept comparatively secret and we should be unified in Command, at least, within ourselves. Then, the solution to these problems comes. There is too much discussion and debate on pre-assumed information. You have asked me a question, but you did not hear me properly. I will read it again. At 3.11, terrorists were inside one of the military installations. यह इनफोर्मेशन मिली। उसके बाद बाहर से सराउंड करने से क्या फायदा?...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: You have received the information 24 hours in advance. ... (*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Please do not disturb me in between. At 5.55 on 1st January, we got information that four suspects in Army fatigues hijacked a Mahindra at around five o'clock in the evening. This information was received at 5.55 a.m., that is, in the morning of 1st January. This information was given by Brig. R.R. Singh, Tibri Cantonment, Gurdaspur to everyone including AOC of this Pathankot. So, we knew that there were some suspected people, who look like terrorists somewhere in the region. Accordingly, all actions were taken to tighten the security. ... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Why did you not encircle the base? ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप लोग मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर परिंकर: समस्या यह है कि आप लोग पूरा जवाब नहीं सुन रहे हैं...(व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल मंत्री जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (Interruptions)... *

श्री मनोहर पर्रिकर : उनका आर्ग्यूमेंट गलत है क्योंकि उसी दिन probably, they might have been inside. Civil Police were ... (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: No.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: How do you know? Were you in touch with the terrorists? ... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: You are not answering my question.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I am answering, but you are not ready to listen.

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप उनसे बात न करें, उनकी बातों का उत्तर न दें।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : उनकी बातों का उत्तर न दें।

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I will mention two points. The Army cannot be deployed outside the Air Force Base or the military base.

PROF. SAUGATA ROY: Why? ... (Interruptions)

माननीय सभापति : आप इनकी बातों का उत्तर न दें। आप जवाब देकर समाप्त करें।

...(व्यवधान)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I will tell you. If you listen without disturbing me, I will tell you, Gentleman. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप उनसे सवाल जवाब न करें।

...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded.

माननीय सभापति: आप उनसे सवाल-जवाब न करें जो प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर देकर समाप्त करें। श्री मनोहर पर्रिकर: मैं उत्तर देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। तीन रीजन्स हैं, इसमें जो पूरी पैरिफैरी है,...(व्यवधान) तीनों मिलिट्री स्टेशन और एयरफोर्स की कम से कम पचास किलोमीटर की पैरिफैरी है। अब पचास किलोमीटर का कितना होता है, वह गिनने दो। दूसरा सिविल एरिया में Army cannot be deployed unless the State force makes a request....(व्यवधान) उन्होंने आर्मी का पूछा है। SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Let the Home Minister reply.

माननीय सभापति: क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री राजनाथ सिंह: सभापित महोदय, जिस समय मैं उत्तर दे रहा था, मैं उस समय एक जानकारी देना भूल गया था, उसकी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। वहां पर कुछ जले हुए लोथड़े, कुछ चार्ड रिमेन्स मिले थे। उसके बारे में फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो बिल्डिंग के अंदर थे, वे दोनों आतंकवादी थे और उस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, मैं उसकी जानकारी भी सदन को दे देना चाहता हूं। This burnt mass material belongs to human male. It could not be possible to establish the identity of burnt male remains as under reference.

इसके अलावा श्री कलिकेश जी ने जो सवाल खड़ा किया कि फाइनल अथारिटी कौन है, फाइनल अथारिटी गवर्नमैन्ट होती है। आप यह कहेंगे कि होम मिनिस्टर है या डिफैंस मिनिस्टर है, जो कुछ भी है...(व्यवधान) एक मिनट रुकिये।

सभापित जी, एक क्राइसेस मैनेजमैन्ट ग्रुप होता है और मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जो क्राइसेस मैनेजमैन्ट ग्रुप होता है, वह होम सैक्रेटरी की चेयरमैनिशप में होता है। दूसरा नेशनल क्राइसेज मैनेजमैन्ट कमेटी होती है, यह हैडेड बाई कैंबिनेट सैक्रेटरी होती है और एक टॉप की जो होती है, वह सीसीएस होती है, कैंबिनेट कमेटी आन सिक्युरिटी हैडेड बाई प्राइम मिनिस्टर होती है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्राइसेस मैनेजमैन्ट ग्रुप के सारे अधिकारियों की बैठक हुई थी और जो कुछ भी पूरी वारदात थी, जो डैवलपमैन्ट्स हो रहे थे, उनकी जानकारी भी मुझसे ली गई और आवश्यक दिशा-निर्देश भी मुझसे प्राप्त किये गये, यह मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसे लेकर कहीं पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

महोदय, ज्योतिरादित्य जी ने जो सवाल पूछा है, उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। लेकिन उत्तर देने के पहले मैं ज्योतिरादित्य जी से पूछना चाहता हूं कि पप्पी-झप्पी होता क्या है, मैं समझ नहीं पाया।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: यह होता है।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, में जानता हूं कि वह हमारे यंग मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट हैं। ... (व्यवधान) में इसके बारे में जानता नहीं था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने इसकी जानकारी हासिल की। ... (व्यवधान) किलकेश जी, क्या उन्होंने मुझे गलत बतला दिया... (व्यवधान) ज्योतिरादित्य जी का प्रश्न था कि आतंकवादी कहां से आए? सच्चाई यह है कि आतंकवादी कहां से आए, इसके संबंध में अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। एनआईए जांच कर रही है, उसके बाद ही इस संबंध में कुछ बतलाया जा सकता है। ... (व्यवधान) नहीं, अभी नहीं बतलाया जा सकता कि आतंकवादी किस रास्ते से आए, बामियाल की बात कुछ समाचार पत्रों में छपी थी। मैं बामियाल की बात कर रहा हूं, वह बात छपी थी। मैं यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि वहां पर बार्डर सिक्युरिटी फोर्स की एक बटालियन बढ़ा दी गई है। यह स्पष्ट न होने के बावजूद कि आतंकवादी वहां से आए थे या कहां से नहीं आए थे, फिर भी हम लोगों ने वहां बार्डर सिक्युरिटी फोर्स की एक बटालियन बढ़ा दी है और जो टैक्नोलोजिकल सोल्यूशंस हैं, जैसे उसमें लेजर वगैरह का एक पायलट प्रोजैक्ट भी हमने वहां प्रारम्भ कर दिया है और जल्दी से उसके रिजल्ट आने के बाद वहां पर जो दूसरे भी प्रोजैक्ट्स हैं, उन्हें हम वहां पर इस्टाब्लिश करेंगे।

18.00 hours

माननीय सभापति : सभा की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही एक घंटा बढ़ाई जाए।

अनेक माननीय सदस्यः महोदय, ठीक है। ...(व्यवधान)

18.01 hours

PAPER LAID ON THE TABLE -- Contd

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4492/16/16]

माननीय सभापति : मद संख्या 40, श्री नरेंद्र सिंह तोमर।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह खत्म हो गया, अब आगे के मद पर हम चले गए हैं, पीछे का मद समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब पीछे का मद समाप्त हो गया है, जबाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

...(व्यवधान)

18.02 hours

MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2016

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय सभापित महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि " खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, सन् 2015 में हम लोग यहां आए हुए थे। ...(व्यवधान) उस समय सरकार के सामने यह संकट था कि माइनिंग के क्षेत्र में हम पारदर्शिता लाएं। ...(व्यवधान) खनन के क्षेत्र को बढ़ावा दें। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी की बात के अलावा और कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

... (Interruptions)*

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: महोदय, जो अवैध खनन जो होता है, उस पर रोक लगाएं और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार एमएमडीआर एक्ट में संशोधन लाई और उस समय सदन ने उसे पारित किया और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि संशोधन के पश्चात खनन का कारोबार भी निश्चित रूप से बढ़ा, देश भर में उत्पादन भी बढ़ा। माइनिंग के क्षेत्र में जो आवंटन की प्रक्रिया थी उसमें पारदर्शिता भी आई। आज नियमित ऑक्शन हो रहा है। खनिज मूल्य का अधिक हिस्सा सरकारों को मिल रहा है और अवैध कारोबार जो होता था, उस पर वे निश्चित रूप में बढ़ी मात्रा में रोक लगाने में सरकार सफल हुई है। लेकिन जब हम लोग संशोधन कर चुके, उसके बाद लगातार कुछ आद्योगिक संगठनों ने सरकार को ज्ञापन दिए, जिनमें फिक्की है, एसोचैम है, सीमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, इन सब लोगों ने यह कहा कि आपने एक्ट को संशोधित करते समय 12 (ए) में यह बंदिश लगा दी है कि जो मौजूदा माइंस है, चाहे वह कैप्टिव हो, चाहे वह मर्चेंट माइंस हो, उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है। एक्ट के मुताबिक सिर्फ उन्हीं खिनजों का हस्तांतरण हो सकता है, जो माइंस ऑक्शन से जाएंगी। इसके कारण इंडस्ट्री को भी काफी तकलीफ हो रही है। इस वजह से बैंकों का जो पैसा इंडस्ट्री में निवेश है और वह इंडस्ट्री एनपीए होने की स्थिति में आ रही है, उस स्थिति में इस पैसे की वसूली की भी तकलीफ हो रही है। इसलिए जब ये सब ज्ञापन आए तो सरकार ने उसको परीक्षण कराया और सरकार को ऐसा लगा कि निश्चित रूप से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की दृष्टि से रोजगार के अवसर खत्म न हों, निरंतर बढ़ते रहें और कारोबार की प्रक्रिया में

_

^{*} Not recorded.

अधिकतम सरलता हो सके और बैंकों का पैसा न डूबे तो इसिलए आज हम यह संशोधन ले कर आए हैं कि जो कैप्टिव माइंस हैं, उनको हस्तांतरण की अनुमित इन संशोधन के माध्यम से दे दिया जाए। दूसरा, तीन काम हैं, हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो खिनज पट्टा है, उसकी परिभाषा को हम लोगों ने इसमें स्पष्ट किया है।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस संशोधन विधेयक पर आप चर्चा कराएं और चर्चा के उपरांत कुछ प्रश्न आएंगे तो मैं निश्चित रूप से उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

"खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you, Sir, for allowing me to initiate the debate on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2016.

The Bill is a proposal to amend the MMDR Act 1957. In the amendment to the MMDR Act passed in March, 2015, in Clause 12A (6), the intention of this clause was to provide a level playing field for those companies that paid large sums in competitive bid action vis-à-vis those that acquired the mines relatively cheap through the old systems of allotment.

18.05 hours (Dr. P. Venugopal *in the Chair*)

Thus, the MMDR Act passed by the Parliament in March, 2015 only allows transfer of mine leases in cases where the mines have been acquired through auction. Through the current amendment of 2016, the Government wants to insert a clause that will allow transfer of captive mining leases granted through routes other than auction. This will facilitate banks and financial institutions to liquidate stressed assets where the company or its captive mining leases are mortgaged. The transfer provisions will only allow merger and acquisition of companies and facilitate ease of doing business for companies to improve profitability and to decrease cost of companies depending on supply of minerals from the captive lease.

To my mind, this amendment is in favour of inefficient mining enterprises rather than investing in technology solutions to enhance efficiency. They now have an escape route. This in effect means that the Central Government can make arbitrary new rules on a case to case basis in allocation of mining leases. This will remove transparency from the process and will be a recipe for cronyism.

There is a big slogan Make In India. Make In India will only be possible if we have cheap power and for power supply, coal is the main raw material. We can enhance the productivity of coal not by amending the rules, but by new ideas, by increasing efficiency and by having a new technology. So, I think the

Government should move in that direction rather than keep on changing the laws. For example, iron ore which is mined in India is exported to China. They refine it, convert it into steel and sell this steel to India at a cost cheaper than the cost of steel which is refined in India. If China is able to do this, it is only because the Government has built a system of efficiency and the cost of power is very low. I think this is one way we should increase our efficiency rather than changing the laws.

Another thing is the District Mineral Foundation. The District Mineral Foundation is set up to help those people to build infrastructure like roads, bridges, schools and hospitals for those areas. After this Bill is passed, how many infrastructure facilities have been built and how many States have instituted these District Mining Foundations? I want to know certain areas where the land is under the custody of the State Government. The mines are under the custody of the State Government and the role of the Central Government is only to regulate. But in certain areas, like in 6th Schedule areas, the land belongs to tribal people and the State Government has little role to play. It is under the custody of the Council. So, there are areas where there are most of the riches, most of the minerals and the So, how do you implement the District Mineral poorest people are there. Foundation? What are the guidelines and instructions you have given to the State Government? For example, how will the State Government make a mining plan when the land right is with the Council? How will they enter and how will they make explorations? On these issues, I want clarification from the hon. Minister.

As per the MMDR Act which was amended in 2015, we must have a National Exploration Trust under clause 9 (c). I want to know how much money has been accumulated in this Trust? This Trust is supposed to be for buying new technology, for exploration with the latest technology, building new concepts, and for innovative technology. So, how much money has been collected, what technology is the Government using, and how long have they been using this technology?

In terms of clearances which have to be got from the Government, the Government said that everything was online. But I find a lot of friends' applications where they have to go through many agencies. They have to go to MEF; they have to go to IEBM; they have to go to DG, Mine Safety; they have to go to the State Pollution Control Board; so many things are there. So, to get a clearance for any industry, it takes a minimum of three to four years. In the previous Government, we had a system where everybody knew where the file was lying and how long it took but in this Government, nobody knows and all these files are being dumped there for the last two and a half years without any clearance. I am talking especially of the North-East where many of the files are pending without any clearances. So, I want to know from the Minister why all these things are happening without a proper system. I demand that there must be a single-window channel where they apply and all these clearances could be given. It is only then that we can minimise the cost and there will be efficiency for the industrialists.

In the State where the private land-owners have the right and a lot of hurdles are there, there must be a Constitution Amendment for guaranteeing proper land price as well as for protection of customs and traditions so that mineral wealth exploitation continues unhindered by private land-owners' rights. Therefore, I demand that the Minister should look into the matter properly so that the people will not be punished.

I think, 'Make in India' should also include the exploration of mines and minerals for self-sufficiency in mineral requirement as well as for export for generating substantial foreign exchange. A lot of machines are being imported. There must be tax exemption and excise exemption for the machines which are being imported into the country so that they can increase the efficiency in exploration.

I am proud that I see a lot of private companies which are acquiring mines outside the country in Africa, Australia and South-East Asia. Apart from the

private companies, the Government should also come forward and acquire minerals outside so that we can control our minerals inside and also invest more outside; I think, then there will be a fair competition amongst us. For example, ESSAR import a lot of crude oil, the refine it in India and sell outside; not a single drop of that oil is being sold in India. We can do it in the mines sector also. We can carry out mining outside, refine the minerals, and sell to our neighbouring countries. I want the Minister to take note of this and have a proper examination.

Thank you.

श्री हुकुम सिंह (कैराना): माननीय सभापित जी, जो बिल अभी सामने आया है, मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। हमारी जो इतनी बेशकीमती राष्ट्रीय संपदा थी, जिस प्रकार उसको लूटा जा रहा था, और लोगों ने बजाय यह समझने के कि वह नेशनल प्रॉपर्टी है, उसको अपनी निजी संपत्ति मान लिया और निजी संपत्ति मानकर लाखों करोड़ रुपये हज़म कर लिये। अगर वह पैसा कहीं राष्ट्रकोष में आया होता, ट्रैज़री में आया होता तो हमारा कितना विकास हुआ होता! इसके अतिरिक्त इससे हमारे राजनीतिक व्यक्तियों की साख भी गिरी है। इसका मेन कारण यह भी रहा कि पूरी जनता के सामने यह आया कि लोग माइंस और मिनरल्स में खानों को बेच रहे हैं, अपने विवेक से बेच रहे हैं। इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि इसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आज सरकार उस पूरी व्यवस्था को बदलकर एक ट्रांसपेरेंट, जो सबके सामने क्लियर और स्पष्ट हो, एक पारदर्शी व्यवस्था लेकर आई है। पारदर्शी व्यवस्था भी ऐसी कि अंडर दि टेबल कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा मेज के ऊपर से बात होगी, सबके सामने बात होगी, खुलकर बात होगी, सारी जनता को पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, आज वहीं सम्पत्ति, बजाए इसके कि कोई आदमी अपनी सम्पत्ति मानकर बेचता रहे, माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि बिना ऑक्शन के, बिना नीलामी के किसी भी सम्पत्ति का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा पारदर्शिता और क्या हो सकती है? मैं निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा भी करता हूं और मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों में जिस प्रकार से पैसा आया इन खानों के आबंटन को लेकर और राष्ट्र में एक विकास की धारा बही, यह धारा निरंतर आगे भी बहती रहेगी। मैं पुनः इसके लिए बधाई देता हूं।

मैं इसके माध्यम से मंत्री जी आपका ध्यान चाहता हूं। ध्यान इस बात के लिए चाहता हूं कि बड़े-बड़े लोगों को तो खान मिलेगी, ऑक्शन भी होंगे, पैसा भी आएगा, विकास भी होगा, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, जिसकी तरफ आपने खास ध्यान दिया है। वह वर्ग ट्राइबल्स का है। जो लोग वहां बसे हुए थे, अगर उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा, वे वहां उजड़ेगे, तो आपने इसकी भी व्यवस्था की है कि उनकी सहायता की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जमीन चली गई, उसमें खनन हो रहा है और वे उजड़कर कहीं और चले जाएंगे। जंगल में उनको भागना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था भी आपने की है, यह भी प्रशंसा के लायक है।

इसके अलावा भी एक वर्ग है। इस बिल में तो स्पष्ट रूप से उसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कभी आप विचार करें उस बात के ऊपर भी, क्योंकि मैं बिल्कुल व्यावहारिक बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं,

यह बिंदु एक जिले का नहीं है, एक राज्य का नहीं है, पूरे देश का है। हमारे देश में निदयां हैं। मेरे अपने क्षेत्र में जहां से यह शुरू होता है और जहां समाप्त होता है, वहां यमुना नदी है। यह पौराणिक नदी है। इसकी हम पूजा करते हैं। हमेशा वहां मेला लगता है। आप विचार करें, जब भी हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आने के बाद जितने भी किसान उस किनारे पर हैं, आम तौर से सब छोटे-छोटे किसान हैं, बाढ़ आएगी तो रेत उन किसानों के खेत में जाएगा। वहां एक महीना पानी भरा रहे, दो महीने पानी भरा रहे, लेकिन उसके बाद जब पानी खत्म होगा, रेत उसमें रह जाएगा। अब उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि खेती लायक जमीन रही नहीं, जो खड़ी फसल थी वह खत्म हो गई और किसान को जिसकी वह जमीन है, उसको वहां पर रेत उठाने का अधिकार नहीं है? वह कहां जाए? इसकी भी आप चिंता करें। अगर चिंता करेंगे तो लाखों किसान आपको धन्यवाद देंगे।

मेरा सुझाव यह है, मैंने लिखकर भी आपके पास भेजा था, शायद वह आ भी गया होगा, मेरा सुझाव यह है कि जिस किसान की जमीन पर बाढ़ के परिणामस्वरूप रेत भर जाता है और वह खेती लायक जमीन नहीं रहती है, तो उस किसान को उस रेत को साफ करने का अधिकार रहे। आप एक साल, दो साल या तीन साल का समय दे दीजिए और जब तक वह जमीन खेती लायक न हो जाए, तब तक उस किसान का अधिकार उस पर बना रहे। अभी क्या है कि अगर वह एक तसला या एक छोटा सा हिस्सा भी उस रेत का उठाएगा तो खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्थानीय अधिकारी उसका पूरा शोषण करेंगे। न जाने ऐसे कितने प्रकरण सामने आए हैं कि अगर किसी किसान ने अपने खेत में, अपनी जमीन में थोड़ा-बहुत भी सफाई करने की कोशिश की तो खनन एक्ट के उल्लंघन का पात्र उसे मानकर उसके ऊपर लाखों रूपए के जुर्माने हो जाते हैं। कभी-कभी उसकी ट्रॉली या गाड़ी थाने में बंद होती है और वह भी थाने में बंद होता है। इसके बारे में आप जरूर विचार करें। ये बिंदु ऐसे हैं, जो आम आदमी से और आम लोगों से जुड़े हुए हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान चाहता हूं कि खनन की परिभाषा इतनी विकसित हो गई और जिस खनन के बारे में आप चिंतित हैं, उसके बारे में तो चिंता होनी ही चाहिए। क्योंकि उसमें बहुत बड़ी चोरी और डकैती हो रही थी तो उसके बारे में चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन आप एक और बात की भी चिंता करें। अगर किसान का खेत है, वह उसका एकसार करना चाहता है, वहां वह जेसीबी और दूसरे मजदूर लगा ले, अगर मैं अपने खेत में इतना अधिकार नहीं रखता, अपने ऊंचे-नीचे खेत को एकसार करने का काम करता हूं, तो उसके ऊपर ज्यादती होती है या नहीं है, आप उसके बारे में विचार करें ताकि स्थानीय अधिकारी उस किसान का शोषण न कर सकें। इस वक्त तक बहुत शोषण चल रहा है। कोई भी उससे बचा हुआ नहीं है।

मेरा तीसरा बिन्दु यह है कि जिन लोगों ने निदयों की माफियागर्दी में स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में भारी खनन करके वहां के पर्यावरण को समाप्त करने का काम किया है, उस पर हमारी नजर जानी चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि कम से कम उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। मेरे क्षेत्र में जहां से यमुना शुरू होती है, सहारनपुर जिले में नकुर तहसील है, सरसावा का क्षेत्र पड़ता है, एक माफिया इतना सक्षम है कि भाजपा को छोड़कर लखनऊ में किसी की भी सरकार आये, वहां पर दो क्षेत्रीय दल हैं, कभी इनकी सरकार आयी तो कभी उनकी सरकार आयी, उस माफिया में इतनी क्षमता थी कि सरकार किसी की भी हो, उसका काम बढ़ता ही था, कम नहीं होता था। अब स्थिति यह आयी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है कि उसने 10 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति केवल यमुना को बर्बाद करके कमा ली।

मान्यवर, उसने तीन हजार एकड़ में एक विश्वविद्यालय बना लिया, उसने कभी आठवीं पास नहीं की। मेरे ख्याल में उसके पास फोर्थ क्लास का भी सर्टिपिकेट नहीं है और वह खुद उसका वाइस चांसलर है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह विषय गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस 10 हजार करोड़ रुपये के संबंध में खुद नोटिस दिया। मैंने भी प्रयास किया, वहां का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने पूरे अभिलेख, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किये और जहां उनको भेजना चाहिए था, मैंने उनको पर्यावरण मंत्रालय में भेजा भी है, शायद वहां वह मामला विचाराधीन है। अभी उसमें और प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो हमारा संशोधन और एक्ट भी, कम से कम एक वर्ग को कंट्रोल नहीं कर पायेगा और वर्ग ऐसा है, जो हमारी नदियों को बर्बाद करने में लगा है।

आज प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? माननीय अटल जी ने कहा था कि हमें सभी निदयों को जोड़ना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है कि हर खेत को पानी दिया जाये, वह सिंचाई पर बहुत बल दे रहे हैं। लेकिन, हर खेत में पानी तभी जायेगा जब हमारी निदयां बच पायेंगी। अगर निदयां नहीं बच पायेंगी, ऐसे मािफयावालों की वे शिकार हो जायेंगी, उनको सूखा दिया जायेगा तो पानी कहां से आयेगा।

मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि जो बिन्दू मैंने कहा है, वे उतने आकर्षक नहीं लगते हैं, उतने प्रभावी भी नहीं लगते हैं, क्योंकि वे आम किसानों से संबंधित हैं, लोगों की निगाह वहां तक ज्यादा नहीं जाती, वहां केवल स्थानीय प्रशासन उन माफियावालों को प्रशिक्षण देकर उनका बहुत शोषण करता है, क्या आप कल्पना करेंगे कि हमारी लाखों एकड़ जमीन केवल इस वजह से बर्बाद हो गई है कि माफियावालों ने उस पर अवैध कब्जा करके जो खनन किया है, जिससे वह आज खंडहर और बंजर भूमि में तब्दील हो गयी है। उसको बचाने की बात है। उसको बचाने के लिए आप ही सक्षम है, केन्द्र सरकार सक्षम है। जब तक

यहां से कोई संशोधन नहीं आयेगा और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून नहीं बनेगा तब तक उसको बचाना संभव नहीं हो पायेगा। आपने पारदर्शिता के साथ-साथ तमाम लोगों का ध्यान रखा है और देश की जनता को यह विश्वास दिलाया है कि आज हम ऐसा बिल पास करा रहे हैं, जिसे पास करने के बाद में, जो राष्ट्र की संपदा थी और वह राष्ट्र की ही रहेगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देते हुए, मैं अपनी बात सूक्ष्म में कहना चाहता था, इस विश्वास के साथ कि कम से कम जो विषय मैंने उठाये हैं, उन विषयों के ऊपर आपका ध्यान जरूर जायेगा। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I stand here to deliberate on the amending Bill relating to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act. An amendment was actually effected in 2015 where substantive amendments were made and we had certain reservations regarding those amendments and at that time we had predicted that further amendments will be required and before completion of 12 months again some amendments have been proposed. Very rightly, in the Statements of Objects and Reasons of the Bill and the hon. Minister while commending this Bill for consideration of the House has said that he received a number of petitions and representations from the mining lease holders and corporate bodies, even certain banks also approached him to bring in some amendments to the amendments so that the money that has been blocked in different projects will be released and the Government will be in a position to get back or the banks will be in a position to get back the NPAs that are mounting.

Sir, before coming to that issue I would like to mention here that the basic idea of this Bill is to amend the MMDR Act to include provisions of allowing the transfer of captive mines allotted through procedures other than auction. This reminds us that when the amendment was given effect to last year, the general perception that was created by this Government was that now once the Central Government comes into operation, they will be auctioning all the mines, more transparency will be there, more money will accrue and that money will also be transferred to the respective States. These were the three to four parameters on which those amendments were given effect to. Odisha being a mineral bearing State; Madhya Pradesh being a mineral bearing State; to a certain extent undivided Andhra Pradesh being a mineral bearing State; Jharkhand being a mineral bearing State; Chhattisgarh being a mineral bearing State, around six or seven States had certain reservations and objections because basically the objection arose relating to the law of the land, the

Constitution which had provided that land belongs to the State and accordingly whenever any lease has to be given; whenever any mining is to be given as prospective licence or mining lease, then the State has to be taken into confidence.

The hon. Minister, of course, convinced most of the State Governments saying that the State will be consulted. Here I can reiterate what the Supreme Court had said. There were at least three rulings from the Supreme Court that had established that the State Governments had rights over mines as well as the lands on which the mines were located. There were three pronouncements from the apex court. The previous law said that for the development of any mineral, the Central Government could permit a person to acquire one or more licenses or leases covering additional area. Subsequently, when the Ordinance had come to amend the provisions to allow the Central Government to increase the area limits for mining instead of providing additional leases, this effectively curtailed the powers and controls of the State Governments. That was the major provision where most of the States had objected. But anyway, उस समय ऐसा माहौल बना था कि ट्रांसपरेंसी होगी, राज्यों को ज्यादा पैसा मिलेगा, ऑक्शन होगा तो राज्यों को ज्यादा फायदा मिलेगा।

Even today many hold that view. The original 1957 Act which also had a number of incongruities which were accepted to a great extent has now been amended to a very limited purpose. That limited purpose is relating to captive mines.

Here, the crux of the matter has to be really understood. This is just a two page Bill. It is not that important. It is very incongruous. If you go through it, you may find that it is not that difficult but the implication that it has is really something which should be understood. One who understands the intricacies of mining can understand where the shoe pinches.

But I would just like to mention here that we, Biju Janata Dal, agree with the proposed amendment which would facilitate transfer of captive leases alongwith the respective end user industry. We had put forth this position when we had deliberated when the original amendment had come last year. That was not

accepted during that time. But now you have come up with an amendment and we welcome it.

Before coming with these amendments, you had also sought opinion from respective State Governments. You had also sought opinion from respective stakeholders. Stakeholders mean not only mining lease holders but also those financial institutions who have invested in different mines like the State Bank of India. These are all in public domain which actually influenced the present Government to show that here there is a problem where certain amendments need to be done.

Here, I would like to impress upon the Minister on one thing. However as the lease is granted by the State Government, its transfer should also be permissible with the permission of the respective State Government and not otherwise. We are all for bringing in transparency. We are all for doing auctioning but do not do away the right of the State Government. It should not happen in such a way that the Centre will be looked at that you are taking decision arbitrarily. A little bit of consultation is necessary. Cannot we factor in that within such a limited time period, say, three months or six months, the State Government and the Central Government can arrive at a decision? This point needs to be factored in. Do not ignore the State Government because ultimately, it is with the help of the State Government that mining can happen actually. Otherwise, if there is non-cooperation of the State Government, no mining can actually happen.

Therefore, I would say that besides this, the Central Government may also consider incorporating a provision to empower the State Government to permit transfer of a mining lease from one Government company to another. Why should a State Government or a State Government Undertaking come again and again? This can be factored in. It will be actually helping the State Government in doing so.

The amended provision of Section 6(1)(b) regarding area limit – this is another provision which is there – is causing difficulties in increasing the limit on case to case basis. आपने इसे पकड़ कर रखा है। इसमें अमेंडमैंट करने की जरूरत है। Why case to case basis? Now, the increase in area limit is permissible mineral-wise or mineral area-wise or block-wise only and not lessee-wise, though the area limit is lessee-wise. This needs to be looked into. Special dispensation in area limit is required for Government companies. I am not pleading for private companies at all. The Biju Janata Dal is stating this only for Government companies. So, special dispensation should be made for Government companies. We have Orissa Mining Corporation which is facing this difficulty. There are a number of private companies. You deal with them as per the law. The Orissa Mining Corporation is the Government of Odisha undertaking. This provision is necessary. As the Government companies play a very vital role in meeting the raw material requirements of the industries, the area limit should be relaxed in respect of areas reserved for prospective or mining under Section 17 (a) of the MMDR Act. Besides, a specific provision may be made for increase in area limit for prospective licence, mining lease, as we call PL and ML, to be granted for captive use of minerals by end user industries on a case to case basis.

Therefore, I would suggest for consideration by the Government the proviso proposed to be inserted after sub-section 6 of Section 12 (a), may be modified as follows:-

"Provided that State Government may permit transfer of mining leases granted otherwise than through auction where the mining lease has been granted to a Government company or to a lessee for captive use of mineral in its industry subject to compliance to terms and conditions as prescribed by the Central Government."

Subsequently, I would say the following words may be added to proviso to Section 6 (1) (b) or to specified deposit required for captive use in the industry of a licensee or as the case may be lessee. A further proviso may be added to Section 6

(1) (b), 'provided further that the area limit in respect of prospective licence or mining lease shall not be applicable in respect of any area that has been reserved for a Government company or corporation under sub-section 1 (a) or 2 of Section 17(a).

These are, I think, genuine issues. I would say this is necessary. When you have reserved area for that purpose and when the Central Government, in consultation with the State Government, can proceed with this matter, I would say it is necessary now that these provisions can be factored in and accordingly the amendment can be moved.

With these words, I conclude.

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Hon. Chairman, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak a few words on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2016. I welcome this Bill on behalf of our Telugu Desam Party.

This Bill intends to amend the Mines and Minerals Act to include the provisions of allowing transfer of captive mines granted through procedures other than auction. I understand that the main idea of the Government to bring this Bill is to transfer the captive mining leases granted otherwise than through auction and would facilitate banks and financial institutions to liquidate stressed assets where a company or its captive mining leases mortgaged.

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act passed by Parliament in March, 2015 only allow transfer of mining leases in cases where the mine has been acquired through auction. Through this amendment, the Government wants to insert a clause that says: "Provided that where a mining lease has been granted otherwise than through auction and where minerals from such mining lease is being used for captive purpose, such mining lease will be permitted to be transferred subject to compliance with terms and conditions as prescribed by Central Government and State Governments." This would also strengthen the terms and conditions. Especially our State, Andhra Pradesh, have many mines and minerals, as mentioned just now by Shri Mahtab.

The transfer provisions will also allow mergers and acquisitions of companies and facilitate ease of doing business for companies to improve profitability and decrease costs of the companies dependent" on supply of mineral ore from captive leases.

The transfer of captive leases would be subject to the consideration of enforcing Performance Security, Mine Development and Production Agreement (MDPA), and realisation of an appropriate amount, if any, if found feasible at the time of framing terms and conditions.

Hon. Minister, Shri Narendra Singh Tomar sought views from the public, States and industry on amending the MMDR Act to include provisions allowing transfer of captive mines, granted through procedures, otherwise through auction, and would facilitate banks and financial institutions to liquidate stressed assets where a company or its captive mining lease is mortgaged. Only then this Bill has been introduced by the hon. Minister.

The step will not only help in checking the stressed and nonperforming assets of banks by allowing them to liquidate the same where a firm or its captive mining lease is mortgaged, but will also spur mergers and acquisitions in the sector.

I inform that Chief Minister want to the House our Shri Garu Chandrababu Naidu has introduced an innovative Sand Policy in Andhra Pradesh. On experimental basis, he made sand free of cost in the entire State for the benefit of housing and Government schemes. Our State Government in Andhra Pradesh is curbing the sand mafia in this way. It is like killing two birds with one stone. One is free availability of sand and the other is curbing sand mafia in our State. This has been yielding good results in our State. Thank you very much, Sir.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, it is almost 6.45 p.m. People who are interested are watching us. We are working overtime just like the Lok Sabha Staff and Parliamentary Reporters. Yesterday, we sat here up to 10 o' clock. It has become a habit during the past two years. on the last day itself, very important Bills are brought before the House. We all know that a Bill on Privatisation of Coal on a Friday. It was quite astonishing and shocking. Nobody would have believed that on a Friday, which is supposed to be a Private Members' Day/Resolution Day. Such a very important Bill came up for discussion in this House on Friday.

I would like to support the very serious contentions raised by my learned senior, Shri B. Mahtab on the floor of the House. In Lok Sabha, previously also, my friends from Odisha, from Biju Janata Dal, raised the point about land. Land belongs to whom? Answer is, land belongs to the State.

Here, in the Land Acquisition Bill also, when we had the discussion, it is an accepted fact, it is a norm that it belongs to the State; I mean the State Governments. It is just like hide-and-seek to touch to nose; it is just like three rounds of the head; just like that, these types of Bills and amendments are coming before us. I do not understand why some of my friends in the Treasury Benches say that the Opposition is always creating problems; Opposition itself is a problem and Opposition is creating hindrances. They are saying that it is because of the Opposition the Parliament cannot function. Actually you see, in almost all the Sessions, both the Houses are working overtime.

When we speak about the Mines and Minerals (Development And Regulation) Amendment Bill, 2016, I would like to pay my homage to Shri Handique *ji*, a very senior Parliamentarian. Once he was a Minister also. He is no more now. He was Chairman of one of the Parliamentary Committees also. He is from Assam. Here, in this Bill, even though it seems to be an amendment, I may invite your attention to the Statement of Objects and Reasons. In the Statement of

Objects and Reasons, in Paragraph 2, it is stated that Sub Section 6 of Section 12A of the said Act provides that the transfer of mineral concessions shall be allowed only for concessions which are granted through auction.

Of course, auction is necessary; we welcome it. CPI (M) also welcomes the process of auction. Such a course of action should be there. Auction is good. So, here, the next line is very serious. It says, the Central Government has received a representation from industry, associations stating that the Sub-Section has caused difficulties which does not allow merger and acquisition of a company having captive leases. Here, I would like to know whether we are working for the companies and the corporates or whether we have to seek a balance between the interest of the business community as well as the toiling working class also. Have you ever heard the representations of the workers in the mining sector? Have you had any consultation with the various stakeholders in the mining sector? I use such a term, stakeholders mean those who are having any type of interest in that. Suppose I am a worker, whether I am a male or a female it does not matter; whether I am a permanent worker or a casual worker or a contract worker or a daily wage worker, it does not matter. But I am a worker. I am having dirty hands but my money is clean money. But you are not hearing me. At the same time, you are hearing the corporates. Why in such a haste the Government has brought such an amendment here? Here, it has been a practice that whenever those who are working give some representation, some memorandum or even if they are going for some legal remedy, the Government turns a blind eye. Many have eyes but do not see; many have ears but do not hear. This has been the practice which we experience here.

Again, in Para 2 also, another sentence which caught my attention is, seeking clarification regarding areas for dumping of mining waste in view of the observations made by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 562 of 2009 and Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012. Of course, we have to respect, we have to oblige by the judgement of the Supreme Court. There is no question

regarding that. We cannot question the Judiciary or the apex body. But the Parliament has the supremacy. Regarding the dumping of waste, it has created quite a lot of problems and lives of millions of people are in peril. Mines are owned by the industrial houses, corporates, millionaires, if not billionaires. There is mafia operating in the mining sector of India. It is an accepted fact. I am not using the term black money because I do not want to use it. As you know, Sir, many of us are especially from the Dravidian culture. All that is black is not bad. It is because, you see, our Marshal is wearing the black uniform; our Reporters are also using the black uniform. Black is very beautiful colour. Our hon. Minister is also wearing a black jacket. Coal is just like a black gold. My leader, Comrade Salim is in full black dress even though his skin is white. Here, the mining mafias are becoming more powerful day by day. Whatever law we enact here, whether it is being implemented or not, unless and until there is an unholy nexus between the ruling political class, the top bureaucratic babu class and the corporates, this illegal, illicit and unlawful money cannot be generated. I am not talking about any of the hon. Members of this House. Some of them might be occupying their seats now. Velagapalli, it is not on you but the members sitting on my left side. Yesterday, also we have had a discussion on the Floor of the House about it and we left the matter for the discretion of our hon. Speaker. Even some of the hon. Members in this House accepting money, whether it is a bribe or a fee or an honourarium, we do not know. But it is an unethical practice which has happened. Once this happens, then there is a crave for the illicit money or a crave for the unlawful money. Then, all those, who are part and parcel of these activities, are trying to amass more wealth by illegal means.

The mining sector is one of the important sectors which is giving employment for millions and millions of people. But at the same time, the labour laws, which have to be implemented at the grass-root level, are not being implemented. I will not take much time of the House. Here, in page no. 5, it is regarding sub-section because all these points of contention are regarding sub-

section. In the memorandum regarding delegated legislation, the sub-section 12(a) empowers the Central Government to prescribe the terms and conditions and the payment of such amount or transfer charges subject to which the mining lease may be transferred. This is a point to ponder over. This has been raised by many of our hon. Members on the Floor of the House. I do not want to see a dispute between the State Governments and the Central Government. As our hon. Minister agrees, there should be a dispute. If you are saying about inclusive growth and cooperative federalism then the State Government is also one of the stakeholders. We should have that type of consultation at a regular interval only with consent. I am not saying about the consultation. Only with the consent of the concerned State Governments such type of amendments should be made.

I agree with you that we have the power because as per the Constitutional provision we have the power. That is why, the Government of India sometimes gets engaged into bilateral or trilateral treaties with other countries also. We also have signed international treaties and conventions. But at the same time, as Members of Parliament, we also do not know as to what the clauses or provisions are in the agreement. We are then forced to know all these things which are discussed in some other Houses of some other countries. This has happened during the regime of UPA-I when the nuclear deal was signed between India and US. This has happened in ASEAN treaty also. You know much better than I do, Sir, because the plight of rubber cultivators in Western Ghats areas of Tamil Nadu, in Western Ghat areas of Kerala and North-Eastern States like Assam, Mizoram, Meghalaya, etc., is well-known. Even then the Government is not at all able to address this problem. The plight of the coconut cultivators and the farmers has happened just because the Government of India is executing such treaties without any consultation, without any deliberation and without the assent of Parliament of India. It is because the Government of India is having that executive power. The Government is enjoying that power which even the President of the United States does not enjoy. The President of United States and the President of France – they

are from the Federal Republic – have the executive powers also. Here, we are having a Parliamentary System and we are following the Westminster style and the Parliament is being bypassed.

Sir, my humble request is that a Bill, whether it is a parent Bill or a new Bill or any Amendment Bill, should be thoroughly looked into, statements of witnesses should be taken, and consultation with various stakeholders should be done by the concerned Departmentally-Related Standing Committees. Here, the role of the Departmentally-Related Standing Committees is being minimized and reduced.

Sir, anyway this House will stand adjourned during the dark hours of today, and we will be catching our flights or trains tomorrow at the earliest to return to our places.

What I want to say is that the recommendations of the Departmentally-Related Standing Committees are not being accepted by the Government. And whether it is their Government or this Government – I am sorry, nobody is here except only we two people are here – I am not concerned about the Party in power. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

DR. A. SAMPATH: I will take one more minute.

Sir, we have to protect the prerogative and the power of the Departmentally-Related Standing Committees. Only in the Departmentally-Related Standing Committees, we can have a thorough discussion with the concerned officials, with the trade union leaders, with the tribal leaders and also with various stakeholders. So, their recommendations, suggestions, complaints and apprehensions have to come before us. Sir, this Amendment Bill has only six pages. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

DR. A. SAMPATH: Yes, Sir. This Bill has only a very few lines.

I understand that my speech has taken more time. All these things have come here just like straight from oven. Sir, it is not a good practice that the Bills are passed at the odd hours of the day, at the late hours of the day when most of the Parliamentarians have left Delhi and also without going through the concerned Standing Committee. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Member, Shri A.P. Jithender Reddy.

DR. A. SAMPATH: Sir, I am going to conclude. I will take only one more minute.

Sir, I am coming to PPPs and privatization. Here, it talks about captive mining. A corporate house or a company has got a lease. Then, another subsidiary company amalgamate with it. We do not know who takes what. ... (*Interruptions*) Sir, this is not the proper way. My request is that even though this Bill seems to be a small Bill, this Bill has to be sent to the concerned Standing Committee and their recommendations should come before the House. I say that I have certain reservations. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri A.P. Jithender Reddy.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Shri A.P. Jithender Reddy will go on record.

... (Interruptions)... *

_

^{*} Not recorded.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, the Mines and Minerals (Development and Regulations) Amendment Bill, 2016 intends to amend the Mines and Minerals Act to include the provision of allowing transfer of captive mines granted through procedures other than auction. I understand that the main idea of the Government in bringing this Bill is to transfer the captive mining leases granted otherwise through auction and would facilitate banks and financial institutions to liquidate stressed assets where a company or its captive mines, mining lease is mortgaged.

Sir, we are in a federal system. I do understand that the Mines and Minerals Act is with the Central Government. However, I feel that before any action is taken, the State Governments should be consulted and their permission should also be taken because lands that are there also belong to the State Governments.

I support this Bill. My only point is that the Government of India should consult the State Governments and get their permission.

Thank you.

19.00 hours

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

There are quite a few plus points in this Bill. No doubt it eliminates the discretion, improves the transparency, simplifies the procedure, and attracts private investment and latest technology. Special court is also a good invention. There are penalties. There are some issues, which I would like to bring before the notice of the hon. Minister.

In mining, we have been facing major problems because the concerns of the affected people and the environmental issues, have not being adequately considered while drafting this Bill. Usually, we have very weak institutions, inadequate monitoring and feeble enforcement. As a result, we have lots of illegal mining, destruction of environment and ill treatment to mining affected communities.

Sir, now, more penalties have been proposed. But there is every possibility that whenever there is more proposed penalties in India, it leads to rent-seeking behaving of the bribes. Therefore, this point needs to be addressed.

Then, it has been suggested that all mining leases shall be granted for 50 years. More or less, leases are compulsorily being given for 50 years. Why are they being given for 50 years? Even the leases on existing mines are being extended for 50 years. Is there any need to give these mines on lease for 50 years?

Similarly, auctioning has not been adequately done in all cases. Auctioning will be successful only if adequate quantity and quality of the mines and minerals available is assessed. Then only, the auctioning will have any meaning. Otherwise, I do not think, the auctioning would have any relevance.

Sir, for 50 years, the land would get stuck with the lease holders. Therefore, the moment the mining is over, immediately the land may be handed over to the land owners. Otherwise, for two generations, the land owners would be missing the opportunity of possessing their land.

Sir, rehabilitation and resettlement is almost worst in India, particularly in the mining sector. That is the reason why most of the States like Odisha and Bihar, which are rich in mining, are also suffering. It is for the simple reason that the richness of the mining is not adequately compensated to the people there. So, this aspect also needs to be considered.

Similarly, about the royalty, only one-third is being collected. There is no reason why only one-third of the royalty is being collected. This point may also be looked into.

HON. CHAIRPERSON: Shri Varaprasad Rao, just a moment.

Hon. Members, the time allotted for this discussion is over. But there are yet five Members to speak. So, if the House agrees, we may extend the time of the House by another one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: All right. So, the time of the House is extended by another hour.

Yes, Mr. Varaprasad Rao, please continue

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: Sir, presently, the coal and lignite lease holders will be depositing 25 per cent of their profit after tax. That is missing here. It is a gross injustice to the concerned State. Whatever they are supposed to deposit, they should also deposit it with the State Government.

Sir, now, the Centre has taken over the sanctioning of extra land, which is more than 10 square kilometres, as a result, more land is being given; and so, more displacement of the people would take place. But what is the need of giving extra 10 square kilometres? Giving larger areas means larger displacement. When the existing Land Acquisition Bill comes, this will knock off the consent of the land owners. Therefore, coupled with this and the proposed Land Acquisition Bill, where the land owners' consent is not required, it will certainly affect both the land owners as well the nearby communities. Therefore, this aspect also needs to be properly considered.

Sir, I do not think that it is a win-win situation anybody. That means, even the lease holders, as it is being for 50 years, cannot properly invest. If they cannot invest, they cannot bring in the new technology. Similarly, for the people also, it is not a win-win situation for the simple reason that for 50 years, people who would be displaced, cannot be rehabilitated. So, it is not a win-win situation for anyone. I would, therefore, request that this point needs to be considered.

While auctioning, if the quality and quantity, as I was suggesting, is not assessed and under-valued, the State Governments will be at a loss because the revenues will come down. If it is over-valued, the lease-holders will be badly affected. So, this also needs to be considered.

The interest of the lease-holders is not at all considered. When you want to bring in more investment, when you want to bring in more technology, a minimum guarantee of returns for the investors needs to be considered. Therefore, the balancing has to be done.

I thank the Chairman for giving me this opportunity.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं।

महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तावित है, इसमें अधिनियम 1957 में संशोधन कर ऐसे केप्टिव खनन पट्टों जिन्हें नीलामी के माध्यम से नहीं दिया गया है, उनके हस्तांतरण की अनुमित का प्रावधान करने के लिए है। दरअसल वर्ष 2015 में जब संशोधन अधिनियम बना था, उस समय पूरे देश की सभी खदानों को चाहे वह लौह अयस्क हो, चाहे लाइम स्टोन हो, चाहे अन्य मिनिरल्स की खदानें हों, सभी को नीलामी के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया था। हमारी सरकार जब आयी तो सबसे पहले व्यवस्था यही बनायी गयी कि पहली की सरकारों के समय जो कोल ब्लॉकों का आवंटन हुआ तथा खदानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी, घोटाले हुए थे और सरकार के राजस्व की हानि हुई थी, उसको पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था की गयी थी। इससे बड़ी संख्या में सरकार को सफलता भी प्राप्त हुई है। इस विधेयक की धारा 12(ए) में संशोधन होगा, जिससे एमएमडीआर संशोधन अधिनियम जो 12.01.2015 को लागू होने के बाद खान मंत्रालय को ऐसा महसूस हुआ कि हमें इसमें कुछ संशोधन लाना होगा। मैं खुद जहां से आता हूं वह क्षेत्र खनिज पदार्थों से भरा हुआ क्षेत्र है। कई बड़े-बड़े सीमेंट के कारखाने हैं। वित्तीय व्यवस्था के कारण कुछ सीमेंट प्लांट नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें बेचने पर खदानें हस्तांतरण नहीं हो पायीं, उनसे उत्पादन में कमी हुई, बैंकों का पैसा कम्पनी वाले नहीं चुका पाए और ऐसी स्थिति में लग रहा था कि जो रोजगार मिल रहा था, वह भी पूरी तरह से बंद होने की कगार पर आ रहा था। सरकार के सामने भी ऐसे प्रस्ताव आए, जिनमें उद्योग जगत से जुड़े हुए फिक्की, एसोचैम और सीमेंट असोसिएशन ने आवेदन किया कि इस कानून में थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए नहीं तो मेक इन इंडिया का हमारा कंसेप्ट कहीं न कहीं अधूरा रह जाएगा। इसमें लाखों-करोड़ों लोगों के हाथ से रोजगार छिन जाएगा और जो पूंजी, चाहे वह निजी क्षेत्र की हो या सरकारी क्षेत्र की पूंजी लगी हो, उसका पूरी तरह से परिचालन रुक जाएगा। इसलिए सरकार ने इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया। भारतीय स्टेट बैंक ने भी मंत्रालय को सूचना दी कि हमारे बैंक के माध्यम से और अन्य बैंकों के माध्यम से बहुत सारी कम्पनियों ने फाइनैंस किया है, निजी फाइनैंस किया गया है, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं आ रहा है। उनके सामने कठिनाई यही है कि अगर कोई कम्पनी सिक हो गयी है और वह किसी दूसरे को बेचना चाहते हैं तो जो उसके साथ लीज़ लगी हुई है, जो केप्टिव माइंस लगी हुई है उसका हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी कम्पनी खरीदकर क्या करेगा? इस वजह से यह हस्तांतरण का कानून निश्चित तौर से बनाया जाना उचित था। मैं मंत्री जी को बह्त-बह्त बधाई देता हूं कि उन्होंने समय रहते इस पर विचार किया और इस संशोधन विधेयक को सदन में लेकर

आए। इस विधेयक के बाद हस्तांतरण की अनुमित तथा कारोबार करने में आसानी होगी। धारा-3 में संशोधन वर्तमान में पट्टाधीन क्षेत्र की परिभाषा अधिनियम में नहीं है और इस प्रावधान के बाद इसमें यह व्यवस्था हो जायेगी।

महोदय, 2015 में एमएमडीआर संशोधन आने के बाद पूर्णतः हस्तातंरण पर प्रतिबंध लग गया था। इसीलिए कहीं न कहीं राजस्व में भी कमी आई थी। लेकिन इसके पहले 2015 के अंतर्गत जो संशोधन हुआ था और उसमें नीलामी के प्रावधान किये गये थे। प्रथम चरण में करीब 43 मुख्य खनिज ब्लाक जो आठ राज्यों में हैं, उन्हें अधिसूचित किया गया था। उनमें से छः ऐसी माइंस हैं, जिनकी नीलामी हो चुकी है। उसमें झारखंड में दो लाइम स्टोन की खदान हैं, छत्तीसगढ़ में दो लाइम स्टोन की खदान हैं और एक गोल्ड की खदान है तथा उड़ीसा में लौह अयस्क के एक ब्लाक की नीलामी सम्पन्न हुई है। इससे 18108 करोड़ रुपये की राशि आई है। इसमें करीबन 13 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि नीलामी के प्रावधान आने से मिली है। राज्यों को 5,114 करोड़ रुपये की जो रायल्टी मिलने वाली है, उसमें भी लगभग 1313 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रायल्टी प्राप्त हुई है। इससे साफ जाहिर है कि जो 2015 में कानून बना था, उस कानून का व्यापक असर हुआ है। उससे पारदर्शिता आई है, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उस पर रोक लगी है और उसका सही उपयोग शुरू हो गया है।

सभापित जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक ईमानदार, निष्पक्ष, पारदर्शी व्यवस्था देने का काम कर रही है। मैंने पहली बार इस सदन में देखा कि 1800 कानून जो अनुपयोगी थे, उन्हें डिलीट किया गया और जो जरूरी कानून हैं, जो वर्षों से लम्बित पड़े थे, जितनी वर्षों से जरूरत थी, उन्हें यहां से पारित कराकर देश की व्यवस्था को मजबूती देने का काम इस सदन से हो चुका है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जिस तरह से मंत्रालय संभालने के बाद वह इसे पारदर्शी बनाने की व्यवस्था में लगे हैं, निश्चित तौर पर वह सफल होंगे।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मध्य प्रदेश में बहुत मिनरल्स हैं। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि जिन कंपनियों को लीज हैं, वे कंपनी अगर दूसरी कंपनी को हस्तांतरण करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी खदानें हैं, जो 50-50 और 90-90 साल की लीज में ऐसे लोगों के पास हैं, जिन्होंने कोई कारखाना नहीं लगाया, लेकिन उनकी पहले की खदान है क्या उन्हें भी इस संशोधन का लाभ मिलेगा यदि हां तो मुझे लगता है कि कुछ अतिरिक्त रायल्टी उन्हें देनी चाहिए, तािक सरकार के राजस्व में कोई कमी न आने पाये, मैं समझता हूं कि इस बात का भी इसमें प्रावधान होना चािहए और जो छोटी-छोटी खदानें हैं, जो राज्यों के हिस्से में हैं, जो गौण खनिज हैं, जिससे नये इम्पलायमैन्ट जेनरेट होते हैं, बड़े-बड़े लोगों को निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बैंकों के माध्यम से वित्तीय

मदद मिल जाती है। लेकिन जो छोटे उद्यमी लोग हैं, खास तौर पर जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं और कौशल विकास के माध्यम से चाहते हैं कि हम ऐसे मिनरल के माध्यम से कोई लघु उद्योग लगाने का काम करें तो ऐसे लोगों को भी कहीं न कहीं सहूलियत मिले।

इसी के साथ-साथ खदानों में जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, वह पर्यावरण की अनुमित की है। मैं देख रहा हूं कि वहां से जंगल बहुत दूर हैं, पेड़ कहीं नहीं हैं, इसके बाद भी उन्हें अनुमित नहीं मिल पा रही है। एनजीटी एक नई समस्या है। एनजीटी जहां देखिये, कोई न कोई आपित्त लगा देते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे लोगों को बार-बार आफिसों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मिनरल्स का जो व्यापार है, वह और तेजी से बढ़े। हमारे देश में अद्भुत खनिज पदार्थ हैं, लेकिन उनका हम सही दोहन नहीं कर पा रहे हैं। आज यही कारण है कि कहीं न कहीं हमारी वित्तीय स्थिति में कमी आई है। अगर हम मिनरल्स का पूरी तरह दोहन कर सकें और उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोज़गार के दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर उनको देने का काम करें तो निश्चित तौर पर हमारी आय बढ़ेगी, नए रोज़गार पैदा होंगे और मेक इन इंडिया का सरकार का सपना पूरा होगा। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार भी व्यक्त करना चाहुंगा कि इस बिल के माध्यम से खनिज क्षेत्र में अब से पहले जो कमियां महसूस की जा रही थीं, उनको दूर करने का प्रयास माननीय मंत्री जी ने किया है। खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 में समय-समय पर कई बार इस अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। लेकिन पिछले वर्ष इसी सरकार के माध्यम से संशोधन प्रस्तुत किया गया था, उसी के आधार पर यह संशोधन आज प्रस्तावित है। पिछले संशोधन में उन प्रमुख बातों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो ध्यान में आएगा कि विवेकाधिकार का उन्मूलन करना उसका एक उद्देश्य था, खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता बढाना उनका एक और उद्देश्य था। प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना एक उद्देश्य था, प्रशासन में विलंब का उन्मूलन, जिससे देश में खनिज संसाधनों को शीघ्र और अधिकतम विकास का समर्थन बनाना एक उद्देश्य था। देश में सरकार के लिए संसाधनों के मूल्य का बढ़ा हुआ भाग प्राप्त करना एक उद्देश्य था और निजी विनिधान एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना एक उद्देश्य था। इन उद्देश्यों में वर्तमान का जो संशोधन प्रस्तावित है, वह दो बिंदुओं को छूता प्रतीत होता है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण का इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो खानें ऑक्शन के माध्यम से आवंटित नहीं की गई थीं, पूर्व के प्रावधान में इनको हस्तानांतरित करने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि कैप्टिव माइनिंग और ऑक्शन के माध्यम के अलावा जो माइंस अलॉट हुई हैं, उनको भी अब इस संशोधन के माध्यम से हस्तांतरित करने का अधिकार मिल जाएगा। यह अधिकार मिलना इसलिए आवश्यक है कि कैप्टिव माइनिंग अपने आप में यह प्रदर्शित करता है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय का जो "मेक इन इंडिया" का सपना है, उसको अगर हम साकार करने में शीघ्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस तरह के माइनिंग एक्ट्स को, जो हमारी यहां की इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटीरियल है, उनके ट्रांस्फर में हिंड्रेंसिस हैं, उनको दूर करना पड़ेगा।

में आदरणीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी के इस सपने को साकार करने में इस नियम में परिवर्तन कर के उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अभी मेरे माननीय सदस्य यहां बता रहे थे कि लोहे कि जो प्रोसेसिंग है, उसके लिए रॉ मटिरियल हमारे यहां से जा कर चाइना में जाता है और प्रोसेस्ड हो कर वापस हमारे यहां आ कर बिकता है। वह "मेक इन इंडिया" के कॉन्सेप्ट को अवरूद्ध करता है। इस प्रावधान के माध्यम से जो कैप्टिव माइनिंग और उसके ऊपर आधारित इंडस्ट्रीज़ हैं, जब उनको रॉ मटीरियल की बाध्यता हो जाएगी और रॉ मटीरियल के माध्यम से वे अपने प्रोडक्ट को यहां बना पाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो "मेक इन इंडिया" का कॉन्सेप्ट है, उसको हम

सफलता से आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही साथ निजी क्षेत्र का, जो एफडीआई का और अन्य पूँजी का हम आकर्षण पैदा करना चाह रहे हैं, उसको भी इसमें सहूलियत मिलेगी और निजी विनिधान और नवीनतम प्रौद्योगिकी को आकृष्ट करने का एक यह बहुत बड़ा आधार बनेगा, इसलिए मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

महोदय, यह जो प्रावधान रखा है, इसमें सरकार का दूसरा कान्सेप्ट यह है कि हम अपने कामों का सरलीकरण करें, उसकी ओर भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए नई कार्रवाई के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। कैप्टिव खानें यूजर्स परियोजनाओं से सम्बद्ध हैं, जिनके लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है और परियोजनाएं रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। हम मूकदर्शक नहीं रह सकते और प्रक्रियात्मक स्पष्टता के अभाव में उद्योग को पीड़ित भी नहीं रहने दे सकते। इसलिए इन कदमों के आधार पर हमने यूजर्स परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस निर्णय पर पहुँचने से पूर्व, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, बहुत सारी फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का यह प्रस्ताव था कि यह जो हिन्डरेंस है, इसे दूर किया जाना चाहिए। सरकार ने सारी परिस्थितियों का अध्ययन कर किस तरह हम इस सुविधा को सरलता से उपलब्ध करा सकें, इस बात को मद्देनजर रखकर यह प्रावधान रखा है। इसलिए मेरा मानना है कि यह भी हमारे फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस के हितों की रक्षा करेगा और साथ ही साथ जो निवेश करने वाले लोग हैं, उनको भी आकर्षित करेगा। यहाँ मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कुछ इस तरह के विषय उठाए, जिसमें कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट हाउसेज और बैंक्स की फैसेलिटीज को देखते हुए इस नियम का प्रावधान रखा है। इसमें कहीं पर भी मजदूरी करने वाले और गरीब तबके के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया है। मैं आपके माध्यम से उन सांसदों तक यह बात पहुँचाना चाहुँगा कि यह जो अधिनियम में संशोधन है, इस संशोधन से कहीं पर भी उस गरीब तबके को या मजदूर वर्ग को हानि का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कोई उनको ऐसी नुकसान वाली स्थिति नहीं है कि हमारे वर्तमान के जो नियम हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह का प्रावधान रखा है। कहीं पर भी उनके हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं है। इसलिए उसको उस दृष्टि से देखना मात्र यहाँ किसी न किसी कारण से प्रस्तावित प्रावधान का विरोध करने से ज्यादा मुझे उसमें और कुछ नजर नहीं आ रहा है। यह वाणिज्यिक निर्णय कम्पनी की परिस्थितियों के समग्र मतों पर आधारित होता है और बैंक जो कि हमारे कस्टोडियन्स हैं, हमारी पब्लिक मनी के, उन कस्टोडियन्स के हितों की भी हम इसके माध्यम से रक्षा कर रहे हैं। बैंक्स के अलावा जब कोई सिक यूनिट हो जाती है और दूसरे कोई उद्योगपित उन यूनिट्स को टेकओवर करना चाहते हैं, अगर ये ट्रांसफर नहीं हो सकतीं तो वे लोग इसको अपने स्तर पर ट्रांसफर करने में हिचकिचाएंगे और वह

सिक यूनिट सिक यूनिट ही रह जाएगी। इसिलए इस संशोधन के माध्यम से हमने सिक यूनिट्स को प्रोत्साहित करके नए उद्यमियों तक उसके लाभ को पहुँचाने और नए उद्यमियों के विचार के अनुरूप, उनके सोर्सेज के अनुरूप इन चीजों में प्रोत्साहित करकर इन इंडस्ट्रीज को पुनःजाग्रत करने का इसमें यह एक प्रावधान है। निश्चित रूप से ये सारे विषय आने वाले समय में भारत, जो खनिज दृष्टि से एक बहुत समृद्धशाली राष्ट्र है, इसके भविष्य को आर्थिक दृष्टि से दुनिया के सामने हम मजबूती से खड़ा कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसी के साथ मैं इस बिल के लिए अपना समर्थन प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for affording me an opportunity to participate in the reform process in the mining sector through the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2016.

Sir, the Mining sector, for the first time, has seen the light of reforms under the able guidance of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi *ji*. I am saying this because earlier the grant of mining lease was based completely on discretion. Earlier, Section 11 was there where it was on first-come-first-served basis and this is the reason that large number of litigations were pending before the Supreme Court and the Supreme Court quashed such type of mining leases granted on the basis of first-come-first-served.

After the decision of the Supreme Court, necessary amendments were carried out in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act and the Bill was introduced in 2015. The necessary provision was made by replacing Section 11 with a new Section 11, which was introduced, whereby the mineral concession was required to be granted only through auction. Therefore, since 1957 till 2015, the mineral concession and mining leases were granted only on the basis of discretion, which was discontinued for the first time in 2015.

19.26 hours (Hon. Speaker in the Chair)

This discretion, which was there earlier, was taken away and more transparency was created for grant of mining lease and the procedure was also simplified so that there was no delay in allotment of mining lease. It also enhanced the revenue of the State exchequer.

Now, in the present Bill, Section 12A is regarding transfer of mineral concession. Earlier, the transfer of mineral concession was available only through auction, but the captive mining leases were not taken into consideration, which was in the interest of development of the mining sector. Therefore, the present Bill is only with respect to including those mining leases where the captive mining are used for captive purposes.

I would also like to ask a clarificatory question to the hon. Minister. This Bill covers only those mining leases, which are for captive purposes, but the prospecting licensing-cum-mining leases are not made part of this Bill. It may be clarified whether this issue is also required to be taken into consideration or not. Thank you very much for affording me an opportunity to participate in this discussion.

19.28 hours

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA *

HON. SPEAKER: Thank you.

Now, the Secretary-General has to inform something to the House.

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I directed am herewith the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016, which was passed by Lok Sabha its sitting held the at 11th March, 2016 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations on the same day and to state that the Rajya Sabha at its sitting held on the 16th March, 2016, recommended that the following amendments be made in the said Bill:-

CLAUSE 3

1. That at page 3, <u>after</u> line 35, the following proviso be <u>inserted</u>, namely:-

"Provided that if an individual so chooses and does not wish to continue as a holder of Aadhaar number, such individual shall be entitled and permitted to have his Aadhaar number deleted from the Central Identities Data Repository and on such deletion, all his data including the demographic and biometric information as well as all his authentication records shall be destroyed forthwith and a certificate to that effect shall be issued by the authority within fifteen days from the making of such request".

_

^{*} Laid on the Table.

CLAUSE 7

2. That at page 4, <u>for</u> lines 17 to 19, the following be <u>substituted</u>, namely:-

"Provided that if an Aadhaar number is not assigned to or if an individual chooses not to opt for enrolment, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service".

CLAUSE 33

3. That at page 12, line 1, <u>for</u> the words "national security", the words "public emergency or in the interest of public safety" be <u>substituted</u>.

CLAUSE 33

4. That at page 12, line 5 <u>after</u> the words "Oversight Committee consisting of", the words "the Central Vigilance Commissioner or the Comptroller and Auditor-General and" be *inserted*.

CLAUSE 57

5. That at page 17, clause 57 be <u>deleted</u>.'

Madam Speaker, I lay on the Table the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016, returned with amendments recommended by Rajya Sabha.

19.30 hours

MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2016 -- Contd.

HON. SPEAKER: Now, the hon. Minister.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: We will pass this Bill first.

... (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): What is the big hurry in passing it today?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hurry is because curry time is over.

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एम.एम.डी.आर. अमैंडमैंट बिल पर काफी संख्या में, लगभग 10 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात तो रखी, लेकिन बात रखते समय अमैंडमैंट का समर्थन किया। इसके लिए मैं पुनः सभी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2015 में भी हम लोग अमेंडमेंट लेकर आए थे और उस समय सभी सदस्यों ने उस बिल का भी समर्थन किया था। उस समय सरकार के सामने मुख्य बात पारदर्शिता की थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी साल भर के भीतर पूरे देश में नए कानून के अंतर्गत 43 माइंस का ऑक्शन नोटिस जारी किया। उनमें मात्र 6 माइंस अभी ऑक्शन हुई हैं तीन राज्यों में, जिनमें राज्यों को 18,146 करोड़ रूपए राजस्व प्राप्त हुआ है। ...(व्यवधान) खनन का कारोबार निश्चित रूप से बढ़ा है और हर मिनरल का प्रोडक्शन दिनों-दिन बढ़ रहा है। अभी हम चाहते नहीं थे कि एकदम अमेंडमेंट के लिए आएं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ परेशानी सामने आई और जो औद्योगिक संगठन थे, उन्होंने अपनी बात सामने रखी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने अपनी बात सामने रखी और मंत्रालय ने उन सब तथ्यों का परीक्षण कराया और उसके बाद मंत्रालय को यह लगा कि कैप्टिव माइंस जो हैं उनमें हस्तांतरण की अनुमित प्रदान करनी चाहिए। कैप्टिव माइंस में हस्तांतरण इसलिए आवश्यक है कि एक कारखाना है, वह बीमार अवस्था में है, उस पर बैंक का भी पैसा है, अगर वह बंद होगा तो लोग जो काम में लगे हैं, वे बेरोजगार हो जाएंगे।

अर्थव्यवस्था में जो उसका योगदान है, उस योगदान से हम वंचित हो जाएंगे और खनन की प्रक्रिया उस क्षेत्र में अवरूद्ध हो जाएगी। इसलिए व्यापार में सरलता हो, रोजगार निरंतर बढ़ता रहे, इसलिए यह उचित लगा कि कैप्टिव माइंस को हस्तांतरण की सुविधा दी जानी चाहिए, इसलिए हम लोग यह अमेंडमेंट लेकर आए हैं।

हमारे अनेक मित्रों ने कुछ विषय उद्धृत किए हैं, जैसे भर्तृहरि महताब जी कह रहे थे कि राज्यों से इस मामले में बात होनी चाहिए, डां संपत जी ने भी अपनी बात में कहा। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह हस्तांतरण होगा, तो राज्य ही इस हस्तांतरण को करेंगे। यह केन्द्र करने वाला नहीं है। पिछली बार जब हम लोगों ने एक्ट अमेंड किया था, उस समय 12, ए में यह बंदिश लगा दी थी कि वही माइंस हस्तांतरित हो सकेंगी जो माइंस ऑक्शन द्वारा जाएंगी। इसके कारण ऑक्शन द्वारा जो माइंस जाएंगी, वही हस्तांतरित होंगी, तो कोई भी माइंस नहीं हो सकती थी। इसलिए इसके माध्यम से हम इसे खोल रहे हैं। इसे राज्य ही करेंगे और इससे जो राजस्व आएगा, वह राजस्व भी राज्यों के खाते में ही जाएगा। केन्द्र सिर्फ यह सुविधा प्रदान कर रहा है, कैप्टिव माइंस को इसलिए सुविधा दे रहे हैं कि कारखाना बंद न हो, बेरोजगारी न बढ़े।

दूसरा, हमारे कुछ मित्रों ने पुनर्वास की और उस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय बंधुओं की भी चिंता की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएमडीआर एक्ट जब हम लोगों ने वर्ष 2015 में संशोधित किया तो पहली बार इस बात की चिंता मोदी जी के नेतृत्व में की गई कि जिस क्षेत्र में जंगल है, वहीं खनिज है। जहां जंगल है, खनिज है, वहीं हमारी जनजाति का भाई, अनुसूचित जाति का भाई निवास करता है। जब खनन होता है तो व्यक्ति भी प्रभावित होता है, क्षेत्र भी प्रभावित होता है। इसके लिए कोई भी ऐसी राशि नहीं थी, जो उसके कल्याण और विकास पर खर्च की जाए। इसलिए एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना घोषित की गई। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि डीएमएफ का गठन कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों में हो चुका है और वर्ष भर में लगभग 6 हजार करोड़ रूपया माइनिंग क्षेत्र के जिलों में आएगा। ये 6 हजार करोड़ रूपए किसी और पर खर्च नहीं होंगे, यह सिर्फ उस क्षेत्र के विकास पर खर्च होगा या उस व्यक्ति के विकास और कल्याण पर खर्च होगा, जो माइनिंग से प्रभावित हो रहा है।

एनएमईटी की भी चर्चा यहां पर आई है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि एनएमईटी का गठन हो गया है। उसकी राशि आना प्रारम्भ हो गई है। उसकी दो-तीन बैठकें हो चुकी हैं। एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से माइनिंग डिपार्टमेंट निश्चित रूप से आगे बढ़ने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। क्षेत्र सीमा बढ़ाने की बात भी यहां पर आई थी, तो मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूं कि कुछ मिनरल्स और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जाती है।

पहले सामान्यतः यह होता था कि जब फाइल किसी भी राज्य में आती थी तो हर राज्य को, हर फाइल को प्रकरण और क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए केन्द्र को भेजनी पड़ती थी। अब हमने यह तय कर दिया है कि राज्य यह तय कर ले कि उसको लाइमस्टोन के लिए इतने क्षेत्रफल की आवश्यकता है और वह एक पत्र केन्द्र को भेज दे, हम यहां से उसको अनुमति दे देंगे, 10 किलोमीटर की बजाय 50 किलोमीटर की आवश्यकता ओडिसा को है, एक बार वह ऑर्डर हो जायेगा तो फिर दोबारा यहां पर आने की आवश्यकता नहीं है, राज्य को ही क्षेत्रफल बढ़ाने का अधिकार है। इस प्रकार से इस एक्ट में और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार लगातार राज्यों का रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से, राज्यों में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से, राज्यों की खिनज वैल्यू बढ़ाने की दृष्टि से और उस क्षेत्र में जनजाति बंधुओं की सेवा और विकास की दृष्टि से जो प्रावधान किये गये, उनका ठीक प्रकार से अमल करने का प्रयास शत-प्रतिशत ढंग से सरकार द्वारा किया जा रहा है, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे राज्य सरकारें भी लगातार इस दिशा में रुचि ले रही हैं।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 43 माइन्स का ऑक्शन नोटिस जारी हो गया है। दूसरे चरण में 42 माइन्स का भी ऑक्शन नोटिस जारी करने वाले हैं, ऐसे लगभग 100 माइन्स ऑक्शन पर आ जायेंगी। मैं समझता हूं कि यह सब जो संभव हो सका है, वह आप सभी के सहयोग के कारण ही संभव हो सका है। आज भी इस अमेंडमेंट पर आप सब के बहुत ही बहुमूल्य आये हैं, उनके अतिरिक्त भी कुछ सुझाव आये हैं, हम लोग उन पर भी निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये।

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill. Shri N.K. Premachandran has given notice of amendment to Clause 2 and Clause 3. As Shri Premachandran is not present, I shall put all clauses together to the vote.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

19.38 hours

AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) BILL, 2016*

(Amendments made by Rajya Sabha)

HON. SPEAKER: The House shall now take up Second Supplementary List of Business.

Hon. Minister to move that the amendments recommended by Rajya Sabha in the Aadhaar Bill, 2016 be taken into consideration.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move:

"(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to provide for, as a good governance, efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of India, to individuals residing in India through assigning of unique identity numbers to such individuals and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration:-

CLAUSE 3

1. That at page 3, <u>after</u> line 35, the following proviso be <u>inserted</u>, namely:-

"Provided that if an individual so chooses and does not wish to continue as a holder of Aadhaar number, such individual shall be entitled and permitted to have his Aadhaar number deleted from the Central Identities Data Repository and on such deletion, all his data including the demographic and biometric information as well as all his authentication records shall be destroyed forthwith and a certificate to that effect shall be issued by the authority within fifteen days from the making of such request".

^{*} The Bill was passed by Lok Sabha on the 11th March, 2016 and transmitted to Rajya Sabha on the same day. Rajya Sabha has returned the Bill with recommendations, which has been laid on the Table of Lok Sabha today.

CLAUSE 7

2. That at page 4, *for* lines 17 to 19, the following be *substituted*, namely:-

"Provided that if an Aadhaar number is not assigned to or if an individual chooses not to opt for enrolment, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service".

CLAUSE 33

3. That at page 12, line 1, <u>for</u> the words "national security", the words "public emergency or in the interest of public safety" be <u>substituted</u>.

CLAUSE 33

4. That at page 12, line 5 <u>after</u> the words "Oversight Committee consisting of", the words "the Central Vigilance Commissioner or the Comptroller and Auditor-General and" be <u>inserted</u>.

CLAUSE 57

- 5. That at page 17, clause 57 be *deleted*.'
- (b) that the recommendations made by Rajya Sabha be rejected."

HON. SPEAKER: Motion moved:

"(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to provide for, as a good governance, efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of India, to individuals residing in India through assigning of unique identity numbers to such individuals and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration:-

CLAUSE 3

1. That at page 3, <u>after</u> line 35, the following proviso be <u>inserted</u>, namely:-

"Provided that if an individual so chooses and does not wish to continue as a holder of Aadhaar number, such individual shall be entitled and permitted to have his Aadhaar number deleted from the Central Identities Data Repository and on such deletion, all his data including the demographic and biometric information as well as all his authentication records shall be destroyed forthwith and a certificate to that effect shall be issued by the authority within fifteen days from the making of such request".

CLAUSE 7

2. That at page 4, <u>for</u> lines 17 to 19, the following be <u>substituted</u>, namely:-

"Provided that if an Aadhaar number is not assigned to or if an individual chooses not to opt for enrolment, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service".

CLAUSE 33

3. That at page 12, line 1, <u>for</u> the words "national security", the words "public emergency or in the interest of public safety" be <u>substituted</u>.

CLAUSE 33

4. That at page 12, line 5 <u>after</u> the words "Oversight Committee consisting of", the words "the Central Vigilance Commissioner or the Comptroller and Auditor-General and" be <u>inserted</u>.

CLAUSE 57

- 5. That at page 17, clause 57 be *deleted*.'
 - (b) that the recommendations made by Rajya Sabha be rejected."

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Madam Speaker, there are four wise recommendations that have come from the Upper House. I rise to speak at 7.40 p.m. on the last day of the first part of this Budget Session. As you can see, many of my colleagues have had to go back for the elections in Bengal. But I speak for all of them.

Now, what are these four wise recommendations? First of all, the Upper House recommends that there ought to be an opportunity to opt out of the Aadhaar scheme. Secondly, clause 7 has also been amended by the Upper House because the original Clause 7 gave the impression that the Government can insist on Aadhaar as a condition for availing Government subsidies, benefits or services.

And the language provided by the Upper House, I think is much better. It says that provided that if an Aadhaar number is not assigned to or if an individual chooses not to opt for enrolment, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy benefit or service. This entire Bill is meant to deliver benefits and services to the poorest and the most disadvantaged sections of the population. And the altered language of Clause 7, I think serves the poor and obscure in our country much better.

Third, Clause 33 has also been amended by the Upper House. This is an extremely important recommendation. It strikes exactly the right balance between our security concerns and our concerns about civil rights. Here the language is sought to be changed from 'national security' to 'public emergency or in the interest of public safety'. I think national security was not properly defined in the original Bill. It would be open to abuse and misinterpretation. The new language suggested by the Upper House would be much better for our country at large.

There is also of course a further suggestion under Clause 33 that the Oversight Committee should have an independent member – Central Vigilance Commissioner or the Comptroller and Auditor General. I think the change in this composition of the Oversight Committee would also be extremely important.

Finally, there was the Clause 57. This is the most important recommendation that has come from the Upper House. If you look at the original Clause 57 it said, "Nothing contained in this Act shall prevent the use of Aadhaar number for establishing the identity of an individual for any purpose whether by the State or any body corporate or person." Now, 'for any purpose' certainly goes far beyond the purpose of government expenditure. If this clause remains in the Bill, then it will always be open to questioning that it is not properly a Money Bill even though you have of course certified this as a Money Bill. I think that the Upper House has recommended that this clause should be deleted and I agree also with this very wise recommendation that has come from the Upper House.

Madam Speaker, our founding fathers decided to have a bicameral legislature for a particular reason. We have the Upper House because we ought not to be passing any law in haste, we do not want any mistakes to remain in legislation. I would appeal to this Government, I would really beseech them that this recess that is going to be announced by you in a very short while gives the Government the opportunity to ponder and carefully consider the thoughtful recommendations that have come from the House of Elders.

We must not only abide by the letter of the Constitution, we should also respect the spirit of the Constitution. That is why I ask the Government to show genuine and substantive respect for democratic principles by not pushing for the passage of this Bill and this summary rejection of the recommendations from the Upper House today. Let us think through this. Let us come back. This can be taken up on the 25th of April, 2016.

Thank you very much, Madam Speaker, for giving me this opportunity to make a submission.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, as the previous speaker has pointed out the matter is before us right now. Just about ten minutes ago when I received this I was wondering whether this is going to be passed right now today itself or not and I asked the Chair. Some of the hon. Members from the Treasury Benches smirked and smiled not understanding what I was talking about. They thought I was talking about the MMDR Bill. Well, what can I do about their presence in the House!

Madam, these are important amendments by the Upper House of which the Finance Minister, who is moving the Bill, himself is a very respected and senior Member. So, I am sure he respects the House to which he belongs. I am not a knowledgeable lawyer. So, I will not be able to go into details and meanings of every word. But If we give a cursory look, all these amendments including the deletion of Clause 15 seem very reasonable which our party the Biju Janta Dal has been trying to implement in the Aadhar process.

As you know, quite a few private companies have now sprung up which has come out in the media, saying that if you send a particular Aadhar number of somebody who is already enrolled, they are able to get all the details that are with the Government, which are supposed to be private and secret. They will give you all the details for a mere Rs 50. If any of our Members are enrolled in Aadhar here, I can get their details by paying Rs 50 per person. That is already available and this is there in the market and everybody knows about it. This is a democracy and this is a country that loves freedom. I guess all of us here are direct beneficiaries of that process of democracy. Therefore, I would suggest like earlier the hon. Member did that let there be no hurry. We are not opposing you for the sake of opposition. We are in consonance in certain things that you are doing and we think that since many hon. Members of my party have already left for Odisha and so have the Members of other parties, it is improper to push through something so important and so vital in a hurry in a test of ego and 'I have got it done'. I would request you to keep this for after the recess. But, in spite of my

request, if it is still pushed forward, I would request my leader that in protest we would like to walk out of the House.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि आप शुद्ध हिन्दी में बोलती हैं और मैं उससे प्रेरित होकर आजकल अंग्रेजी में कम बोलता हूं और हिन्दी में ज्यादा बोलता हूं। एक बार फिर ताली बजाइएगा, संसद के नियम के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में पत्र दिए जाते हैं उसे पढ़कर संसद पास करती है लेकिन आजकल आप हिन्दी को इगनोर कर रहे है, हिन्दी को लेकर इतना लड़ते थे, तो क्यों नहीं हिन्दी की प्रति मिलती है? क्या समय का अभाव है? मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। माननीय अध्यक्ष: सलीम साहब, आप इस पर क्यों बोल रहे हैं?

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, मैं आईना दिखा रहा हूं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, वह देश को मालूम होना चाहिए। इसी कारणवश संसद में कई बार अनेक महत्वपूर्ण विषयों को रोक दिया गया, हिन्दी है, लेकिन मैं इस कारण नहीं रोकना चाहता, मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूं। हमारे संविधान बनाने वाले और संसदीय लोकतंत्र बनाने वालों की दूरदृष्टि थी, हमारे वित्त मंत्री हमेशा कहते हैं Directly elected or indirectly elected, tyranny or the elected or non-elected बाईकैमरल इसलिए है, सुगत बोस भी बोले हैं, दोबारा नजरसानी करनी पड़ती है। हमारे जैसे कम पढ़े-लिखे लोगों को भी दो-तीन बार अवलोकन करना पड़ता है। उस पर 500 रुपये फाइन भी हो जाता है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने, कानून के तहत यह लाजिमी है कि हाउस ऑफ एल्डर्स के मशविरे को, जो संशोधन दिये और पास किये, उसे आपने इस संसद के समक्ष रखा। आधार बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हो रहा है कि हम कुछ विषय को, जो वालंटरी है, उसे हम कम्प्लसरी कर रहे हैं। यह एक दिशा की ओर जाता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मोहम्मद सलीम जी, आप अमेंडमैंट पर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: यह गवर्नेंस का सवाल है। ...(व्यवधान) मैडम, आप क्यों बोल रही हैं?...(व्यवधान)

This shows how we are moving from a state of affairs where in most of the cases citizens are required to comply voluntarily, we are trying to make it compulsory. There are so many other things. Okay, I am not arguing.

Now, national security is a special aspect. ... (*Interruptions*) मैंने सोचा कि आप सब अंग्रेज हो गये हैं। ...(व्यवधान) टाइम्स स्केयर में जाकर आप सब अंग्रेज हो गये हैं, इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हू। ...(व्यवधान) आप हिन्दी को समझ नहीं रहे थे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप किसी भी लेंग्वेज में बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर यह कहा गया, जब हम यहां इस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, कि यह बहुत वेग है, इसे स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कितनी बार लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हुआ। आपके द्वारा नहीं, लेकिन समय-समय पर सरकारें ऐसा करती हैं। ...(व्यवधान) आप देखिये, क्लाज 33 में यह कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आप थोड़ी व्याख्या कर दें। पब्लिक इमर्जेंसी और इन दी इंटरेस्ट ऑफ दी पब्लिक सेफ्टी, तो आप जब सुरक्षा की बात करते हैं, पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं, आपको क्या आपित है? आप जब यह कह रहे हैं ऑवर साइड कमेटी, तो वहां कहा जा रहा है कि सीवीसी और सीएजी। इसमें क्या आपित है? यह कांस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं? मैं एकदम अमेंडमैंटस पकड़ -पकड़ कर बोल रहा हूं। क्लाज 7 में ...(व्यवधान)

श्री आर.के.सिंह (आरा): नैशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ...(व्यवधान) नैशनल सिक्योरिटी के बारे में चीफ विजिलेंस कमिश्नर को कोई जानकारी नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: क्या सब जानकारी आपको है?

HON. SPEAKER: Shri Mohammad Salim, please address the Chair.

... (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम: आप जानकारी का आधार लेकर बैठे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप दोनों आपस में चर्चा मत कीजिए। जब मैं बैठी हूं तब कम से कम आपस मे चर्चा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: किसी भी समय कोई भी अंदर आ सकता है, कुछ भी बोल सकता है और रिकार्ड में जा सकता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह नहीं जायेगा। केवल आपकी बात रिकार्ड में जायेगी। वहां व्यवधान आ जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: मैं यह भविष्य के लिए मालूम कर रहा हूं, क्योंकि यह एक दिन का मामला नहीं है।...(व्यवधान) क्लाज 3 का मैं आपके लिए अनुवाद कर रहा हूं।...(व्यवधान)

मैडम, नागरिक का यह अधिकार है या नहीं? पिछली बार जब हम इस पर बात कर रहे थे, तब मंत्री महोदय का कहना था कि यह सिटीजन्स का मामला नहीं है। सरकार के जो टारगेटेड ...(व्यवधान) आप बैठो, क्योंकि आपको सजा दी गयी है। ...(व्यवधान) कुछ नहीं समझकर आपको केवल हाथ हिलाने के लिए बैठाया गया है और हमें समझा कर हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं, केवल इतना फर्क है।

HON. SPEAKER: You conclude now. Otherwise, I will call out another name.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No long speeches please.

... (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM: "Provided that if an individual so chooses and does not wish such individual member shall be entitled and permitted to have ..." ... (Interruptions) मैंने जो कम्प्लसरी की बात कही। सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार इसे रिजैक्ट कर रही है। मैं समझता हूं कि ...(व्यवधान) आप लोग दोपहर में आराम से सोकर आये हैं। ...(व्यवधान) अभी अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Mohammad Salim, please conclude now.

... (Interruptions)

श्री मोहम्मद सलीम: जब पठानकोट पर चर्चा हो रही थी तब आप कहां थे?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): इन् लोगों ने आपसे सीखा है। ...(व्यवधान) आप हर दिन वही करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर, पठानकोट पर चर्चा हो रही थी, तब आप कहां थे। आप सिर्फ वोट के लिए हाथ उठते हैं। ...(व्यवधान) जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में यहां पठानकोट पर चर्चा हो रही थी, तब आपका चेहरा देखने को नहीं मिला। सिर्फ हाथ उठाने वाले इकट्ठे किये हैं। क्या यह नागरिकों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ...(व्यवधान) पूरा देश सब कुछ देख रहा है। ...(व्यवधान) हम शुरू से वही कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ...(व्यवधान) अगर यह हमें डिस्टर्ब करेंगे ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You conclude now; I will take the next name.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You do not have any point. If you do not have, it is okay. Shri Konda Vishweshwar Reddy.

श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, मैं अपने चरित्र को नहीं बदल सकता। ...(व्यवधान)

This House must agree with what has been recommended by the Rajya Sabha and we should reject what the hon. Minister is proposing.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Madam Speaker, all the apprehensions and some allegations made by the Members in the past when the Bill was discussed relating to why this Bill was introduced as a money Bill is actually proving to be true. But, anyway, our problem is not how the Bill is introduced. Actually, the Finance Minister gave precedents of so many cases where non-money Bills by the past Government were introduced as money Bill. But, anyway our problem is not how the Bill is introduced. If the Bill is in the interest of the country and if it is in the interest of Telangana we will support it.

Last time also we supported it although we saw various reasons, various risks and landmines in this Bill and those too were expressed by various Members. There were broadly two categories, one is privacy and the other is identity risk. These are, of course, a little futuristic in my opinion. We agreed to support the Bill primarily because the immediate risks are much lower than the immediate benefits and for our State the immediate benefits are very-very significant.

But, I humbly request the Finance Minister to tell us the need for such urgency. Please explain us the reason for such urgency. Can it not wait? I do not think anyone can disagree with the argument that the hon. Member Sugata Bose has mentioned. One is, what was the urgency and the second thing is the language used here. Actually, some of it reduces the risk, Madam. In Clause 3 the changes made, both the identity risk as well as the privacy, some of these risks are reduced by the language and also the language is much better. So, I would humbly request the Finance Minister to consider these two.

Thank you.

HON. SPEAKER: Yes, the Finance Minister.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I will deal with each one of the... (Interruptions)

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Madam, I have given my name.

HON. SPEAKER: Not, now. I am sorry, he has started speaking now.

... (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI: This is not fair. My Party has got time also. This is absolutely unfair. There is no Opposition here.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing, except whatever the hon. Minister says, will go on record.

... (Interruptions)... *

HON. SPEAKER: Mr. Minister, I have not allowed him to speak.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, nothing is going on record.

... (Interruptions)... *

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, Speaker, Prof. Sugata Bose has said 'I am speaking for my entire Party'. If there are differences in their Party, I leave it to them... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, I do not understand why you are not speaking.

... (Interruptions)

19.58 hours

(At this stage, Shri Dinesh Trivedi left the House.)

SHRI ARUN JAITLEY: I would only urge Prof. Sugata Bose, because he has raised five significant points... (*Interruptions*) Why don't you stay back and listen to the response? Why don't you wait and listen to the response? You will be deemed to have walked out. I would like your presence here because I would like you to consider the disastrous consequences of one of the amendments that you have supported. And, therefore, I want you to be very much here.... (*Interruptions*)

_

^{*} Not recorded.

AN HON. MEMBER: But his friend has walked out. What can he do?... (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: It is for the Chair, whether the Chair allows one speaker from a Party or two.

Madam, under Article 109 of the Constitution when a Money Bill is transmitted from the Lok Sabha to the Rajya Sabha, it can come back with suggestions and amendments or it can come back as it is. This one has come back with suggestions. I am glad that Members, particularly Prof. Sugata Bose, has detailed....

माननीय अध्यक्ष : आप सबकी सहमित हो तो बिजनेस डिस्पोजल तक हाउस का समय बढ़ा दिया जाए। कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

... (Interruptions)

20.00 hours

(At this stage, Prof. Saugata Bose left the House.)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the objections which have been raised both by Mr. Salim and Prof. Bose deal with this very principle issue of privacy.

First of all, I am not concerned with the issue of privacy which is pending before the Supreme Court and whether it is a fundamental right or not, I am assuming let it be a fundamental right. I am developing the argument which is being given in support of these amendments. The argument is that privacy is a part of the right of liberty and therefore, a Bill should not encroach upon it. Now under article 21, a person is entitled to his right of life and liberty which can be taken away by a procedure established by law. That is the Constitution. So privacy in an exceptional case by a fair, just and reasonable procedure can be taken away. That is the law as it stands. It is not an absolute right.

Now I wanted Prof. Bose to be here since he has the distinction of teaching at length in an American University, he knows in 1935 the United States started the Social Security Number. The Social Security since 1935, *i.e.*, last 80 years for

each activity, you need to give your Social Security Number. There have been hundreds and hundreds of additions which are made to that. Therefore, every person gets a unique identity. Can you make it compulsory? Does this encroach upon your liberty or your privacy? These are all issues which are not being raised here for the first time. This debate has gone on in the United States for 80 years and every court in the world's most liberal democracy has said that it is a reasonable restriction and it does not violate.

Can you make it mandatory? The courts of the United States have held that if you want the benefit from the Government money, then you have to choose between your identity and getting the Social Security Number. आप यह नहीं कह सकते कि मैं सोशल सिक्योरिटी नंबर भी नहीं लूंगा और मुझे बेनीफिट भी दो। यह पूरी दुनिया की परिस्थिति है। जब यूपीए इस कानून को लायी और मैं इस वजह से इन पांच संशोधनों को खारिज करता हूं कि यूपीए का जो बिल वर्ष 2010 में आया और ये पांच प्रावधान जिनमें संशोधन के लिए युपीए के सदस्यों ने संशोधन प्रस्तावित किया है, इन पांचों में से एक भी उस बिल का हिस्सा नहीं थे। So in effect, this was something with a political motive. This was a UPA Bill. These provisions were identical. मैंने प्रिविसी के संबंध में यह किया है कि यूपीए के बिल के जो प्रिविसी प्रोविज़न्स थे, उसमें कहीं न कहीं उल्लंघन की गुंजाइश थी, मैंने उसको टाइटेन किया और वह कैसे किया, यूपीए के बिल में था कि इसके लिए एक अथोरिटी होगी कि नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर वह किसी भी एजेंसी को दे सकती है। कोई व्यक्ति चाहे तो वह स्वयं कह सकता है कि मेरी यूनिक आइडेंटिटी किसी और को दे दी जाए। So, with consent it can be given; on grounds of national security, any authority can give and the third was any court in India can ask for it. इस बिल की आलोचना इस बात के लिए हुई कि Is it violating the right of privacy? Now expert groups went into this question and we became wiser by that. Now what have we done?

There are two kinds of information. One is personal data and the other is core biometrics. किसी का डीएनए है, किसी की फिंगरप्रिंट्स हैं, किसी की आंखों का है, अब उससे आगे बढ़कर पांव की ऐंडी, अगर आप दो साल के बच्चे के फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो 50 साल बाद उसके फिंगरप्रिंट्स बदल जाएंगे। लेकिन पांव की ऐंड़ी बदलती नहीं है। इसको समय-समय पर एड करते रहेंगे। These are core biometrics. Core biometrics cannot be shared with anyone even

with consent. जो उसकी पर्सनल इनफार्मेशन है, so we have tightened the privacy provision. It cannot be shared even with consent. दूसरा, यह नेशनल सिक्योरिटी वर्ड इसमें कहां से आया? यूपीए के बिल से आया। आज तमाम यूपीए खड़ा हो जाए और कहे कि हम इसे नहीं मानते। Now, when I said what is being suggested is dangerous, it means that now the amendment proposed for the sake of amendment is to replace the word 'national security' with 'public emergency' and 'public safety'. So, I ask a question and I will sit down if Shri Salim can answer the question right now what is the definition of public emergency? Is it a legally defined phrase? Public emergency is not Emergency under article 352 which your new friends in the Congress Party imposed in 1975. That was Emergency declared under article 352. कानून में पब्लिक इमरजेंसी जैसा कोई शब्द नहीं है। पब्लिक सैफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी में अंतर क्या है? Under this Bill national security is the only ground. So, it is a narrow ground. जो राष्ट्र की सुरक्षा, सावरेण्टी, इंटेग्रिटी का उल्लंघन है। It is a defined ground. अब नेशनल सिक्योरिटी शब्द कहां से आया? कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 19 में भी है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में भी है, ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट में भी है। It is a defined phrase. Public emergency पब्लिक इमरजेंसी-किसी शहर में पानी का संकट आ गया, there is a public emergency. तो क्या आप लोगों को बायोमीट्रिक्स बांटेंगे? पब्लिक सेफ्टी-हरियाणा में आन्दोलन हो गया। So, this amendment that has been suggested by the Upper House, though I concede to the wisdom of the Upper House, actually has dangerous consequences. It is dangerous because it gives a very wide power to the Government to share biometric information. It bases it on a phrase which is not defined in law; whose definition is not available; which is capable of being stretched. This was not there in the UPA Bill, so, why is it that the Members of that group suggested this amendment? In fact, in every sense from privacy point of view this is more secure. Then, what is the procedure I follow? The UPA procedure was देश की कोई भी अदालत कह सकती है कि इसको पब्लिक कर दो। We said nothing, it has to be higher than a District Judge so that some senior court can do it.

Thirdly, you can create authorities all over the country who can say make it public but we said that you cannot do that. You will have one authority created in Delhi whose decision is reviewable by a Committee headed by the Cabinet Secretary. पहले एक अथारिटी तय करेगी कि किसी की जानकारी देनी है या नहीं। Then the Cabinet Secretary will head a Committee. That Committee will decide नेशनल सिक्योरिटी के इंट्रेस्ट में इसे देना है या नहीं देना। So, we put safeguards. इसका अवधि काल तीन महीने रहेगा। अब इसमें अमेंडमेंट दे दी कि नेशनल सिक्योरिटी का डिटरमिनेशन कौन करेगा? सीएंडएजी और सीवीसी करेंगे। आर.के.सिंह साहब होम सेक्रेटरी रहे हैं, अभी कह रहे थे, सीएंडएजी और सीवीसी का ऑडिट एवं भ्रष्टाचार से संबंध है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संबंध कैबिनेट सेक्रेटरी का हो सकता है, होम सेक्रेटरी का हो सकता है, डिफेंस सेक्रेटरी का हो सकता है। इसमें सीएंडएजी और सीवीसी का क्या मतलब ਵੈ? So, the wisdom of the Upper House, I bow to that wisdom, the wisdom is that the national security should be handled by anti-corruption authorities; national security should be handled by auditors and instead of national security you have an undefined phrase – public safety and public emergency which are undefined phrases. It is for this reason that I have suggested that these amendments which are being proposed, I will just deal with the five amendments, the first amendment is a person who does not want to be a member should not become a member; should not get an Aadhar. I have no difficulty. Section 3 uses the language you are entitled to have an Aadhar number. अब यह शब्द इंटाइटल्ड कहां से आया, यू.पी.ए. के बिल से आया। आज वे मुड़कर कहते हैं कि नहीं मेरे बिल में भाषा गलत थी। I follow 'entitled' from their Bill.... (Interruptions) आपका उनके साथ नया रिश्ता बना है।

SHRI MOHAMMAD SALIM: It is UPA-III and not NDA-II.

श्री अरुण जेटली: आपने उनसे रिश्ता छिप-छिपकर बंगाल में बनाया। अब आप हमारा और उनका रिश्ता बना रहे हैं।

श्री मोहम्मद सलीम: चोरी-चोरी से अच्छा है, छिप-छिपके। ... (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: At least do not kill their Youth Congress leader in Kerala if you have a relationship with them now. That is what you have done yesterday. That is what you are accused of doing.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): The Youth Congress leader was not killed by anybody from my Party. Madam, you know it. In Kerala, everybody is in politics. In a family itself, husband and wife may be in different political parties. If the child intervenes, then it could be a political risk.... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: What kind of an alliance is this? They are romancing in West Bengal and murdering each other in Kerala.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay.

... (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: So, the first point is, a man must have a right not to join. Do not join, it is an entitlement. Do not avail of that entitlement. The second is, if I do not join, I should still be entitled to a benefit. The consistent jurisprudence all over the world is... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Ours is a welfare State. By making an entitlement, you are denying a citizen of this country. And that is our concern.

SHRI ARUN JAITLEY: Mahtab Ji, with respect, on your first statement, we are desiring of becoming a welfare State. There are other States which have social security and which have already becomea welfare State. Therefore, all those countries which have become a welfare State insist that, to avail of the welfare, you must give a proof of identity. Otherwise, what will happen? If you follow this anarchic provision which has been suggested, एक गरीब आदमी आएगा, उसे कहेंगे कि आपके हिस्से का मिला नहीं, दिलत या बी.पी.एल. वाले को मिला नहीं। आपको यह बात मालूम है कि जब एल.पी. गैस डी.बी.टी. में डाली तो एक घर में 20-20 कनेक्शन थे। पहले वर्ष में उसमें से 14,000 करोड़ रुपए बचे। उन 14,000 करोड़ रुपयों में से 8,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट करके 5,000 करोड़ रुपए बी.पी.एल. परिवारों को दिया जाएगा। बिना पहचान पत्र के सबूत के कोई व्यक्ति बेनिफिट लेता रहे, वह गरीब आदमी के हित में है या कोई अमीर आदमी उसे न ले पाए और जो उससे बचत हो, वह गरीब के हिस्से में जाए। LPG is a living example. We have deleted the wealthy and we are giving it free to the poor, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस सोशल सिक्योरिटी इंसिस्टेंस या आधार

इंसिस्टेंस से उस उद्देश्य की पूर्ति होगी या नुकसान होगा, जो आप सजेस्ट कर रहे हैं? मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब : बांग्लादेशी ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव है...

श्री अरुण जेटली: हमने इसीलिए इसमें यह प्रावधान डाल दिया कि यह किसी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है।

अब आप तीसरे संशोधन पर आएं। नेशनल सिक्योरिटी की जगह पब्लिक सिक्योरिटी डाल दो, यह बात आई। पब्लिक सेफ्टी तो बहुत बड़ा फ्रेज है। In fact, public safety may render this law capable of challenge and national security would not because national security is a reasonable ground for some sacrifice of privacy.

उसके बाद अगला प्रावधान आया कि ओवरसाइट कमेटी में एंटी करप्शन और ऑडिटिंग अथोरिटीज को डालो। जब नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है तो जो रक्षा से डील करते हैं वे आएंगे या ऑडिटर्स आएंगे। You cannot have a chartered accountant sitting and auditing national security.

आखिरी यह है कि सेक्शन 57 को डिलीट कर दो। आप जितने लोग क्षेत्रीय दलों से हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के माननीय सदस्यों ने कहा, जहां यह कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ है। राज्य सरकारें जैसे ही वह स्कीम बनाएंगी, अपनी योजनाओं में भी इसका इस्तेमाल करेंगी, तो उनके साधन बढ़ेंगे। जब उनके साधन बढ़ेंगे तो इसमें वह प्रावधान डाल दो कि कोई दूसरे पर्पज के लिए उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग ही न हो पाए।

कल अगर आपकी राज्य सरकार चाहती है कि मैं दो-तीन चीजों के लिए इसका प्रयोग करूं। गरीब को मैंने जमीन का आवंटन करना है, किसी को मैंने कृषि का लाभ देना है तो वह न कर पाऊं या किसी अन्य परपज़ के लिए न कर पाऊं। इसलिए यह कहना कि सेक्शन 57 को डिलीट कर दो, इसलिए मुझे यह खेद है कि अनुच्छेद 109 के तहत मैं राज्य सभा के उन सुझावों से सहमत नहीं हूं और माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उनको अस्वीकार किया जाए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, we are walking out in protest.

20.15 hours

(At this stage, Shri Bhartruhari Mahtab and some other hon. Members left the House.)

SHRI MOHAMMAD SALIM: Hon. Speaker, we are walking out in protest.

20.15 ½ hours

(At this stage, Shri Mohammad Salim and some other hon. Members left the House.)

HON. SPEAKER: The question is:

"(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to provide for, as a good governance, efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of India, to individuals residing in India through assigning of unique identity numbers to such individuals and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration:-

CLAUSE 3

1. That at page 3, <u>after</u> line 35, the following proviso be <u>inserted</u>, namely:-

"Provided that if an individual so chooses and does not wish to continue as a holder of Aadhaar number, such individual shall be entitled and permitted to have his Aadhaar number deleted from the Central Identities Data Repository and on such deletion, all his data including the demographic and biometric information as well as all his authentication records shall be destroyed forthwith and a certificate to that effect shall be issued by the authority within fifteen days from the making of such request".

CLAUSE 7

2. That at page 4, <u>for</u> lines 17 to 19, the following be <u>substituted</u>, namely:-

"Provided that if an Aadhaar number is not assigned to or if an individual chooses not to opt for enrolment, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service".

CLAUSE 33

3. That at page 12, line 1, <u>for</u> the words "national security", the words "public emergency or in the interest of public safety" be <u>substituted</u>.

CLAUSE 33

4. That at page 12, line 5 <u>after</u> the words "Oversight Committee consisting of", the words "the Central Vigilance Commissioner or the Comptroller and Auditor-General and" be <u>inserted</u>.

CLAUSE 57

- 5. That at page 17, clause 57 be *deleted*.'
- (b) that the recommendations made by Rajya Sabha be rejected."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: We shall now take up the amendments recommended by Rajya Sabha.

The question is:

CLAUSE 3

1. That at page 3, <u>after</u> line 35, the following proviso be <u>inserted</u>, namely:-

"Provided that if an individual so chooses and does not wish to continue as a holder of Aadhaar number, such individual shall be entitled and permitted to have his Aadhaar number deleted from the Central Identities Data Repository and on such deletion, all his data including the demographic and biometric information as well as all his authentication records shall be destroyed forthwith and a certificate to that effect shall be issued by the authority within fifteen days from the making of such request".

CLAUSE 7

2. That at page 4, <u>for</u> lines 17 to 19, the following be <u>substituted</u>, namely:-

"Provided that if an Aadhaar number is not assigned to or if an individual chooses not to opt for enrolment, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service".

CLAUSE 33

3. That at page 12, line 1, <u>for</u> the words "national security", the words "public emergency or in the interest of public safety" be <u>substituted</u>.

CLAUSE 33

4. That at page 12, line 5 <u>after</u> the words "Oversight Committee consisting of", the words "the Central Vigilance Commissioner or the Comptroller and Auditor-General and" be <u>inserted</u>.

CLAUSE 57

5. That at page 17, clause 57 be *deleted*.'

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the amendments recommended by Rajya Sabha in the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha be rejected.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the amendments as proposed by Rajya Sabha in the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha, be rejected."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the amendments No. 1 to 5 recommended by Rajya Sabha in the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha, be rejected."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: In accordance with clause 4 of article 109 of the Constitution, the Bill is deemed to have been passed by both the Houses in the form in which it was passed by Lok Sabha without any of the amendments recommended by Rajya Sabha.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: One can discuss, debate and then decide on the merits and demerits of the Bill. There is no problem. But to make out a case and show to the people as if the Government wanted to have it a one-sided affair and that the Government is passing the Bill without the presence of the Opposition is not correct. This is the point that has been made. If the Members of the Congress Party are serious, who asked them not to be present in the House? So, it should go on record that they have a political agenda and they pursued the agenda. They do not have the numbers. That is why they are not here, not because we are not allowing them. We want them to be here.

The TMC Member has also said that he was speaking for his entire Party. Please check the records. Then, his other colleague comes and disagrees with him. We cannot help it. I cannot bring unity in their Party. So, let the records be put straight that the Government was willing for a debate and discussion with an open mind, but they could not effectively put forth their point of view because their point itself is weak as said by the Finance Minister.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Monday, the 25th April, 2016 at 11.00 a.m.

20.19 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 25, 2016 / Vaisakha 5, 1938 (Saka).